www.raceias.com

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

जनवरी, 2026 | ₹ 60/-

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

THE KING OF BIRDS: WESTERN TRAGOPAN

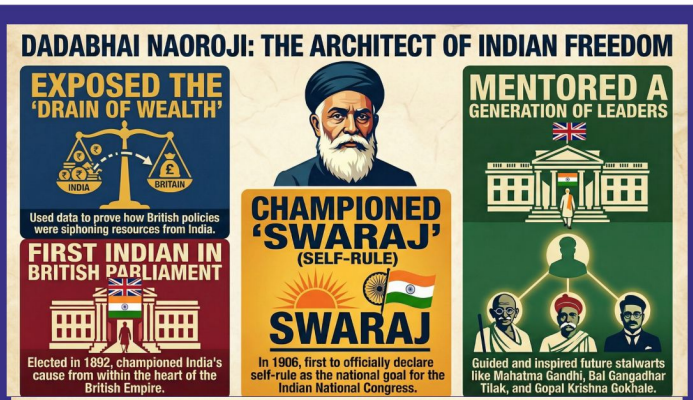

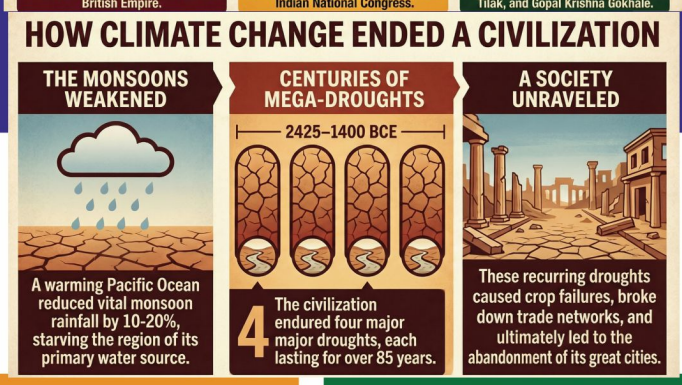

Gist of

THE HINDU | PIB (PRESS INFORMATION BUREAU) | The Indian EXPRESS — JOURNALISM OF COURAGE | Kurukshetra — A JOURNAL ON RURAL DEVELOPMENT | YOJANA

Raghav Publication House

अनुक्रमणिका

सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ---------- 1
भारत ने भूकंप डिजाइन कोड, 2025 (आईएस 1893:2025) में संशोधन किया ---------- 1
जगद्गुरु माधवाचार्य और द्वैत वेदांत ----------3
इटली ने ऐतिहासिक महिला हत्या कानून पारित किया ----------3
चक्रवात दितवाह और उत्तरी हिंद महासागर नामकरण प्रणाली ----------4
गवर्नर की टाइमलाइन पर प्रेसिडेंशियल रेफरें ---------- 5
भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी की गतिशीलता ----------6
संचार साथी ऐप का आदेश ----------7
हृदय-प्रतिरोधी शहरी नियोजन ----------7
जैव-उपचार ---------- 8
भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) ----------9
पूर्वी अफ़्रीकी दरार घाटी ----------9
बाल विवाह ---------- 10
सौर फ्लेयर्स ---------- 12
अफीम पोस्त की खेती ---------- 13
आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन (WSDM) 2025 ---------- 13
विश्व मृदा दिवस और शहरी मृदा स्वास्थ्य ---------- 14
साइबर अपराध ---------- 15
भारत-रूस ----------16
पीएम-वाणी योजना ----------16
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ----------18
संसदीय व्यवधान और घटती कार्यकुशलता ---------- 19
गोवा नाइटक्लब फायर और अर्बन फायर सेफ्टी ---------- 20
डिजिटल संविधानवाद ----------21
23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ---------- 22
नागरिक उद्योग महानिदेशालय (डीजीसीए) ---------- 23
ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) खरीदें ----------24
बार्सिलोना कन्वेंशन---------- 25
जेल नियमावली और सुधार ---------- 26
Dhruva Framework ---------- 27
वंदे मातरम ---------- 28
भारत में छात्र आत्महत्याएं ----------29
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ----------30
हिंदू विकास दर ---------- 31
अचानक समताप मंडलीय वार्मिंग (SSW) घटना ----------32
Dadabhai Naoroji ----------32
मानसिक स्वास्थ्य ----------33
स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार ----------34
हाई कोर्ट के जज को हटाना ----------35
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) ----------36
पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन ----------36

RACE IAS

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस (BCI) ---------- 37
सेना स्पेक्टेबिलिस---------- 38
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ---------- 38
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रॉयल्टी ----------39
पीएलआई योजना और डब्ल्यूटीओ विवाद ---------- 39
दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया ----------40
द यूनिट – पायलट गोल्ड-बैक्ड डिजिटल ट्रेड करेंसी ----------41
CITES और CoP20 शिखर सम्मेलन ----------42
थाईलैंड-कंबोडिया सीमा तनाव ----------42
भारत में शिक्षा की लागत ----------43
नार्को परीक्षण ---------- 44
वेस्टर्न ट्रैगोपैन (जुजुराना) ----------45
Shilp Didi Programme ----------46
3I/ATLAS पर ग्रह-रक्षा अभ्यास ----------48
जनरेटिव एआई और कॉपीराइट ----------49
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन ----------50
नाट्यशास्त्र ----------52
डिस्कनेक्ट करने का अधिकार विधेयक, 2025---------- 53
कैबिनेट ने इंश्योरेंस में 100% FDI को मंज़ूरी दी ---------- 54
निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोल लिंकेज की नीलामी नीति (कोलसेतु) ----------55
भारत को बदलने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की तरक्की का सस्टेनेबल इस्तेमाल (शांति बिल) ----------56
PwBD कैंडिडेट्स के लिए सेंटर ऑफ़ चॉइस फैसिलिटी ----------57
नाइट्रोफ्यूरान ----------57
भारत में अंगदान के रुझान (2025) ----------58
व्यापार घाटा ---------- 60
भारत-एडीबी 2.2 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते ---------- 61
भारत-ओमान द्विपक्षीय संबंध ----------62
विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी विधेयक, 2025 ----------63
प्रवासी श्रमिक और विदेशी आवागमन (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 ---------- 64
बीमा क्षेत्र में 100% FDI ----------65
परमवीर चक्र (पीवीसी) ----------66
तियानजिन घोषणा (2025) ---------- 67
भारत-जॉर्डन संयुक्त वक्तव्य (2025) ---------- 68
रेड कॉरिडोर से नक्सल-मुक्त भारत तक ---------- 69
2025 में डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी (DBT) की उपलब्धियां ---------- 70
भारत-ओमान सीईपीए ----------71
न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भारत की डिजिटल छलांग ----------72
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ----------73
भारतीय रेलवे ----------74
भारत-बांग्लादेश संबंध ----------75
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) ----------76
एनपीएस निकास और निकासी (संशोधन) विनियम, 2025---------- 77
कोहरा: प्रकार, निर्माण और प्रभाव ---------- 78
भारत में एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाना ---------- 79
डिस्कनेक्ट करने का अधिकार और प्राइवेट मेंबर बिल ---------- 80

RACE IAS

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) ---------- 81
भीमा नदी ----------82
लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) ---------- 83
अरावली बचाओ अभियान ---------- 84
भारत में फर्टिलाइजर सब्सिडी में सुधार ---------- 85
दक्षिणी महासागर कार्बन विसंगति ---------- 86
राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ---------- 87
किम्बरली प्रोसेस (KP) ---------- 88
NATGRID-NPR लिंकेज ---------- 89
समुद्र प्रताप ----------90
जाति पंचायत का फरमान: महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बैन ----------91
शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना ----------92
अरावली पर्वतमाला का संरक्षण ---------- 93
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ---------- 94
रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ----------95
गंडिकोटा घाटी ----------96
अलकनंदा आकाशगंगा ----------96
औद्योगिक भांग ---------- 97
यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (पीएसीआर) ----------98
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का 140वां स्थापना दिवस ----------99
भारत में अनुसंधान की कमी ----------99
भारत में बाल विवाह ----------101
भारत में सीमांत किसानों की स्थिति 2025 ----------101
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ----------102
सोमालीलैंड ----------103

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर

प्रसंग

भारत के बेंचमार्क इंडेक्स **सेंसेक्स** और **निफ्टी** नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच रहे हैं। इस अपट्रेंड को मुख्य रूप से **लार्ज-कैप हेवीवेट्स के एक छोटे ग्रुप , खासकर बड़े बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लीड कर रहे हैं। इससे मार्केट कंसंट्रेशन** और कमजोर ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं ।

सूचकांकों के बारे में

1. बीएसई सेंसेक्स

- **एक्सचेंज:** बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)
- **कंपोज़िशन:** खास सेक्टर की 30 जानी-मानी, फाइनेंशियली मज़बूत कंपनियाँ।
- **आधार वर्ष और आधार मूल्य: 1978–79** , आधार मूल्य **100** .
- **कैलकुलेशन:** फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मेथड (वेट सिर्फ़ पब्लिकली ट्रेडेबल शेयरों पर निर्भर करता है)।
- **भूमिका:** भारत का **सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाने वाला इंडेक्स** , जो BSE पर मार्केट परफॉर्मेंस को दिखाता है।

2. निफ्टी 50

- **एक्सचेंज:** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)
- **कंपोजिशन:** मुख्य सेक्टर्स की 50 सबसे बड़ी और सबसे लिक्विड कंपनियां।
- **आधार तिथि और आधार मूल्य: 3 नवम्बर 1995** , आधार मूल्य **1000** .
- **कैलकुलेशन:** फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मेथड।
- **भूमिका:** भारतीय इक्विटी मार्केट का एक बड़ा इंडिकेटर, जिसमें अलग-अलग सेक्टर और कंपनियां शामिल हैं।

स्टॉक एक्सचेंज: बीएसई और एनएसई

अदला-बदली	पूरा नाम	स्थापित	प्रमुख विशेषताऐं
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज	**1875**	1995 में **BOLT** के साथ ओपन-क्राई से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में चला गया।
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	**1992** (निगमित)	भारत का पहला देश भर में, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज; 1994 में मॉडर्न **स्क्रीन-बेस्ड, ऑर्डर-ड्रिवन ट्रेडिंग शुरू की।**

मौजूदा रैली के मुख्य कारण और चिंताएं

उछाल के चालक

- **ग्लोबल सेंटिमेंट:** US फेडरल रिजर्व के रेट में कटौती की उम्मीद से ग्लोबल रिस्क लेने की क्षमता बढ़ी है, जिससे भारतीय मार्केट में FII की दिलचस्पी बढ़ी है।
- **कच्चे तेल की कम कीमतें:** तेल की कम कीमतों से भारत का इम्पोर्ट का बोझ कम होता है, महंगाई का दबाव कम होता है, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ता है।
- **अर्निंग्स आउटलुक:** कॉर्पोरेट अर्निंग्स स्टेबल होती दिख रही हैं, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में डबल-डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है।
- **घरेलू फ्लो:** DII से मजबूत निवेश और म्यूचुअल फंड में लगातार इनफ्लो से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है।

बाजार एकाग्रता संबंधी चिंताएँ

- **नैरो लीडरशिप:** मार्केट के रिकॉर्ड हाई **कुछ हैवीवेट स्टॉक्स की वजह से हो रहे हैं** , जिससे इंडेक्स परफॉर्मेंस में उतार-चढ़ाव आ रहा है।
- **कमजोर ब्रेड्थ:** सेंसेक्स और निफ्टी के ऑल-टाइम हाई पर पहुंचने के बावजूद, कई मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक अपने पीक से काफी नीचे हैं।
- **रिटेल पर असर:** ज़्यादा कीमत वाले मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक रखने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है, भले ही हेडलाइन इंडेक्स बढ़ रहे हों, जिससे **कंसंट्रेशन रिस्क** और इंडेक्स लेवल और मार्केट की बड़ी हेल्थ के बीच फर्क दिख रहा है।

भारत ने भूकंप डिजाइन कोड, 2025 (आईएस 1893:2025) में संशोधन किया

प्रसंग

नवंबर 2025 में बदले हुए **अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड (IS 1893:2025) के तहत** एक अपडेटेड **सिस्मिक ज़ोनेशन मैप जारी किया। इसकी सबसे बड़ी खासियत एक नया सबसे ज़्यादा रिस्क वाला ज़ोन VI** बनाना है , जो पूरे हिमालयी इलाके

को कवर करता है। इससे देश की सिस्मिक तैयारी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी फ्रेमवर्क में एक बड़ा बदलाव आया है।

कोड के बारे में

ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) का जारी किया गया बदला हुआ भूकंप डिज़ाइन कोड, पहले के डैमेज-बेस्ड असेसमेंट से **मॉडर्न, साइंटिफिक, डेटा-ड्रिवन सिस्मिक मॉडलिंग** में बदलाव को दिखाता है ।

भूकंपीय ज़ोनेशन मैप: नए ज़ोन

उद्देश्य

- भूकंप के खतरे की संभावना के आधार पर भारत को ज़ोन में बांटा गया है।
- भूकंप से बचाव को बढ़ाने के लिए ज़रूरी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को गाइड करता है।

क्रियाविधि

नया मैप **प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हैज़र्ड असेसमेंट (PSHA) पर आधारित है** , जिसमें शामिल हैं:

- विस्तृत दोष मॉडलिंग और टूटने की संभावना
- ज़मीन हिलाने वाला व्यवहार
- टेक्टोनिक शासन विश्लेषण
- भू-गति की संभावना के सांख्यिकीय अनुमान

नए क्षेत्र

- **ज़ोन VI को सबसे ज़्यादा खतरे वाली कैटेगरी** के तौर पर शुरू किया गया है (पहले सबसे ऊपर का ज़ोन ज़ोन V था)।
- भारत को अब **पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: II, III, IV, V, VI** ।

संशोधित ज़ोनेशन की मुख्य विशेषताएं

1. नया ज़ोन VI वर्गीकरण

- **जम्मू और कश्मीर-लद्दाख** से लेकर **अरुणाचल प्रदेश** तक पूरा **हिमालयी क्षेत्र एक समान रूप से जोन VI** में रखा गया है ।
- पहले की कमियों को ठीक करता है, जहाँ कुछ हिस्सों को बराबर टेक्टोनिक स्ट्रेस के बावजूद ज़ोन IV या V में क्लासिफ़ाई किया गया था।
- **भारतीय-यूरेशियन प्लेट सीमा** पर अत्यधिक तनाव को दर्शाता है ।

2. ज़्यादा खतरे वाले कवरेज में बढ़ोतरी

- भारत का **61% ज़मीन का एरिया अब मीडियम से हाई सिस्मिक हैज़र्ड ज़ोन में मैप किया गया है** (पहले यह ~59%) था)।
- यह एक्टिव फॉल्ट सिस्टम की बेहतर साइंटिफिक मॉडलिंग को दिखाता है।

3. सीमावर्ती नगर नियम

- **दो ज़ोन के बीच की सीमा पर बसा** कोई भी शहर अपने आप **ज़्यादा जोखिम वाले** ज़ोन में आ जाता है ।
- एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर के बजाय जियोलॉजिकल रिस्क के आधार पर सेफ्टी प्लानिंग पक्का करता है।

4. रप्चर एक्सटेंशन पर विचार किया गया

- कोड में इस बात की संभावना बताई गई है कि **हिमालय के बड़े फॉल्ट दक्षिण की ओर टूट सकते हैं** , जिससे घनी आबादी वाले पहाड़ी इलाकों (जैसे, **देहरादून के पास**) पर असर पड़ सकता है।
- इसमें लंबी दूरी तक ज़मीन हिलाने वाले इफ़ेक्ट शामिल हैं।

5. गैर-संरचनात्मक सुरक्षा अधिदेश

- **नॉन-स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स** की एंकरिंग की ज़रूरत होती है , जैसे:
  - पैरापेट्स
  - पानी के टैंक
  - झूठी छतें
  - एचवीएसी इकाइयाँ
- अगर उनका वज़न **बिल्डिंग के कुल लोड के 1% से ज़्यादा है, तो यह ज़रूरी है** , इससे भूकंप के दौरान चोट लगने की एक बड़ी वजह का हल निकलता है।

6. एडवांस्ड जियोटेक्निकल चेक

संशोधित कोड में ये ज़रूरी है:

- विस्तृत मृदा द्रवीकरण मूल्यांकन
- साइट-विशिष्ट प्रतिक्रिया स्पेक्ट्रा
- सक्रिय फॉल्ट के पास संरचनाओं के लिए प्रावधान
- भूकंप के केंद्र के पास आम तौर पर होने वाली **पल्स जैसी ज़मीनी हलचलों** के लिए डिज़ाइन के तरीके

संशोधित संहिता का महत्व

1. बेहतर तैयारी

- PSHA और ज़ोन VI को अपनाने से भारत के बिल्डिंग रेगुलेशन **असल टेक्टोनिक स्ट्रेस के साथ अलाइन हो जाते हैं** , खासकर हिमालयी इलाके में।

2. एक समान जोखिम मूल्यांकन

- हिमालयी क्षेत्र का एक जैसा वर्गीकरण, लंबे समय से निष्क्रिय या "बंद" फॉल्ट सेगमेंट से जुड़े पहले के कम आंकलन को दूर करता है।

3. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लचीलापन

- **महत्वपूर्ण सुविधाओं** - स्कूल, अस्पताल, पुलों - के नवीनीकरण को अनिवार्य बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि **बड़े भूकंप के बाद भी नए डिजाइन किए गए ढांचे चालू रहें** ।

4. प्रभाव पर ध्यान दें (PEMA विधि)

- अपडेटेड ज़ोनिंग में **जनसंख्या घनत्व और सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरी को भी शामिल किया गया है** ।
- यह पक्का करता है कि सीस्मिक रिस्क असेसमेंट सिर्फ़ खतरे को ही नहीं, बल्कि **संभावित इंसानी और आर्थिक असर को भी दिखाए** ।

जगद्गुरु माधवाचार्य और द्वैत वेदांत

प्रसंग

जगद्गुरु माधवाचार्य, 13वीं सदी के एक जाने-माने भारतीय दार्शनिक थे। उन्होंने **वेदांत के द्वैत (द्वैत) स्कूल की शुरुआत की** , जो आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के योग्य अद्वैतवाद का एक अलग विकल्प था। उनकी शिक्षाओं ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को नया रूप दिया और हिंदू दार्शनिक सोच पर असर डालना जारी रखा।

माधवाचार्य के बारे में

पृष्ठभूमि

- **जन्म:** कर्नाटक के उडुपी के पास पजाका गांव में *वासुदेव के* रूप में जन्मे ।
- **जीवन:** कम उम्र में ही साधु बन गए; उनका नाम **पूर्ण प्रज्ञा** और बाद में **आनंद तीर्थ रखा गया** ।
- **विश्वास:** अनुयायी इसे वायु देवता **का अवतार मानते हैं।**
- **युग: पारंपरिक रूप से 1199-1278 CE** के बीच का माना जाता है (कुछ परंपराएं इसे **1238-1317 CE के बीच रखती हैं**)।

दार्शनिक अभिविन्यास

माधवाचार्य ने **द्वैत वेदांत की स्थापना की, जिसे तत्ववाद** (वास्तविकता का सिद्धांत) के नाम से भी जाना जाता है , जो एक **यथार्थवादी द्वैतवादी दुनिया को देखने के नज़रिए की वकालत करता है** जो ईश्वर, आत्मा और भौतिक ब्रह्मांड की हमेशा रहने वाली अलग पहचान को मानता है।

द्वैत वेदांत के दार्शनिक आधार

1. पंच-भेद (पांच शाश्वत भेद)

द्वैत का मूल **पाँच वास्तविक, शाश्वत भेदों का सिद्धांत है** , जो परम एकता के अद्वैत विचार को पूरी तरह से खारिज करता है:

1. **ईश्वर-जीव**
2. **ईश्वर – पदार्थ (ईश्वर-जड़)**
3. **आत्मा – पदार्थ (जीव–जड़)**
4. **आत्मा – आत्मा (जीव–जीव)**
5. **पदार्थ – पदार्थ (जादा–जादा)**

ये अंतर द्वैत सिस्टम की मेटाफिजिकल रीढ़ बनाते हैं, जो असलियत की अलग-अलग चीज़ों और आज़ादी पर ज़ोर देते हैं।

2. ईश्वर और वास्तविकता की अवधारणा

- **सर्वोच्च वास्तविकता:** *विष्णु/नारायण* **ही एकमात्र स्वतंत्र सत्ता** (*स्वतंत्र तत्व*) हैं , जिनमें अनगिनत शुभ गुण हैं।
- **निर्भर सच्चाईयाँ:** आत्माएँ (जीव) और दुनिया (जगत) **हमेशा रहने वाले लेकिन निर्भर** (*अश्वतंत्र तत्व*) हैं। वे *असली हैं*, धोखा नहीं।
- **व्यक्तिगत ईश्वर:** मध्वाचार्य का ईश्वर **सगुण ब्रह्म है** , जिसमें गुण और व्यक्तित्व है, न कि अद्वैत का गुणहीन निरपेक्ष।

3. मुक्ति (मोक्ष)

- **मार्ग:** मुक्ति मुख्य रूप से **भक्ति से मिलती है** — प्रेम, समर्पण और ईश्वर की सर्वोच्चता की समझ से भरी भक्ति।
- **अनुग्रह:** मुक्ति पाने के लिए **विष्णु की कृपा ज़रूरी है।**
- **मोक्ष का स्वरूप:** आत्मा ईश्वर में **विलीन नहीं होती ; वह अलग रहती है और ईश्वर की सेवा में हमेशा आनंद का अनुभव करती है** ।

4. ज्ञानमीमांसा (प्रमाण)

ज्ञान के तीन मान्य स्रोत माने :

1. **प्रत्यक्षा (धारणा)**
2. **अनुमान (अनुमान)**
3. **शब्द (शास्त्रीय गवाही)**

शब्द, खासकर वेदों को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता था।

प्रमुख योगदान और प्रभाव

संस्थागत और सामाजिक योगदान

- **उडुपी कृष्ण मंदिर:** उन्होंने उडुपी में कृष्ण की मूर्ति स्थापित की और इसे एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनाया।
- **अष्ट मठ सिस्टम:** मंदिर के चारों ओर आठ मठ बनाए गए, जिनमें से हर एक **पर्याय नाम के रोटेटिंग सिस्टम के ज़रिए मंदिर की सेवाओं को मैनेज करता था** ।

साहित्यिक योगदान

- **37 संस्कृत कृतियाँ** लिखीं , जिनमें इन पर टिप्पणियाँ शामिल हैं:
  - **ब्रह्म सूत्र (माध्व-भाष्य)**
  - **भागवद गीता**
  - **मुख्य उपनिषद**

    ये रचनाएँ सिस्टमैटिकली एक जैसे मतलब की आलोचना करती हैं और एक पूरी डुअलिस्टिक थियोलॉजी देती हैं।

भक्ति आंदोलन पर प्रभाव

एक निजी ईश्वर के प्रति भक्ति पर ज़ोर , सख्त दार्शनिक यथार्थवाद के साथ मिलकर, वैष्णव परंपराओं को मज़बूत किया और बाद के भक्ति संतों को, खासकर कर्नाटक में, प्रेरित किया।

निष्कर्ष

माधवाचार्य का द्वैत वेदांत एक साफ़, दो तरह का नज़रिया दिखाता है जहाँ भगवान, आत्माएँ और ब्रह्मांड हमेशा अलग और असली हैं। उनकी शिक्षाएँ **भक्ति, भगवान की कृपा और विष्णु के साथ अपने रिश्ते को** मुक्ति का मुख्य रास्ता बताती हैं। उनकी दार्शनिक सोच, उडुपी में किए गए संस्थागत सुधार और बहुत सारी रचनाएँ उन्हें वेदांत परंपरा के सबसे असरदार विचारकों में से एक बनाती हैं।

इटली ने ऐतिहासिक महिला हत्या कानून पारित किया

प्रसंग

इटली ने एक अहम कानून पास किया है, जिसमें **फेमिसाइड को कानूनी मान्यता दी गई है** , यानी जेंडर के आधार पर महिलाओं की हत्या, और इसके लिए उम्रकैद की सज़ा हो सकती है।

समाचार के बारे में

नया कानून फेमिसाइड को एक अलग कानूनी कैटेगरी बनाता है और कड़ी सज़ा का नियम बनाता है, जो इटली में जेंडर पर आधारित हिंसा से निपटने के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखाता है।

फेमिसाइड क्या है?

- फेमिसाइड का मतलब है **महिलाओं को** उनके जेंडर की वजह से जानबूझकर मारना, जो अक्सर करीबी पार्टनर, परिवार के सदस्य या दूसरे अपराधी करते हैं।
- **कंट्रोल, औरतों से नफ़रत, या पेट्रियार्कल नियमों** से चलता है ।

कानून की मुख्य विशेषताएं:

- **जेंडर से प्रेरित क्राइम:** कानून इस हिंसा को सिस्टम में पावर के असंतुलन, ज़बरदस्ती और महिलाओं पर कंट्रोल की वजह से मानता है।
- **तीन पहचानी गई कैटेगरी:** क्राइम को पीड़ित और अपराधी के बीच के रिश्ते को दिखाने के लिए कैटेगरी में बांटा गया है:
    - साझेदार-संबंधी
    - परिवार से संबंधित
    - गैर-पारिवारिक अपराधी
- **अलग कानूनी पहचान:** कानून यह मानता है कि **जेंडर पहचान** अपराध के पीछे एक मुख्य मकसद है, इसलिए इसे आम हत्या से अलग क्लासिफिकेशन दिया जाना चाहिए।
- **सज़ा: महिला हत्या के लिए उम्रकैद** की सज़ा है ।

महिला हत्या को अपराध बनाने का महत्व

कानूनी और नीतिगत प्रभाव:

- **कानूनी पहचान:** यह जेंडर के हिसाब से हिंसा के मकसद और पैटर्न को ऑफिशियल कानूनी पहचान देता है, जिससे खास प्रॉसिक्यूशन स्ट्रेटेजी बन पाती हैं।
- **डेटा जनरेशन:** यह जेंडर के आधार पर होने वाली हत्याओं पर ऑफिशियल, अलग-अलग स्टैटिस्टिक्स बनाने में मदद करता है, जो टारगेटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स, रोकथाम प्रोग्राम और रिसोर्स एलोकेशन को आकार देने के लिए ज़रूरी हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव:

- **पब्लिक अवेयरनेस: यह टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, कंट्रोल और हैरेसमेंट** से लेकर ऐसे पैटर्न तक के खतरनाक प्रोग्रेस के बारे में लोगों की समझ को बेहतर बनाता है, जो आखिर में जेंडर के आधार पर हत्याओं की ओर ले जाते हैं।
- **जवाबदेही:** कड़ी सज़ा महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समाज में बुराई को और मज़बूत करती है और जेंडर पर आधारित अपराधों के लिए अपराधियों को खास तौर पर ज़िम्मेदार ठहराती है।

वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय मानक:

- यह कानून इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, जैसे कि **इस्तांबुल कन्वेंशन (महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू हिंसा को रोकने और उससे निपटने के लिए काउंसिल ऑफ़ यूरोप कन्वेंशन) द्वारा बढ़ावा दिया गया है** , जिसके तहत सभी देशों को जेंडर पर आधारित हिंसा को पूरी तरह से सुलझाना होगा।

यूरोपीय रुझान:

- इटली उन देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया है जिन्होंने महिलाओं की हत्या के लिए खास कानून बनाए हैं या गंभीर हालात बनाए हैं, जो इस आम समस्या से निपटने के लिए क्षेत्रीय कमिटमेंट का संकेत है।

निष्कर्ष

इटली का नया फेमिसाइड कानून जेंडर पर आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक अहम मोड़ है, जो आम हत्या से आगे बढ़कर महिलाओं से नफ़रत और पेट्रियार्कल कंट्रोल में महिलाओं की हत्या के लिए खास तौर पर सज़ा देगा। फेमिसाइड को कानूनी तौर पर नाम देकर और कड़ी सज़ा देकर, सरकार महिलाओं की सुरक्षा और ऐसी हिंसा को बढ़ावा देने वाले कल्चरल नियमों को चुनौती देने की दिशा में एक अहम कदम उठा रही है।

चक्रवात दितवाह और उत्तरी हिंद महासागर नामकरण प्रणाली

प्रसंग

नवंबर 2025 के आखिर में श्रीलंका में साइक्लोन **दितवा आया, जिससे तेज़ बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड हुए, खासकर सेंट्रल हाइलैंड्स और पूर्वी ज़िलों में। "दितवा" नाम यमन ने** नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन नेमिंग लिस्ट में डाला था ।

उत्तर हिंद महासागर चक्रवात नामकरण सम्मेलन

1. उद्देश्य और अधिकार

उद्देश्य

- साइक्लोन की चेतावनी के दौरान साफ़ और एक जैसी बातचीत पक्का करता है।
- जनता, मीडिया और आपदा एजेंसियों को तूफ़ानों की जल्दी पहचान करने में मदद करता है।
- खराब मौसम के दौरान तैयारी को बढ़ाता है और कन्फ्यूजन को कम करता है।

अधिकार

- **रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटियोरोलॉजिकल सेंटर (RSMC), नई दिल्ली** जारी करता है , जिसे **इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD)** चलाता है ।
- पूरे सिस्टम की देखरेख **ट्रॉपिकल साइक्लोन पर WMO/ESCAP पैनल (PTC) करता है** ।

2. सदस्य देश और नाम सूची स्थापना

- नामकरण की प्रक्रिया PTC देशों के 2000 के समझौते के बाद **सितंबर 2004 में शुरू हुई।**
- **प्रारंभिक 8 सदस्य**

बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड।

- **वर्तमान 13 सदस्य**
  बाद में हुए विस्तार (2016–2018) में पांच खाड़ी देश जोड़े गए। अभी की लिस्ट में शामिल हैं:
  बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन।

नाम सूची संरचना

- हर सदस्य **13 नाम सबमिट करता है** → कुल **169 नाम** ।
- नामों का इस्तेमाल **एक के बाद एक, कॉलम के हिसाब से किया जाता है** ।
- **लिस्ट का कोई रोटेशन नहीं** (अटलांटिक या पैसिफिक बेसिन के विपरीत)।
- **कोई दोहराव नहीं** : एक बार नाम इस्तेमाल होने के बाद, वह हमेशा के लिए हटा दिया जाता है।

3. नामकरण नियम

सामान्य मानदंड

- **तटस्थ** होना चाहिए - कोई राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, या लिंग संबंध नहीं।
- **आपत्तिजनक, सेंसिटिव या इमोशनली नुकसानदायक** नहीं होना चाहिए ।
- सरल, उच्चारण में आसान और अर्थपूर्ण।

तकनीकी आवश्यकताएं

- ज़्यादा से ज़्यादा **8 अक्षर** ।
- इसमें एक **प्रोनंसिएशन गाइड शामिल होनी चाहिए** ।
- **यूनिक** होना चाहिए और दूसरे ग्लोबल RSMCs द्वारा इस्तेमाल में नहीं होना चाहिए।

चक्रवात दितवाह

- **योगदानकर्ता:** यमन
- **अर्थ:** यमन के **सोकोट्रा आइलैंड** पर मौजूद **डेटवा लैगून** को बताता है।
- **महत्व:** डेटवा लैगून इकोलॉजिकली एक महत्वपूर्ण तटीय जगह है, जो यमन की समुद्री भूगोल और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है।

गवर्नर की टाइमलाइन पर प्रेसिडेंशियल रेफरें

संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जांच करते हुए कहा कि कोर्ट को बिल पर गवर्नर के लिए टाइमलाइन तय करने से बचना चाहिए। इसने संविधान के बढ़ते "स्वदेशी" कैरेक्टर पर ध्यान दिया।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड:

• यह बिल पर गवर्नर/राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन तय करने वाले पहले के एक फैसले से शुरू हुआ है।

• केंद्र सरकार ने इस पर क्लैरिटी मांगी थी कि क्या ज्यूडिशियरी ऐसी डेडलाइन तय कर सकती है।

• रेफरेंस में यह भी सवाल उठाया गया है कि बिल कानून बनने से पहले ज्यूडिशियल रिव्यू कितना होगा।

कोर्ट की बातें:

• संवैधानिक अधिकारियों पर टाइमलाइन लगाना न्यायिक शक्तियों से ज़्यादा हो सकता है, जब तक कि इसका टेक्स्ट में सपोर्ट न हो।

• मुद्दे आर्टिकल 200–201 के तहत फ़ेडरल कामकाज से जुड़े हैं।

• आर्टिकल 143 के तहत एडवाइज़री ओपिनियन गाइड करती है, लेकिन पिछले फ़ैसलों को ओवरराइड नहीं करती है।

राष्ट्रपति के संदर्भ पर संवैधानिक ढांचा

आर्टिकल 143: प्रेसिडेंट को ज़रूरी कानूनी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार देता है।

आर्टिकल 145: ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम पांच जजों की बेंच का होना ज़रूरी बनाता है।

राय का नेचर:

• सलाह देने वाला, ज़रूरी नहीं, लेकिन बहुत असरदार।

• मिसाल नहीं बनाता।

• कोर्ट साफ़ या गलत सवालों का जवाब देने से मना कर सकता है।

न्यायिक मिसालें: मुख्य संदर्भ

• ***दिल्ली लॉज़ एक्ट (1951)*** **:** डेलीगेट किए गए लेजिस्लेशन की तय सीमाएं।

• ***केरल एजुकेशन बिल (1958)*** **:** FRs और DPSPs के बीच तालमेल बनाया गया; माइनॉरिटी अधिकारों को साफ़ किया गया।

• ***बेरुबारी यूनियन (1960)*** **:** इलाके के सेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी है।

• *प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेफरेंस (1974)* : लेजिस्लेचर भंग होने पर भी इलेक्शन होते रहते हैं।

• ***स्पेशल कोर्ट्स बिल (1978)*** **:** सवाल एकदम सही होने चाहिए; कोर्ट्स को लेजिस्लेटिव दखल से बचना चाहिए।

• ***थर्ड जजेज़ केस (1998)*** : कॉलेजियम अपॉइंटमेंट्स के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

राष्ट्रपति के रेफरेंस, बिना किसी विरोध वाले मुकदमे के संवैधानिक उलझनों को साफ़ करते हैं और इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस को गाइड करते हैं।

चुनौतियां

अभी के रेफरेंस में मुद्दे (Arts. 200–201):

• क्या ज्यूडिशियरी टाइमलाइन तय कर सकती है जब संविधान चुप हो।

• मंज़ूरी से पहले गवर्नर/राष्ट्रपति के काम का ज्यूडिशियल रिव्यू।

• संवैधानिक कामकाज पक्का करने के लिए आर्टिकल 142 का स्कोप।

• क्या पहले के फैसलों पर एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन में दोबारा विचार किया जा सकता है।

संघीय गतिशीलता:

• बढ़ते केंद्र-राज्य तनाव के लिए स्पष्ट संवैधानिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

समयसीमा:

• किसी भी ढांचे को संवैधानिक पाठ के अनुरूप होना चाहिए और अनिश्चित देरी को रोकना चाहिए।

शक्तियों का संतुलन:

• न्यायपालिका को जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राज्यपालों/राष्ट्रपति की स्वायत्तता को बनाए रखना चाहिए।

फ़ेडरल गवर्नेंस:

• साफ़ गाइडलाइंस से टकराव कम होगा और लेजिस्लेटिव एफ़िशिएंसी में सुधार होगा।

निष्कर्ष

आर्टिकल 143 मुश्किल संवैधानिक मामलों को कोर्ट के बाहर सुलझाने में मदद करता है। हालांकि ये सलाह देने वाले हैं, लेकिन ये राय फेडरलिज्म, कानून और अपॉइंटमेंट को आकार देती हैं। मौजूदा रेफरेंस गवर्नर के काम पर क्लैरिटी बढ़ा सकता है, सेंटर-स्टेट के बीच टकराव कम कर सकता है और संवैधानिक बैलेंस बनाए रख सकता है।

भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी की गतिशीलता

संदर्भ

27 अगस्त, 2025 से, US ने कई इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स, ज्वेलरी और श्रिम्प जैसे भारत के मुख्य एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। भारत यूरोपियन और एशियन मार्केट की ओर बढ़ रहा है।

रिश्ते का अवलोकन

डेमोक्रेटिक वैल्यू, रूल-बेस्ड ऑर्डर, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन और बढ़ते इकोनॉमिक एंगेजमेंट से बनी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।

स्ट्रेटेजिक पिलर्स:

• स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, डिफेंस, टेक और कल्चरल क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन

• रेगुलर हाई-लेवल डिप्लोमेसी

• LEMOA, COMCASA, जॉइंट एक्सरसाइज के ज़रिए डिफेंस को मज़बूत करना

• ट्रेड, FDI और इनोवेशन से चलने वाले इकोनॉमिक संबंध

साझेदारी के प्रमुख तत्व

प्रौद्योगिकी और नवाचार

सेमीकंडक्टर/क्रिटिकल सप्लाई चेन:

• माइक्रोन भारत में एक बड़ी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी बना रहा है।

• लैम रिसर्च 60,000 भारतीय इंजीनियरों को ट्रेनिंग दे रहा है।

• भारत मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप में शामिल हुआ है।

• एप्सिलॉन कार्बन ने US में EV से जुड़े इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हैं।

स्पेस कोऑपरेशन:

• भारत ने आर्टेमिस समझौते पर साइन किए।

• NASA-ISRO ह्यूमन स्पेसफ्लाइट कोऑपरेशन और ISS के लिए एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग डेवलप कर रहे हैं।

टेलीकॉम/उभरती टेक:

• ओपन RAN और 6G पर मिलकर काम करना।

• AI और क्वांटम रिसर्च के लिए इंडो-US क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म।

• भारतीय संस्थानों के साथ NSF पार्टनरशिप।

रक्षा साझेदारी

जेट इंजन:

• जीई-एचएएल महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तांतरण के साथ एफ414 इंजन का सह-उत्पादन कर रहे हैं।

समुद्री सहयोग:

• US नेवी ने L&T (चेन्नई) और मझगांव डॉक (मुंबई) के साथ रिपेयर एग्रीमेंट साइन किए।

• भारत MQ-9B UAVs खरीदेगा।

इनोवेशन इकोसिस्टम:

• INDUS-X स्टार्टअप्स और एकेडेमिया के ज़रिए डिफेंस इनोवेशन को बढ़ावा देता है।

हिंद-प्रशांत रणनीतिक संरेखण

• भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में US की भागीदारी।

• इंडियन ओशन डायलॉग और रीजनल फोरम के ज़रिए सहयोग।

• भारत पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक में ऑब्ज़र्वर बना हुआ है।

सतत विकास और स्वास्थ्य

क्लाइमेट/एनर्जी:

• हाइड्रोजन ब्रेकथ्रू एजेंडा, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के तहत सहयोग।

• रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट और बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने पर फोकस।

हेल्थ:

• US नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ AI से चलने वाला कैंसर रिसर्च।

• कैंसर मूनशॉट के तहत US-इंडिया कैंसर डायलॉग।

• डायबिटीज रिसर्च पर मिलकर काम।

आतंकवाद विरोधी प्रयास

• कट्टरपंथ और UN-लिस्टेड आतंकवादी ग्रुप्स के खिलाफ मिलकर कमिटमेंट।

• बॉर्डर पार आतंकवाद की निंदा।

• पाकिस्तान से अपील की गई कि वह अपने इलाके का इस्तेमाल हमलों के लिए होने से रोके और 26/11 के लिए जवाबदेही पक्का करे।

आगे बढ़ने का रास्ता

मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को मज़बूत करना, काउंटरटेररिज़्म कोऑर्डिनेशन को गहरा करना, मज़बूत सप्लाई चेन को सुरक्षित करना, और लंबे समय तक चलने वाले डिफ़ेंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और हेल्थ कोऑपरेशन के ज़रिए इंडो-पैसिफिक स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाना।

निष्कर्ष

भारत-US पार्टनरशिप डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और रीजनल सिक्योरिटी में बढ़ रही है। लगातार सहयोग, मज़बूत सप्लाई चेन

और इंडो-पैसिफिक स्थिरता इस स्ट्रेटेजिक रिश्ते के अगले फेज़ को बनाने के लिए ज़रूरी हैं।

संचार साथी ऐप का आदेश

संदर्भ:

डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने निर्देश दिया है कि मार्च 2026 से भारत में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन में सरकार का संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए।

पहल के बारे में

बैकग्राउंड:

• 2023 में लॉन्च किया गया, संचार साथी शुरू में एक पोर्टल के तौर पर बनाया गया था ताकि यूज़र्स को उनकी पहचान से जुड़े मोबाइल कनेक्शन पहचानने और स्कैम कॉल्स से निपटने में मदद मिल सके।

• इस मैंडेट का मकसद लोगों को नकली डिवाइस से बचाना और टेलीकॉम से जुड़े गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट करने के लिए एक आसान तरीका देना है।

सरकार का उद्देश्य:

• नकली हैंडसेट के सर्कुलेशन को रोकना।

• मॉनिटरिंग टूल्स और फ्रॉड-रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के ज़रिए यूज़र प्रोटेक्शन को मज़बूत करना।

प्रमुख प्रावधान और विशेषताएं

ज़रूरी नियम:

• मार्च 2026 के बाद बेचे जाने वाले सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए।

• ऐप को यूज़र डिसेबल, हटा या रोक नहीं सकता।

• फ़ोन बनाने वालों को यह पक्का करना होगा कि ऐप काम करता रहे।

यूज़र के काम:

• **डिवाइस ऑथेंटिसिटी चेक:** यूज़र यह वेरिफ़ाई कर सकते हैं कि फ़ोन का IMEI नंबर असली है या नहीं, जिससे क्लोन किए गए या गैर-कानूनी तरीके से बदले गए डिवाइस का पता लगाने में मदद मिलती है।

• **कनेक्शन मॉनिटरिंग:** यूज़र अपने पहचान के डॉक्यूमेंट (जैसे आधार) से जुड़े सभी मोबाइल नंबर देख सकते हैं।

• **खोए या चोरी हुए डिवाइस का मैनेजमेंट:** यूज़र खोए या चोरी हुए डिवाइस को दूर से ही ब्लॉक, फ्रीज़ या डिसेबल कर सकते हैं और SIM का गलत इस्तेमाल रोक सकते हैं।

• **फ्रॉड रिपोर्टिंग (चक्षु पोर्टल):** यह ऐप संदिग्ध टेलीकॉम फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु पोर्टल को इंटीग्रेट करता है। यहां फ़ाइल की गई रिपोर्ट को FIR नहीं माना जाता; क्रिमिनल एक्शन के लिए अलग से पुलिस कंप्लेंट की ज़रूरत होती है।

4. उपकर और अधिभार तंत्र

कॉन्टेक्स्ट

सेस और सरचार्ज, यूनियन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बेस टैक्स के ऊपर लगाए गए एक्स्ट्रा लेवी हैं। वे "टैक्स पर टैक्स" के तौर पर काम करते हैं, जिससे राज्यों के साथ शेयर किए जाने वाले डिविज़िबल पूल को बढ़ाए बिना टारगेटेड या फ्लेक्सिबल रिसोर्स जेनरेशन की इजाज़त मिलती है।

राजस्व बंटवारे पर संवैधानिक ढांचा

• सेस और सरचार्ज दोनों से होने वाली कमाई को राज्य के शेयरिंग से बाहर रखा गया है।

• 80वें अमेंडमेंट ने आर्टिकल 270 में बदलाव करके इन लेवी को डिवाइडिबल पूल से बाहर कर दिया है।

• इससे केंद्र को फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर के अलावा एक्स्ट्रा फंड जुटाने में मदद मिलती है।

उपकर की मुख्य विशेषताएं

मकसद और इस्तेमाल:

• सिर्फ़ एक खास मकसद (हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी) के लिए लगाया जाता है।

• रेवेन्यू तय किया जाता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ बताए गए मकसद के लिए ही किया जाना चाहिए।

• उदाहरण: हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस।

आवेदन:

• सभी करदाताओं पर लागू, जिससे यह व्यापक हो जाएगा।

सरचार्ज की मुख्य विशेषताएं

मकसद और इस्तेमाल:

• किसी खास मकसद से जुड़ा नहीं; आम खर्च में मदद करता है।

• ज़्यादा फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी देता है।

एप्लीकेशन:

• ज़्यादा इनकम वाले ग्रुप (जैसे, ₹50 लाख से ज़्यादा) पर लगाया जाता है।

• इसके सेलेक्टिव एप्लीकेशन की वजह से यह प्रोग्रेसिव है।

प्रासंगिक अनुप्रयोग: "पापपूर्ण वस्तुओं" पर कर

उच्च कराधान का उपयोग:

• उच्च जीएसटी और शुल्क तम्बाकू, गुटखा, शराब आदि के सेवन को हतोत्साहित करते हैं।

• उदाहरण: चुनिंदा उत्पादों पर 40% जीएसटी।

पॉलिसी की दुविधा:

• इन चीज़ों से सेहत और समाज पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है।

• बैन से ब्लैक मार्केट और असुरक्षित चीज़ों को बढ़ावा मिलता है।

• कम मांग के बावजूद ज़्यादा टैक्स सबसे पसंदीदा रोकथाम बन जाते हैं।

निष्कर्ष

सेस और सरचार्ज यूनियन को डिविज़िबल पूल को बायपास करते हुए टारगेटेड या फ्लेक्सिबल रेवेन्यू जुटाने में मदद करते हैं, जिससे फिस्कल फेडरलिज़्म बनता है। सिन गुड्स पर ज़्यादा टैक्स एक प्रैक्टिकल रोकथाम का काम करता है, जो पब्लिक हेल्थ लक्ष्यों को लागू करने की चुनौतियों के साथ बैलेंस करता है।

हृदय-प्रतिरोधी शहरी नियोजन

तेज़ी

से और बिना प्लान के शहरीकरण से पब्लिक हेल्थ के खतरे बढ़ रहे हैं, खासकर **कार्डियो-वैस्कुलर मॉर्टेलिटी (CVM)** । CVM

अब शहरी भारत में मौत का मुख्य कारण है, और इसकी दर **ग्रामीण इलाकों की तुलना में लगभग दोगुनी है** ।

प्रॉब्लम एरिया

• **बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन:** PM2.5 का हाई लेवल दिल की बीमारी, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक को बढ़ावा देता है।

• **ग्रीन स्पेस की कमी:** पेड़ों की कम संख्या गर्मी के स्ट्रेस को बढ़ाती है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ाती है।

• **लाइफस्टाइल रिस्क:** शहरी माहौल में सुस्त लाइफस्टाइल, क्रोनिक स्ट्रेस और अनहेल्दी खाने की आदतें (जिसमें बार-बार गर्म तेल का इस्तेमाल शामिल है) बढ़ती हैं।

• **हेल्थकेयर तक असमान पहुंच:** हॉस्पिटल का डिस्ट्रीब्यूशन **मार्केट लॉजिक को फॉलो करता है** , और उन जगहों पर सुविधाएं देता है जहां खरीदने की पावर और ज़मीन की कीमत ज़्यादा है, न कि उन इलाकों में जहां सर्विस कम है, जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है।

हृदय-प्रतिरोधी योजना के लिए समाधान

1. **एक्टिव मोबिलिटी**
   • अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए, छायादार फुटपाथ, साइकिल लेन और सुरक्षित पैदल यात्री क्रॉसिंग के ज़रिए **पैदल चलने को प्राथमिकता दें।** • रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, जिससे हाइपरटेंशन, मोटापा और डायबिटीज़ कम होते हैं — जो CVM में मुख्य योगदान देते हैं।
2. **ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर**
   • शहरी जंगलों, पेड़ों वाली सड़कों और पब्लिक पार्कों को बढ़ाना ।
   • हरियाली से आस-पास का तापमान कम होता है, प्रदूषण का खतरा कम होता है, और दिल की बीमारियों से बचाव बेहतर होता है।
3. **मिक्स्ड-यूज़ डेवलपमेंट**
   • आने-जाने का समय कम करने के लिए रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिक्रिएशनल ज़ोन को एक साथ जोड़ना।
   • कार पर डिपेंडेंस कम करना, एमिशन कम करना, और एक्टिव लाइफ़स्टाइल के ज़रिए हेल्दी डेली रूटीन को बढ़ावा देना।
4. **हेल्दी इकोसिस्टम**
   • प्रदूषण और यात्रा के तनाव को कम करने के लिए **साफ़, भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़बूत करें।** • सस्ते, दिल के लिए हेल्दी खाने की चीज़ें देने वाले लोकल बाज़ारों को सपोर्ट करें और बार-बार तेल गर्म करने जैसी असुरक्षित आदतों को कंट्रोल करें।

निष्कर्ष:

हार्ट-रेज़िलिएंट अर्बन प्लानिंग के लिए शहरों को ज़्यादा हेल्दी, ग्रीन और ज़्यादा बराबर माहौल में बदलना ज़रूरी है। अर्बन डिज़ाइन में एक्टिव मोबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिक्स्ड-यूज़ लेआउट और आसानी से मिलने वाले हेल्दी इकोसिस्टम को शामिल करके, भारत कार्डियोवैस्कुलर मौत की दर को काफी कम कर सकता है और ऐसे शहर बना सकता है जो लंबे समय तक पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट करें।

जैव-उपचार

प्रसंग

बायो-रिमेडिएशन, प्रदूषित माहौल को साफ करने और उसे ठीक करने का एक सस्टेनेबल, बायोलॉजी पर आधारित तरीका है। इसमें माइक्रो-ऑर्गेनिज्म (बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी) और पौधों का इस्तेमाल करके ज़हरीली चीज़ों को नुकसान न पहुंचाने वाले बाय-प्रोडक्ट में बदला जाता है।

A. इस्तेमाल और फ़ायदे

• मिट्टी और पानी से तेल के रिसाव, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक और भारी मेटल (जैसे, आर्सेनिक, यूरेनियम) जैसे पॉल्यूटेंट को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

• माइक्रोब्स खतरनाक मेटल को स्टेबल, नॉन-टॉक्सिक रूपों में बदल सकते हैं जो ग्राउंडवॉटर या मिट्टी में नहीं मिलते।

• यह पुराने तरीकों की तुलना में किफ़ायती, स्केलेबल और पर्यावरण के लिए अच्छा है, जो महंगे, ज़्यादा एनर्जी लेने वाले होते हैं और अक्सर सेकेंडरी प्रदूषण पैदा करते हैं।

B. बायो-रिमेडिएशन के प्रकार

प्रकार	परिभाषा	उदाहरण/उपमा
बगल में	ट्रीटमेंट सीधे खराब जगह पर मिट्टी/पानी हटाए बिना किया जाता है।	समुद्र में तेल फैलने पर तेल को खराब करने वाले बैक्टीरिया का छिड़काव करना। (यह किसी नेशनल पार्क में जानवरों की सुरक्षा करने जैसा है — उनके प्राकृतिक आवास में उनका इलाज करना।)
पूर्व सीटू	खराब मटीरियल को हटा दिया जाता है, कंट्रोल्ड माहौल में ट्रीट किया जाता है, और फिर उसे उसकी असली जगह पर वापस रख दिया जाता है।	लैब या बायोरिएक्टर में गंदी मिट्टी की सफाई। (चिड़ियाघर में जानवरों की सुरक्षा के बराबर — कंट्रोल्ड माहौल में इलाज।)

C. तरक्की

• साइंटिस्ट ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स बना रहे हैं जो प्लास्टिक, तेल के बचे हुए हिस्से और हेवी मेटल्स जैसे मुश्किल पॉल्यूटेंट्स को खत्म कर सकते हैं, जिन्हें कुदरती जीव अच्छे से तोड़ नहीं सकते।

• ये इनोवेशन भारत में तेज़ी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन से होने वाले एनवायरनमेंटल बोझ को कम करने के लिए असरदार तरीके देते हैं।

निष्कर्ष

बायो-रेमेडिएशन पर्यावरण को ठीक करने का एक टिकाऊ, सस्ता और तेज़ी से बेहतर तरीका है। खराब इकोसिस्टम को नैचुरली डिटॉक्सिफ़ाई करने की इसकी क्षमता इसे मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट और प्रदूषण कंट्रोल स्ट्रेटेजी का एक ज़रूरी हिस्सा बनाती है।

भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO)

प्रसंग:

दिसंबर 2025 में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि नौ घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधियों (FEOs) पर कुल मिलाकर सरकारी बैंकों का ₹58,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। हालांकि रिकवरी की कोशिशों से लगभग ₹19,000 करोड़ वापस मिल गए हैं, लेकिन यह डेटा सरकारी बैंकों पर वित्तीय बोझ के पैमाने को दिखाता है।

भगोड़े आर्थिक अपराधियों (FEO) के बारे में:

यह क्या है?

भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट, 2018 के तहत एक कानूनी नाम , जिसका मकसद लोगों को आर्थिक अपराधों के लिए कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए भारत से भागने से रोकना है। **घोषणा के लिए क्राइटेरिया:**

- **वारंट:** किसी शेड्यूल्ड अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट किसी स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- **वैल्यू थ्रेशहोल्ड:** अपराध की कुल कीमत कम से कम **₹100 करोड़ होनी चाहिए** ।
- **भगोड़ा स्टेटस:** व्यक्ति या तो क्रिमिनल केस से बचने के लिए भारत छोड़ चुका है या विदेश में होने के कारण कानून का सामना करने के लिए वापस आने से मना कर रहा है। **एक्ट के मुख्य नियम:**
- **डिक्लेरेशन प्रोसेस:** एप्लीकेशन डायरेक्टर (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) द्वारा प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत तय **स्पेशल कोर्ट में फाइल की जाती है।**
- **संपत्ति ज़ब्त करना:** पिछले कानूनों के उलट, यह एक्ट अपराधी की **सभी संपत्तियों (बेनामी संपत्तियों और विदेशी संपत्तियों सहित) को ज़ब्त करने की इजाज़त देता है, भले ही वे "अपराध से हुई कमाई" हों या नहीं।**
- **सिविल डिसएंटाइटलमेंट:** भारत में कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल घोषित FEO को कोई भी सिविल क्लेम फाइल करने या उसका बचाव करने से रोक सकता है, जिससे उनके लिए दूर से अपने एसेट्स को बचाने के कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं।

प्रवर्तन तंत्र:

- **नोडल एजेंसी:** राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है ।
- **अधिकार:** ED जांच करता है, प्रॉपर्टी अटैच करता है, और स्पेशल कोर्ट में "Fugitive" घोषित करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है।

आशय:

- **एसेट रिकवरी:** यह एक्ट सरकार को कर्ज वसूलने के लिए एसेट जब्त करने और बेचने का अधिकार देता है, जिससे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) के बोझ तले दबे पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) को राहत मिलती है।
- **रोकथाम:** सभी संपत्तियों को खोने का खतरा - न केवल अपराध से जुड़ी संपत्तियों को - देश से भागने वाले उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है।
- **कानूनी कुशलता:** अपराधियों को सिविल केस लड़ने के अधिकार से वंचित करके, यह एक्ट रिकवरी प्रोसेस को तेज़ करता है, जो पहले लंबे केस के कारण रुका हुआ था।

निष्कर्ष:

FEO एक्ट, 2018, आर्थिक अपराधों के प्रति भारत के नज़रिए में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जो आसान मुकदमे से लेकर एग्रेसिव एसेट रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। बड़े अपराधियों से लगभग 33% बकाया पहले ही वसूल लिया गया है, यह कानून भारत के बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने के लिए एक ज़रूरी टूल के तौर पर काम करता है।

पूर्वी अफ़्रीकी दरार घाटी

प्रसंग

1960 के दशक के आर्काइवल मैग्नेटिक डेटा का इस्तेमाल करके हाल ही में की गई एक स्टडी में अफ़ार ट्रिपल जंक्शन के पास एक्टिव सीफ़्लोर स्प्रेडिंग के साफ़ सबूत मिले हैं। इन नतीजों से यह कन्फ़र्म होता है कि अफ़्रीकी महाद्वीप धीरे-धीरे दो अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेटों में बंट रहा है।

पूर्वी अफ़्रीकी दरार घाटी के बारे में परिभाषा

यह धरती पर सबसे बड़ा एक्टिव कॉन्टिनेंटल रिफ्ट है, जो लाल सागर से मोज़ाम्बिक तक लगभग 3,500 km तक फैला हुआ है। इसका नज़ारा खड़ी दरारों और क्रस्टल के फैलने से बने लंबे गड्ढों से पहचाना जाता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **अलग-अलग ब्रांच:** इसमें ईस्टर्न रिफ्ट (इथियोपिया-केन्या) शामिल है, जो ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है, और वेस्टर्न रिफ्ट (युगांडा-मलावी) शामिल है, जो ज़्यादा भूकंपीय गतिविधि के लिए जाना जाता है।
- **टेक्टोनिक बनावट:** इसमें नॉर्मल फॉल्ट, गहरी दरारें, एक्टिव ज्वालामुखी (जैसे, एर्टा एले), और क्रस्टल सबसिडेंस से बनी गहरी झीलें (जैसे, लेक टैंगानिका) होती हैं।
- **अफ़ार ट्रिपल जंक्शन:** तीन रिफ्ट सिस्टम - लाल सागर, अदन की खाड़ी और पूर्वी अफ़्रीकी रिफ्ट - का

एक ज़रूरी जियोलॉजिकल मिलन पॉइंट, जो इसे एक बहुत डायनैमिक टेक्टोनिक ज़ोन बनाता है।

- **डाइवर्जेंट बाउंड्री:** यह न्युबियन और सोमाली प्लेटों के बीच अलग होने वाले ज़ोन को दिखाता है, जिसके उत्तरी हिस्से में फैलने की दर 5–16 mm/साल होने का अनुमान है।

गठन का तंत्र मेंटल डायनेमिक्स:

- **प्लूम अपवेलिंग:** एक गहरा मेंटल सुपरप्लूम हीट फ्लो और बॉयेंसी को बढ़ाता है, जिससे पूर्वी अफ्रीका के नीचे का लिथोस्फीयर ऊपर उठता है और थर्मली कमजोर हो जाता है।
- **मैग्माटिज्म:** जैसे-जैसे क्रस्ट पतला होता है, बेसाल्टिक ज्वालामुखी और दरार के विस्फोट चौड़ी होती घाटी के तल को भर देते हैं।

संरचनात्मक विकास:

- **टेंशनल फोर्स:** टेक्टोनिक फोर्स नाजुक क्रस्ट को खींचते हैं, जिससे एक्सटेंशनल स्ट्रेस पैदा होता है जिससे बड़े नॉर्मल फॉल्ट बनते हैं।
- **होर्स्ट-ग्रेबेन आर्किटेक्चर:** इस फैलाव की वजह से क्रस्ट के ब्लॉक नीचे गिरते हैं (ग्रेबेन्स) जबकि आस-पास के ब्लॉक ऊपर उठते हुए (होर्स्ट्स) दिखते हैं, जिससे ट्रफ जैसी घाटी जैसी बनावट बनती है।
- **सीफ्लोर स्प्रेडिंग:** धीरे-धीरे होने वाले डाइवर्जेंस से आखिरकार कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टूटने की उम्मीद है, जिससे शायद एक नया ओशन बेसिन बन सकता है।

दरार पैदा करने वाले कारक

- **मैंटल सुपरप्लम:** मैंटल से ऊपर की ओर धक्का लगने से ज़रूरी अपलिफ्ट और मैग्मैटिक कमज़ोरी पैदा होती है, जिससे रिफ्टिंग शुरू होती है।
- **प्लेट डायवर्जेंस:** सोमाली और न्युबियन प्लेटों का एक-दूसरे से दूर होने (5-16 मिमी/वर्ष) का भौतिक आंदोलन विस्तार संबंधी तनाव को बढ़ाता है।
- **ट्रिपल जंक्शन मैकेनिक्स:** अफ़ार जंक्शन पर तीन फैलने वाले सेंटर से एक साथ खिंचाव की ताकत क्रस्टल टूटने को तेज़ करती है।
- **थर्मल वीकनिंग:** तेज़ हीट फ्लो और मैग्मा के अंदर आने से क्रस्ट की ताकत कम हो जाती है, जिससे फॉल्टिंग और धंसाव होता है।

आशय भूवैज्ञानिक परिणाम:

- **नया महासागर बेसिन:** सोमाली प्लेट के अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग होने से एक नया महासागर बनेगा।
- **भूकंपीय गतिविधि:** लगातार क्रस्टल के पतले होने से इथियोपिया, केन्या और तंजानिया में ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि तेज़ बनी रहेगी।
- **हाइड्रोलॉजिकल बदलाव:** ड्रेनेज पैटर्न बदलेंगे, जिससे नए बेसिन बनेंगे और तुर्काना या मलावी जैसी झीलें बढ़ेंगी।
- **ज्योग्राफिक रीकॉन्फ़िगरेशन:** अफ्रीका आखिरकार नए कोस्टलाइन के साथ दो अलग-अलग ज़मीन के हिस्सों में बदल जाएगा।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

- **इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क:** एक्टिव दरारें और फॉल्टिंग सड़कों, खेती और बस्तियों के लिए खतरा हैं, जैसा कि हाल ही में केन्या में देखा गया है।
- **डिज़ास्टर मैनेजमेंट:** इस इलाके के देशों को डिज़ास्टर के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए मज़बूत मॉनिटरिंग और अडैप्टेशन स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है।
- **भविष्य के ट्रेड रूट:** युगांडा या ज़ाम्बिया जैसे ज़मीन से घिरे देशों को आखिरकार समुद्र तक पहुंच मिल सकती है, जिससे लंबे समय के ट्रेड के तरीके बदल सकते हैं।

निष्कर्ष

ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कॉन्टिनेंटल ब्रेकडाउन को समझने के लिए एक लाइव लैब का काम करती है। हालांकि ज्योग्राफिकल अलगाव में लाखों साल लगेंगे, लेकिन तुरंत होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के असर पृथ्वी की पपड़ी के डायनामिक नेचर को दिखाते हैं। इस इलाके में आपदा को कम करने और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है।

बाल विवाह

संदर्भ

हाल के संसदीय आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में तेज वृद्धि हुई है, जो 2020 से 47% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2025 विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसमें दमोह जिला एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में राज्य भर में सबसे अधिक मामले (538) दर्ज किए गए हैं।

मध्य प्रदेश में बाल विवाह के हॉटस्पॉट को समझना

बाल विवाह के हॉटस्पॉट खास इलाके हैं, जहाँ कम उम्र में शादी का चलन राज्य के औसत से काफी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में, ऐसे क्लस्टर मुख्य रूप से बुंदेलखंड इलाके, ग्वालियर-चंबल बेल्ट और कई आदिवासी बहुल ज़िलों में हैं। इन इलाकों में एक जैसी कमज़ोरियाँ, लगातार गरीबी, कम पढ़ाई-लिखाई, समाज के रीति-रिवाज और वेलफेयर स्कीम तक कम पहुँच होती है, जिससे वे इस नुकसानदायक प्रथा के जारी रहने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं।

बढ़ती घटनाएँ और भौगोलिक पैटर्न

- मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में बढ़ोतरी चिंताजनक है। राज्य सरकार के जागरूकता कैंपेन और कम्युनिटी के दखल के बावजूद, हर साल दर्ज होने वाले मामलों की संख्या लगातार बढ़ी है। 2020 में, ऑफिशियली 366 मामले दर्ज किए गए; 2025 तक, यह आंकड़ा बढ़कर 538 हो गया।
- ज़िले के लेवल पर, यह उछाल और भी चौंकाने वाला है। दमोह ज़िले में मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई

है, जो 2025 में राज्य में रिपोर्ट की गई सभी घटनाओं में से लगभग 21% का हिस्सा है। ज़िले में 2024 में 33 मामलों से 2025 में 115 तक काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। यह तेज़ बढ़ोतरी दिखाती है कि कितनी गहरी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ बच्चों की सुरक्षा के नियमों को कमज़ोर कर रही हैं।

- इसके अलावा, गरीब ग्रामीण इलाकों में मामलों का ज़्यादा होना, पैसे की तंगी और कम उम्र में शादी के बीच एक मज़बूत रिश्ता दिखाता है। जिन इलाकों में घरों की इनकम कम है, पढ़ाई के मौके कम हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, वे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं।

प्रचलन के अंतर्निहित कारक

हॉटस्पॉट इलाकों में बाल विवाह को बनाए रखने के लिए कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं:

1. **आर्थिक तंगी** : बहुत ज़्यादा गरीबी परिवारों को जल्दी शादी को पैसे का बोझ कम करने या आर्थिक स्थिरता पाने का एक तरीका मानने पर मजबूर करती है।
2. **शिक्षा की कमी** : लड़कियों में स्कूल में एडमिशन कम होने और स्कूल छोड़ने की दर ज़्यादा होने की वजह से उनकी जल्दी शादी होने का खतरा ज़्यादा होता है।
3. **कल्चरल नॉर्म्स और पेट्रियार्की** : गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराएं और पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर अक्सर जल्दी शादी को समाज में एक्सेप्टेड प्रैक्टिस के तौर पर बढ़ावा देते हैं।
4. **जागरूकता की कमी** : कानूनी नियमों और लंबे समय के नतीजों की कम समझ की वजह से, चल रहे कैंपेन के बावजूद समुदाय इस प्रैक्टिस को जारी रखते हैं।
5. **कमज़ोर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट** : सोशल प्रोटेक्शन स्कीम अक्सर दूर-दराज या आदिवासी आबादी तक नहीं पहुंच पातीं, जिससे बाल विवाह को रोकने का असर कमज़ोर हो जाता है।

बढ़ते बाल विवाह के सामाजिक-आर्थिक असर

- इस बढ़ते ट्रेंड का असर लोगों और कम्युनिटी दोनों पर लंबे समय तक रहता है। बाल विवाह से छोटी लड़कियों की पढ़ाई और पैसे की आवाजाही पर रोक लगती है, जिससे गरीबी का चक्र और मज़बूत होता है। शादी के बाद, लड़कियों को अक्सर स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके स्किल डेवलपमेंट और फॉर्मल नौकरी के मौके कम हो जाते हैं। इससे न सिर्फ़ उनकी आर्थिक आज़ादी कम होती है, बल्कि पूरे कम्युनिटी डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है।
- यह प्रैक्टिस छोटी लड़कियों को कम उम्र में ही घरेलू कामों तक सीमित करके जेंडर इनइक्वालिटी को और बढ़ाती है। समय के साथ, इन सीमाओं से पीढ़ियों तक नुकसान होता है क्योंकि कम उम्र की मांओं से पैदा होने वाले बच्चों की सेहत अक्सर खराब होती है और पढ़ाई-लिखाई के मौके भी कम होते हैं, जिससे कमी का यह सिलसिला चलता रहता है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम

- कम उम्र में शादी करने से छोटी लड़कियों को गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। टीनएज प्रेग्नेंसी से एनीमिया, लेबर में रुकावट और इन्फेक्शन जैसी कॉम्प्लीकेशंस की वजह से माँ की मौत का खतरा काफी बढ़ जाता है। समय से पहले बच्चे पैदा होने और कम वज़न वाले बच्चों के जन्म की संभावना भी बढ़ जाती है।
- इसके अलावा, शादीशुदा नाबालिगों के घरेलू हिंसा का खतरा ज़्यादा होता है। कानूनी जानकारी की कमी, समाज का दबाव, और सपोर्ट नेटवर्क तक पहुंच की कमी की वजह से उनके लिए मदद मांगना या बुरे हालात से बचना मुश्किल हो जाता है। ये हेल्थ और सेफ्टी की चिंताएं बताती हैं कि बाल विवाह क्यों एक ज़रूरी पब्लिक हेल्थ और ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बना हुआ है।

शासन में कमियां और प्रवर्तन चुनौतियां

- मामलों में लगातार बढ़ोतरी बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (PCMA), 2006 को लागू करने में कमियों को दिखाती है। कई लोकल अथॉरिटीज़, खासकर ज़िला और गांव लेवल पर, कम उम्र में होने वाली शादियों को पहचानने और रोकने के लिए ज़रूरी रिसोर्स और मॉनिटरिंग सिस्टम की कमी है।
- हालांकि हेल्पलाइन, कम्युनिटी विजिलेंस कमेटियां और अवेयरनेस कैंपेन हैं, लेकिन वे अक्सर दूर-दराज के आदिवासी इलाकों या आर्थिक रूप से परेशान इलाकों तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल मदद और किशोरों के हेल्थ प्रोग्राम जैसी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम भी ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे उनका असर कम हो जाता है।
- इसके अलावा, समाज का विरोध और बदले की भावना के डर से अक्सर अधिकारी और समाज के नेता बाल विवाह की रिपोर्ट करने या उन्हें रोकने से कतराते हैं, जिससे कानूनों का ठीक से पालन नहीं हो पाता।

लक्षित हस्तक्षेप के लिए रणनीतियाँ

हॉटस्पॉट इलाकों में बाल विवाह से निपटने के लिए एक मल्टी-डाइमेंशनल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है:

1. **कानूनी कार्रवाई को मज़बूत करना**
   लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाने, PCMA के तहत तेज़ी से कार्रवाई पक्की करने और कॉन्फिडेंशियल चैनलों के ज़रिए कम्युनिटी रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है।
2. **एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाना,**
   स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देना और लड़कियों की पढ़ाई के लिए इंसेंटिव देना, ड्रॉपआउट रेट को काफी हद तक कम कर सकता है और शादियों में देरी कर सकता है।
3. गरीबी हटाने, स्किल डेवलपमेंट और महिलाओं को रोज़गार देने पर फोकस करने वाली
   परिवारों की आर्थिक मज़बूती वाली वेलफेयर स्कीमों को कमज़ोर इलाकों तक बढ़ाना चाहिए।

4. **कम्युनिटी-बेस्ड अवेयरनेस इनिशिएटिव**
लोकल लीडर्स, NGOs और महिला ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप करके समाज का नज़रिया बदलने और नुकसानदायक कल्चरल नॉर्म्स को खत्म करने में मदद मिल सकती है।
5. **हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार,**
टीनएज हेल्थ सर्विसेज़ और काउंसलिंग सिस्टम को मज़बूत करने से युवा लड़कियों और परिवारों को कम उम्र में शादी से जुड़े रिस्क को समझने में मदद मिलेगी।
6. **आदिवासी इलाकों के लिए टारगेटेड सपोर्ट।**
आदिवासी समुदायों के लिए कल्चरल डाइवर्सिटी, भाषा की रुकावटों और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को दूर करने के लिए खास इंटरवेंशन ज़रूरी हैं।

निष्कर्ष

दमोह का बाल विवाह का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनना, इलाके के हिसाब से, डेटा के आधार पर दखल देने की तुरंत ज़रूरत को दिखाता है। बढ़ते आंकड़े गहरी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को दिखाते हैं जो कानूनी नियमों से कहीं ज़्यादा हैं। इस समस्या से असरदार तरीके से निपटने के लिए, कानून लागू करने, शिक्षा, आर्थिक मदद और समुदाय की भागीदारी के मज़बूत मेल की ज़रूरत है। सिर्फ़ एक पूरी और लगातार कोशिश ही इस ट्रेंड को बदल सकती है और यह पक्का कर सकती है कि बच्चों, खासकर लड़कियों को वह सुरक्षा, मौके और इज़्ज़त मिले जिसके वे हकदार हैं।

सौर फ्लेयर्स

प्रसंग

NASA की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में सूरज से एक ताकतवर X1.9-क्लास का सोलर फ्लेयर निकला। एनर्जी के इस तेज़ धमाके की वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा शॉर्टवेव रेडियो ब्लैकआउट हो गया। इस घटना ने भविष्य में स्पेस-वेदर में होने वाली गड़बड़ी को लेकर चिंता बढ़ा दी है, जो AR 4294–96 के दिखने के साथ हुई, जो धरती के आकार से दस गुना बड़ा एक बहुत बड़ा सनस्पॉट कॉम्प्लेक्स है।

सोलर फ्लेयर्स के बारे में परिभाषा:

सोलर फ्लेयर्स सूरज की सतह पर एनर्जी के अचानक, ज़ोरदार धमाके होते हैं। ये तब होते हैं जब सनस्पॉट के आस-पास के मुड़े हुए मैग्नेटिक फील्ड में जमा हुई मैग्नेटिक एनर्जी अचानक निकल जाती है।

गठन का तंत्र:

- **मैग्नेटिक स्ट्रेस:** सूरज का घूमना और सोलर प्लाज़्मा की मूवमेंट, सनस्पॉट के आस-पास के मज़बूत मैग्नेटिक फील्ड को मोड़कर उन पर दबाव डालती है, जिससे मैग्नेटिक टेंशन बनता है।
- **मैग्नेटिक रीकनेक्शन:** जब ये स्ट्रेस्ड फील्ड लाइन्स टूटकर फिर से जुड़ती हैं, तो स्टोर की गई एनर्जी एक्सप्लोसिव तरीके से निकलती है।
- **एनर्जी रिलीज़:** यह प्रोसेस आस-पास के सोलर प्लाज़्मा को लाखों डिग्री तक गर्म करता है और चार्ज्ड पार्टिकल्स और फोटॉन्स को लगभग लाइट की स्पीड से बाहर की ओर तेज़ी से भेजता है।
- **CMEs से संबंध:** फ्लेयर्स अक्सर कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) के साथ होते हैं, जो सोलर प्लाज़्मा के बड़े बादल होते हैं जो स्पेस में घूम सकते हैं और ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड को खराब कर सकते हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- **क्लासिफिकेशन सिस्टम:** फ्लेयर्स को उनकी X-ray ब्राइटनेस के आधार पर A, B, C, M, और X क्लास में बांटा गया है। हर अक्षर एनर्जी आउटपुट में दस गुना बढ़ोतरी दिखाता है।
- **X-क्लास इंटेंसिटी:** X-क्लास फ्लेयर्स सबसे पावरफुल कैटेगरी हैं। वे ग्लोबल रेडियो ब्लैकआउट शुरू कर सकते हैं, GPS और नेविगेशन सिस्टम को खराब कर सकते हैं, और सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट्स के लिए रेडिएशन का खतरा पैदा कर सकते हैं।
- **ब्रॉड स्पेक्ट्रम एमिशन:** ये धमाके पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडिएशन निकालते हैं, जिसमें रेडियो वेव, अल्ट्रावॉयलेट लाइट, X-rays और गामा रेज़ शामिल हैं।
- **सनस्पॉट की उत्पत्ति:** वे आम तौर पर बड़े, चुंबकीय रूप से जटिल सनस्पॉट (जैसे AR 4294–96) से उत्पन्न होते हैं, जहाँ चुंबकीय क्षेत्रों की परस्पर क्रिया सबसे अधिक अस्थिर होती है।
- **अनप्रेडिक्टेबिलिटी:** फ्लेयर्स तेज़ी से, अक्सर कुछ ही मिनटों में बनते हैं, जिससे स्पेस वेदर एजेंसियों के लिए सही फोरकास्टिंग एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

आशय

- **कम्युनिकेशन में रुकावट:** एविएशन, समुद्री ऑपरेशन और मिलिट्री डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले हाई-फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल बुरी तरह से खराब हो सकते हैं या पूरी तरह से ब्लैक आउट हो सकते हैं।
- **स्पेस एसेट्स:** तेज़ रेडिएशन सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट पर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकता है, और ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को खतरा पैदा कर सकता है।
- **ग्रिड की कमज़ोरी:** अगर फ्लेयर के साथ कोई CME पृथ्वी से टकराता है, तो इससे जियोमैग्नेटिक तूफ़ान आ सकते हैं। ये तूफ़ान बिजली की लाइनों में करंट पैदा कर सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं।

निष्कर्ष

हाल ही में X1.9 की चमक सूरज के बदलते नेचर और धरती के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसके सीधे असर की एक साफ़ याद दिलाती है। जैसे-जैसे AR 4294–96 जैसे बड़े एक्टिव एरिया के उभरने से सोलर एक्टिविटी तेज़ होती है, ग्लोबल कम्युनिकेशन और पावर नेटवर्क के लिए रिस्क को कम करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग ज़रूरी है।

अफीम पोस्त की खेती

प्रसंग

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) की हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि म्यांमार में अफीम की खेती में 17% की चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। कुल खेती का एरिया एक दशक में सबसे ज़्यादा 53,100 हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जिसकी मुख्य वजह लंबे समय से चल रहा संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और अफीम की बढ़ती बाज़ार कीमतें हैं।

अफीम पोस्ता की खेती के बारे में परिभाषा:

ओपियम पॉपी (*पापावर सोम्निफेरम*) एक फूल वाला पौधा है जिसे खास तौर पर इसके लेटेक्स से भरे कैप्सूल के लिए उगाया जाता है। यह मॉर्फिन, कोडीन और थेबाइन जैसे ज़रूरी एल्कलॉइड का मुख्य नेचुरल सोर्स है, जो फार्मास्यूटिकल और गैर-कानूनी ड्रग मार्केट दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

भारत में ऐतिहासिक संदर्भ:

- **कॉलोनियल दौर:** ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज में प्रोडक्शन पर सरकार का कब्ज़ा हो गया, जिससे गाज़ीपुर और पटना में बड़ी प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां बनीं।
- **आज़ादी के बाद:** 1950 से, खेती और मैन्युफैक्चरिंग पर भारत सरकार का सेंट्रल कंट्रोल रहा है।
- **कानूनी ढांचा:** सभी ऑपरेशन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत सख्ती से रेगुलेट किए जाते हैं। भारत को यह खास पहचान मिली है कि वह अकेला ऐसा देश है जिसे दवा के इस्तेमाल के लिए कानूनी अफीम गम बनाने की इजाज़त है।

खेती की विशेषताएँ:

- **मौसम की ज़रूरतें:** यह फसल ठंडे, सूखे मौसम में, कम नमी और अच्छी पानी निकलने वाली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है, जो रेजिन से भरपूर कैप्सूल बनाने के लिए ज़रूरी है।
- **फसल चक्र:** यह सर्दियों की सालाना फसल है, जो लगभग 120 दिनों में पक जाती है, जिससे सिस्टमैटिक स्टेट मॉनिटरिंग की जा सकती है।
- **निकालने का प्रोसेस:** हरे कैप्सूल को हाथ से छेदा जाता है (स्कोर किया जाता है) ताकि एल्कलॉइड वाला दूधिया लेटेक्स निकल सके।
- **कटाई:** किसान अगले दिन सूखे लेटेक्स को इकट्ठा करते हैं और उसे ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग के लिए सरकारी सेंटर्स में जमा करते हैं।

अफीम के इस्तेमालमेडिकल एप्लीकेशन:

- **मॉर्फिन:** एक असरदार दर्द निवारक जो गंभीर दर्द को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है।
- **कोडीन:** खांसी कम करने और हल्के दर्द से राहत देने वाली दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
- **थेबाइन:** सिंथेटिक ओपिओइड बनाने के लिए एक प्रीकर्सर।
- **पारंपरिक चिकित्सा:** आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।

वाणिज्यिक और पाककला:

- **खसखस:** खाना बनाने और खाने का तेल निकालने में इस्तेमाल होने वाले नुकसान न पहुंचाने वाले बीज।

अवैध उपयोग:

- **नारकोटिक्स:** कच्ची अफीम को हेरोइन और दूसरी गैर-कानूनी चीज़ों में बदला और प्रोसेस किया जाता है, जिससे दुनिया भर में ड्रग्स की तस्करी बढ़ रही है।

मुद्दे और चिंताएँ

- **रीजनल सिक्योरिटी:** म्यांमार में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी से इंडिया के नॉर्थईस्ट के लिए बड़ा सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो गया है, खासकर सागाइंग और चिन जैसे अफीम उगाने वाले इलाकों के इंडियन बॉर्डर के पास होने की वजह से।
- **ऑर्गनाइज़्ड क्राइम:** गैर-कानूनी खेती, इंसर्जेंसी ग्रुप्स और क्रॉस-बॉर्डर स्मगलिंग नेटवर्क्स के लिए फंडिंग का एक बड़ा सोर्स है।
- **रेगुलेटरी दबाव:** भारत कानूनी खेती को मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रखता है। बढ़ती रीजनल सप्लाई से एनफोर्समेंट एजेंसियों पर डायवर्जन रोकने और यील्ड क्राइटेरिया लागू करने का बोझ बढ़ जाता है।

निष्कर्ष

अफीम पोस्त का एक ज़रूरी दवा का ज़रिया और गैर-कानूनी ड्रग्स के धंधे को बढ़ावा देने वाला दोहरापन एक मुश्किल चुनौती पेश करता है। म्यांमार में इसकी खेती में तेज़ी से बढ़ोतरी इस बात पर ज़ोर देती है कि नार्को-ट्रैफिकिंग को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए मज़बूत बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सहयोग की तुरंत ज़रूरत है, साथ ही सही मेडिकल सप्लाई चेन की भी रक्षा करनी होगी।

आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन (WSDM) 2025

प्रसंग

देहरादून में हुए वर्ल्ड समिट ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट (WSDM) 2025 के दौरान, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड की आपदा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक पूरी योजना पेश की। इस पहल में राज्य की पहले से चेतावनी देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए छह नए वेदर रडार, 33 ऑब्ज़र्वेटरी और 142 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) लगाना शामिल है।

वर्ल्ड समिट ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट (WSDM) 2025 के बारे में परिभाषा:

WSDM 2025, आपदा से निपटने के लिए एक खास ग्लोबल फोरम था। इसमें साइंटिस्ट, पॉलिसी बनाने वाले और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के अलग-अलग ग्रुप को बुलाया गया ताकि बढ़ती

क्लाइमेट चुनौतियों के बीच आपदा के खतरे को कम करने के लिए आगे की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकें।

मुख्य विवरण:

- **जगह:** देहरादून, उत्तराखंड (हिमालय में इसके इकोलॉजिकल महत्व के लिए चुना गया)।
- **विषय:** "लचीले समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।"
- **मुख्य उद्देश्य:** इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देना, साइंटिफिक जानकारी का आदान-प्रदान करना, पहले से चेतावनी देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, और हिमालय जैसे नाजुक इकोसिस्टम के लिए खास तौर पर बनाए गए मज़बूत डेवलपमेंट मॉडल की वकालत करना।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार:** इस समिट में मौसम की गड़बड़ियों पर रियल-टाइम में नज़र रखने के लिए रडार और एडवांस्ड अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम के एक बड़े नेटवर्क की तैनाती पर ज़ोर दिया गया।
- **फोकस एरिया:** हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल खतरों, क्लाइमेट चेंज के असर, ग्लेशियर की हेल्थ मॉनिटरिंग, और लैंडस्लाइड और जंगल की आग के अनुमान पर बातचीत हुई।
- **टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन:** "नाउकास्ट" सिस्टम पर ज़ोर दिया गया जो कमज़ोर ज़िलों में 3 घंटे का सटीक मौसम का अनुमान दे सके।
- **लाइवलीहुड रेजिलिएंस:** सेशन में संकट के समय हिमालय में लोगों की रोजी-रोटी बनाए रखने में एग्री-स्टार्टअप और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन (CSIR मॉडल सहित) की भूमिका पर बात की गई।

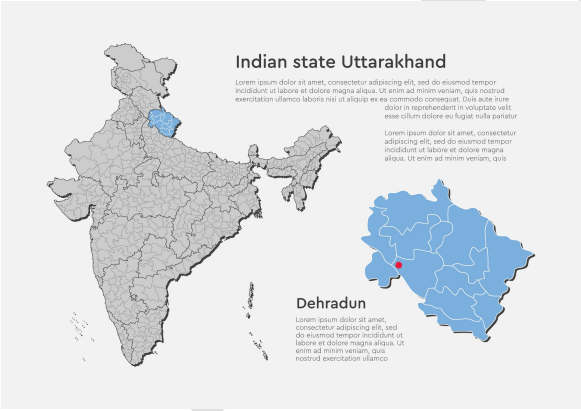

महत्व

- **रीजनल लीडरशिप:** यह समिट साउथ एशियन रीजन में डिज़ास्टर साइंस और क्लाइमेट रेजिलिएंस के हब के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका पर ज़ोर देता है।
- **लोकल कैपेसिटी:** इन अपग्रेड से उत्तराखंड की बादल फटने, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOFs), और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी ज़्यादा तेज़ी वाली घटनाओं का अनुमान लगाने और उन्हें मैनेज करने की क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी होगी।
- **ग्लोबल अलाइनमेंट:** जिन पहलों पर चर्चा हुई, वे भारत की घरेलू क्लाइमेट अडैप्टेशन स्ट्रेटेजी को बड़े इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, जैसे कि नेट ज़ीरो 2070 गोल के साथ अलाइन करती हैं।

निष्कर्ष

WSDM 2025 रिएक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट से प्रोएक्टिव रेज़िलिएंस बिल्डिंग की ओर एक अहम बदलाव का प्रतीक है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल सहयोग के साथ जोड़कर, इस समिट का मकसद क्लाइमेट चेंज की बढ़ती सच्चाईयों से कमज़ोर हिमालयी समुदायों की सुरक्षा करना है।

विश्व मृदा दिवस और शहरी मृदा स्वास्थ्य

संदर्भ

विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का यह दिवस आधुनिक शहरों के सामने आने वाली एक प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती, *शहरी मिट्टी के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट पर केंद्रित है*, जिसका विषय **"स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी" है।**

विश्व मृदा दिवस के बारे में

शुरुआत और मकसद:

• **पहल:** यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन (FAO) ने शुरू किया।

• **तारीख:** हर साल **5 दिसंबर को मनाया जाता है** ।

• **मकसद:** मिट्टी के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, फूड प्रोडक्शन, बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस, क्लाइमेट रेगुलेशन और धरती पर जीवन को बनाए रखने में इसकी ज़रूरी भूमिका को पहचानना।

2025 की थीम: शहरी मिट्टी की ओर बदलाव

पारंपरिक रूप से, मिट्टी बचाने की कोशिशों में खेती की ज़मीन और गांव के इकोसिस्टम को प्राथमिकता दी जाती है। 2025 की थीम **शहरी इलाकों की तरफ एक बदलाव को दिखाती है** , जिसमें बताया गया है कि शहर अक्सर कैसे बनते हैं क्योंकि "कंक्रीट के जंगल" मिट्टी के ज़रूरी काम खो रहे हैं, इसकी वजहें ये हैं:

• कंक्रीट, डामर और कंस्ट्रक्शन के ज़रिए

मिट्टी की सीलिंग • तेज़, बिना प्लान के शहरीकरण

• इंडस्ट्रियल कंटैमिनेशन

थीम इस बात पर ज़ोर देती है कि सस्टेनेबल शहरों को **जीवित, काम करने वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है** , न कि पूरी तरह से सील की गई सतहों की।

शहरी मिट्टी की पारिस्थितिक सेवाएँ

हेल्दी शहरी मिट्टी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ज़रूरी हिस्सा है और ऐसी एनवायरनमेंटल सर्विस देती है जिन्हें इंसानों के बनाए सिस्टम से आसानी से बदला नहीं जा सकता।

1. जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण

• **नैचुरल एब्ज़ॉर्प्शन:** हेल्दी, बिना सील की मिट्टी बारिश का पानी ज़्यादा सोख लेती है, जिससे पानी का बहाव कम होता है।

• **बाढ़ से बचाव:** सोखने वाली मिट्टी शहरी इलाकों में अचानक आने वाली बाढ़ को कम करती है, जो आमतौर पर भारी पक्की

सड़कों वाले शहरों में देखी जाती है।

• **ग्राउंडवाटर रिचार्ज:** मिट्टी के रिसने से एक्वीफ़र्स को भरने में मदद मिलती है, जिससे ज़्यादा पानी निकालने और गहरे बोरवेल की ज़रूरत नहीं पड़ती।

2. जलवायु विनियमन

• **कार्बन स्टोरेज:** शहरी मिट्टी कार्बन सिंक का काम करती है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करती है।

• **कूलिंग इफ़ेक्ट:** पेड़-पौधों वाली और खुली मिट्टी वाले इलाके इवैपोट्रांस्पिरेशन के ज़रिए शहरी तापमान को कम करते हैं, जिससे **अर्बन हीट आइलैंड (UHI)** इफ़ेक्ट का मुकाबला होता है।

3. प्राकृतिक निस्पंदन

• मिट्टी प्रदूषकों को फँसा लेती है और दूषित पदार्थों को भूजल या नदियों तक पहुँचने से पहले फ़िल्टर कर देती है, जिससे पानी की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है।

सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभाव

• **मेंटल वेल-बीइंग:** मिट्टी, खुली जगहों और नेचर-बेस्ड जगहों तक पहुंच शहर के लोगों में स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन को कम करती है।

• **कम्युनिटी हेल्थ:** शहरी खेती और कम्युनिटी गार्डन न्यूट्रिशन को बेहतर बनाते हैं, सोशल रिश्ते मजबूत करते हैं और लोगों को नेचर से फिर से जोड़ते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

मज़बूत और रहने लायक शहर बनाने के लिए, अर्बन प्लानिंग में मिट्टी की सेहत को डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के सेंटर में रखना होगा।

शहरी मिट्टी की बहाली:

• जहां संभव हो, फुटपाथों की सीलिंग हटाना

• उपचार तकनीकों के माध्यम से दूषित मिट्टी की सफाई और उसे बहाल करना

ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर:

• शहर के डिजाइन में पार्क, रेन गार्डन, बायोस्वेल, पारगम्य फुटपाथ और ग्रीन कॉरिडोर को शामिल करना

शहरी कृषि:

• छत पर बगीचे, किचन गार्डन, सामुदायिक खेतों और पिछवाड़े खेती को प्रोत्साहित करना

सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट:

• मौजूदा खुली जगहों की सुरक्षा करना

• कंक्रीट स्ट्रक्चर से और ज़्यादा कब्ज़ा रोकना

• मिट्टी की पारगम्यता बनाए रखने के लिए कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना

निष्कर्ष

वर्ल्ड सॉइल डे 2025 इस बात पर ज़ोर देता है कि मिट्टी सिर्फ़ गांव का रिसोर्स नहीं है, यह **शहरी सस्टेनेबिलिटी का एक ज़रूरी हिस्सा है** । हेल्दी शहरी मिट्टी शहर की बाढ़, हीटवेव, पानी की कमी और प्रदूषण से लड़ने की ताकत को मज़बूत करती है। मिट्टी के इकोसिस्टम को ठीक करके और उनकी सुरक्षा करके, शहर अपनी बढ़ती आबादी के लिए एक हेल्दी माहौल, बेहतर रहने के हालात और एक सस्टेनेबल भविष्य पक्का कर सकते हैं।

साइबर अपराध

संदर्भ

साइबर फ्रॉड, खासकर "डिजिटल अरेस्ट" स्कैम में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को एक ऐसा अधिकार दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ, और उसे इन ऑपरेशन्स की जांच करने और उन्हें खत्म करने के लिए "खुली छूट" दी है। कोर्ट के इस दखल का मकसद क्रिमिनल नेटवर्क की हर लेयर को टारगेट करके नेशनल साइबरक्राइम एनफोर्समेंट को मज़बूत करना है।

समाचार के बारे में

मुख्य निर्देश:

• **मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई:** कोर्ट ने CBI को उन बैंकरों और फाइनेंशियल अधिकारियों की पहचान करने, उनकी जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया, जो नकली बैंक अकाउंट बनाने या गैर-कानूनी फंड ट्रांसफर में मदद करके साइबर क्रिमिनल्स की मदद करते हैं।

• **प्लेटफॉर्म की जवाबदेही:** WhatsApp, Facebook, Instagram और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल बिचौलियों को बिना देर किए जांच के दौरान CBI के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए।

• **पूरी कार्रवाई:** कोर्ट ने एक पूरे तरीके की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें टेक्निकल अपराधियों और साइबर क्राइम को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों को शामिल किया जाए।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बारे में

स्टेटस और ओरिजिन:

• CBI **न तो कोई स्टैच्युटरी बॉडी है** और न ही कोई **कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी** ।

• इसका लीगल अधिकार **दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 से मिलता है** । • इसे फॉर्मली **1963 में मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के तहत एक सरकारी प्रस्ताव** द्वारा स्थापित किया गया था , जिसे बाद में मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सनेल के तहत रखा गया।

प्रशासनिक संरचना

• **नोडल मिनिस्ट्री:** डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT), मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन्स।

• **डायरेक्टर की नियुक्ति:** एक हाई-लेवल कमिटी करती है जिसमें शामिल हैं:

– प्रधानमंत्री (चेयरपर्सन)

– चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया या CJI द्वारा नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट के जज

– लोकसभा में विपक्ष के नेता

यह सिस्टम सीनियर अपॉइंटमेंट्स में पॉलिटिकल दखल से आज़ादी पक्का करता है।

संघीय चुनौतियाँ: सहमति तंत्र

क्योंकि **पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट के विषय हैं** , इसलिए CBI अपने आप राज्य की सीमाओं के अंदर काम नहीं कर सकती।

DSPE एक्ट का सेक्शन 6:

• CBI को उस राज्य में अपनी जांच की शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले **राज्य सरकार की मंज़ूरी लेनी होगी।**

सहमति के प्रकार:

• **सामान्य सहमति:**

– CBI को केंद्र सरकार के अधिकारियों और कुछ अपराधों से जुड़े मामलों की जांच हर बार बिना मंज़ूरी लिए करने की अनुमति देता है।

– प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करता है।

• **केस-स्पेसिफिक सहमति:**

– तब ज़रूरी होती है जब आम सहमति न हो।

– हर नए केस के लिए अलग परमिशन की ज़रूरत होती है।

सहमति वापस लेना:

• पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने राजनीतिक मकसद के लिए CBI के गलत इस्तेमाल का हवाला देते हुए आम सहमति वापस ले ली है।

• इस वजह से, CBI को केस के हिसाब से मंज़ूरी लेनी पड़ती है, जिससे जांच धीमी हो जाती है और फेडरल तालमेल मुश्किल हो जाता है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश साइबर फ्रॉड के खिलाफ सेंट्रलाइज्ड एक्शन की दिशा में एक अहम पॉलिसी बदलाव दिखाते हैं। CBI को फाइनेंशियल मदद करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का अधिकार देकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म से सहयोग को ज़रूरी बनाकर, कोर्ट ने मॉडर्न साइबर क्राइम के ट्रांसनेशनल और बॉर्डरलेस नेचर को माना है। यह फैसला भारत की उन डिजिटल खतरों से निपटने की इंस्टीट्यूशनल क्षमता को मजबूत करता है जो अलग-अलग राज्य पुलिस फोर्स की जांच करने की क्षमता से कहीं ज़्यादा हैं, और एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल स्ट्रेटेजी की ज़रूरत को और मज़बूत करता है।

भारत-रूस

संदर्भ:

सालाना समिट के लिए रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, ऐसे समय में हुआ है जब भारत-US के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। इस दौरे का समय और नतीजे भारत की स्ट्रेटेजिक स्थिति के लिए बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल महत्व रखते हैं।

यात्रा और जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग के बारे में

बैकग्राउंड:

यह समिट भारत-US रिश्तों में ठंडेपन के दौर के बीच हो रहा है, जो पहले के करीबी रिश्तों के दौर से अलग है। यह क्वाड मीटिंग की चल रही तैयारियों और वॉशिंगटन के साथ डिप्लोमैटिक बातचीत के बावजूद हो रहा है।

खास बातें:

• **पश्चिम के लिए स्ट्रेटेजिक मैसेज:** इस हाई-प्रोफाइल स्वागत को भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और तेल इंपोर्ट और डिफेंस कोऑपरेशन जैसे मुद्दों पर पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस के साथ जुड़ाव कम करने की उसकी अनिच्छा के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

• **सिंबॉलिक चॉइस:** यूरोपियन लग्ज़री गाड़ियों के बजाय जापानी टोयोटा फॉर्च्यूनर के इस्तेमाल को बैन से जुड़ी मुश्किलों से बचने के एक उपाय के तौर पर देखा गया, जिससे ग्लोबल पावर राइवलरी में भारत की न्यूट्रल पोजीशन को धीरे-धीरे मज़बूत किया गया।

भारत-रूस सामरिक साझेदारी के स्तंभ

भारत और रूस अपनी पार्टनरशिप को "स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" बताते रहे हैं। बदलते ग्लोबल अलाइनमेंट के बावजूद, यह रिश्ता चार खास एरिया में टिका हुआ है:

1. रक्षा और सुरक्षा सहयोग

• **लेगेसी सप्लायर:** रूस वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बना हुआ है, भले ही भारत US, फ्रांस और इज़राइल की तरफ बढ़ रहा है।

• **भविष्य की खरीद:** बातचीत से पता चलता है कि अगली पीढ़ी के **S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सहित एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम की खरीद की संभावना है** ।

• **टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ताकत:** रूस जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, जिसका उदाहरण **ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम** है, जो पश्चिमी देशों के साथ अक्सर देखी जाने वाली सीमित टेक्नोलॉजी-शेयरिंग अप्रोच के उलट है।

2. ऊर्जा और आर्थिक लचीलापन

• **एनर्जी सिक्योरिटी का फ़ायदा:** रूस भारत का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है, जो महंगाई को मैनेज करने और एनर्जी स्टेबिलिटी पक्का करने के लिए ज़रूरी डिस्काउंट वाली एनर्जी सप्लाई देता है।

• **करेंसी प्रोटेक्शन:** लोकल करेंसी में पेमेंट लेने से भारत US डॉलर को बायपास कर सकता है, जिससे भारतीय रुपये पर और नीचे जाने वाला दबाव नहीं पड़ता।

• **क्रेडिट सपोर्ट:** रूस पेमेंट की फ्लेक्सिबल शर्तें देता है, जिसमें देर से पेमेंट के ऑप्शन भी शामिल हैं, जिससे भारत की इकोनॉमिक मैनूवरेबिलिटी बढ़ती है।

3. रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता

• **सैंक्शन का कोई फ़ायदा नहीं:** US के उलट, जिसने डिप्लोमेसी में सैंक्शन (जैसे CAATSA) की धमकियों का इस्तेमाल किया है, रूस ने कभी भी भारत के ख़िलाफ़ सज़ा देने वाले इकोनॉमिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया है।

• **UNSC का सपोर्ट:** रूस UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भारत की कोशिश का लगातार सपोर्टर बना हुआ है।

साझेदारी के लिए चुनौतियाँ

• **चीन से नज़दीकी:** चीन के साथ रूस की गहरी होती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के लिए लंबे समय की चिंताएँ पैदा करती है, खासकर बीजिंग के साथ अनसुलझे बॉर्डर मुद्दों को देखते हुए।

• **US का दबाव:** वॉशिंगटन नई दिल्ली पर रूस के साथ डिफेंस और तेल संबंधों को कम करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिससे फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग और मुश्किल हो गई है।

• **डायवर्सिफिकेशन ट्रेंड:** जबकि रूस एक अहम पार्टनर बना

हुआ है, भारत जियोपॉलिटिकल कमज़ोरियों से बचने के लिए धीरे-धीरे रूसी तेल और वेपन सिस्टम पर ज़्यादा डिपेंडेंस कम कर रहा है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग:** भारत को किसी खास ग्रुप के साथ जुड़े बिना, बड़ी ताकतों के साथ जुड़ने का अपना सोचा-समझा तरीका जारी रखना चाहिए।
- **डिफेंस इनोवेशन:** डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत-रूस जॉइंट वेंचर्स को मजबूत करने से घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो सकती है।
- **एनर्जी कोऑपरेशन:** एनर्जी सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन के लिए रूस के साथ लंबे समय के एग्रीमेंट ग्लोबल प्राइस इनस्टेबिलिटी को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- **डिप्लोमैटिक ऑटोनॉमी:** पॉलिसी में आज़ादी बनाए रखना भारत की फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन का सेंटर है, खासकर बड़ी ताकतों के बीच दुश्मनी के बीच।

निष्कर्ष

भारत-रूस सालाना समिट इस बात पर ज़ोर देता है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात बदलने के बावजूद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमेशा काम आएगी। भारत-US के तनावपूर्ण रिश्तों और चीन-रूस के बढ़ते मेल के बीच, नई दिल्ली डिफेंस रिलायबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और बिना शर्त डिप्लोमैटिक सपोर्ट के लिए मॉस्को को महत्व देता है। यह रिश्ता भारत को ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और तेज़ी से बंटती दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी स्ट्रेटेजिक स्पेस देता है।

पीएम-वाणी योजना

प्रसंग

संसद में हाल ही में दिए गए अपडेट (नवंबर 2025) में, सरकार ने PM-WANI नेटवर्क के तेज़ी से विस्तार पर ज़ोर दिया, और पूरे भारत में **3.9 लाख से ज़्यादा Wi-Fi हॉटस्पॉट को सफलतापूर्वक लगाने की बात कही।**

योजना के बारे में पूरा नाम:

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस (PM-WANI)।

मंत्रालय: दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय। **स्थापना: 9 दिसंबर, 2020** को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ।

उद्देश्य:

- **नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी (NDCP) 2018 को** सपोर्ट करने के लिए देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना ।
- पब्लिक Wi-Fi हॉटस्पॉट का डीसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क बनाकर डिजिटल एक्सेस को डेमोक्रेटाइज़ करना।

संरचनात्मक ढांचा (पारिस्थितिकी तंत्र)

यह स्कीम एक कॉम्प्रिहेंसिव चार-टियर आर्किटेक्चर पर काम करती है:

1. **पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO):** छोटी एंटिटी (जैसे लोकल *किराना* स्टोर, चाय की दुकानें) जो Wi-Fi एक्सेस पॉइंट बनाती हैं और उन्हें मेंटेन करती हैं। उन्हें लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फीस की ज़रूरत नहीं होती।
2. **पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA):** एग्रीगेटर जो PDOs के लिए ऑथराइज़ेशन और अकाउंटिंग का काम करते हैं।
3. **ऐप प्रोवाइडर:** ऐसी एंटिटी जो यूज़र्स को रजिस्टर करने, WANI-कम्प्लायंट हॉटस्पॉट खोजने और खुद को ऑथेंटिकेट करने के लिए एप्लिकेशन डेवलप करती हैं।
4. **सेंट्रल रजिस्ट्री:** इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT) मेंटेन करता है, यह सभी ऐप प्रोवाइडर्स, PDOAs और PDOs की डिटेल्स रिकॉर्ड करता है।

प्रमुख विशेषताऐं व्यापार करने में आसानी:

- **कोई लाइसेंस फीस नहीं:** लोकल एंटरप्रेन्योर सरकार को लाइसेंस फीस या रजिस्ट्रेशन चार्ज दिए बिना हॉटस्पॉट लगा सकते हैं।
- **सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर:** PDOs को कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए रेगुलर **फाइबर-टू-द-होम (FTTH)** ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस्तेमाल करने की इजाज़त है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम हो जाती है।

कनेक्टिविटी और उपयोगिता:

- **रोमिंग कैपेबिलिटीज़:** यूज़र्स अलग-अलग एग्रीगेटर्स (PDOAs) से मैनेज किए जाने वाले हॉटस्पॉट के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं, जिससे मोबाइल रोमिंग जैसी लगातार कनेक्टिविटी पक्की होती है।
- **मोबाइल डेटा ऑफ़लोड:** यह फ्रेमवर्क टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इन Wi-Fi नेटवर्क पर मोबाइल डेटा ट्रैफ़िक ऑफ़लोड करने की सुविधा देता है, जिससे मोबाइल टावरों पर भीड़ कम होती है और कॉल क्वालिटी बेहतर होती है।

उपभोक्ता संरक्षण और वहनीयता:

- **प्राइवेसी:** ऐप प्रोवाइडर यूज़र्स को प्रमोशनल कंटेंट भेज सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी पक्का करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल के तहत यूज़र की साफ़ मंज़ूरी ज़रूरी है।
- **प्राइस कैपिंग:** छोटे ऑपरेटरों के लिए वायबिलिटी पक्का करने के लिए, TRAI ने यह ज़रूरी किया है कि PDOs को बेची जाने वाली बैंडविड्थ (200 Mbps तक) की कीमत रिटेल कंज्यूमर टैरिफ से दोगुने से ज़्यादा नहीं हो सकती।

महत्व

- **डिजिटल डिवाइड को कम करना:** यह ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में सस्ता इंटरनेट एक्सेस देता है, जहाँ पारंपरिक टावर-बेस्ड कनेक्टिविटी महंगी या ठीक-ठाक नहीं होती।

- **गिग इकॉनमी को बढ़ावा देना:** यह माइक्रो-एंटरप्रेन्योर्स (PDOs) का एक नया ग्रुप बनाता है, जिससे छोटे बिज़नेस मालिक इंटरनेट एक्सेस बेचकर एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं।
- **डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना:** मज़बूत लास्ट-माइल कनेक्टिविटी से दूर-दराज के इलाकों में ई-गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन एजुकेशन की पहुंच तेज़ हो रही है।

निष्कर्ष

PM-WANI भारत के डिजिटल लक्ष्यों के लिए एक फ़ोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। लाइसेंसिंग की रुकावटों को हटाकर और लोकल कम्युनिटी की ताकत का फ़ायदा उठाकर, यह छोटे दुकानदारों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में बदल देता है, जिससे यह पक्का होता है कि हाई-स्पीड कनेक्टिविटी लग्ज़री के बजाय एक पब्लिक गुड बन जाए।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)

नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (NCBC) ने पश्चिम बंगाल की सेंट्रल OBC लिस्ट से 35 कम्युनिटी को हटाने की सिफारिश की है, जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिम आबादी से हैं। यह सिफारिश 2014 में शामिल किए गए नामों की डिटेल में दोबारा जांच के बाद की गई है, जिसका मकसद यह पक्का करना है कि सिर्फ़ सही मायने में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस (SEBCs) को ही सेंट्रल रिज़र्वेशन के फ़ायदों के लिए लिस्ट किया जाए ।

समाचार के बारे में

खास डेवलपमेंट:

• **OBC एंट्री की जांच:** NCBC ने पश्चिम बंगाल में OBC लिस्ट में जोड़े गए समुदायों का पूरा रिव्यू किया।

• **हटाने की सिफारिश:** इसने लिस्ट की असलियत बनाए रखने और SEBCs की पहचान के लिए इसे कानूनी क्राइटेरिया के हिसाब से बनाने के लिए सेंट्रल OBC लिस्ट से 35 समुदायों को हटाने की सलाह दी।

संवैधानिक ढांचा

स्थिति और उत्पत्ति:

• एनसीबीसी की शुरुआत एनसीबीसी अधिनियम, 1993 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी।

• 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018 ने इसके अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए इसे एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया।

संबंधित आर्टिकल:

• **आर्टिकल 338B:** NCBC की बनावट, काम, पावर और काम को बताता है।

• **आर्टिकल 342A:** प्रेसिडेंट को SEBCs को नोटिफाई करने का अधिकार देता है और पार्लियामेंट को सेंट्रल OBC लिस्ट में बदलाव करने का अधिकार देता है।

बनावट:

• कमीशन में **पाँच सदस्य होते हैं** : एक चेयरपर्सन, एक वाइस-चेयरपर्सन और तीन अन्य सदस्य।

• सदस्यों को **राष्ट्रपति** अपने हाथ और मुहर वाले वारंट से नियुक्त करते हैं।

• उनका **रैंक और सैलरी भारत सरकार के सेक्रेटरी के बराबर होती है** ।

अधिदेश और कार्य

1. अधिकारों की सुरक्षा:

• संविधान या संबंधित कानूनों के तहत SEBCs के लिए दिए गए सुरक्षा उपायों की जांच और निगरानी करना।

• पिछड़े वर्गों को अधिकारों या सुरक्षा से वंचित करने से जुड़ी खास शिकायतों की जांच करना।

2. सलाहकार की भूमिका:

• SEBCs के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास प्रोग्राम की प्लानिंग और उन्हें लागू करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना।

• SEBCs पर असर डालने वाले बड़े पॉलिसी फैसलों के लिए NCBC से सलाह लेना **ज़रूरी है।**

3. रिपोर्टिंग मैकेनिज्म:

• कमीशन प्रेसिडेंट को **सालाना और स्पेशल रिपोर्ट देता है। • रिपोर्ट्स को एक्शन टेकन मेमोरेंडम** के साथ पार्लियामेंट और संबंधित राज्य विधानसभाओं के सामने रखा जाता है ।

आयोग की शक्तियाँ

- **सिविल कोर्ट की शक्तियां:**
  शिकायतों की जांच या पूछताछ करते समय, NCBC के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं, जिनमें शामिल हैं:
  • लोगों को बुलाना और उनकी हाजिरी को मजबूर करना।
  • डॉक्यूमेंट्स की खोज और उन्हें पेश करने के लिए कहना।
  • एफिडेविट के ज़रिए पेश किए गए सबूतों को स्वीकार करना।
- **लिस्ट मैनेजमेंट के काम: •**
  सेंट्रल OBC लिस्ट में समुदायों को **शामिल करने और हटाने** के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना । • आर्टिकल 342A के तहत, लिस्ट में आखिरी बदलाव राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के बाद **संसद से पास होने चाहिए।**

निष्कर्ष

NCBC के एक संवैधानिक अथॉरिटी में बदलने से उसे पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काफी ताकत मिली है। पश्चिम बंगाल के लिए इसकी हालिया सिफारिशें सेंट्रल OBC लिस्ट की सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखने में इसकी सक्रिय भूमिका को दिखाती हैं। यह पक्का करके कि केवल योग्य और सच में वंचित समुदायों को ही आरक्षण का लाभ मिले, NCBC भारत के अफरमेटिव एक्शन फ्रेमवर्क की ईमानदारी को मजबूत करता है।

संसदीय व्यवधान और घटती कार्यकुशलता

संदर्भ

2025 के विंटर सेशन के दौरान, वोटर लिस्ट में बदलाव और कम बैठने के शेड्यूल को लेकर विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही शुरू से ही रुकी रही। इस स्थिति ने लेजिस्लेटिव पैरालिसिस की लगातार चुनौती और पार्लियामेंट के ठीक से काम न कर पाने की बढ़ती नाकामी को दिखाया।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड:

संविधान के आर्टिकल 79 के तहत बनी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। इसे कानून बनाने, बजट अप्रूवल, संविधान में बदलाव करने और एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही पक्का करने का काम सौंपा गया है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए इसका ठीक से काम करना ज़रूरी है।

अभी के ऑब्ज़र्वेशन:

• **जानबूझकर रुकावटें:** विरोध, नारेबाज़ी और सदन के वेल में जाना, पॉलिटिकल ज़ोर देने के रोज़ के तरीके बन गए हैं।

• **कम प्रोडक्टिविटी:** 17वीं लोकसभा (2019–24) में आज़ादी के बाद किसी भी पूरे समय की लोकसभा के मुकाबले सबसे कम काम के घंटे दर्ज किए गए, जो स्ट्रक्चरल कमियों और बार-बार होने वाले जाम को दिखाता है।

संसदीय कामकाज पर संवैधानिक ढांचा

• **आर्टिकल 79–122:** पार्लियामेंट की बनावट, पावर, खास अधिकार और प्रोसेस बताते हैं।

• **आर्टिकल 80 और 81:** राज्यसभा और लोकसभा के स्ट्रक्चर की आउटलाइन बताते हैं।

• **आर्टिकल 107:** किसी बिल को पास करने के लिए दोनों हाउस की मंज़ूरी ज़रूरी है।

• **आर्टिकल 118:** हर हाउस को अपने प्रोसेस के नियम बनाने का अधिकार देता है।

• **आर्टिकल 120–121:** भाषा के इस्तेमाल को कंट्रोल करते हैं और जजों के व्यवहार पर बहस को रोकते हैं।

संसदीय कामकाज के रुझान

1. काम के दिनों में कमी

पहले के दशकों में हर साल 120-130 बैठकें होती थीं। हाल के सालों में यह घटकर 55-70 दिन रह गई है, जिससे बहस, जांच और जवाबदेही के लिए समय कम हो गया है।

2. लेजिस्लेटिव जांच का कमज़ोर होना

• **फास्ट-ट्रैक बिल:** कानून अक्सर कम बहस के साथ, अक्सर अव्यवस्था के बीच पास हो जाते हैं।

• **कमिटी जांच में कमी:** स्टैंडिंग कमेटियों को भेजे जाने वाले बिलों का हिस्सा पहले के 60-70% से घटकर आज 30% से भी कम हो गया है।

• **प्रश्नकाल का नुकसान:** अक्सर स्थगन से प्रश्नकाल नहीं हो पाता, जिससे एग्जीक्यूटिव पर निगरानी कमज़ोर हो जाती है।

लगातार रुकावटों के कारण

1. सरकार का तरीका

• माना जाता है कि ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं और सेशन से पहले कम बातचीत से विपक्ष परेशान है।

• बिना सही बहस के बिलों को तेज़ी से पेश करना और पास करना तनाव बढ़ाता है।

2. विपक्ष की रणनीति

• "संसद के अंदर आंदोलन" को तेजी से विरोध का एक वैध रूप माना जा रहा है, जब शिकायतों का समाधान नहीं होता है या बहस के लिए जगह सीमित लगती है।

3. स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल फैक्टर्स

• **भरोसे की कमी:** पहले पॉलिटिकल मतभेदों को मैनेज करने में मदद करने वाले इनफॉर्मल नॉर्म्स और कन्वेंशन का टूटना।

• **मीडिया इंसेंटिव्स:** टेलीविज़न पर होने वाले डिसरप्शन लोगों का ध्यान खींचते हैं, जिससे बड़े विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है।

• **कमज़ोर एनफोर्समेंट:** प्रेसाइडिंग ऑफिसर अक्सर सस्पेंशन जैसी डिसिप्लिनरी पावर्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं, जिससे रोकने की क्षमता कम हो जाती है।

व्यवधानों के निहितार्थ

1. लेजिस्लेटिव घाटा

बिलों को जल्दबाज़ी में पास करने से ड्राफ्टिंग में गलतियाँ, अधिकारों का उल्लंघन, या संवैधानिक कमज़ोरियों का खतरा बढ़ जाता है।

2. अकाउंटेबिलिटी गैप

प्रश्नकाल और बहस के कमज़ोर होने से विपक्ष की सरकारी कामों की जांच करने की क्षमता कम हो जाती है।

3. पावर का सेंट्रलाइज़ेशन

बार-बार होने वाले हंगामे से छोटी और रीजनल पार्टियां किनारे हो जाती हैं, और लेजिस्लेटिव असर बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच इकट्ठा हो जाता है।

4. जनता का भ्रम

बार-बार अव्यवस्था से संसदीय लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा कम होता है और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. स्ट्रक्चरल सुधार

• **कम से कम बैठने की ज़रूरत:** एक कानूनी तौर पर ज़रूरी पार्लियामेंट्री कैलेंडर जो हर साल 100–120 सिटिंग पक्का करता है।

• **विपक्ष के दिन:** UK हाउस ऑफ़ कॉमन्स मॉडल की तरह, विपक्ष की अगुवाई वाली चर्चाओं के लिए हर हफ़्ते स्लॉट रिज़र्व किए गए हैं।

2. प्रोसेस को मज़बूत करना

• **ज़रूरी कमेटी जांच:** मुश्किल या अधिकारों से जुड़े बिल अपने आप स्टैंडिंग कमेटियों को भेज दिए जाने चाहिए।

• **कानून बनने से पहले सलाह-मशविरा:** बिल के सदन में आने से पहले झगड़े कम करने के लिए स्टेकहोल्डर से जुड़ने के लिए फॉर्मल तरीके।

3. कोड ऑफ़ कंडक्ट और उसे लागू करना

• वेल में घुसने, कार्रवाई में रुकावट डालने या नियमों का उल्लंघन करने पर सज़ा का एक जैसा इस्तेमाल।

• बार-बार रुकावटों को रोकने के लिए साफ़, पहले से पता चलने वाला डिसिप्लिनरी सिस्टम।

निष्कर्ष

पार्लियामेंट में रुकावटें, सही बहस और एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई हैं। लेजिस्लेटिव कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए दो तरह का तरीका अपनाना होगा: असहमति और बहस के लिए इंस्टीट्यूशनल जगह की गारंटी देना, और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रोसिजरल डिसिप्लिन लागू करना। पार्लियामेंट की गरिमा और काम करने की क्षमता को वापस लाना, भारत की डेमोक्रेटिक नींव को मज़बूत करने और यह पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस सोच-समझकर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रहें।

गोवा नाइटक्लब फायर और अर्बन फायर सेफ्टी

प्रसंग

गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में लगी भयानक आग में **25 लोगों की मौत हो गई है** , जिनमें से ज़्यादातर की मौत दम घुटने से हुई। इस हादसे ने शहरी इलाकों में आग से सुरक्षा लागू करने में बड़ी कमियों और भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बिल्डिंग कोड के बड़े पैमाने पर उल्लंघन पर बहस फिर से शुरू कर दी है।

घटना के बारे में

- **घटना:** गोवा के अरपोरा में एक अनाधिकृत नाइट क्लब में भीषण आग लग गई।
- **मुख्य कारण:** आग घर के अंदर इस्तेमाल किए गए **इलेक्ट्रिक पटाखों से लगी** , जिससे लकड़ी की छत में आग लग गई।
- **हादसे:** 25 लोगों की मौत हुई, ज़्यादातर जलने की वजह से नहीं बल्कि **दम घुटने की वजह से, क्योंकि पीड़ित एक छोटी, बिना खिड़की वाली जगह में फंस गए थे जहाँ वेंटिलेशन नहीं था।**
- **कमाई के मुख्य कारण:**
  - **गैर-कानूनी काम:** क्लब **एक्सपायर लाइसेंस के साथ चल रहा था** और यह एक बिना इजाज़त वाली जगह थी।
  - **सुरक्षा उल्लंघन:** वहां **कोई इमरजेंसी एग्जिट दरवाज़े** , आग से बचने का कोई प्लान या सही वेंटिलेशन नहीं था, जिससे वह जगह मौत का जाल बन गई।
  - **नियमों की अनदेखी:** इस जगह ने नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के सुरक्षा नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया।

भारत में अग्नि सुरक्षा के लिए संविधान

1. भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), 2016

- **यह क्या है:** स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस और फायर सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस का एक पूरा सेट, जिसे असल में 1970 में शुरू किया गया था और 2016 में बदला गया।
- **भाग 4 (आग और जीवन सुरक्षा):** खास तौर पर आग से बचाव, जीवन सुरक्षा और आग से बचाव से जुड़ना है।
- **मुख्य प्रस्ताव:**
  - हाई-रिस्क बिल्डिंग्स में **खतरनाक फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम को** जरूरी बनाया गया है ।
  - **एग्जिट** (चौड़ाई, संख्या और स्थान) की ज़रूरतें बताता है ।
  - यह बिल्डिंग्स को ऑक्यूपेंसी के आधार पर क्लासिफाई करता है (जैसे, असेंबली, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल) और हर एक के लिए खास सुरक्षा उपाय बताता है।

2. मॉडल बिल्डिंग उपनियम, 2016

- **मकसद:** शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने भवन नियम बनाने में गाइड करने के लिए जारी किया गया।
- **फोकस:** स्ट्रक्चरल सेफ्टी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और बिल्डिंग बनने के लिए आसान अप्रूवल प्रोसेस पर ज़ोर।

3. संवैधानिक स्थिति

- **फायर सर्विसेज़:** यह **राज्य का विषय है (शेड्यूल XII की प्रविष्टि 5) और नगर पालिकाओं** के अधिकार क्षेत्र में आता है (संविधान का लेख 243W)।

सुरक्षा में चुनौतियाँ और कमियाँ

1. **लागू करने में कमी:** एनबीसी मजबूत गाइडलाइंस देता है, लेकिन वे ज़रूरी **सलाह देने वाले होते हैं** । राज्य अक्सर उन्हें लोकल बिल्डिंग बाय-लॉज में शामिल करने में देरी करते हैं, जिससे उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा पाता।
2. **"करप्शन नेक्सस":** जैसा कि गोवा की घटना में बताया गया है, सिस्टम में पौधों करप्शन की वजह से बिना इजाजत के बने स्ट्रक्चर बिना वैलिड फायर नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOCs) या लाइसेंस के चल रहे हैं।
3. **इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें:** बिना प्लान के शहरीकरण की वजह से गलियां पतली और भीड़भाड़ वाली जगहें बन गई हैं, जिससे फायर टेंडर के लिए सप्लाई पर तुरंत बन मुश्किल हो गया है।
4. **रिसोर्स की कमी:** सरकारी डेटा के अनुसार, भारतीय फायर सर्विस में फायर स्टेशन (60% से ज़्यादा की कमी) और फायरफाइटिंग स्टाफ की भारी कमी है।
5. **जानकारी की कमी:** सार्वजनिक स्थान पर अक्सर साफ़ साइन या निकलने की ड्रिल नहीं होती। घबराहट की हालत में, लोगों को बाहर निकलने के रास्ते का पता नहीं होता।

हाल की चिंताएँ

- **बढ़ती प्रत्याशी:** एनसीआरबी के डेटा से पता चलता है कि भारत में आग लगने की घटनाओं के कारण हर साल **7,000 से ज्यादा प्रत्याशी होती हैं, जिससे पता चलता है कि गोवा कोई अकेला मामला नहीं है।**
- **हॉस्पिटल में आग:** हाल ही में हॉस्पिटल में लगी भयानक आग (जैसे, दिल्ली, राजकोट) में फैलने के एक

जैसे लक्षण दिखे, जैसे बाहर निकलने के रास्ते बंद होना, खराब इक्विपमेंट और एक्सपायर हो चुके ऑडिट।

- **ज़हरीले पदार्थ:** मॉडर्न जैकेट में बहुत ज़्यादा आग पकड़ने वाले सिंथेटिक पदार्थ (जैसे गोवा क्लब में इस्तेमाल होने वाला फोम और लकड़ी) का बढ़ता इस्तेमाल आग को तेज़ी से फैलाता है और ज़हरीला धुआं पैदा करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **आवश्यक पालन:** राज्यों को NBC 2016 गाइडलाइंस को सभी क्रियाकलापों के लिए कानूनी तौर पर आवश्यक बनाना होगा, और उल्लंघन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस रखना होगा।
- **थर्ड-पार्टी ऑडिट:** सरकारी इंस्पेक्शन से आगे बढ़ते क्लब, मॉल और हॉस्पिटल जैसी ज़्यादा भीड़ वाली जगह के लिए **हर साल थर्ड-पार्टी सेफ्टी ऑडिट ज़रूरी करें ।**
- **टेक इंटीग्रेशन: बिना इजाज़त वाली छतों की हवाई जांच के लिए ड्रोन** का इस्तेमाल करें और रियल-टाइम आग का पता लगाने के लिए IoT-बेस्ड सेंसर का इस्तेमाल करें।
- **जवाबदेही:** एक साफ चेन ऑफ़ कमांड बनाएं, जिसमें नगर निगम के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में लाइसेंस खत्म होने पर खुद जिम्मेदार हों।
- **पब्लिक एम्पावरमेंट:** सभी पब्लिक जगहों के एंट्रेंस पर वैलिड फायर एनओसी जारी करें। "राइट टू सेफ्टी" को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि लोग सोच-समझकर फैसला ले सकें।

निष्कर्ष

गोवा की त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि **सुरक्षा, नियमों का पालन करने का नतीजा नहीं हो सकता; यह काम करने के लिए जरूरी होनी चाहिए।** ऐसी "इंसानों की बनाई आपदाओं" को रोकने के लिए, भारत को रिएक्टिव फायरफाइटिंग से प्रोएक्टिव फायर प्रिवेंशन की तरफ एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, जो सख्ती से लागू करने और नागरिकों की जिम्मेदारी पर आधारित हो।

डिजिटल संविधानवाद

प्रसंग

सहमति, निगरानी और डेटा के गलत इस्तेमाल पर हितों के बाद, संचार साथी ऐप को जरूरी बनाने वाले अपने निर्देश को सरकार ने तेजी से वापस ले लिया है, जिससे **डिजिटल संविधानवाद पर देश भर में बहस फिर से शुरू हो गई है** ।

डिजिटल संविधानवाद के बारे में

यह क्या है?

डिजिटल संविधानवाद का मतलब है आजादी, सम्मान, बराबरी, प्राइवेसी, सही प्रक्रिया, प्रोपोर्शनैलिटी और कानून के राज जैसे मुख्य संविधान सिद्धांतों को डिजिटल स्पेस, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस सिस्टम पर लागू करना और बढ़ाना।

कॉन्सेप्ट की शुरुआत:

- **ग्लोबल परिदृश्य:** यह तब ग्लोबली सामने आया जब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और स्टेट पावर पर असर डालना शुरू कर दिया।
- **लैंडमार्क फैसला:** भारत में **2017 का पुट्टास्वामी जजमेंट और EU का GDPR (2018)** जैसे खास गोपनीयता नीतियों के बाद इसे खास पहचान मिली, जिसमें डिजिटल अधिकार, डेटा कंट्रोल और राज्य की जवाबदेही पर ज़ोर दिया गया था।
- **एकेडमिकमूल:** यह बिना रोक-टोक वाले डिजिटल सर्विलांस, भौगोलिक गवर्नेंस और प्लेटफॉर्म के दबदबे को लेकर शुरुआती रुझानों से जुड़ी है।

डिजिटल संविधानवाद की विशेषताएं:

- **अधिकार-आधारित शासन:** डिजिटल सिस्टम में प्राइवेसी, सम्मान, स्वायत्तता और बराबरी को शामिल करता है, यह पक्का करता है कि टेक्नोलॉजी संवैधानिक मूल्यों के साथ मेल खाती है।
- **निगरानी की गतिविधियां:** यह पक्का करता है कि राज्य और कॉर्पोरेट निगरानी कानूनी, ज़रूरी, सही और स्वतंत्र निगरानी के अधीन हो।
- **भौगोलिक ट्रांसपेरेंसी:** मना करने या छिपे हुए फैसले लेने से रोकने के लिए डेटा प्रैक्टिस के ऑडिट, एक्सप्लेन छेड़छाड़ और पब्लिक डिस्क्लोजर को जरूरी बनाता है।
- **सही सहमति:** इसके लिए जानकारी वाली, अपनी मर्ज़ी से और खास सहमति के तरीकों की ज़रूरत होती है, जो पर्सनल डेटा के इस्तेमाल पर असली कंट्रोल देते हैं।
- **भेदभाव-रोधी सुरक्षा उपाय:** यह पक्का करता है कि AI सिस्टम को भेदभाव के लिए टेस्ट किया जाए ताकि डिजिटल टूल मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं (जैसे, जाति, लिंग, नस्लीय भेदभाव) को और मजबूत न करें।

भारत में डिजिटल अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून

- **अनुच्छेद 21 – निजता एक मौलिक अधिकार के रूप में:** पुट्टास्वामी (2017) निर्णय के अनुसार सभी डिजिटल घुसपैठों को वैध, आवश्यकता और शुद्धता के प्रश्नों को पूरा करना आवश्यक है।
- **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023:** यह डेटा फिड्यूशरी, सहमति और स्टोरेज को कंट्रोल करता है, लेकिन **राज्य को बड़ी छूट देता है** , जिससे नागरिकों की सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है।
- **आईटी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम 2021/23:** इंटरमीडिएटरीज, साइबर सिक्योरिटी और प्लेटफॉर्म लाइबिलिटी को रेगुलेट करते हैं, हालांकि वे अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों पर गवर्नेंस को प्राथमिकता देते हैं।

- **आधार अधिनियम, 2016:** बायोमेट्रिक पहचान को नियंत्रित करता है; सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मैंडेट के मकसद की सीमा तय की गई।
- **कोई खास निगरानी कानून नहीं:** मौजूदा इंटरसेप्शन पुराने टेलीग्राफ एक्ट (1885) और आईटी एक्ट (2000) पर निर्भर है, जिसमें आधुनिक न्यायिक निगरानी और सुरक्षा उपायों की कमी है।

डिजिटल संविधानवाद से जुड़ी चुनौतियाँ

- **बिना जांच के निगरानी:** चेहरे की पहचान, मेटाडेटा ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक निगरानी जैसे तरीके बिना किसी कानूनी वारंट या स्पष्ट सुरक्षा उपायों के चलते हैं।
- **कमज़ोर सहमति:** क्लिक-थ्रू, बिना जानकारी वाले सहमति मॉडल यूज़र की आज़ादी को कम करते हैं और सरकार और निजी लोगों को बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने में मदद करते हैं।
- **सरकारी छूट:** DPDP एक्ट के तहत बड़े अधिकार जमा कम करते हैं और बिना सही जांच के ज़्यादा डेटा एक्सेस की इजाज़त देते हैं।
- **द्विपक्षीय में उदासीनता और भेदभाव:** "ब्लैक-बॉक्स" AI सिस्टम भेदभाव वाले नतीजे देते हैं, जो महिलाओं, अल्पसंख्यकों और गरीबों जैसे कमज़ोर तबके पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं।
- **निगरानी साक्षरता की कमी:** भारत में अभी कार्यों का ऑडिट करने, निगरानी के तरीकों पर नज़र रखने या डिजिटल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी स्वतंत्र अधिकारी की कमी है।

पश्चिमी फीफा

- **एक आधुनिक सर्विलांस कानून बनाएं:** पक्का करें कि सभी मॉनिटरिंग के लिए ज्यूडिशियल वारंट, प्रोपोर्शनैलिटी एसेसमेंट और ऑडिट की ज़रूरत हो।
- **एक डिजिटल राइट्स कमीशन बनाना:** फाइलों को रिव्यू करने, डेटा प्रैक्टिस की देखरेख करने, उल्लंघन की जांच करने और जरूरी निर्देश जारी करने का अधिकार।
- **DPDP एक्ट को मजबूत करें:** राज्यों की छूट कम करें, यूज़र के उपायों को बेहतर बनाएं, रिटेंशन लिमिट को सख़्त करें, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी पक्का करें।
- **ठेकेदार को रेगुलेट करें:** पब्लिक कामों में इस्तेमाल होने वाले सभी हाई-रिस्क AI सिस्टम के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट, टाइम-टाइम पर बायस ऑडिट और एक्सप्लेन क्विक नॉर्म्स ज़रूरी करें।
- **डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाएं:** नागरिकों को डेटा अधिकारों को देखें, सतहों की पहचान करने और डिजिटल गवर्नेंस के गलत इस्तेमाल को असरदार तरीके से चुनौती देने में मदद करें।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे गवर्नेंस तेज़ी से डेटा पर आधारित होती जा रही है, संवैधानिक मूल्यों को डिजिटल बदलाव का आधार बनना चाहिए। मजबूत सुरक्षा उपायों के बिना, निगरानी और ठेकेदार की उदासीनता आजादी, समानता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए खतरा है। **डिजिटल संवैधानिकता यह पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी कंट्रोल का एक शांत ज़रिया न होकर सशक्तिकरण का एक ज़रिया बनी रहे।**

23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

प्रसंग

23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन **विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त एनडीए साझेदारी की पुष्टि करते हुए एक संयुक्त बयान के साथ संपन्न हुआ** ।

23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बारे में यह क्या है?

सालाना समित भारत और रूस के बीच सबसे विकासशील लेवल की इंस्टीट्यूशनल बातचीत है, जिसमें प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति आपसी संबंधों का रिव्यू करते हैं और स्ट्रेटेजिक दिशाएं तय करते हैं। 2025 समित ने **स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप** (2000–2025) के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया।

जॉइंट चरण के मुख्य नतीजे:

- **स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पुष्टि:** दोनों नेताओं ने समय की कसौटी पर खरी, साझेदार पर आधारित पार्टनरशिप के लिए अपना वादा दोहराया, जिसमें मुख्य हितों के लिए आपसी सम्मान और **बहुध्रुवीय दुनिया के लिए एक साझा नज़रिए पर ज़ोर दिया गया** ।
- **कार्यक्रम 2030 अपनाया गया:** 2030 तक व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परमाणु और परमाणु ऊर्जा में सहयोग को गहराई तक करने के लिए एक बड़ा रोडमैप अपनाया गया।

क्षेत्र-विशिष्ट समझौता:

- **व्यापार और भुगतान प्रणाली:**
  - 2030 तक **USD 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार** के लिए कोशिश करें ।
  - **नेशनल करेंसी का** इस्तेमाल करके ट्रेड सेटलमेंट को और बेहतर बनाने, पेमेंट सिस्टम की इंटरऑपर डुअल पक्का करने और सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को एक्सप्लोर करने का फैसला।
- **रक्षा एवं सैन्य-तकनीकी सहयोग:**
  - 'मेक इन इंडिया' के तहत **जॉइंट आरएंडडी, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन** की ओर बदलाव ।
  - रूस में बने इक्विपमेंट के लिए भारत में स्पेयर-पार्ट बनाने में मदद।
  - **INDRA-2025** और ट्रायलेटरल ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइज में लगातार तेज़ी ।
- **प्रमुख ऊर्जा सहयोग:**
  - तेल, गैस, LNG, पेट्रोकेमिकल्स, कोयला गैसीफिकेशन और लंबे समय तक फर्टिलाइजर यौगिकों में संबंध मजबूत करना।
  - पेंडिंग इन्वेस्टमेंट मामलों को फास्ट-ट्रैक करने के लिए एग्रीमेंट।

- **सहकारी गलियारे:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC)** , चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर और उत्तरी सी रूट (आर्कटिक) के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का कमिटमेंट।
- **असैन्य परमाणु एवं अंतरिक्ष सहयोग:**
  - **कुडनकुलम एनपीपी यूनिट्स** पर प्रगति और दूसरी न्यूक्लियर साइट पर चर्चा।
  - न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, लोकलाइजेशन और यूनिट्स टेक्नोलॉजी में जॉइंट कोलेबोरेशन।
  - **इसरो-रोस्कोस्मोस के बीच** मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्वदेशी नेविगेशन और रॉकेट इंजन को कवर करने वाले सहयोग को बढ़ाया गया ।
- **कुशल गतिविधियां:**
  - **स्किल्ड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन:** इससे भारतीय स्किल्ड वर्कर्स की रूस में रेगुलेटेड मोबिलिटी आसान होगी।

वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे:

- **UNSC सपोर्ट: रूस ने भारत की परमानेंट UNSC सीट** के लिए सपोर्ट फिर से कन्फर्म किया।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों पक्षों ने G20, SCO, BRICS, आतंकवाद विरोधी और जलवायु परिवर्तन में सहयोग को मजबूत किया।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** आतंकवाद की कड़ी निंदा, **पहलगाम हमले (भारत)** और **क्रोकस सिटी हमले (रूस) का ज़िक्र** ।

निष्कर्ष

23वें इंडिया-रूस साझेदारी सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच साझेदारी की गहराई और मजबूती को और मजबूत किया। *कार्यक्रम 2030 को प्रोत्साहन* और रक्षा, ऊर्जा, न्यूक्लियर, समन्वय और कौशल गतिशीलता में नई एग्रीमेंट के साथ, यह साझेदारी रणनीतिक सहयोग के लिए एक लंबे समय का रास्ता तय करता है। दोनों देश अपेक्षित वैश्विक मुद्दों पर एकमत हैं, जिससे भौगोलिक-राजनीतिक माहौल में साझेदारी की अहमियत और पक्की होती है।

नागरिक उद्योग महानिदेशालय (डीजीसीए)

प्रसंग

इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से **DGCA को** नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों से एक बार छूट देनी पड़ेगी, जिससे रेगुलेटर के अधिकार और फैसला लेने के प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं।

नागरिक उद्योग महानिदेशालय (DGCA) के बारे में

यह क्या है?

DGCA भारत का कानूनी सिविल एविएशन रेगुलेटर है जो एविएशन सेफ्टी, एयरवर्डीनेस और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का पालन पक्का करने के लिए जिम्मेदार है।

मुख्य विवरण:

- **स्थापना: मूल रूप से 1927** में (एक सरकारी संगठन के रूप में) बनाया गया; **2020 में** विधायी (संशोधन) अधिनियम के तहत एक कानूनी संस्था बन गई।
- **मंत्रालय: नागरिक उद्योग मंत्रालय (MoCA)** के तहत कार्य करता है ।
- **मकसद:** प्रोएक्टिव सेफ्टी ओवरसाइट, असरदार रेगुलेशन और आईसीएओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइनमेंट के नक्शे **सुरक्षित, कुशल और भरोसेमंद एयर ट्रांसपोर्टेशन को** बढ़ावा देना ।

डीजीसीए के मुख्य कार्य:

- **सुरक्षा निरीक्षण और विनियमन:** नागरिक उड्डयन रिक्वायरमेंट (CARs) बनाता है और लागू करता है; एयरलाइंस, एयरपोर्ट, MROs और प्रशिक्षण संगठन की निगरानी, ऑडिट और स्पॉट चेक करता है।
- **एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट सर्टिफिकेशन:** सिविल एयरक्राफ्ट को रजिस्टर करता है, सर्टिफिकेशन ऑफ़ एयरवर्डीनेस जारी करता है, और सेफ्टी कम्प्लायंस के लिए एयरोड्रोम को सर्टिफाई/इंस्पेक्ट करता है।
- **लाइसेंसिंग:** पायलट, एएमई, एटीसीओ, केबिन क्रू और फ्लाइट डिस्पैचर को लाइसेंस जारी करता है; परीक्षा और कौशल चेक करता है।
- **दुर्घटना और घटना की जांच:** घटनाएं और गंभीर घटनाएं (2250 kg AUW तक) की जांच करता है और सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रम लागू करता है।
- **एयर ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन:** एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) देता है और घरेलू/अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल फ्लाइट्स को रेगुलेट करता है।
- **ICAO Coordinate:** यह पक्का करता है कि भारतीय विमानन नियम ICAO Standards के हिसाब से हों; USOAP ऑडिट और ग्लोबल नॉर्म्स को एक जैसा बनाने में हिस्सा लेता है।
- **ट्रेनिंग और खतरनाक सामान की देखरेख:** फ्लाइंग स्कूल और सिमुलेशन सेंटर को मंज़ूरी देता है; खतरनाक सामान संचालन वाले इंजीनियरों को सर्टिफ़ाई करता है और एयर नेविगेशन सर्विस को रेगुलेट करता है।

डीजीसीए का महत्व:

- **पैसेंजर की सुरक्षा पक्की करना:** फ्लाइट, क्रू के आराम, मेंटेनेंस और एयरपोर्ट स्टैंडर्ड्स की सख्त निगरानी।
- **ऑपरेशनल अनुशासन बनाए रखती है:** एयरलाइंस को सुरक्षा नियम, प्रशिक्षण मानदंड और तकनीकी ज़रूरतों का पालन करवाता है।
- **सुरक्षा और क्षमता में बैलेंस:** जैसा कि हाल ही में FDTL रोलबैक में देखा गया है, यह सुरक्षा मानदंड और ऑपरेशनल फीजिबिलिटी के बीच बातचीत करने में अहम भूमिका निभाता है।

भारतीय विमानन क्षेत्र की चुनौतियाँ

1. **ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट:** एयरलाइंस को एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की ज़्यादा कीमतें (जो GST के तहत नहीं आती हैं) और रुपये की कमज़ोरी से जूझना पड़ता है, क्योंकि लीज़ रेंटल और मेंटेनेंस कॉस्ट डॉलर में तय होती हैं।
2. **इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें:** पैसेंजर की संख्या में तेज़ी से बढ़ने ने इंफ्रास्ट्रक्चर को पीछे छोड़ दिया है, जिससे मेट्रो एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, स्लॉट की कमी हो गई है, और एयरस्पेस मैनेजमेंट की दिक्कतें आ गई हैं।
3. **आपूर्ति चेन और फ्लीट की दिक्कतें:** दुनिया भर में आपूर्ति चेन में रुकावटों की वजह से विमानों की डिलीवरी में देरी हुई है और इंजन की दिक्कतों (जैसे, प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की दिक्कतें) की वजह से फ्लीट को ग्राउंडिंग करना पड़ा है।
4. **वर्कफोर्स की कमी और थकान:** स्किल्ड पायलट और केबिन क्रू की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से रोस्टरिंग में दिक्कतें आ रही हैं, थकान बढ़ रही है, और FDTL के कड़े नियमों को समायोजित में मुश्किल हो रही है।
5. **मार्केट कंसंट्रेशन (ड्यूपॉली):** इस सेक्टर में दो बड़े ग्रुप (इंडिगो और एयर इंडिया) का दबदबा बढ़ रहा है, जिससे गो फर्स्ट जैसे कॉम्पिटिटर के खत्म होने के बाद कॉम्पिटिशन, प्राइसिंग पावर और कस्टमर की पसंद में कमी को लेकर चिंता बढ़ गई है।

हाल की चिंताएँ (2025 संदर्भ)

- **बड़े पैमाने पर फ़्लाइट कैंसलेशन:** इंडिगो के हाल के ऑपरेशनल मेल्टडाउन में, क्रू की कमी और नए रोस्टर नियमों के कारण 1,000 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसल हो गई, जिससे सरकार को कुछ समय के लिए किराए पर कैप लगाने पर मजबूर होना पड़ा।
- **होक्स बम की धमकियाँ:** होक्स बम की धमकियों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी (2024-25 में 800 से ज़्यादा रिपोर्ट की गई) की वजह से बार-बार ध्यान भटक रहा है, देरी हो रही है और घबराहट हो रही है, जिससे खतरों पर दबाव पड़ रहा है।
- **टेक्निकल दिक्कतें और सेफ्टी में चूक:** टेक्निकल कणोंियों (इंजन बंद होना, केबिन में धुआं) और गंभीर चूक की अक्सर रिपोर्ट आती हैं, जैसे एयर इंडिया के विमानों का बिना वैलिड एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट के चलना।
- **GPS स्पूफिंग:** दिल्ली और मिडिल ईस्ट के पास GPS स्पूफिंग की हाल की घटनाओं ने नेविगेशन सिस्टम में डाली है, जिससे फ्लाइट सेफ्टी के लिए एक नया टेक्निकल खतरा पैदा हो गया है।
- **रेगुलेटरी "फ्लिप-फ्लॉप":** एयरलाइन के दबाव में DGCA के सख्त पायलट रेस्ट रूल्स (FDTL) को वापस लेने की वजह से पायलट की थकान और सेफ्टी के बजाय ऑपरेशन को प्राथमिकता देने की आलोचना हुई है।

निष्कर्ष

इंडियन एविएशन सेक्टर एक अहम मोड़ पर है, जो तेज़ी से बढ़ने और सेफ्टी की ज़रूरत के बीच बैलेंस बना रहा है। हालांकि DGCA ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन हाल की ऑपरेशनल दिक्कतों और सेफ्टी से जुड़ी चिंताओं ने एक ज़्यादा मज़बूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत को दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना, वर्कफोर्स की थकान को दूर करना, और सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करना, सेक्टर की बढ़ोतरी को बनाए रखने और "दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते एविएशन मार्केट" में पैसेंजर का भरोसा वापस लाने के लिए ज़रूरी हैं।

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) खरीदें

प्रसंग

RBI ने बैंकिंग सिस्टम में टिकाऊ कमोडिटी डालने के लिए **$5 बिलियन डॉलर-रुपया फ्लिपकार्ट** के साथ **₹1 बिलियन की OMO खरीद की घोषणा की। यह कदम तब उठाया गया जब** लगातार विदेशी पोर्टफोलियो के आउटफ्लो के कारण रुपया **₹90/$ से कमज़ोर हो गया।**

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) खरीदने के बारे में

OMO परचेज़ क्या है?

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) एक ऐसी पॉलिसी है जो RBI बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से **सरकारी सिक्योरिटीज़ खरीदता है।** इससे फाइनेंशियल सिस्टम में **ड्यूरेबल पॉलिसी आती है** , बैंक रिज़र्व बढ़ते हैं, शॉर्ट-टर्म इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी एक्सचेंज मजबूत होता है।

ओएमओ खरीद का उद्देश्य

- **ड्यूरेबल इक्विटी डालें:** यह पक्का करता है कि बैंकों के पास क्रेडिट बढ़ने को सपोर्ट करने के लिए लंबे समय के फंड हों।
- **आसान मौद्रिक प्रसारण:** नीति दर में बदलाव को कम लेंडिंग दर में बदलने में मदद करता है।
- **मनी मार्केट को स्थिर करना:** वेटेड एवरेज कॉल रेट (WACR) को RBI के पॉलिसी रेपो रेट के साथ एलाइन रखती है।

खुले बाज़ार परिचालन के प्रकार

1. विस्तारवादी OMO (लिक्विडिटी इंजेक्शन)

- आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज़ **खरीदता है ।**
- बैंक रिज़र्व में ब्याज → ब्याज आंकड़े गिरना → उधार और निवेश में बुजुर्गों।

2. कॉन्ट्रैक्टरी OMO (लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन)

- आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज **बेचता है ।**
- मनी फ्लिपकार्ट कम होती है → ब्याज दर बढ़ते हैं → महंगाई का दबाव कम होता है।

3. स्पेशल ओएमओ / ऑपरेशन ट्विस्ट

- RBI एक ही समय पर **लॉन्ग-टर्म बॉन्ड खरीदता है** और **शॉर्ट-टर्म बॉन्ड बेचता है।**
- उद्देश्य: पूरे सिस्टम में बदलाव किए बिना यील्ड कर्व को फ्लैट करना।

ओएमओ खरीदारी कैसे काम करती है

1. **Ascessment:**
   RBI बैंकिंग सिस्टम में करेंसी प्रेशर, कैपिटल फ्लो और फाइलिटी डेफिसिट को ट्रैक करता है।
2. **नीलामी सूचनाएं:**
   आरबीआई ने ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए सिक्योरिटीज के लिए रकम (जैसे, ₹1 गीगावॉट) और मैच्योरिटी की घोषणा की।
3. **उदाहरण:**
   बैंक RBI को सरकारी बॉन्ड बेचते हैं; RBI उनके अकाउंट में क्रेडिट करता है।
4. **असर :**
   सिस्टम असमानता बढ़ती है, ओवरनाइट मार्केट रेट नरम होते हैं, और सरकारी बॉन्ड यील्ड गिरती है।

ओएमओ खरीद का महत्व

विदेशी बहिर्वाह का प्रतिकार करता है

जब विदेशी निवेशक भारत से बाहर निकलते हैं, तो रुपये में कीमतें कम हो जाती है। OMO शॉपिंग इस कमी को पूरा करने में मदद करती है।

बॉन्ड यील्ड को स्थिर करता है

ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट के समय में सरकारी उधार लेने की लागत में बढ़ोतरी को स्थिर है।

आर्थिक विकास का समर्थन करता है

यह पक्का करता है कि बैंक एमएसएमई, उद्योग और आवास जैसे खास सेक्टर को लोन देना जारी रख सके।

भारत में ओएमओ की चुनौतियाँ

1. मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम

अगर सही समय पर ज़्यादा सब्सिडी नहीं डाली गई तो इससे मांग बढ़ सकती है और महंगाई बढ़ सकती है।

2. यील्ड कर्व डिस्टॉर्शन

भारी दखल से लंबे समय के यील्ड को आर्टिफिशियली सप्लाई जा सकता है, जिससे असली मार्केट रिस्क प्राइसिंग कम हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर का कर्ज़ कम हो सकता है।

3. ट्रांजिट में देरी

ज़्यादा डिपॉज़िट कॉस्ट या ज़्यादा छोटी सेविंग्स रेट जैसी मुश्किलों की वजह से बैंक शायद लोन रेट जल्दी कम न करें।

4. स्टरलाइज़ेशन का खर्च

अगर जीडीपी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो RBI को बाद में इसे OMO सेल्स या VRRR ऑपरेशन्स के घंटों एब्ज़ॉर्ब करना होगा, जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल है।

5. बाज़ार पर निर्भरता

रेगुलर OMO सपोर्ट बॉन्ड मार्केट को RBI के दखल पर बहुत ज़्यादा निर्भर बना सकता है, जिससे सपोर्ट वापस लेने पर वोलैटिलिटी बढ़ सकती है।

हाल की चिंताएँ

1. फिटनेस-करेंसी मोटापा

रुपया को बचाने के लिए RBI को डॉलर बेचेंगे (जिससे मुद्रास्फीति कम हो जाएगी), और फिर मुद्रास्फीति वापस लाने के लिए OMOs के मैन्युअल बॉन्ड खरीदेंगे। जब रुपया पहले से ही दबाव में हो तो यह बैलेंस बनाना मुश्किल है।

2. विदेशी पोर्टफोलियो आउटफ्लो

जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से भारत से कैपिटल बाहर जा रहा है, जिससे फाइलिटी की कमी और बढ़ रही है।

3. कमज़ोर मौद्रिक एक्सचेंज

जीडीपी इंजेक्शन के बावजूद, एमएसएमई लोन की दरें स्थिर बने हुए हैं, जिससे मौजूदा चक्र में ओएमओ के असर को लेकर चिंता बढ़ रही है।

4. महंगाई बनाम बढ़त ट्रेड-ऑफ

जीडीपी बढ़ाने से ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है, लेकिन इससे महंगाई बढ़ने और करनेसी के कमजोर होने का खतरा रहता है, जिससे आरबीआई की पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है।

5. वैश्विक वित्तीय सेवाएँ

यूएस फेडरल रिजर्व के अनिश्चित कार्रवाई से कैपिटल फ्लो में बड़े उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, जिससे आरबीआई की एक स्थिर ओएमओ शेड्यूल प्लान करने की क्षमता मुश्किल हो रही है।

निष्कर्ष

RBI की नई OMO खरीद **"असंबद्ध टिकड़ी" को मैनेज करने की मुश्किल चुनौती को दिखाती है** , यानी एक संरचनात्मक मौद्रिक नीति, एक स्थिर एक्सचेंज रेट और ओपन कैपिटल फ्लो। हालांकि क्रेडिट की कमी को रोकने के लिए असमानता डालना जरूरी है, लेकिन RBI को अपने कामों को ध्यान से कैलिब्रेट करना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि ज्यादा असमानता से महंगाई फिर से न बढ़े या रुपया और कमज़ोर न हो, खासकर बहुत ज्यादा अस्थिर वैश्विक माहौल में।

बार्सिलोना कन्वेंशन

प्रसंग

बार्सिलोना कन्वेंशन के COP24 में, EU देशों और मेडिटेरेनियन पार्टनर्स ने मेडिटेरेनियन सागर की रक्षा के लिए मजबूत वादे अपनाए।

बार्सिलोना कन्वेंशन के बारे में

यह क्या है?

बार्सिलोना कन्वेंशन, **यूएनईपी के नेतृत्व वाला एक कानूनी तौर पर ज़रूरी रीजनल एनवायरनमेंटल एग्रीमेंट है** , जो मेडिटेरेनियन सी को पॉल्युशन से बचाने और सस्टेनेबल कॉस्टल और मरीन मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए है।

मुख्य विवरण:

- **आजादी मिली:** 16 फरवरी 1976 (असल में भूमध्य सागर के प्रदूषण से बचाव के लिए कन्वेंशन के तौर पर)।
- **लागू हुआ:** 1978.

- **प्राधिकरण और पुनः नामित: 1995** में, यह समुद्री पर्यावरण और भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र के संरक्षण के लिए सम्मेलन बन गया।
- **उद्देश्य:**
  - ज़मीन, समुद्र और हवा से होने वाले प्रदूषण को घुमाएं, कम करें, उससे लड़ें और खत्म करें।
  - कोऑर्डिनेटेड रीजनल एक्शन के ज़रिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना।
  - **डंपिंग, इमरजेंसी, ज़मीन से जुड़े सोर्स, सुरक्षित एरिया, ऑफशोर प्रदूषण, खतरनाक कचरा और कॉस्टल ज़ोन मैनेजमेंट से** जुड़े प्रोटोकॉल लागू करने में मेडिटेरेनियन देशों को सपोर्ट करें ।

भूमध्य सागर के बारे में

यह क्या है?

एक **आधा बंद, अंतरमहाद्वीपीय समुद्र** , जो ~2.5 मिलियन km^2 में फैला है और दुनिया के समुद्री क्षेत्र का ~0.7% हिस्सा है। यह एक जाना-माना बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है और पुरानी सभ्यताओं का उद्गम स्थल है।

भूगोल और सीमाएँ:

- **पड़ोसी राष्ट्र:**
  - **यूरोप:** स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस।
  - **एशिया:** तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल।
  - **अफ्रीका:** मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को।
- **मुख्य कनेक्शन:**
  - **अटलांटिक महासागर: जिब्राल्टर जलडमरूमध्य** से जुड़ा हुआ है ।
  - **काला सागर: डार्डानेल्स-मरमारा-बोस्पोरस** सिस्टम से जुड़ा हुआ है ।
  - **लाल सागर: स्वेज नहर** से जुड़ा हुआ है ।

मनोवैज्ञानिक विशेषताएं:

- **अफ्रीकी और यूरेशियन प्रश्नावली** के टेक्टोनिक कन्वर्जेंस से बना है ।
- **सिसिली सबमरीन रिज** द्वारा पश्चिमी और पूर्वी बेसिन में विभाजित।
- **मुख्य बेसिन:** अल्बोरन, अल्जीरियाई, टायरहेनियन (पश्चिम); आयोनियन, लेवेंटाइन (पूर्व)।
- **सबसे गहरा बिंदु:** आयोनियन सागर में **कैलिप्सो दीप (5,267 मीटर)।**
- **प्रमुख द्वीप:** सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, क्रेते, साइप्रस, लेसबोस और मल्लोर्का।

भौगोलिक क्षेत्र की चुनौतियाँ

1. **प्रदूषण स्रोत:** समुद्र एक आधा बंद जलाशय है जिसमें पानी धीरे-धीरे (80-100 वर्ष) बढ़ता है, जो ज़मीन पर मौजूद प्रदूषक, बिना पेड़ किया हुआ सीवेज और खेती से निकलने वाला पानी फंसा लेता है, जिससे गंभीर यूट्रोफिकेशन होता है।
2. **प्लास्टिक संकट:** यह दुनिया के सबसे ज़्यादा प्लास्टिक से बने समुद्रों में से एक है, जिसमें माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवन के लिए खतरा है और इंसानों की फ़ूड चेन में भी जा रहा है।
3. **इनवेसिव स्पीशीज़ ("लेसेप्सियन माइग्रेशन"):** स्वेज़ नहर के किनारे होने और बढ़ते तापमान की वजह से लाल सागर से सैकड़ों इनवेसिव स्पीशीज़ (जैसे लायनफ़िश और सालफ़िश) आ गई हैं, जिससे वहाँ की बायोडायवर्सिटी खत्म हो गई है।
4. **ओवरफिशिंग:** मेडिटेरेनियन में 75% से ज़्यादा मछलियों का स्टॉक अभी ओवरफिशिंग हो रहा है, जिससे तटीय समुदायों की रोज़ी-रोटी और पारिस्थितिक संतुलन को खतरा है।
5. **बड़े पैमाने पर पर्यटन का दबाव:** यह भौगोलिक दुनिया के एक-तिहाई पर्यटन को अपनी ओर खींचता है, जिससे बड़े पैमाने पर तटीय शहरीकरण, रहने की जगह का नुकसान, और कचरा बनने में आसमानी बढ़ोतरी होती है।

हाल की चिंताएँ

- **"मेडिकेन्स" और वार्मिंग:** मेडिटेरेनियन समुद्र ग्लोबल एवरेज से 20% ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है, जिससे "मेडिकेन्स" (मेडिटेरेनियन हरिकेन) ज़्यादा बार आ रहे हैं और खतरनाक समुद्री हीटवेव आ रही हैं।
- **स्वेज नहर के विस्तार के जोखिम:** स्वेज नहर को और बढ़ाने पर हाल की चर्चाओं ने गैर-देशी आरोपियों के हमले में तेजी आने के बारे में चिंता पहुंचाई है, जिसे संभालने के लिए बार्सिलोना कन्वेंशन संघर्ष कर रहा है।
- **ऑफशोर ड्रिलिंग:** गैस एक्सप्लोरेशन राइट्स (जैसे, पूर्वी भूमध्यसागरीय में) को लेकर तनाव से तेल रिसीवर और शेड का खतरा रहता है, जिससे एक जैसा एनवायरनमेंटल गवर्नेंस मुश्किल हो जाता है।
- **समुद्र का लेवल बढ़ना:** निचला डेल्टा, खासकर मिस्र में नील डेल्टा और इटली में पो डेल्टा, समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से डूबने और खारेपन का खतरा झेल रहे हैं।
- **लागू करने में कमियां:** काहिरा में COP24 के वादे के बावजूद, सऊदी की कमी और राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण, गैर-ईयू दक्षिणी तटीय देशों में लागू करने का तरीका कमजोर बना हुआ है।

निष्कर्ष

बार्सिलोना कन्वेंशन इस इलाके के "ब्लू हार्ट" की रक्षा करने वाला मुख्य कानूनी ढांचा बना हुआ है। हालांकि, भूमध्यसागरीय **प्रदूषण, जैव विविधता के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के तिहरे संकट का सामना कर रहा है** । कन्वेंशन को मजबूत करने के लिए न सिर्फ डिप्लोमैटिक पहलुओं की ज़रूरत है, बल्कि "पॉल्यूटर पेज़" सिद्धांतों को सख्ती से लागू करने और इस ऐतिहासिक समुद्र को "डेड सी" बनने से बचाने के लिए मैरीटाइम सेक्टर को तुरंत डीकार्बनाइज करने की भी ज़रूरत है।

RACE IAS

जेल नियमावली और सुधार

प्रसंग

कैदियों, खासकर विकलांगों, के अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद, भारत में जेल प्रशासन को कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि "कारागार"**राज्य सूची सातवीं** अनुसूची के अनुसार, केंद्र सरकार केवल परामर्शी निर्देश जारी कर सकती है, अनिवार्य निर्देश नहीं, जिससे एकरूप सुधार चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (दिव्यांग जन) सुगम्यता संकट:

- **बुनियादी ढांचे की कमी:**अधिकांश भारतीय जेलों को दिव्यांगजनों के लिए नहीं बनाया गया है, जिससे गंभीर शारीरिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं।
- **कानूनी अधिदेश:**विकलांग **व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समर्थन** प्रणालियों को अनिवार्य किया गया है, फिर भी जेलों में कार्यान्वयन खराब बना हुआ है।

न्यायिक हस्तक्षेप:

- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:**ऐसे मामलों का हवाला देते हुए स्टेन **स्वामी** और **G.N. Sai Baba न्यायालय** ने प्राधिकारियों को आवश्यक विकलांगता-संबंधी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
- **राज्य की लापरवाही:**ऐसे कई मामले चल रहे हैं, जिनमें राज्य ने गंभीर शारीरिक स्थिति वाले कैदियों द्वारा कारावास से निपटने के लिए मांगे गए भत्ते में देरी की है या उसे देने से इनकार कर दिया है।

सुधार के प्रमुख क्षेत्र संरचनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:

- **भीड़भाड़:**एक गंभीर मुद्दा जो एचआईवी/एड्स सहित संक्रामक रोगों के प्रसार को बढ़ाता है।
- **विचाराधीन जनसंख्या:** लगभग **90%**भारत की जेलों में बंद कैदियों की संख्या का एक बड़ा हिस्सा विचाराधीन कैदियों से बना है। सर्वोच्च न्यायालय इस सिद्धांत पर ज़ोर देता है कि "जमानत नियम होनी चाहिए और जेल अपराध।"

सामाजिक न्याय संबंधी चिंताएँ:

- **जाति-आधारित अलगाव:**कई राज्य भेदभावपूर्ण औपनिवेशिक नियमों का पालन करना जारी रखे हुए हैं, जैसे कि सफ़ाई और सफ़ाई का काम विशेष रूप से दलित और आदिवासी कैदियों के लिए आरक्षित करना। अदालतों ने इस प्रथा को असंवैधानिक माना है।
- **लिंग-विशिष्ट आवश्यकताएं:**महिलाओं की स्वच्छता और सम्मान को ध्यान में रखते हुए सुधार की आवश्यकता है, विशेष रूप से अलग शौचालय और सैनिटरी पैड की व्यवस्था।

पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य:

- **मानसिक स्वास्थ्य:**राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने मानसिक स्वास्थ्य को तत्काल मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता वाले कैदियों के बीच एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उजागर किया है।
- **सुधारात्मक न्याय:**न्याय प्रणाली का लक्ष्य विशुद्ध रूप से दंडात्मक उपायों से ध्यान हटाकर सुधारात्मक **न्याय कैदियों** को पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकृत करने में सहायता करना।

निष्कर्ष

भारत में जेल सुधार के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो कारावास से आगे बढ़कर मानवीय गरिमा सुनिश्चित करे। विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या को संबोधित करना, जाति-आधारित श्रम को समाप्त करना और विकलांग कैदियों के लिए सुलभता सुनिश्चित करना, जेल प्रशासन को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कदम हैं।

Dhruva Framework

प्रसंग

डाक विभाग ने प्रस्ताव दिया है Dhruva **framework भारत** में लोकेशन ट्रैकिंग और एड्रेस मानकीकरण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिज़ाइन की गई एक पहल। इसका उद्देश्य भौतिक स्थानों के लिए डिजिटल संदर्भ तैयार करना, लॉजिस्टिक्स और गवर्नेंस को सुव्यवस्थित करना है।

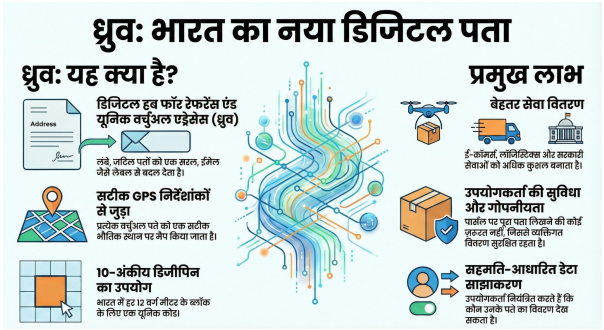

समाचार के बारे में अवधारणा और तंत्र:

- **मुख्य लक्ष्य:**एक सरल लेबल का उपयोग करके पते बनाने और साझा करने के लिए एक मानक स्थापित करना, जिस तरह से ईमेल पता या यूपीआई आईडी काम करता है, लंबे, जटिल भौतिक पतों की जगह लेना।
- **तकनीकी आधार:**प्रत्येक आभासी पता (लेबल) को सटीक जीपीएस निर्देशांकों पर मैप किया जाता है, जिससे सटीक स्थान पहचान सुनिश्चित होती है।

ज़रूरी भाग डिजीपिन एकीकरण:

- यह ढांचा एक का उपयोग करता है 10-**अंकीय डिजीपिन**, स्थान निर्देशांक से प्राप्त एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड।
- **ग्रेन्युलेरिटी:**भारतीय डाक द्वारा एक ओपन-सोर्स प्रणाली के रूप में विकसित, यह प्रत्येक का मानचित्रण करता है 12 **वर्ग मीटर ब्लॉक भारत** में एक अद्वितीय पिन के लिए।

डाटा प्राइवेसी:

- **टोकनीकरण:**जिस प्रकार यूपीआई बैंक विवरणों को टोकनाइज़ करता है, उसी प्रकार ध्रुव उपयोगकर्ताओं को अपने पते को "टोकनाइज़" करने की अनुमति देता है।
- **सहमति-आधारित:**डेटा साझाकरण पूरी तरह से सहमति-आधारित रहता है, जिससे उपयोगकर्ता का इस बात पर नियंत्रण सुनिश्चित होता है कि उनके स्थान के विवरण तक कौन पहुंच सकता है।

मुख्य लाभ रसद और शासन:

- **पहुँच:**असंगठित या जटिल शहरी/ग्रामीण लेआउट में पते का पता लगाने की चुनौती का समाधान करता है।
- **सेवा वितरण:**ई-कॉमर्स (जैसे, अमेज़न), लॉजिस्टिक्स (जैसे, उबर) और सरकारी सेवा वितरण की दक्षता को बढ़ाता है।

उपयोगकर्ता सुविधा:

- **गोपनीयता:**पार्सल पर पूरा भौतिक पता लिखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रहता है।
- **लचीलापन:**उपयोगकर्ता वर्चुअल लेबल में बदलाव किए बिना आसानी से अपने लिंक किए गए पते के विवरण को संपादित या परिवर्तित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

ध्रुव फ्रेमवर्क भारत में डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। जीपीएस तकनीक को उपयोगकर्ता-अनुकूल "एड्रेस टोकन" प्रणाली (डिजीपिन) के साथ एकीकृत करके, इसका उद्देश्य उपयोगिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाते हुए असंरचित पतों की चिरस्थायी समस्या का समाधान करना है।

वंदे मातरम

प्रसंग

आस-पास की चर्चा वंदे *मातरम उनकी* 150वीं वर्षगांठ के कारण इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। भारत सरकार इस मील के पत्थर को मनाने के लिए एक साल तक चलने वाले राष्ट्रीय उत्सव की योजना बना रही है, जिससे संसद में इसके इतिहास और इसे अपनाने को लेकर नई बहस छिड़ जाएगी।

समाचार के बारे में संसदीय बहस:

- **विपक्ष का रुख:**लोकसभा में व्यापक बहस की आवश्यकता पर सवाल उठाया।
- **राजनीतिक आरोप:**इस बात पर चिंता जताई गई कि यह बहस राजनीति से प्रेरित हो सकती है, तथा संभवतः आगामी पश्चिम बंगाल चुनावों को लक्ष्य बनाकर की जा सकती है।
- **प्रधानमंत्री की टिप्पणी:**यह सुझाव दिया गया कि मूल रूप से केवल पहले दो छंदों को धार्मिक समीकरणों को समायोजित करने और उस समय मुस्लिम लीग के साथ संरेखित करने के लिए अपनाया गया था, जो धर्मनिरपेक्षता के लिए एक धक्का को दर्शाता है।

रचना और अपनाना उत्पत्ति:

- **संगीतकार:**बंकिम चंद्र चटर्जी.
- **प्रकाशन:**पहली बार प्रकाशित*Bangadarshan*7 नवंबर, 1875 को; बाद में उपन्यास में शामिल किया गया आनंद *मठ*1882 में.
- **संगीत रचना:**रवींद्रनाथ टैगोर ने संगीत प्रदान कर इस गीत को भारतीय संस्कृति में गहराई से समाहित कर दिया।

राष्ट्रीय स्थिति:

- **1937 सीडब्ल्यूसी निर्णय:**कांग्रेस कार्यसमिति ने केवल प्रथम दो छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया।
- **आधिकारिक मान्यता:**24 जनवरी, 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने घोषणा की वंदे *मातरम राष्ट्रीय* गीत के रूप में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा दिया गया है (*जन गण मन*).
- **संवैधानिक नोट:**भारतीय संविधान में "राष्ट्रीय गीत" शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

ऐतिहासिक महत्व स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- **1896 कांग्रेस अधिवेशन:**रवींद्रनाथ टैगोर ने गाया वंदे *मातरम कलकत्ता* अधिवेशन में, प्रारंभिक राजनीतिक मान्यता का प्रतीक।
- **बंगाल विभाजन (1905):**विभाजन विरोधी प्रदर्शनों के दौरान यह एक नारा बन गया।
- **स्वदेशी आंदोलन:**इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध "युद्धघोष" कहा जाता है।
- **वंदे मातरम संप्रदाय:**मातृभूमि के प्रति समर्पण को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 1905 में कोलकाता में स्थापित।

- **प्रेस:**बिपिन चंद्र पाल ने एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र शुरू किया जिसका शीर्षक था वंदे *मातरम अगस्त* 1906 में.

निष्कर्ष

की 150वीं वर्षगांठ वंदे *मातरम यह* गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन में, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। हालांकि इसके अपनाने और छंदों को लेकर राजनीतिक बहस जारी है, फिर भी यह भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का एक सशक्त प्रतीक बना हुआ है और राष्ट्रगान के साथ-साथ एक विशिष्ट स्थान रखता है।

भारत में छात्र आत्महत्याएं

प्रसंग

दिल्ली में 16 वर्षीय शौर्य पाटिल की दुखद मौत के बाद, छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जो स्कूलों में बदमाशी और मानसिक तनाव से निपटने में व्यवस्थागत विफलताओं को उजागर करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दशक में छात्रों की आत्महत्याओं में 65% की वृद्धि हुई है, जो संस्थागत मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारी कमी की ओर इशारा करता है।

समाचार के बारे में आंकड़े और रुझान:

- **चिंताजनक वृद्धि:**छात्र आत्महत्याओं की संख्या 2013 में 8,423 से बढ़कर 2023 में 13,892 हो गई, जो 65% की वृद्धि दर्शाती है, जो आत्महत्या वृद्धि के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- **कमजोर जनसांख्यिकी:**प्रभावित बच्चों की आयु सीमा बढ़कर 9-17 वर्ष के बच्चों तक पहुंच गई है, जिससे पता चलता है कि तनाव सभी स्कूली चरणों में व्याप्त है।
- **परीक्षा-संबंधी स्पाइक्स:**तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में परीक्षा के महीनों के दौरान होने वाली घटनाओं की संख्या में वृद्धि की खबरें सामने आई हैं, जो अंक-उन्मुख शिक्षा संस्कृति से प्रेरित है।

व्यवहारगत बदलाव:

- **महामारी के बाद का प्रभाव:**किशोरों में भावनात्मक लचीलापन कम हो रहा है, सामाजिक दूरी बढ़ रही है, तथा स्क्रीन पर अधिक समय बिता रहे हैं, जिससे उनकी कमजोरियां बढ़ रही हैं।

संस्थागत और कानूनी ढांचा मौजूदा अधिदेश:

- **सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश (2025):**हेल्पलाइनों की स्थापना, अनिवार्य परामर्शदाता नियुक्तियां, तथा स्टाफ को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया गया है; तथापि, कार्यान्वयन अभी भी कमजोर है।
- **संरक्षण कानून:**किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम और पोक्सो मानदंड स्कूल स्तर की बाल संरक्षण समितियों को शिकायतों और सुरक्षा ऑडिट को संभालने का आदेश देते हैं।

बुनियादी ढांचे में अंतराल (यूनिसेफ 2024):

- **व्यापकता बनाम समर्थन:**जबकि 23% स्कूली बच्चों में मनोरोग के लक्षण दिखाई देते हैं, छात्रों के मुकाबले परामर्शदाताओं का अनुपात बहुत कम है।
- **संसाधन घाटा:**अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षित प्रकटीकरण स्थान या साक्ष्य-आधारित भावनात्मक साक्षरता कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट बजट का अभाव होता है।

संकट को प्रेरित करने वाले कारक स्कूल का वातावरण:

- **दंडात्मक संस्कृति:**कठोर शैक्षणिक अपेक्षाओं, सार्वजनिक रूप से शर्मिन्दगी और तुलना-आधारित रैंकिंग प्रणालियों के कारण अक्सर गरिमा नष्ट हो जाती है।
- **बदमाशी का सामान्यीकरण:**बहिष्कार, मौखिक ताने और शारीरिक छेड़छाड़ को अक्सर गंभीर प्रतिकूल अनुभव होने के बावजूद महत्वहीन समझा जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण:**बी.एड. कार्यक्रमों में वर्तमान में मजबूत मानसिक स्वास्थ्य मॉड्यूल का अभाव है, जिसके कारण शिक्षक सहानुभूतिपूर्ण संचार या मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के लिए अपर्याप्त हैं।

घरेलू एवं डिजिटल कारक:

- **परिवार का गतिविज्ञान:**एकल परिवार संरचना और उच्च कार्य दबाव ने भावनात्मक शून्यता पैदा कर दी है, जिससे माता-पिता की सहभागिता कम हो गई है।
- **डिजिटल अतिउत्तेजना:**सोशल मीडिया के डोपामाइन लूप आत्म-छवि को विकृत करते हैं और आवेगशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे आत्म-क्षति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है।

चुनौतियां प्रणालीगत अंध बिंदु:

- **चेतावनी संकेतों की अनदेखी:**शैक्षणिक गिरावट, मनोदशा में उतार-चढ़ाव और अलगाव जैसे संकेतों को अक्सर "सामान्य किशोर व्यवहार" के रूप में खारिज कर दिया जाता है।
- **चिकित्सा अंतराल:**आयु-उपयुक्त मनोरोग सेवाओं तक सीमित पहुंच है, जिसके कारण उपचार न किए जाने पर आघात, चिंता और अवसाद की स्थिति पैदा होती है।
- **प्रवर्तन मुद्दे:**न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद, स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के संबंध में नियामक प्रवर्तन अपर्याप्त है।

आगे बढ़ने का रास्ता बुनियादी ढांचे का ओवरहाल:

- **अनिवार्य परामर्श:**100 से अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूलों को पूर्णकालिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करनी होगी तथा गोपनीय संकट-हस्तक्षेप दल स्थापित करने होंगे।
- **हेल्पलाइन:**उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए अनिवार्य अनुवर्ती प्रोटोकॉल के साथ समर्पित हेल्पलाइनों का एकीकरण।

शैक्षणिक सुधार:

- **समग्र मूल्यांकन:**उच्च-दांव वाली परीक्षाओं से हटकर परियोजना-आधारित शिक्षण और चरणबद्ध मूल्यांकन की ओर कदम बढ़ाएं।
- **दबाव प्रबंधन:**कोचिंग सेंटरों को विनियमित करें, होमवर्क के बोझ को सीमित करें, तथा परीक्षा कार्यक्रम के आसपास "बफर दिन" लागू करें।

क्षमता निर्माण:

- **शिक्षक प्रशिक्षण:**बी.एड. और सेवाकालीन कार्यक्रमों दोनों में मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना।
- **भावनात्मक साक्षरता:**पाठ्यक्रम में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (एसईएल) को एकीकृत करें, संघर्ष समाधान, सहानुभूति और तनाव प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करें।

हितधारक सहभागिता:

- **माता-पिता की भागीदारी:**परिवार-विद्यालय सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वच्छता और सहायक संचार पर कार्यशालाएं आयोजित करें।
- **सुरक्षा ऑडिट:**शिक्षकों के आचरण, शिकायत निवारण और सुरक्षा मानकों पर आवधिक ऑडिट अनिवार्य करें।

निष्कर्ष

छात्रों की आत्महत्याओं का बढ़ता सिलसिला सिर्फ़ कुछ छिटपुट घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का लक्षण है जो पोषण करने के बजाय दबाव डालती है। भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए एक बुनियादी ढाँचागत बदलाव की ज़रूरत है, स्कूलों को सहानुभूतिपूर्ण और सुरक्षित स्थानों में बदलना होगा जहाँ शैक्षणिक सफलता के साथ-साथ भावनात्मक कल्याण को भी प्राथमिकता दी जाए।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)

प्रसंग

राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को उल्लेखनीय बढ़ावा देते हुए, भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में ₹5,000 करोड़ की लागत वाली 125 बीआरओ बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह आयोजन संगठन के इतिहास में परियोजनाओं का सबसे बड़ा एक दिवसीय शुभारंभ है, जो मज़बूत सीमा संपर्क के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है।

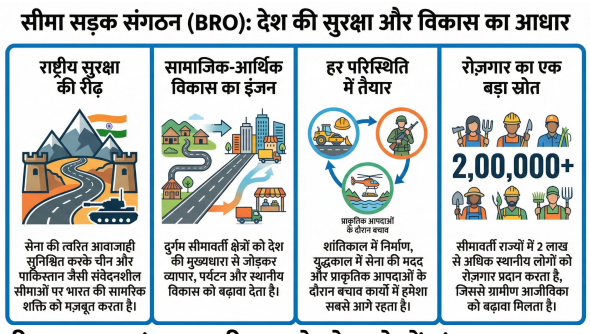

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के बारे में संगठनात्मक प्रोफ़ाइल:

- **परिभाषा:**बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन प्रमुख सड़क निर्माण कार्यकारी बल के रूप में कार्य करता है, जिसका कार्य भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र देशों में सामरिक बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव करना है।
- **स्थापना:**7 मई 1960 को स्थापित।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **मूल निकाय:**सीमा सड़क विकास बोर्ड (बीआरडीबी)।

मुख्य उद्देश्य:

- **रणनीतिक समर्थन:**उच्च गुणवत्ता वाले, समयबद्ध बुनियादी ढांचे की आपूर्ति के माध्यम से सशस्त्र बलों की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **क्षेत्रीय विकास:**दुर्गम एवं दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना।

परिचालन अधिदेश शांतिकालीन भूमिका:

- **बुनियादी ढांचे का विकास:**वर्ष भर सम्पर्कता सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चालू सड़कों का निर्माण और रखरखाव।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:**अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान और श्रीलंका सहित मित्र देशों में रणनीतिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- **सामाजिक-आर्थिक सहायता:**स्थानीय आबादी के लिए पहुंच और कनेक्टिविटी में सुधार करके दूरदराज के इलाकों का उत्थान करना।

युद्धकालीन भूमिका:

- **तार्किक आधार:**सैन्य गतिशीलता और रसद आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सड़कों का निर्माण और रखरखाव आवश्यक है।
- **मार्ग निकासी:**प्रतिकूल परिस्थितियों में बर्फ, भूस्खलन और हिमस्खलन को साफ करके महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों को खुला रखना।
- **आपातकालीन कार्य:**संघर्ष संचालनों को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा निर्देशित अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के कार्यों का निष्पादन करना।

व्यापक दायरा और क्षमताएँ तकनीकी एवं मानव संसाधन:

- **चरम इंजीनियरिंग:**चरम जलवायु क्षेत्रों और उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों के निर्माण में विशेषज्ञता।

RACE IAS

- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी:**परिचालन गति को बढ़ाने के लिए क्लास-70 मॉड्यूलर ब्रिज जैसे घरेलू नवाचारों का उपयोग किया जाता है।
- **रोजगार सृजन:**2 लाख से अधिक स्थानीय श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, जो सीमावर्ती राज्यों में ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

आपदा प्रबंधन:

- **पहली उत्तरदाता:**सुनामी, भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा:

- **रणनीतिक गतिशीलता:**चीन और पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सीमाओं पर, विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, सैन्य प्रतिक्रिया और गतिशीलता को बढ़ाता है।

आर्थिक एवं भू-राजनीतिक प्रभाव:

- **कनेक्टिविटी:**व्यापार, पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा देता है, तथा दूरस्थ क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ता है।
- **बुनियादी ढांचा कूटनीति:**आसपास के देशों में विकास साझेदारी के माध्यम से भारत के भू-राजनीतिक प्रभाव और पड़ोस तक पहुंच को मजबूत करना।

निष्कर्ष

सीमा सड़क संगठन (BRO) भारत की व्यापक रक्षा रणनीति का एक स्तंभ है। सशस्त्र बलों की तात्कालिक रसद आवश्यकताओं और सीमावर्ती क्षेत्रों के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाकर, BRO यह सुनिश्चित करता है कि भारत की सीमाएँ सुरक्षित और जुड़ी रहें।

हिंदू विकास दर

प्रसंग

प्रधानमंत्री ने हाल ही में "हिंदू विकास दर" वाक्यांश की आलोचना की, इसे एक औपनिवेशिक और सांप्रदायिक टैग करार दिया जो भारत के पिछले आर्थिक विकास को अनुचित रूप से जोड़ता है।

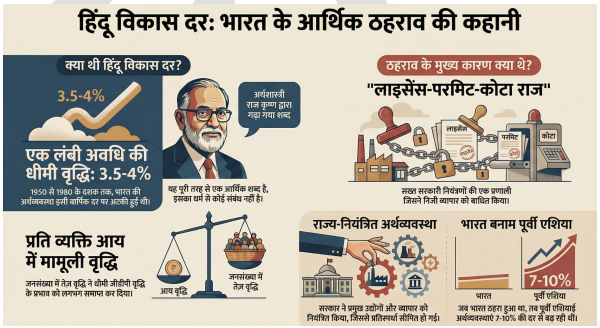

हिंदू विकास दर के बारे में परिभाषा और उत्पत्ति:

- **इसका क्या मतलब है:**यह शब्द कम वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की एक लम्बी अवधि को संदर्भित करता है, जो लगभग 3.5% से 4% थी, जो 1950 के दशक से 1980 के दशक तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता थी।
- **शब्द की प्रकृति:**यह कड़ाई से दीर्घकालिक वास्तविक जीडीपी प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है और धर्म और आर्थिक व्यवहार के बीच किसी तकनीकी संबंध का संकेत नहीं देता है।
- **मूल:**यह शब्द अर्थशास्त्री द्वारा गढ़ा गया था**Raj Krishna**1970 के दशक के अंत में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (जिसे व्यापक रूप से 1978 के रूप में उद्धृत किया जाता है) में प्रकाशित हुआ था।

युग की प्रमुख विशेषताएँ

- **लगातार ठहराव:**तीन दशकों तक, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 3.5-4% के स्तर पर अटकी रही। इस अवधि में उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण, प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि न्यूनतम रही।
- **अलगाव से लेकर सदमे तक:**अर्थशास्त्रियों ने कहा कि यह वृद्धि दर आश्चर्यजनक रूप से स्थिर या "स्थिर" थी, चाहे युद्ध, सूखा, अकाल या राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन जैसे बाह्य या आंतरिक झटके क्यों न हों।
- **"लाइसेंस राज" कारक:**इस ठहराव का मुख्य कारण "लाइसेंस-परमिट-कोटा राज" है, जो एक अत्यधिक प्रतिबंधात्मक प्रणाली है, जिसमें औद्योगिक लाइसेंसिंग, आयात प्रतिस्थापन, उच्च टैरिफ और निजी उद्यम स्वतंत्रता का अभाव शामिल है।
- **राज्य-प्रधान मॉडल:**अर्थव्यवस्था "मिश्रित" थी, लेकिन मुख्य उद्योगों, वित्तीय ऋण और व्यापार पर राज्य नियंत्रण की ओर अत्यधिक झुकी हुई थी, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और विदेशी निवेश बाधित हो रहा था।

तुलनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ वैश्विक कंट्रास्ट:

- **पूर्वी एशियाई चमत्कार:**जबकि भारत 3.5% की वृद्धि दर पर सुस्त पड़ा रहा, पूर्वी एशिया की समकक्ष अर्थव्यवस्थाएं (जैसे दक्षिण कोरिया और ताइवान) 7-10% की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ीं, जो उपनिवेशवादोत्तर युग के दौरान भारत के सापेक्ष कमज़ोर प्रदर्शन को उजागर करता है।

बदलाव:

- **1991 से पूर्व बदलाव:**आम धारणा के विपरीत, "हिंदू विकास दर" से यह बदलाव 1991 के उदारीकरण से पहले ही शुरू हो गया था। अध्ययनों से पता चलता है कि 1980 के दशक में व्यापार-समर्थक सुधारों और क्रमिक विनियमन-मुक्ति के कारण विकास दर लगभग 5.6-5.8% तक पहुँच गई थी।

निष्कर्ष

"हिंदू विकास दर" एक ऐतिहासिक आर्थिक संकेतक के रूप में कार्य करती है जो भारत की प्रारंभिक केंद्रीय योजना और अंतर्मुखी नीतियों की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आज इसका प्रयोग अक्सर इस बात पर बहस छेड़ देता है कि क्या यह सांस्कृतिक नियतिवाद को दर्शाता है या केवल नीति-प्रेरित गतिरोध के एक बीते युग का वर्णन करता है।

अचानक समताप मंडलीय वार्मिंग (SSW) घटना

प्रसंग

मौसम विज्ञानियों ने दिसंबर 2025 में संभावित अचानक समताप मंडलीय वार्मिंग (SSW) घटना के बारे में चेतावनी जारी की है। इस घटना से ध्रुवीय भंवर के बाधित होने का खतरा है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में असामान्य रूप से ठंडी आर्कटिक हवा प्रवाहित होने की संभावना है।

अचानक समताप मंडलीय वार्मिंग (SSW) के बारे में

परिभाषा:

- **यह क्या है:**एसएसडब्ल्यू एक मौसम संबंधी घटना है, जिसमें समताप मंडल (पृथ्वी की सतह से लगभग 10-50 किमी ऊपर) के भीतर तापमान में तीव्र वृद्धि होती है, जो कभी-कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है।
- **प्राथमिक प्रभाव:**यह अस्थिर करता है ध्रुवीय **भंवर**, मजबूत पश्चिमी हवाओं का बैंड जो आमतौर पर आर्कटिक के चारों ओर घूमता है, अक्सर जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण मौसम संबंधी विसंगतियों को जन्म देता है।

तंत्र: यह कैसे घटित होता है

- **ध्रुवीय भंवर गठन:**सर्दियों के दौरान, आर्कटिक के चारों ओर तेज पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जिससे "समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर" बनता है, जो ध्रुव के ऊपर जमी हुई हवा को प्रभावी रूप से रोक लेता है।
- **रॉस्बी तरंगों द्वारा हस्तक्षेप:** रॉस्बी तरंगों के रूप में जानी जाने वाली बड़ी वायुमंडलीय गड़बड़ी निचले वायुमंडल (क्षोभमंडल) से समताप मंडल में उठती है, जिससे ऊर्जा स्थानांतरित होती है जो भंवर की स्थिरता को बिगाड़ देती है।
- **लहर तोड़ना:**समुद्री लहरों के टकराने की तरह, ये वायुमंडलीय लहरें भंवर से "टूट" जाती हैं। इससे पश्चिमी हवाओं की दिशा कमज़ोर हो सकती है या उलट भी सकती है, जिससे ध्रुवीय पवन प्रणाली अस्त-व्यस्त हो सकती है।
- **तीव्र संपीड़न और वार्मिंग:**जैसे ही यह कमज़ोर प्रणाली ढहती है, ठंडी समताप मंडलीय हवा तेज़ी से नीचे उतरती है। जैसे ही यह नीचे जाती है, यह संपीड़ित होती है और तेज़ी से गर्म होती है, जिससे तापमान में अचानक वृद्धि होती है जो इस घटना को परिभाषित करती है।
- **विस्थापन:**बाधित भंवर दक्षिण की ओर विभाजित या बह सकता है, जिससे फंसी हुई आर्कटिक हवा मध्य अक्षांशों में फैल सकती है, जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप या एशिया में शीत प्रकोप शुरू हो सकता है।

प्रमुख विशेषताऐं

- **तीव्र तापमान वृद्धि:**समताप मंडल का तापमान कुछ ही दिनों में 50°C तक बढ़ सकता है।
- **हवा का उलटाव:**आमतौर पर पश्चिमी हवाएं धीमी हो जाती हैं या पीछे हटकर पूर्वी हवाएं बन जाती हैं।
- **विलम्ब प्रभाव:**सतही मौसम पर प्रभाव तत्काल नहीं होता; प्रभाव आमतौर पर प्रकट होता है**1–3 सप्ताह समताप** मंडलीय घटना के बाद।
- **अनियमितता:**एसएसडब्ल्यू घटनाएं हर सर्दियों में नहीं होती हैं, और हर घटना सतह के मौसम पर बड़े प्रभाव की गारंटी नहीं देती है।

आशय मौसम प्रभाव:

- **ठण्ड के झटके:**उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अचानक, गंभीर शीत लहरें, बर्फानी तूफान और लंबे समय तक जमने वाली स्थितियां पैदा हो सकती हैं।
- **वायुमंडलीय अवरोधन:**तूफान के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है तथा उत्तरी अटलांटिक पर उच्च दबाव वाले "ब्लॉक" स्थापित हो सकते हैं, जिससे मौसम का पैटर्न स्थिर हो सकता है।

पूर्वानुमान संबंधी चुनौतियाँ:

- **पूर्वानुमान:**7-10 दिन की अवधि के बाद सटीक भविष्यवाणियां करना कठिन होता है।
- **अनिश्चितता:**मौसम संबंधी मॉडल अक्सर यह पता लगाने में कठिनाई महसूस करते हैं कि आर्कटिक वायु का विस्थापित क्षेत्र वास्तव में कहां पहुंचेगा।

निष्कर्ष

यद्यपि समताप मंडल में अचानक होने वाली गर्मी वायुमंडल में ऊँचाई पर उत्पन्न होती है, लेकिन हवा के रुख को उलटने और ध्रुवीय वायु को विस्थापित करने की इसकी क्षमता इसे उत्तरी गोलार्ध में भीषण सर्दियों के मौसम का एक प्रमुख कारण बनाती है। मध्य-अक्षांश क्षेत्रों में संभावित शीत प्रकोपों की तैयारी के लिए इन घटनाओं की निगरानी आवश्यक है।

Dadabhai Naoroji

प्रसंग

2025 में, भारत दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाएगा। यह समारोह एक अग्रणी राष्ट्रवादी नेता, एक प्रखर आर्थिक विचारक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संस्थापक वास्तुकारों में से एक के रूप में उनकी स्थायी विरासत का सम्मान करता है।

दादाभाई नौरोजी प्रोफ़ाइल के बारे में:

- **वह कौन थे:** दादाभाई नौरोजी (1825-1917) एक विद्वान, समाज सुधारक और ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे।
- **प्रारंभिक जीवन:**4 सितम्बर 1825 को बम्बई (कुछ अभिलेखों के अनुसार नवसारी) में एक पारसी परिवार में जन्मे।
- **शिक्षा:**वह एल्फिन्स्टन इंस्टीट्यूट में एक उत्कृष्ट छात्र थे और बाद में पहले **भारतीय प्रोफेसर एल्फिन्स्टन** कॉलेज में गणित और प्राकृतिक दर्शनशास्त्र पढ़ाते हैं।

आर्थिक योगदान: निकासी सिद्धांत

- **सिद्धांत:**नौरोजी ने औपनिवेशिक आख्यान को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया।**"धन की निकासी" सिद्धांत उन्होंने** दिखाया कि किस प्रकार ब्रिटेन प्रशासनिक वेतन, पेंशन, धन प्रेषण और असमान व्यापार प्रथाओं के माध्यम से भारत के संसाधनों को खत्म कर रहा है।
- **प्रमुख कार्य:**मौलिक पुस्तक लिखी भारत *में गरीबी और गैर-ब्रिटिश शासन* और *भारत की गरीबी.*
- **प्रभाव:**उनकी वकालत के कारण**वेल्बी आयोग (1895)**भारतीय व्यय की जाँच के लिए गठित आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने स्वदेशी और राजकोषीय आत्मनिर्भरता की बौद्धिक नींव रखी।

राजनीतिक यात्रा

- **संसदीय अग्रणी:**1892 में, वह पहले **भारतीय संसद ब्रिटिश** हाउस ऑफ कॉमन्स में, लिबरल पार्टी के टिकट पर सेंट्रल फिन्सबरी से चुने गए।
- **कांग्रेस नेतृत्व:**के संस्थापक सदस्य भारतीय **राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी)**उन्होंने तीन बार (1886, 1893 और 1906) इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- **स्वराज का आह्वान:**1906 के ऐतिहासिक कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए, वे आधिकारिक तौर पर इसे अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे**"Swaraj"**(स्वशासन) को कांग्रेस का राष्ट्रीय लक्ष्य बताया।
- **एकीकृत आंकड़ा:**उन्होंने नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच सेतु का काम किया और गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे भविष्य के दिग्गजों को मार्गदर्शन दिया।

सामाजिक एवं संस्थागत सुधार

- **सामाजिक सुधार:**वह इसके कट्टर समर्थक थे महिला **शिक्षा और** सह-संस्थापक Rahnumai *Mazdayasan Sabha*(1851) पारसी समुदाय में सुधार के लिए।
- **पत्रकारिता:**गुजराती समाचार पत्र की स्थापना की *रास्ट गोफ़्तार*("द ट्रुथ टेलर") सामाजिक प्रगति का समर्थन करने के लिए।
- **शिक्षा:**ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने सिफारिशें प्रस्तुत की हंटर **आयोग (1882)**अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वकालत करना।
- **वैश्विक वकालत:**की स्थापना की लंदन **इंडियन सोसाइटी (1865)** और यह **ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (1866)**भारतीय शिकायतों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना और ब्रिटेन में समर्थन जुटाना।

अनोखे तथ्य

- **शीर्षक:**विश्व स्तर पर सम्मानित**"भारत के महानतम पुरुष"** और यह **"भारत के अनौपचारिक राजदूत।"**
- **शैक्षणिक प्रथम:**उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती पढ़ाया, जिससे विदेशों में भारतीयों के लिए प्रारंभिक शैक्षणिक बाधाएं समाप्त हो गईं।
- **डेटा-संचालित:**वह भारत में गरीबी की सीमा का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और उसे प्रमाणित करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग करने वाले पहले लोगों में से थे।

निष्कर्ष

दादाभाई नौरोजी केवल एक राजनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के बौद्धिक जनक भी थे। औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण का पर्दाफ़ाश करके और संवैधानिक ढाँचे के भीतर स्वशासन की माँग करके, उन्होंने वह ज़मीन तैयार की जिस पर अंततः भारत की आज़ादी का संघर्ष लड़ा गया और जीता गया।

मानसिक स्वास्थ्य

प्रसंग

मेंटल हेल्थ एक बड़ी ग्लोबल चिंता बनकर उभरी है, जो टीनएजर्स और स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स और बुज़ुर्गों तक, ज़िंदगी के हर पड़ाव पर असर डाल रही है। अकेलेपन और एंग्जायटी जैसी समस्याओं का बढ़ता फैलाव सिस्टम में दखल की तुरंत ज़रूरत को दिखाता है।

मानसिक स्वास्थ्य के बारे में

दायरा: मेंटल हेल्थ सिर्फ़ कुछ खास डेमोग्राफिक्स तक सीमित नहीं है; यह इन पर असर डालता है:

- **टीनएजर्स/स्टूडेंट्स:** पढ़ाई और साथियों के दबाव का सामना करना।
- **वर्किंग प्रोफेशनल्स:** करियर में अकेलेपन और फाइनेंशियल स्ट्रेस से निपटना।
- **बुज़ुर्ग:** अक्सर अकेलेपन और अकेलेपन से परेशान रहते हैं।
- **माता-पिता:** परिवार और समाज की उम्मीदों को मैनेज करना।

प्रमुख कारण:

- **समाज और पढ़ाई का दबाव:** नंबर, करियर में सफलता और समाज में नाम कमाने को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें।
- **डिजिटल प्रभाव: सोशल मीडिया** का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल डिप्रेशन, एंग्जायटी और **फियर ऑफ़ मिसिंग आउट (FOMO) को बढ़ाता है** ।
- **पर्सनल फैक्टर्स:** रिलेशनशिप इश्यूज (ब्रेकअप, मैरिटल स्ट्रेस), ओवरथिंकिंग, और बायोलॉजिकल/साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोज़िशन।
- **सामाजिक-आर्थिक कारण:** आर्थिक दबाव, सामाजिक संकट, आर्थिक भेदभाव और सांस्कृतिक नुकसान।

मानसिक स्वास्थ्य से निपटने में चुनौतियाँ

अज्ञानता और कलंक: एक बड़ी रुकावट यह है कि मेंटल हेल्थ को एक सही मेडिकल समस्या के तौर पर नहीं पहचाना जाता। लक्षणों को अक्सर "ड्रामा" कहकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, या व्यक्ति को "पागल" जैसे लेबल से बदनाम कर दिया जाता है।

बुनियादी ढांचा और पहुंच का अंतर:

- **प्रोफेशनल्स की कमी:** ट्रेंड डॉक्टरों और साइकेट्रिस्ट की बहुत कमी है।
- **इलाज में कमी: मेंटल हेल्थ की दिक्कतों से परेशान** लगभग **60% से 70%** लोगों को इलाज सस्ता होने या सुविधाओं की कमी की वजह से ठीक से देखभाल नहीं मिल पाती।

रेज़िलिएंस ट्रेनिंग की कमी: मौजूदा एजुकेशन और सोशल सिस्टम लोगों को ज़रूरी लाइफ स्किल्स, जैसे **फेलियर से निपटना** , क्रिटिसिज़्म से निपटना, और मुश्किल सोशल इंटरैक्शन को समझने में ट्रेन करने में फेल हो जाते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

संस्थागत समर्थन:

- **वर्कफोर्स:** ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या तुरंत बढ़ाएं।
- **सपोर्ट सिस्टम: स्कूलों, कॉलेजों और काम की जगहों पर** परमानेंट मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट रखें ।

सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव:

- **खुली बातचीत:** इस स्टिग्मा को खत्म करने के लिए परिवारों और सोशल सर्कल में मेंटल वेलनेस के बारे में बातचीत को नॉर्मल बनाएं।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** लोगों को फेलियर और क्रिटिसिज्म के खिलाफ इमोशनल रेजिलिएंस बनाने की ट्रेनिंग देने पर फोकस करें।

जीवनशैली एकीकरण:

- मेंटल बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी तरीकों के तौर पर **फिजिकल एक्टिविटी और योग** को बढ़ावा दें ।

निष्कर्ष

मेंटल हेल्थ की समस्या से निपटने के लिए दो तरीके अपनाने होंगे: एक तो मज़बूत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और दूसरा एक ऐसा दयालु समाज बनाना जो मेंटल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ जितनी ही गंभीरता से देखे। जीतने से ज़्यादा वेलनेस को प्राथमिकता देना एक हेल्दी समाज की ओर पहला कदम है।

स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार

प्रसंग

भारत में स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ी मुख्य चुनौती हेल्थकेयर सुविधाओं का तेज़ी से कमर्शियलाइज़ेशन और सरकारी खर्च काफ़ी नहीं होना है। इस दोहरी स्थिति ने आम लोगों के लिए बराबर पहुँच में बड़ी रुकावटें पैदा की हैं।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियाँ

पहुंच और सामर्थ्य का अंतर: डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों की मांग और आपूर्ति के बीच गंभीर अंतर है।

- **क्षेत्रीय असमानता:** स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से सुलभ नहीं हैं, जिससे अक्सर मरीजों को गंभीर चिकित्सा उपचार के लिए **100-150 किमी की यात्रा करनी पड़ती है।**

कमर्शियलाइज़ेशन और प्राइवेटाइज़ेशन: सरकार के पीछे हटने की इच्छा ने प्राइवेटाइज़ेशन को बढ़ावा दिया है।

- **लाभ बनाम देखभाल:** निजी अस्पताल अक्सर रोगी देखभाल से अधिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं, जिससे आम जनता के लिए सुविधाएं अफोर्डेबल नहीं रह जाती हैं।

ज़्यादा आउट-ऑफ़-पॉकेट खर्च (OOPE): दुनिया भर में भारत में OOPE की दरें सबसे ज़्यादा हैं।

- **मुख्य खर्च:** मरीज़ का ज़्यादातर खर्च दवाओं, डायग्नोस्टिक टेस्ट (जो अक्सर बिना ज़रूरत के लिखे जाते हैं), और आने-जाने के खर्च पर जाता है।

कम फाइनेंशियल एलोकेशन: पब्लिक हेल्थ के लिए भारत का फाइनेंशियल कमिटमेंट दुनिया में सबसे कम है।

- **बजट में हिस्सा: यूनियन बजट का** सिर्फ़ 2% हिस्सा ही हेल्थ सर्विसेज़ के लिए दिया जाता है।
- **प्रति व्यक्ति खर्च:** स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी खर्च केवल **$25 है** ।

दवा का खर्च:

- **प्राइस कंट्रोल:** भारत में 80% से ज़्यादा **दवाएँ प्राइस कंट्रोल सिस्टम से बाहर हैं।**
- **मार्केट की दिक्कतें:** इससे रिटेल में ज़्यादा मार्कअप, गलत मार्केटिंग के तरीके, और गलत दवाओं के कॉम्बिनेशन बढ़ जाते हैं।

सरकारी योजनाएँ बनाम बुनियादी ढाँचा

आयुष्मान भारत योजना: सरकार आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के ज़रिए हेल्थ एक्सेस को सपोर्ट करती है, जो सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए **हर परिवार को हर साल ₹5 लाख देती है।**

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: इस फाइनेंशियल कवर के बावजूद, अक्सर प्राइवेट अस्पतालों में फंड जाता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर **वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पतालों की कमी है। मजबूत**

पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

सार्वभौमिक कवरेज और बुनियादी ढांचा:

- **यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) को** तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है।
- **हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर** तेज़ी से बनाना होगा और रुकावटों को कम करने के लिए प्रोसेस को आसान बनाना होगा।

कार्यबल और विनियमन:

- **मेडिकल वर्कफोर्स:** डॉक्टरों और हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ाने की तुरंत ज़रूरत है।
- **प्राइस रेगुलेशन:** एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए मेडिकल टेस्ट और डायग्नोस्टिक्स की कॉस्ट को रेगुलेट किया जाना चाहिए।

नीतिगत उपाय:

- **प्राइस सीलिंग:** प्राइवेट अस्पतालों पर प्राइस कैप लगाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कम सुविधा वाले इलाकों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित न किया जाए।
- **बराबरी पर ध्यान:** समाज में बराबरी लाने के लिए हेल्थ और एजुकेशन दोनों तक सबकी पहुँच को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है।

तकनीकी:

- **डिजिटल हेल्थ: AI और ऑनलाइन प्राइमरी केयर** जैसे सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके दूर-दराज के इलाकों में पहुंच की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

हालांकि सरकारी योजनाएं फाइनेंशियल सुरक्षा देती हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल कमियों को दूर किए बिना स्वास्थ्य का अधिकार पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और कमर्शियल प्रैक्टिस को रेगुलेट करना ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि हेल्थकेयर सिर्फ़ एक कमोडिटी नहीं, बल्कि एक सर्विस है।

हाई कोर्ट के जज को हटाना

प्रसंग

यह विषय अभी चर्चा में है क्योंकि इंडिया अलायंस ने मद्रास हाई कोर्ट के जज, **जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव लाया है** ।

हाई कोर्ट के जज को हटाने के बारे में

टर्मिनोलॉजी: हालांकि इसे आम बोलचाल में "इंपीचमेंट" कहा जाता है, लेकिन भारत का संविधान जजों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। इसमें खास तौर पर **"रिमूवल" शब्द का इस्तेमाल किया गया है।**

हटाने की शर्तें: किसी जज को सिर्फ़ दो खास वजहों से हटाया जा सकता है:

1. **सिद्ध दुर्व्यवहार**
2. **सिद्ध अक्षमता**

अधिकार:

- **एक जैसा प्रोसेस:** हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जजों को हटाने का प्रोसेस एक जैसा है।
- **पार्लियामेंट्री एक्सक्लूसिव:** किसी जज को हटाने का अधिकार सिर्फ़ भारत की पार्लियामेंट को है; इस प्रोसेस में **राज्य विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है ।**

हटाने की प्रक्रिया

1. प्रस्ताव की शुरुआत: हटाने के प्रस्ताव को पेश करने से पहले कुछ खास सदस्यों के साइन होने चाहिए:

- लोकसभा में **100 सदस्य हैं ।**
- राज्य सभा में **50 सदस्य हैं ।**

2. पीठासीन अधिकारी की भूमिका: प्रस्ताव **स्पीकर** (अगर लोकसभा में हैं) या **चेयरपर्सन** (अगर राज्यसभा में हैं) को भेजा जाता है।

- **विवेक:** पीठासीन अधिकारी के पास प्रस्ताव को **स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होता है।**
- **कोई जवाबदेही नहीं:** अगर वे इसे मना करना चाहते हैं, तो उन्हें वजह बताने की ज़रूरत नहीं है।

3. जांच: अगर प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो **जजेस इंक्वायरी एक्ट, 1968 के तहत जांच शुरू की जाती है** (यह प्रक्रिया कानूनी है, संवैधानिक नहीं)। आरोपों की पूरी जांच करने के लिए **तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है।**

4. पार्लियामेंट में वोटिंग: अगर कमिटी जज को दोषी पाती है, तो प्रस्ताव वोटिंग के लिए पार्लियामेंट में वापस आ जाता है। इसे दोनों सदनों में **स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए।**

- **विशेष बहुमत परिभाषा:**
  - **(A) एब्सोल्यूट मेजॉरिटी:** हाउस की कुल संख्या का 50% से ज़्यादा (जैसे, अगर कुल संख्या 545 है तो 273)।
  - **(B) दो-तिहाई बहुमत:** कम से कम 2/3 सदस्य मौजूद हों और वोट दें।

5. आखिरी स्टेप: दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद, **भारत के प्रेसिडेंट** ऑर्डर पर साइन करते हैं, और जज को ऑफिशियली हटा दिया जाता है।

ऐतिहासिक नोट

आज तक, भारत में **किसी भी जज को सक्सेसफुली हटाया नहीं गया है** । यह ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए बनाए गए हटाने के प्रोसेस के सख्त और मुश्किल नेचर को दिखाता है।

निष्कर्ष

हटाने का तरीका एक ज़रूरी संवैधानिक सुरक्षा है, जो न्यायिक जवाबदेही और आज़ादी के बीच बैलेंस बनाता है। हालांकि इस प्रोसेस में कानूनी पहल शामिल है, लेकिन जांच और वोटिंग की सख्त ज़रूरतें यह पक्का करती हैं कि हटाया सिर्फ़ गलत काम या नाकाबिलियत साबित होने पर ही जाए।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)

प्रसंग

सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) आजकल चर्चा में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि इस एक्ट के तहत नागरिकता पूरी जांच के बाद ही दी जानी चाहिए, और इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह प्रोसेस ऑटोमैटिक नहीं है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के बारे में

- **बैकग्राउंड:** पहले, **1955 के सिटिज़नशिप एक्ट में** साफ़ तौर पर कहा गया था कि गैर-कानूनी माइग्रेंट्स को भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने से मना किया गया था।
- **मुख्य परिवर्तन (सीएए 2019):** सीएए, 2019 ने **बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे तीन पड़ोसी देशों के विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों को** नागरिकता के योग्य बनाने के लिए इस प्रावधान में संशोधन किया, जिससे नागरिकता आवेदन के उद्देश्य से अवैध प्रवासियों के रूप में उनकी स्थिति को प्रभावी रूप से अपराधमुक्त कर दिया गया।

प्रमुख प्रावधान

योग्य समूह: यह अधिनियम छह विशिष्ट समुदायों को छूट प्रदान करता है, जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा:

- **हिंदू**
- **सिख**
- **बौद्ध**
- **जैन**
- **पारसी**
- **ईसाई**

पात्रता मापदंड:

- **ओरिजिन:** एप्लिकेंट्स को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके यह साबित करना होगा कि वे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश से हैं।
- **कट-ऑफ डेट: उन्हें 31 दिसंबर 2014** को या उससे पहले भारत आना होगा ।
- **कानूनी सुरक्षा:** योग्य एप्लिकेंट को उनके गैर-कानूनी एंट्री या रहने से जुड़े क्रिमिनल केस, डिपोर्टेशन, या सज़ा से छूट दी जाती है।

प्रक्रिया और जांच

वेरिफिकेशन मैकेनिज्म: नागरिकता **ऑटोमैटिक नहीं होती है** । एप्लिकेंट्स को एक डिटेल्ड प्रोसेस से गुज़रना होगा जिसमें शामिल हैं:

- **स्क्रूटनी:** दावों की पूरी जांच।
- **बैकग्राउंड चेक:** सिक्योरिटी और लीगल वेरिफिकेशन।
- **डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन:** देश का प्रूफ़ और एंट्री की तारीख ज़रूरी है।

निष्कर्ष

CAA भारत के नागरिकता के फ्रेमवर्क में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जिसमें पड़ोसी देशों के सताए गए माइनॉरिटी को राहत देने को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों से यह पता चलता है कि यह एक्ट नागरिकता का रास्ता तो देता है, लेकिन यह कानूनी जांच और वेरिफिकेशन प्रोसेस का सख्ती से पालन करता है।

पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन

प्रसंग

दिसंबर 2025 में, भारत ने ऑफिशियली ट्रेडिशनल मेडिसिन पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यह इवेंट 17-19 दिसंबर, 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में होने वाला है।

समाचार के बारे में

इवेंट ओवरव्यू: यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) द्वारा बुलाई गई एक हाई-लेवल ग्लोबल हेल्थ समिट है, जिसका मकसद पॉलिसी कोलेबोरेशन और साइंटिफिक वैलिडेशन के ज़रिए ट्रेडिशनल, कॉम्प्लिमेंट्री और इंटीग्रेटिव मेडिसिन को आगे बढ़ाना है।

होस्टिंग और सपोर्ट:

- **को-होस्ट:** इस इवेंट को WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने को-होस्ट किया है।
- **इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट:** इसे गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर (GTMC) का सपोर्ट है।

थीम (2025): "संतुलन बहाल करना: स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास।"

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

- **सबूतों पर आधारित इंटीग्रेशन:** यह समिट पारंपरिक दवा के साइंटिफिक वैलिडेशन को प्राथमिकता देता है। इसमें क्वालिटी बेंचमार्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना और मज़बूत क्लिनिकल ट्रायल करना शामिल है।
- **डिजिटल हेल्थ और इनोवेशन:** शोकेस में AI से चलने वाले फार्माकोपिया, पारंपरिक ज्ञान के डिजिटल रिपॉजिटरी, और औषधीय पौधों के लिए पूरी बायोडायवर्सिटी मैपिंग शामिल होगी।
- **ग्लोबल पार्टिसिपेशन:** 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेशन के आने की उम्मीद है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर, पॉलिसीमेकर, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री लीडर और देसी मेडिसिन के प्रैक्टिशनर शामिल होंगे।
- **बायोडायवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी:** चर्चा में औषधीय पौधों की सस्टेनेबल सोर्सिंग और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी जैसे अलग-अलग सिस्टम के संरक्षण पर फोकस किया जाएगा।

शिखर सम्मेलन का महत्व

- **सॉफ्ट पावर को मज़बूत करना:** यह समिट भारत को पारंपरिक दवा के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करता है, जो योग की इंटरनेशनल सफलता और आयुर्वेद की बढ़ती साख पर आधारित है।
- **सहयोग को मज़बूत करना:** यह जामनगर में WHO-GTMC की स्ट्रेटेजिक भूमिका को बढ़ाता है, जो भारत

के पारंपरिक ज्ञान सिस्टम में दुनिया भर के बढ़ते भरोसे को दिखाता है।

- **हेल्थ सिस्टम इंटीग्रेशन:** यह इवेंट देशों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC), प्राइमरी हेल्थकेयर और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव में ट्रेडिशनल मेडिसिन को शामिल करने के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **पॉलिसी में तालमेल:** इसका मुख्य लक्ष्य एक दशक लंबा रोडमैप बनाना है जो यह पक्का करे कि सुरक्षित, बराबर और सबूतों पर आधारित पारंपरिक दवा को नेशनल हेल्थकेयर सिस्टम में शामिल किया जाए।
- **रिसर्च और डेवलपमेंट:** पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न मेडिकल स्टैंडर्ड के बीच के अंतर को कम करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च में लगातार इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है।

निष्कर्ष

दूसरा WHO ग्लोबल समिट पुराने ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है। दुनिया भर में सहयोग को बढ़ावा देकर और सबूतों पर आधारित तरीकों पर ज़ोर देकर, इस समिट का मकसद पारंपरिक दवा को पूरी दुनिया की सेहत के एक ज़रूरी हिस्से के तौर पर इंस्टीट्यूशनल बनाना है।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस (BCI)

प्रसंग

भारत हेल्थकेयर इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक टूल्स के तौर पर न्यूरोटेक्नोलॉजी और **ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) को एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा है** , और US, चीन और यूरोप की ग्लोबल तरक्की के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस (BCI) के बारे में

- **परिभाषा:** BCI एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रेन सिग्नल को समझता है और उन्हें कंप्यूटर, रोबोटिक लिंब या व्हीलचेयर जैसे बाहरी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल कमांड में बदलता है।
- **कोर फंक्शन:** यह दिमाग और मशीनों के बीच **दो-तरफ़ा कम्युनिकेशन चैनल बनाता है। यह टेक्नोलॉजी खोए हुए बायोलॉजिकल फंक्शन को ठीक करने या पूरी तरह से नई क्षमताएं बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है।**

यह काम किस प्रकार करता है

- **सिग्नल कैप्चर:** इलेक्ट्रोड (जो इनवेसिव इम्प्लांट या नॉन-इनवेसिव वियरेबल हो सकते हैं) न्यूरॉन्स से पैदा हुई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं।
- **न्यूरल डिकोडिंग: मशीन लर्निंग एल्गोरिदम** इन रिकॉर्ड किए गए पैटर्न को यूज़र के खास इरादों में बदल देते हैं (जैसे, कोई अक्षर चुनना या हाथ हिलाना)।
- **डिवाइस कंट्रोल:** डिकोड किए गए सिग्नल का इस्तेमाल बाहरी डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, जिसमें रोबोटिक लिंब और स्पीच सिंथेसाइज़र से लेकर ड्रोन और स्मार्ट-होम सिस्टम तक शामिल हैं।
- **फीडबैक लूप:** यह सिस्टम समय के साथ एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए लगातार डिकोडिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे रियल-टाइम ब्रेन-मशीन इंटरैक्शन आसान हो जाता है।

प्रमुख विशेषताएं

- **डायरेक्ट ब्रेन-मशीन लिंक:** यह खराब नर्व या मसल पाथवे को असरदार तरीके से बायपास करता है, जिससे यह पैरालाइज्ड मरीजों के लिए एक ज़रूरी टेक्नोलॉजी बन जाती है।
- **कई तरह से इस्तेमाल:** इसमें इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रोड से लेकर ज़्यादा सटीक इस्तेमाल वाले पहनने लायक **EEG डिवाइस तक के ऑप्शन हैं** , जो रोज़ाना सुरक्षित इस्तेमाल के लिए हैं।
- **रियल-टाइम रिस्पॉन्स:** AI का इंटीग्रेशन सिग्नल डिकोडिंग को तेज़ करता है, जिससे तेज़ और नेचुरल कंट्रोल मिलता है।
- **दोनों दिशाओं में काम करने की क्षमता:** नई BCI टेक्नोलॉजी दिमाग को काम करने के तरीके को ठीक करने या खास बीमारियों का इलाज करने के लिए भी बढ़ावा दे सकती हैं।

अनुप्रयोग

- **मेडिकल रिहैबिलिटेशन:** BCIs रोबोटिक अंगों का इस्तेमाल करके पैरालाइज्ड मरीजों में मोबिलिटी वापस लाने में मदद करते हैं। वे "लॉक्ड-इन" मरीजों को न्यूरल स्पेलर या गेज़-बेस्ड टाइपिंग के ज़रिए बातचीत करने में भी मदद करते हैं।
- **न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट:** इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल **स्ट्रोक, पार्किंसंस और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है** । इसके लिए दिमाग के खास हिस्सों को स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे लंबे समय तक आम दवाओं पर निर्भरता कम हो सकती है।
- **असिस्टिव टेक्नोलॉजी:** BCIs मोटर-इम्पेयर्ड लोगों को सोच-समझकर दिए गए कमांड से स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने में मदद करती हैं, जिससे उनकी आज़ादी काफी बढ़ जाती है।
- **डिफेंस और सिक्योरिटी:** डिफेंस सेक्टर में, BCIs सैनिकों को ड्रोन झुंड या कम्युनिकेशन सिस्टम को दिमागी तौर पर कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इस एप्लिकेशन से गंभीर नैतिक, कानूनी और सिक्योरिटी रिस्क पैदा होते हैं।

निष्कर्ष

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सिस्टम के बीच के अंतर को कम करने में एक बड़ा बदलाव दिखाते हैं। हालांकि वे हेल्थकेयर और असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी क्षमता देते हैं, लेकिन डिफेंस जैसे सेक्टर में उनके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एथिकल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान से पालन करना ज़रूरी है।

सेना स्पेक्टेबिलिस

प्रसंग

तमिलनाडु ने भारत के सबसे बड़े **इनवेसिव-स्पीशीज़ उन्मूलन अभियानों में से एक शुरू किया है, जिसका लक्ष्य** मार्च 2026 तक सभी वन प्रभागों से *सेना स्पेक्टेबिलिस* को पूरी तरह से हटाना है ।

सेना स्पेक्टेबिलिस के बारे में

परिभाषा: *सेन्ना स्पेक्टेबिलिस* एक तेज़ी से बढ़ने वाला, पीले फूल वाला पेड़ है जो फलीदार परिवार (फैबेसी) से जुड़ा है। हालांकि इसे बड़े पैमाने पर सजावटी और छायादार पेड़ के तौर पर लगाया जाता है, लेकिन अब इसे भारत, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में एक **बहुत ज़्यादा फैलने वाली बाहरी प्रजाति के तौर पर पहचाना जाता है।**

उत्पत्ति और वितरण:

- **मूल स्थान:** दक्षिण और मध्य अमेरिका (ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, वेनेजुएला)।
- **भारत में:** इसने **नीलगिरी, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, अनाईकट्टी** और पश्चिमी घाट के दूसरे हिस्सों में इकोसिस्टम पर तेज़ी से हमला किया है।

प्राकृतिक वास:

- **सूखे से नमी वाले पतझड़ वाले जंगलों** , खराब जंगलों, सवाना और अच्छी पानी निकलने वाली मिट्टी में पनपता है ।
- **पूरी धूप** पसंद है , यह खराब मिट्टी में भी अच्छी तरह से उग जाता है, और ज़्यादा बीज पैदा करके आसानी से फैलता है।

मुख्य विशेषताएं

- **ग्रोथ:** यह 7–18 m लंबा होता है, और घना, फैला हुआ क्राउन बनाता है जो मोटी कैनोपी बनाता है।
- **दिखावट:** इसमें चमकीले **पीले फूल** और लंबी **खुलने वाली फली** (15–30 cm) होती है जिसमें कई सख्त परत वाले बीज होते हैं।
- **व्यवहार:** पत्तियां **निक्टिनेस्टी दिखाती हैं** (वे रात में बंद हो जाती हैं और सुबह खुलती हैं)।
- **पारंपरिक इस्तेमाल:** जलाने की लकड़ी, सजावटी पौधे, छाया और छोटे औजार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है।
- **IUCN स्टेटस: कम चिंता वाली** श्रेणी में वर्गीकृत ।

पारिस्थितिक निहितार्थ

- **बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा:** यह घने मोनोकल्चर बनाकर **देसी पेड़-पौधों को दबा देता है, जिससे पूरी जंगल की बायोडायवर्सिटी असरदार तरीके से कम हो जाती है।**
- **जंगली जानवरों पर असर:** यह पेड़ हाथियों और हिरण जैसे शाकाहारी जानवरों के लिए **चारे की उपलब्धता को कम करता है** , जिससे जंगली जानवरों के आने-जाने के तरीके बदल सकते हैं।
- **आग का खतरा: सूखे बायोमास के जमा होने से जंगल में आग लगने** का खतरा बढ़ जाता है ।
- **रीजेनरेशन के मुद्दे:** इससे कुदरती **जंगलों के रीजेनरेशन में देरी होती है** , जिससे इकोसिस्टम की लंबे समय की मज़बूती को खतरा होता है।

निष्कर्ष

सेना स्पेक्टेबिलिस का तेज़ी से फैलना भारत के जंगल के इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। तमिलनाडु का इसे खत्म करने का अभियान वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल बैलेंस को ठीक करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

प्रसंग

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने ऑफिशियली भारत के **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम माना है। UPI अब **दुनिया भर के सभी रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट का 49% हिस्सा है** , जो इसे ब्राजील, थाईलैंड और चीन जैसी बड़ी इकॉनमी से बहुत आगे रखता है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बारे में

परिभाषा: UPI भारत का तुरंत, रियल-टाइम, इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बैंक-टू-बैंक ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इसे **NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया) चलाता है और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI)** इसे रेगुलेट करता है ।

मूल:

- **कॉन्सेप्ट:** NPCI ने इसे अलग-अलग पेमेंट सिस्टम को एक सिंगल इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म के तहत एक करने के लिए डिज़ाइन किया है।
- **लॉन्च: इसे अप्रैल 2016 में** तत्कालीन RBI गवर्नर **रघुराम राजन द्वारा** पायलट के तौर पर लॉन्च किया गया था ।

प्रमुख विशेषताऐं

- **रियल-टाइम पेमेंट:** 5 सेकंड से कम समय में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा, 24×7 उपलब्ध।
- **इंटरऑपरेबिलिटी:** अलग-अलग बैंकों, ऐप्स, **QR कोड** और मर्चेंट्स के साथ आसानी से काम करता है।
- **कम लागत / ज़ीरो MDR:** यह ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट को कम करके छोटे बिज़नेस और कंज्यूमर के बीच बड़े पैमाने पर अपनाने को पक्का करता है।
- **स्केलेबल आर्किटेक्चर:** इसे हर महीने बिना सिस्टम फेलियर के अरबों ट्रांज़ैक्शन को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **वर्सेटिलिटी:** P2P (पर्सन-टू-पर्सन), P2M (पर्सन-टू-मर्चेंट), ऑटोपे, UPI पर क्रेडिट लाइन, RuPay लिंकेज और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जैसे अलग-अलग फंक्शन को सपोर्ट करता है।

वैश्विक शेयर और IMF मान्यता

IMF की मान्यता: IMF की रिपोर्ट, *"बढ़ते रिटेल डिजिटल पेमेंट – इंटरऑपरेबिलिटी की वैल्यू"* UPI को **दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट-पेमेंट सिस्टम बताती है** ।

ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स (ACI वर्ल्डवाइड - प्राइम टाइम फॉर रियल-टाइम 2024):

- **UPI शेयर:** दुनिया भर में रियल-टाइम ट्रांज़ैक्शन का **49% ।**
- **आयतन: 129.3 बिलियन** ट्रांज़ैक्शन।

ग्लोबल तुलना: UPI दूसरे बड़े सिस्टम से काफी बेहतर परफॉर्म करता है:

- **ब्राज़ील (Pix):** 14%
- **थाईलैंड (प्रॉम्प्टपे):** 8%
- **चीन (यूनियनपे/वीचैट/अलीपे):** 6%

निष्कर्ष

IMF से यह पहचान भारत को तेज़ पेमेंट में **बिना किसी शक के ग्लोबल लीडर के तौर पर मज़बूत करती है** । UPI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और इसे अपनाना, फ़ाइनेंशियल एक्सेस को डेमोक्रेटाइज़ करने में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता को दिखाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रॉयल्टी

प्रसंग

जैसे-जैसे जेनरेटिव AI मॉडल बढ़ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। मुख्य झगड़ा AI डेवलपर्स के बीच है जो अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा ऑनलाइन डेटा इस्तेमाल करते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच है जिन्हें अपने काम के इस्तेमाल के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है।

समस्या

- **डेटा स्क्रैपिंग:** AI मॉडल (जैसे चैटबॉट को पावर देने वाले LLM) अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट से टेक्स्ट, इमेज और कोड को सिस्टमैटिक तरीके से "स्क्रैप" या हार्वेस्ट करते हैं।
- **मुआवज़े की कमी:** अभी, इस ओरिजिनल कंटेंट के क्रिएटर्स—लेखकों, कलाकारों और पब्लिशर—को तब कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाता जब उनके डेटा का इस्तेमाल AI रिस्पॉन्स जेनरेट करने या नया कंटेंट बनाने के लिए किया जाता है।

सरकारी प्रस्ताव

- **रेगुलेटरी फ्रेमवर्क:** सरकार अभी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट बना रही है, जिसका मकसद AI कंपनियों को उनके इस्तेमाल किए गए डेटा के लिए **रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस देने के लिए मजबूर करना है।**
- **मकसद:** उन कंटेंट क्रिएटर्स को सही मेहनताना देना जिनके डिजिटल एसेट्स इन सिस्टम्स की इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं।

चुनौतियां

- **लागू करने में मुश्किल:** खास AI आउटपुट को ट्रेनिंग डेटा के खास हिस्सों से जोड़ना टेक्निकली मुश्किल है, जिससे सही रॉयल्टी का कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
- **लिटिगेशन रिस्क:** ऐसे फ्रेमवर्क को लागू करने से मुकदमों की बाढ़ आ सकती है, क्योंकि स्टेकहोल्डर्स ओनरशिप, इस्तेमाल और वैल्यूएशन पर विवाद करेंगे।
- **इंडस्ट्री का रुख:** टेक्नोलॉजी सेक्टर इन तरीकों का ज़्यादातर विरोध करता है, अक्सर "फेयर यूज़" सिद्धांतों का हवाला देता है और तर्क देता है कि ऐसी फीस इनोवेशन और डेवलपमेंट को रोक सकती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **हाइब्रिड लाइसेंसिंग मॉडल:** एक टियर वाला सिस्टम बनाएं जहां एकेडमिक रिसर्च के लिए डेटा का इस्तेमाल खुला रहे, लेकिन कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए बातचीत वाले लाइसेंस या डेटा रिपॉजिटरी तक सब्सक्रिप्शन-बेस्ड एक्सेस की ज़रूरत हो।
- **टेक्नोलॉजिकल एट्रिब्यूशन: वॉटरमार्किंग और मेटाडेटा स्टैंडर्ड (जैसे, C2PA)** जैसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें , जो AI सिस्टम को ओरिजिनल सोर्स को ऑटोमैटिकली पहचानने और क्रेडिट देने में मदद करती हैं, जिससे सही रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिलती है।
- **ग्लोबल तालमेल:** भारत को G20 और WIPO जैसी इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ मिलकर स्टैंडर्ड ग्लोबल नियम बनाने चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि AI रेगुलेशन की वजह से टेक इन्वेस्टमेंट उन जगहों पर न जाए जहां कॉपीराइट कानून ढीले हैं।

निष्कर्ष

डिजिटल इकॉनमी के भविष्य के लिए AI की ज़बरदस्त ग्रोथ और इंसानी क्रिएटर्स के आर्थिक अधिकारों के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। रॉयल्टी लागू करने में टेक्निकल दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक सही कम्पेनसेशन मॉडल ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि इन एल्गोरिदम को चलाने वाली इंसानी क्रिएटिविटी आगे बढ़ती रहे।

पीएलआई योजना और डब्ल्यूटीओ विवाद

प्रसंग

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज की है । यह विवाद भारत की फ्लैगशिप इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर केंद्रित है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्म्स और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स पर सवाल उठ रहे हैं।

विवाद के बारे में आरोप:

- **मुख्य तर्क:** चीन का कहना है कि भारत की **प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI)** स्कीम WTO के तय नियमों का उल्लंघन करती है।
- **इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन:** बीजिंग का कहना है कि यह स्कीम "इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सिडी" की तरह काम करती है। उनका दावा है कि यह चीनी इम्पोर्ट की जगह लेने के लिए घरेलू प्रोडक्शन को गलत तरीके से सब्सिडी देती है, उनका कहना है कि इससे मार्केट में रुकावट

आती है और फेयर ट्रेड पर WTO के नियमों का उल्लंघन होता है।

पीएलआई योजना के बारे में लॉन्च और ओरिजिन:

- **समयरेखा:** यह योजना **2020 में शुरू की गई थी** ।
- **भू-राजनीतिक संदर्भ: इसे गलवान घाटी की घटना** के तुरंत बाद शुरू किया गया था , जो विदेशी देशों, विशेष रूप से चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए एक रणनीतिक कदम का संकेत था।

तंत्र:

- **इंसेंटिव स्ट्रक्चर:** सरकार घरेलू यूनिट्स में बने प्रोडक्ट्स से कंपनियों की **बढ़ती बिक्री के आधार पर उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है।**
- **टारगेट:** यह कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स (ACs, फ़ोन) से लेकर ज़रूरी पार्ट्स (सोलर PV मॉड्यूल) तक के सामान का लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बढ़ावा देता है।

उद्देश्य:

- **मैन्युफैक्चरिंग हब:** भारत को ग्लोबल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना।
- **आर्थिक असर:** रोज़गार पैदा करना (नौकरियां बनाना), एक्सपोर्ट बढ़ाना, इम्पोर्ट बिल कम करना, और करेंसी डेप्रिसिएशन को रोकना।

स्थिति वर्तमान प्रभाव:

- **कवरेज:** यह स्कीम अभी **14 खास सेक्टर में एक्टिव है** ।
- **फाइनेंशियल: इसने लगभग ₹1.88 लाख करोड़** का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है ।
- **रोज़गार:** इस पहल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग **12 लाख नौकरियाँ पैदा हुई हैं।**

आगे बढ़ने का रास्ता

- **लीगल डिफेंस स्ट्रैटेजी:** भारत को PLI स्कीम का ज़ोरदार बचाव करना चाहिए। इसके लिए उसे यह दिखाना होगा कि इंसेंटिव **प्रोडक्शन के नतीजों पर आधारित हैं** , न कि इम्पोर्टेड चीज़ों के बजाय घरेलू सामान इस्तेमाल करने की कानूनी ज़रूरत (लोकल कंटेंट की ज़रूरतें) पर। इससे यह रोक वाली सब्सिडी से अलग दिखेगी।
- **पॉलिसी में बदलाव:** सरकार को धीरे-धीरे **रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D)** और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ इंसेंटिव देने पर विचार करना चाहिए। ये एरिया आम तौर पर WTO की "ग्रीन बॉक्स" सब्सिडी के अंदर आते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्शन सपोर्ट की तुलना में इनमें केस होने की संभावना कम होती है।
- **ग्लोबल गठबंधन:** जैसे US (CHIPS Act) और EU जैसी दूसरी बड़ी इकॉनमी भी ऐसी ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कर रही हैं, भारत को इन देशों के साथ मिलकर WTO के नियमों को मॉडर्न बनाने पर ज़ोर देना चाहिए, जो सप्लाई चेन की मज़बूती और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नई सच्चाई को ध्यान में रखते हों।

निष्कर्ष

WTO विवाद ओपन ग्लोबल ट्रेड नियमों और नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बीच मुश्किल टकराव को दिखाता है। हालांकि PLI स्कीम भारत की मैन्युफैक्चरिंग को फिर से शुरू करने में एक कैटलिस्ट रही है, लेकिन इसकी लंबे समय की सफलता इन कानूनी चुनौतियों से निपटने पर निर्भर करेगी, साथ ही यह पक्का करेगी कि घरेलू इंडस्ट्री बिना किसी सरकारी मदद के ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनें।

दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया

प्रसंग

भारतीय संस्कृति के लिए एक अहम फैसले में, **दिवाली** (दीपावली) को **UNESCO की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में ऑफिशियली शामिल किया गया है** । यह पहचान इस त्योहार की गहरी सांस्कृतिक पहचान और दुनिया भर में इसकी मौजूदगी को दिखाती है।

समावेशन के लिए तर्क

- **जीवित विरासत:** UNESCO ने दिवाली को सिर्फ़ एक त्योहार के तौर पर नहीं, बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ने वाली एक बदलती सांस्कृतिक विरासत के तौर पर मान्यता दी है।
- **सोशल कोहेशन:** यह सेलिब्रेशन सोशल इन्क्लूजन को बढ़ावा देने और अलग-अलग कम्युनिटी को जोड़ने में बहुत ज़रूरी है।
- **कारीगरी के लिए सपोर्ट:** यह पारंपरिक हस्तशिल्प को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, खासकर **मिट्टी के दीयों** और सजावट के सामान के कारीगरी वाले प्रोडक्शन में।
- **पहचान:** यह त्योहार लाखों लोगों के लिए पहचान और निरंतरता का प्रतीक है।

यूनेस्को सूची पर पृष्ठभूमि

- **शुरुआत:** दुनिया भर में इनटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए **2008** में रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट बनाई गई थी ।
- **भारत की विरासत:** इस लिस्ट में भारत की मज़बूत मौजूदगी है, जिसमें परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स से लेकर पुराने रीति-रिवाज़ों तक, अलग-अलग तरह की एंट्री शामिल हैं।

पिछले भारतीय समावेश	वर्ग	तत्वों
परंपराएँ और अनुष्ठान	**अमूर्त सांस्कृतिक विरासत**	वैदिक मंत्रोच्चार; रामलीला; रम्माण (गढ़वाल); बौद्ध मंत्रोच्चार (लद्दाख); कुंभ मेला; दुर्गा पूजा; गरबा (गुजरात)

कला प्रदर्शन	**अमूर्त सांस्कृतिक विरासत**	कुटियाट्टम (संस्कृत थिएटर); मुडियेट्टु (केरल); कालबेलिया (राजस्थान); छऊ डांस; संकीर्तन (मणिपुर)
ज्ञान और कौशल	**अमूर्त सांस्कृतिक विरासत**	ठठेरा (पंजाब पीतल/तांबा शिल्प); योग; नवरोज़

महत्व

- **ग्लोबल वैलिडेशन:** यह शामिल करना दिवाली को एक खास कल्चरल एसेट के तौर पर इंटरनेशनल वैलिडेशन देता है।
- **जागरूकता:** हालांकि यह स्टेटस सीधे तौर पर फाइनेंशियल मदद नहीं देता है, लेकिन इससे दुनिया भर में इसकी पहचान काफ़ी बढ़ जाती है और त्योहार से जुड़ी परंपराओं को बनाए रखने के लिए बढ़ावा मिलता है।

द यूनिट – पायलट गोल्ड-बैक्ड डिजिटल ट्रेड करेंसी

प्रसंग

ग्लोबल फाइनेंशियल विकल्पों पर बढ़ती चर्चाओं के बीच, एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स का अंदाज़ा है कि **BRICS देश जल्द ही "द यूनिट"** नाम की एक पायलट डिजिटल ट्रेड करेंसी शुरू कर सकते हैं । हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह पहल क्रॉस-बॉर्डर सेटलमेंट में एक बड़ा संभावित बदलाव दिखाती है।

समाचार के बारे में अवधारणा:

- "द यूनिट" एक प्रस्तावित **डिजिटल, ब्लॉकचेन-बेस्ड करेंसी है** जिसे खास तौर पर BRICS देशों के बीच व्यापार निपटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह फिजिकल गोल्ड और सदस्य देशों की नेशनल करेंसी के कॉम्बिनेशन से सपोर्टेड है।

उत्पत्ति और विकास:

- **डेवलपर: इस पायलट प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड सिस्टम्स (IRIAS)** डेवलप कर रहा है ।
- **सपोर्ट:** खबर है कि इसे BRICS सदस्य देशों से इनफॉर्मल सपोर्ट मिला हुआ है।

प्राथमिक ऑब्जेक्ट:

- **डी-डॉलराइज़ेशन:** इंटरनेशनल ट्रेड के लिए US डॉलर पर दुनिया भर की निर्भरता कम करना।
- **स्टेबिलिटी:** टैंजिबल एसेट्स पर आधारित एक न्यूट्रल, स्टेबल सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट देना।
- **फाइनेंशियल आर्किटेक्चर: ग्लोबल साउथ** के लिए एक वैकल्पिक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ।

परिचालन तंत्र एसेट कंपोजिशन:

- **40% सोना:** करेंसी की कोर वैल्यू फिजिकल सोने पर आधारित है।
- **60% करेंसी बास्केट:** बाकी वैल्यू BRICS नेशनल करेंसी के बास्केट से ली जाती है।
- यह हाइब्रिड तरीका पांच बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में रिस्क को अलग-अलग करते हुए स्थिरता पक्का करता है।

मूल्यांकन और प्रौद्योगिकी:

- **डेली रीकैलिब्रेशन:** "द यूनिट" की कीमत रोज़ अपडेट की जाती है ताकि सोने के रेट और करेंसी वैल्यू में रियल-टाइम उतार-चढ़ाव दिख सके।
- **ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर:** ट्रांज़ैक्शन **कार्डानो ब्लॉकचेन** (परमिशन्ड लेजर) का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि सेटलमेंट सुरक्षित, ट्रेस करने लायक और टैम्पर-प्रूफ़ हैं।

उपयोग का दायरा:

- **सिर्फ़ सेटलमेंट:** इसका मकसद नेशनल करेंसी को बदलना नहीं है। इसके बजाय, यह सिर्फ़ **क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक टूल के तौर पर काम करता है** , जिससे घरेलू मॉनेटरी पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ता।

प्रमुख विशेषताऐं स्थिरता और सुरक्षा:

- **गोल्ड एंकर:** करेंसी को सोने से जोड़ने से यह उस उतार-चढ़ाव से बच जाती है जो अक्सर फिएट करेंसी और बाहरी आर्थिक झटकों से जुड़ा होता है।
- **ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी:** डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यह पक्का करता है कि सभी ट्रांज़ैक्शन इम्युटेबल और पूरी तरह से ऑडिटेबल हों, जिससे मेंबर्स के बीच भरोसा बढ़ता है।

शासन और संप्रभुता:

- **AI-लेड गवर्नेंस:** यूनिट **फाउंडेशन** सिस्टम को मैनेज करने, पॉलिटिकल भेदभाव को कम करने और नियम-आधारित फैसले लेने को पक्का करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है।
- **रिज़र्व सॉवरिन्टी:** इसमें शामिल देश अपने गोल्ड रिज़र्व को देश में ही रखते हैं, जिससे वे ऑफशोर जगहों पर गोल्ड जमा करने से जुड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचते हैं।

बाज़ार पर प्रभाव:

- **बढ़ी हुई लिक्विडिटी:** सोने को स्टोरेज में बेकार छोड़ने के बजाय ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक्टिवली इस्तेमाल करके, यह सिस्टम ग्लोबल गोल्ड मार्केट की लिक्विडिटी को बढ़ाता है।

महत्व भू-राजनीतिक बदलाव:

- **डी-डॉलराइज़ेशन** की ओर एक अहम कदम है , जो इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए एक सही नॉन-वेस्टर्न ऑप्शन देता है।

आर्थिक सहयोग:

- **ग्लोबल मॉनेटरी रिफॉर्म को** आगे बढ़ाने में BRICS की भूमिका को मज़बूत करता है और साउथ-साउथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाता है।

मापनीयता:

- अगर इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो इसमें दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर, गोल्ड-बैक्ड डिजिटल सेटलमेंट इकोसिस्टम बनने की क्षमता है।

निष्कर्ष

"द यूनिट" की संभावित शुरुआत BRICS इकोनॉमिक एजेंडा में एक स्ट्रेटेजिक बदलाव को दिखाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सोने की अंदरूनी कीमत का फ़ायदा उठाकर, यह पहल एक मज़बूत, डीसेंट्रलाइज़्ड ट्रेड सिस्टम बनाने की कोशिश करती है जो पारंपरिक फिएट करेंसी पर निर्भरता कम करे।

CITES और CoP20 शिखर सम्मेलन

प्रसंग

ग्लोबल कंज़र्वेशन में एक अहम मील का पत्थर साबित हुए, **कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ़ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा (CITES) ने उज़्बेकिस्तान के समरकंद में CoP20 समिट** के दौरान अपनी 50वीं सालगिरह मनाई । कॉन्फ्रेंस में स्पीशीज़ के प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल रोजी-रोटी और वाइल्डलाइफ ट्रेड के गवर्नेंस पर फोकस किया गया।

CITES के लगभग 50 साल परिभाषा:

- **CITES** एक कानूनी तौर पर ज़रूरी मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो यह पक्का करने के लिए है कि जंगली जानवरों और पौधों के इंटरनेशनल ट्रेड से उनके बचने का खतरा न हो।

इतिहास और समयरेखा:

- **शुरुआत:** 1963 में **IUCN** ने इसका कॉन्सेप्ट बनाया ।
- **फाइनलाइज़ेशन:** टेक्स्ट को **1973 में वाशिंगटन DC में फाइनल किया गया** ।
- **एनफोर्समेंट: ऑफिशियली 1 जुलाई, 1975** को लागू हुआ ।
- **ग्लोबल रीच:** अभी इसमें **185 पार्टियां हैं** (2025 तक), जो इसे दुनिया भर में सबसे बड़े कंज़र्वेशन एग्रीमेंट में से एक बनाता है।

मुख्य तंत्र:

- **अपेंडिक्स (I, II, और III)** से रेगुलेटेड परमिट और सर्टिफिकेट के सिस्टम से चलता है , जो प्रजातियों को उनके खत्म होने के खतरे के आधार पर क्लासिफ़ाई करता है।

महत्वपूर्ण कार्यों:

- **रेगुलेशन:** सख्त डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए बॉर्डर पार वाइल्डलाइफ़ ट्रेड को कंट्रोल करता है।
- **प्रोटेक्शन:** स्पीशीज़ को उनके बायोलॉजिकल स्टेटस के हिसाब से प्रोटेक्शन लेवल देता है।
- **एनफोर्समेंट और कोऑपरेशन:** गैर-कानूनी वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए दुनिया भर में हो रही कोशिशों को कोऑर्डिनेट करता है और सस्टेनेबल इस्तेमाल के लिए साइंटिफिक असेसमेंट को बढ़ावा देता है।

2025 CITES समिट (CoP20) के बारे में अवलोकन:

- 20 **वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़ (CoP20)** कन्वेंशन की सबसे बड़ी फ़ैसले लेने वाली बॉडी है, जो ग्लोबल पॉलिसी बनाने के लिए हर 2-3 साल में होती है।

होस्ट और महत्व:

- **स्थान:** समरकंद, उज़्बेकिस्तान।
- **माइलस्टोन:** यह **सेंट्रल एशिया में आयोजित पहला CoP था** , जो ट्रीटी की 50वीं एनिवर्सरी के साथ हुआ।

प्रमुख परिणाम प्रजातियों को जोड़ना और उन्हें ऊपर लाना (बढ़ी हुई सुरक्षा):

- **कुल बढ़ोतरी:** CITES अपेंडिक्स में 77 नई स्पीशीज़ जोड़ी गईं।
- **समुद्री जीवन:** कई शार्क और रे, जिनमें **ओशनिक व्हाइटटिप , व्हेल शार्क , और मैंटा और डेविल रे** की सभी प्रजातियां शामिल हैं, को **अपेंडिक्स I** में डाल दिया गया (ट्रेड बैन)।
- **सरीसृप: गैलापागोस लैंड इगुआना** (3 प्रजातियां), मरीन इगुआना, और **होम्स हिंज-बैक टॉरटॉइज़ जैसे अफ्रीकी रेण्टाइल्स** को अपेंडिक्स I में अपलिस्ट किया गया।

संरक्षण में सफलताएँ (नीचे दी गई सूची में):

- **साइगा एंटीलोप: कज़ाकिस्तान** में सफल कंज़र्वेशन को दिखाते हुए , इस प्रजाति को अपेंडिक्स II से हटा दिया गया, जिससे एक्सपोर्ट के नियम आसान हो गए।
- **ग्वाडालूप फर सील: यह प्रजाति मेक्सिको** की मूल निवासी है , इसकी आबादी बढ़ने के कारण इसे अपेंडिक्स I से अपेंडिक्स II में स्थानांतरित कर दिया गया।

भारत की भूमिका कूटनीतिक रुख:

- **गुग्गुल** (*कॉमिफोरा वाइटी*) को अपेंडिक्स II में लिस्ट करने के **यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव को** सफलतापूर्वक रोक दिया ।
- **तर्क:** भारत ने तर्क दिया कि इस स्टेज पर लिस्टिंग के लिए पर्याप्त साइंटिफिक असेसमेंट की कमी थी।

निष्कर्ष

CoP20 समिट ने बायोडायवर्सिटी के लिए दुनिया भर के कमिटमेंट को फिर से पक्का किया। खतरे में पड़ी प्रजातियों (जैसे शार्क) की सख्त सुरक्षा और बचाव में मिली सफलताओं (जैसे साइगा एंटीलोप) को पहचान देने के बीच बैलेंस बनाकर, CITES सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वाइल्डलाइफ़ प्रिज़र्वेशन के लिए एक डायनामिक टूल के तौर पर लगातार बढ़ रहा है।

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा तनाव

प्रसंग

थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर पर नई दुश्मनी शुरू हो गई है , जिसमें आर्टिलरी, रॉकेट, ड्रोन और हवाई हमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नई लड़ाई की वजह से मिलिट्री के लोगों और आम लोगों, दोनों के हताहत होने की संख्या बढ़ गई है, जिससे इलाके की स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

संघर्ष के बारे में विवाद की प्रकृति:

- **अनडिफाइंड बाउंड्री:** यह लड़ाई **817 किलोमीटर की अनडिमार्केटेड सीमा पर है** ।
- **सॉवरेनिटी के दावे:** दोनों देश ज़मीन के कुछ खास हिस्सों पर, खासकर पुराने मंदिर परिसरों और घने जंगलों वाले ऊंचे इलाकों पर सॉवरेनिटी का दावा करते हैं।
- **मूल कारण:** असहमति कॉलोनियल-एरा के मैप्स के अलग-अलग मतलब से पैदा हुई है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि औपनिवेशिक विरासत (1907):

- बॉर्डर को असल में 1907 में **फ्रांस** (जो उस समय कंबोडिया का कोलोनियल प्रोटेक्टर था) ने तय किया था।
- **थाईलैंड (पहले सियाम)** ने ऐतिहासिक रूप से इस मैप के कुछ हिस्सों पर विवाद किया है, खासकर उन इलाकों पर जिनमें ऊंची ज़मीन और सांस्कृतिक विरासत वाली जगहें शामिल हैं।

प्रेह विहार मंदिर गाथा:

- **1962 ICJ का फैसला:** इंटरनेशनल **कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ)** ने 11वीं सदी का प्रीह विहियर मंदिर कंबोडिया को दे दिया। लेकिन, थाईलैंड इसके आस-पास की 4.6 वर्ग किलोमीटर की झाड़ीदार ज़मीन के मालिकाना हक पर विवाद करता रहा।
- **2013 का स्पष्टीकरण:** ICJ ने मंदिर के आस-पास की ज़मीन और प्रोमोंटरी पर कंबोडिया के अधिकार को फिर से पक्का किया, और थाईलैंड को अपनी सेना वापस बुलाने का आदेश दिया। बैंकॉक ने समय-समय पर इस फैसले के प्रैक्टिकल दायरे पर सवाल उठाए हैं।

हिंसा का इतिहास:

- **2008–2011 की झड़पें: इस इलाके में गंभीर हथियारों से लड़ाई हुई, जिसका नतीजा 2011 में प्रेह विहियर और दूसरे मंदिरों** के पास जानलेवा तोपों से गोलीबारी के रूप में सामने आया । इस लड़ाई में कई लोगों की मौत हुई और हज़ारों गांववालों को बेघर होना पड़ा।
- **2025 में तनाव बढ़ा: मई 2025** में हुई झड़पों के बाद तनाव फिर से बढ़ गया, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हो गई। इससे बॉर्डर को सख्ती से बंद कर दिया गया, ट्रेड बैन लगा दिए गए और अभी मिलिट्री तनाव बढ़ गया है।

तनावग्रस्त स्थान और क्षेत्र प्रीह विहेअर क्षेत्र:

- **स्ट्रेटेजिक फ्लैशपॉइंट:** UNESCO **वर्ल्ड हेरिटेज** मंदिर डांगरेक पहाड़ों में एक चट्टान के ऊपर बना है, जो इसे दोनों पक्षों के लिए एक सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक प्राइज़ बनाता है।
- **भूगोल: इस इलाके में** मेकांग नदी पर **प्रेह निमिथ वॉटरफॉल** जैसी खास प्राकृतिक चीज़ें हैं , जो इस प्रांत में एक मुख्य जलमार्ग का काम करता है।

प्रभावित थाई प्रांत:

- **प्रमुख क्षेत्र: सुरीन, बुरी राम, सा काओ, सिसाकेट, और ट्रैट** ।
- **असर:** इन बॉर्डर वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को गोलाबारी और बॉर्डर पार से होने वाली फायरिंग का सामना करना पड़ता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को टेम्परेरी शेल्टर में जाना पड़ता है।

प्रभावित कम्बोडियन प्रांत:

- **प्रमुख क्षेत्र: ओडार मीन्चे, प्रेह विहियर, बांतेय मीन्चे, बट्टामबांग, पैलिन, और कोह काँग** ।
- **असर:** आस-पास के ज़िलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, अंदरूनी विस्थापन और आम लोगों की मौत हो रही है।

निष्कर्ष

थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर पर हिंसा का फिर से बढ़ना, साउथ-ईस्ट एशिया में अनसुलझे इलाके के झगड़ों की अस्थिरता को दिखाता है। हालांकि इंटरनेशनल फैसलों ने मालिकाना हक तय करने की कोशिश की है, लेकिन ज़मीन पर इसे लागू करना अभी भी मुश्किल है, जिससे बड़े इलाके के झगड़े को रोकने के लिए नए सिरे से डिप्लोमैटिक बातचीत की ज़रूरत है।

भारत में शिक्षा की लागत

प्रसंग

भारत में शिक्षा की बढ़ती हुई महंगाई और इससे अमीर-गरीब परिवारों के बीच बढ़ती खाई। शिक्षा, हालांकि एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह सुलभ सार्वजनिक संसाधन होने के बजाय तेजी से एक महंगी वस्तु बनती जा रही है।

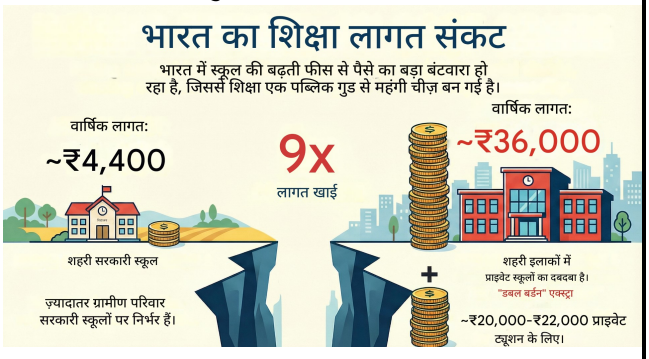

संवैधानिक और नीतिगत पृष्ठभूमि

अनुच्छेद 21ए:

यह विधेयक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:**आरटीई अधिनियम, 2009**.

एनईपी 2020:

सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा के सार्वभौमीकरण की मांग

करता है।**3 से 18**2030 तक, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहुँच**, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही**.

वर्तमान परिदृश्य और आँकड़े

नामांकन के रुझान (राष्ट्रीय औसत)

• सरकारी स्कूल:**55.9%**(ग्रामीण भारत में प्रमुख)

• निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय:**31.9%**(शहरी क्षेत्रों में प्रमुख)

• निजी सहायता प्राप्त विद्यालय:**11.3%**

शहरी-ग्रामीण विभाजन

शहरी परिवार निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि ग्रामीण परिवार मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों पर निर्भर रहते हैं।

लिंग अंतर

माता-पिता अक्सर निजी स्कूलों को ही चुनते हैं।**लड़के (34%)**से के लिए लड़कियां **(29%)**जो सामाजिक-सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है।

ड्रॉपआउट और बदलाव

कक्षा 11-12 में, कई छात्र महंगे निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में चले जाते हैं क्योंकि वार्षिक शुल्क बहुत अधिक होता है। **₹20,000–₹50,000**अस्थिर हो जाना।

लागत संकट ("दोहरा बोझ")

परिवारों पर पड़े वित्तीय बोझ ने लागत में एक स्पष्ट असमानता पैदा कर दी है:

स्कूल का प्रकार (वार्षिक औसत घरेलू व्यय)	ग्रामीण (₹)	शहरी (₹)	अंतर (ग्रामीण → शहरी निजी गैर-सहायता प्राप्त)
सरकारी स्कूल	2,801 डॉलर	4,374 डॉलर	लगभग 8 गुना वृद्धि
निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल	22,919 डॉलर	35,798 डॉलर	

शुल्क असमानता

शहरी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों (लगभग ₹36,000 वार्षिक) की लागत लगभग **नौ गुना अधिक** सरकारी स्कूलों की तुलना में (लगभग ₹4,400) यह फीस अधिक है। इससे असमानता बढ़ती है और निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों के बजट पर दबाव पड़ता है।

निजी ट्यूशन: दूसरा बोझ

निजी स्कूलों की उच्च फीस के बावजूद, कई छात्र अतिरिक्त कोचिंग लेते हैं, इसके कारण हैं:

• कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता खराब है

• परीक्षा में खराब प्रदर्शन का डर

• प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव

कक्षा 11-12 में ट्यूशन का खर्च अक्सर इतना अधिक हो जाता है।**₹20,000–₹22,000 प्रति वर्ष**जिससे एक ऐसा वित्तीय बोझ उत्पन्न होता है जिस पर बातचीत संभव नहीं है।

परिणाम:शिक्षा को तेजी से एक **खरीदी गई सेवा** जिससे वंचित समूहों को बाहर रखा जाता है और सामाजिक उन्नति की संभावना कम हो जाती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. सरकारी स्कूलों को मजबूत करें

• सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना ताकि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके **जीडीपी का 6%** बेंचमार्क

• बुनियादी ढांचे का उन्नयन, शिक्षकों का प्रशिक्षण और निगरानी

• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दें

2. निजी स्कूलों की फीस का सख्त विनियमन

• राज्य शुल्क विनियमन अधिनियमों को लागू करें

• मनमानी शुल्क वृद्धि और अनुचित शुल्कों को रोकें

3. लक्षित छात्रवृत्तियों का विस्तार करें

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अश्वेत जाति के लिए छात्रवृत्तियों के वितरण को सुदृढ़ करें

• स्कूल फीस और ट्यूशन के दोहरे बोझ को कम करना

4. निजी ट्यूशन पर निर्भरता कम करें

• एनईपी 2020 के अनुसार सुधार मूल्यांकन

• निजी ट्यूशन देने वाले शिक्षकों पर प्रतिबंध लागू करें

• विद्यालय में शैक्षणिक सहायता में सुधार करें

निष्कर्ष

शिक्षा की बढ़ती लागत, निजी ट्यूशन पर व्यापक निर्भरता के कारण, अनुच्छेद 21ए के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की संवैधानिक गारंटी कमजोर हो रही है। नई नीति योजना 2020 का उद्देश्य सार्वभौमिक, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जिसके लिए मजबूत सार्वजनिक निवेश, व्यवस्थागत सुधार और निजी संस्थानों का कड़ा विनियमन आवश्यक है। शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाए रखना, न कि केवल कुछ खास लोगों तक सीमित रखना, भारत में सामाजिक न्याय को मजबूत करने और वास्तविक आर्थिक गतिशीलता को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

नार्को परीक्षण

प्रसंग

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जो इस संबंध में था। **Amlesh Kumar vs. State of Bihar** मामला (2025)। उच्च न्यायालय ने जमानत सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों पर नार्को-विश्लेषण परीक्षण करने के प्रस्ताव को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करनी पड़ी।

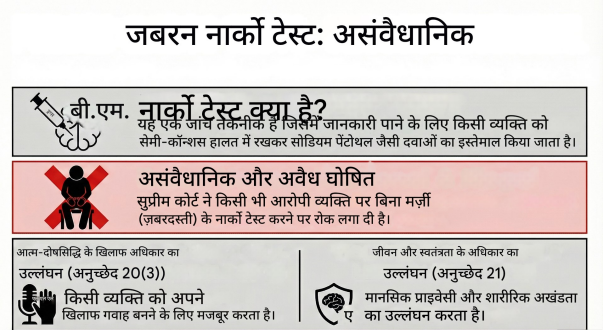

नार्को टेस्ट क्या होता है?

नार्को-एनालिसिस परीक्षण एक जांच तकनीक है जिसमें मनो-सक्रिय दवाओं को इंजेक्ट किया जाता है, आमतौर पर **सोडियम पेंटोथल** (एक बार्बिट्यूरेट) को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। यह दवा व्यक्ति के संकोच को कम करती है और उसे सम्मोहन या अर्धचेतन अवस्था में ले जाती है, जिससे माना जाता है कि वह जानकारी प्रकट करने की अधिक संभावना रखता है।

The Ruling: Amlesh Kumar vs. State of Bihar (2025)

- **फ़ैसला:**सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि **अनिवार्य (जबरन) नार्को परीक्षण असंवैधानिक हैं।**.
- **कार्रवाई:**अदालत ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि कोई भी अदालत इस तरह के आक्रामक परीक्षण का आदेश या अनुमोदन नहीं कर सकती, खासकर जमानत सुनवाई के दौरान, जिसका दायरा सीमित होता है।
- **पूर्व निर्णय की पुनः पुष्टि:**इस फैसले ने 2010 के ऐतिहासिक फैसले की जोरदार पुष्टि की। **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य** वह फैसला, जिसमें नार्को-एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट को जबरन कराने पर रोक लगा दी गई थी।

संवैधानिक उल्लंघनों की पहचान की गई

जबरन नार्को परीक्षण मौलिक अधिकारों की मूल गारंटी का उल्लंघन करते हैं:

1. **अनुच्छेद 20(3): आत्म-अपराध के विरुद्ध संरक्षण।**किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।*किसी पर भी स्वयं को दोषी ठहराने का कोई दायित्व नहीं है।*चूंकि विषय का अपनी प्रतिक्रियाओं पर सचेत नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए एक जबरन परीक्षण गवाही देने की बाध्यता के बराबर होता है।
2. **अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।**जबरन परीक्षण उल्लंघन करते हैं **मानसिक गोपनीयता**, **शारीरिक अखंडता**, और **व्यक्तिगत स्वायत्तता** किसी भी ऐसी प्रक्रिया से स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगना चाहिए और उसे 'वास्तविक उचित प्रक्रिया' (निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत) की आवश्यकता को पूरा करना होगा।
3. **स्वर्ण त्रिकोण:**जबरन किए गए परीक्षण संयुक्त ढांचे का उल्लंघन करते हैं **अनुच्छेद 14 (समानता), 19 (स्वतंत्रता) और 21 (जीवन)**जो यह सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक स्वतंत्रताएं मनमानी राज्य कार्रवाई से सुरक्षित रहें।

स्वीकार्यता एवं प्रक्रिया

- **केवल स्वैच्छिक:**परीक्षण की अनुमति है **केवल तभी जब आरोपी स्वेच्छा से सहमति दे।**यह सहमति इस प्रकार होनी चाहिए:
  - स्वतंत्र और सूचित।
  - इससे पहले रिकॉर्ड किया गया **न्यायिक मजिस्ट्रेट**.
  - कानूनी सलाह और चिकित्सा सुरक्षा उपायों तक पहुंच के साथ।
- **कोई निरपेक्ष अधिकार नहीं:**न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक आरोपी ऐसा करता है **पूर्ण या अविभाज्य अधिकार न होना** बचाव पक्ष के लिए नार्को-परीक्षण की मांग करना। इस तरह के अनुरोध पर निचली अदालत द्वारा उचित समय पर (बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करते समय) ही विचार किया जा सकता है और यह अदालत के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के अधीन है।
- **साक्ष्य का महत्व:**
  - नार्को टेस्ट के परिणाम हैं **यह अकेले स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है**(वे सीधे तौर पर दोष सिद्ध नहीं कर सकते)।
  - इन्हें कमजोर साक्ष्य माना जाता है क्योंकि विषय में सचेत नियंत्रण का अभाव होता है।
  - केवल जानकारी/तथ्य *बाद में खोजा गया* स्वैच्छिक परीक्षण पर आधारित जानकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन यह जानकारी भी आवश्यक है।**मंडित स्वतंत्र** साक्ष्य के आधार पर।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का फैसला *Amlesh Kumar vs. State of Bihar* यह बढ़ती हुई दखलंदाजी वाली जांच मांगों के मद्देनजर मौलिक अधिकारों की एक सामयिक और महत्वपूर्ण पुष्टि है। यह दोहराता है कि **गरिमा और स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण से समझौता नहीं किया जा सकता।**जांच की सुविधा के लिए, स्थापित सिद्धांत को सुदृढ़ करते हुए *सरो*भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में नार्को-विश्लेषण के सीमित और सशर्त उपयोग के संबंध में निर्णय।

वेस्टर्न ट्रैगोपैन (जुजुराना)

प्रसंग

हिमाचल प्रदेश के सराहन फीजेंट्री में चल रहे एक बंदी प्रजनन कार्यक्रम ने पश्चिमी ट्रैगोपन तीतर की आबादी को सफलतापूर्वक स्थिर कर दिया है, जिससे संरक्षणवादियों को नई उम्मीद मिली है। यह कार्यक्रम इस दुर्लभ हिमालयी तीतर के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पश्चिमी ट्रैगोपैन के बारे में

यह क्या है?

द**पश्चिमी ट्रैगोपैन**(*ट्रैगोपैन मेलानोसेफालस*), जिसे भी कहा जाता है **ईमानदारी से**या "पक्षियों का राजा", दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पक्षियों में से एक है।**सबसे दुर्लभ तीतर**और यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। यह पश्चिमी हिमालय की एक प्रमुख प्रजाति है, जो अपने आकर्षक पंखों और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के लिए जानी जाती है।

मुख्य विशेषताएं

- **पुरुष:**मखमली-काले रंग का सिर,**लाल छाती**कई बारीक सफेद धब्बे और रंगीन नीले-नारंगी रंग के धब्बे।**चेहरे की झुर्रियाँ** (लैपेट्स) और मांसल सींग जिनका उपयोग विस्तृत मैथुन प्रदर्शनों में किया जाता है।
- **महिला:**भूरे रंग के, छलावरण वाले, आकार में छोटे; अपरिपक्व नर मादाओं से मिलते जुलते हैं।
- **व्यवहार:**जमीन पर रहने वाला, शर्मीला और सुबह/शाम के समय सक्रिय रहने वाला जीव।
- **आहार एवं प्रजनन:**यह जामुन, बीज, कलियों, टहनियों और कीड़ों को खाता है। प्रजनन काल के दौरान होता है।**मई-जून** छिपे हुए घोंसलों में 3-5 अंडे देती है।

प्राकृतिक वास

- **ऊंचाई:**के बीच पाया गया **2,400–3,600 मीटर**(गर्मी के मौसम में ऊपर की ओर बढ़ते हुए) नम शीतोष्ण हिमालयी और उप-अल्पाइन जंगलों में।
- **पसंदीदा कवर:**घनी झाड़ियों को पसंद करता है।**रिंगल बांस**(बौना बांस), रोडोडेंड्रोन के घने जंगल और शंकुधारी वन, जो पर्यावास में होने वाली गड़बड़ी के प्रति उच्च संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।
- **प्रमुख गढ़: ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (जीएचएनपी)** काज़ीनाग, लिंबर (जम्मू और कश्मीर), और उत्तराखंड और उत्तरी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में।

संरक्षण की स्थिति

- **आईयूसीएन रेड लिस्ट:** के रूप में सूचीबद्ध **असुरक्षित** (वीयू)।
- **जनसंख्या:**केवल एक अनुमानित **3,000–9,500 वयस्क व्यक्ति** ये सभी वैश्विक स्तर पर बने रहते हैं, और एक एकल नाजुक उप-आबादी का निर्माण करते हैं।
- **भारतीय सुरक्षा:**के अंतर्गत सूचीबद्ध **अनुसूची I** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (सर्वोच्च कानूनी संरक्षण) के अंतर्गत।
- **CITES:**सूचीबद्ध **परिशिष्ट I**।(वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए)।

संरक्षण प्रयास और खतरे

बंदी प्रजनन की सफलता

- द **Sarahan Pheasantry** हिमाचल प्रदेश में स्थित एक संस्था विश्व स्तर पर इस प्रजाति के लिए एकमात्र सफल बंदी प्रजनन कार्यक्रम चला रही है।
- **मुख्य सफलतायें:**पहली बार बंदी अवस्था में इनका जन्म 1993 में हुआ, और 2005 में एक बड़ी सफलता मिली। वर्तमान में बंदी अवस्था में इनकी आबादी 40 से अधिक है, और इन्होंने अपने संस्थापकों से उच्च आनुवंशिक विविधता को बरकरार रखा है।
- **लक्ष्य:**यह कार्यक्रम एक प्रदान करता है**"बीमा पॉलिसी"**विलुप्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और भविष्य में इन्हें जंगल में पुनः स्थापित करने का समर्थन करने का लक्ष्य रखता है।

जीवन के लिए खतरे

- **पर्यावास का नुकसान और विखंडन:**बुनियादी ढांचे के विस्तार, पशुओं की चराई, वनों की कटाई और जलाऊ लकड़ी के संग्रहण के कारण।
- **जलवायु परिवर्तन: नम शीतोष्ण क्षेत्रों का सिकुड़ना**और जलवायु परिवर्तनशीलता प्रजनन समय और चूजों के लिए कीट भोजन की उपलब्धता के बीच तालमेल को बाधित करती है, जिससे जीवित रहने की दर कम हो जाती है।
- **मानवजनित व्यवधान:**मुख्य आवासों में मांस और पंखों के लिए अवैध शिकार करना, और छोटे वन उत्पादों (जैसे औषधीय जड़ी-बूटियाँ) का संग्रह करना।

महत्व

- **संकेतक प्रजातियाँ:**पश्चिमी ट्रैगोपैन एक के रूप में कार्य करता है **संकेतक प्रजातियाँ** उच्च ऊंचाई वाले वनों के स्वास्थ्य का प्रमाण; इसका अस्तित्व पश्चिमी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को दर्शाता है।
- **सांस्कृतिक प्रतीक:**यह हिमाचल प्रदेश का आधिकारिक राज्य पक्षी है, जो इसके संरक्षण को सीधे तौर पर इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है।
- **एकीकृत संरक्षण:**दीर्घकालिक अस्तित्व सफलता को संतुलित करने पर निर्भर करता है। *पूर्व सीटू*(कैद में प्रजनन) उपायों को मजबूत किया गया *बगल में* (पर्यावास संरक्षण) प्रयासों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी भी आवश्यक है।

Shilp Didi Programme

प्रसंग

RACE IAS

केंद्रीय वस्त्र सचिव ने घोषणा की कि**Shilp Didi Programme**इस पहल से महिला कारीगरों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिनमें से कुछ 5 लाख रुपये से अधिक कमा रही हैं। यह पहल सरकार के महिला कारीगरों को सशक्त बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और 'लखपति दीदी' की अवधारणा को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है।

About Shilp Didi Programme

यह क्या है?

सरकार की एक पहल**महिला कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना**(**"Shilp Didis"**) उन्हें मूल्य श्रृंखला में व्यापक समर्थन प्रदान करके:

1. **प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन**
2. **डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल**
3. **बाजार पहुंच**(भौतिक और डिजिटल दोनों)

मुख्य विवरण

- **में प्रारंभ:**2024 (जून 2024 में 100 दिनों का एक प्रायोगिक चरण शुरू हुआ)।
- **द्वारा कार्यान्वित:**वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के माध्यम से।
- **उद्देश्य:**महिला कारीगरों को तैयार करने के लिए **वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर**उनकी स्थिति में सुधार करें **डिजाइन और व्यावसायिक कौशल**और उन्हें आधुनिक विपणन और उद्यमिता उपकरणों का लाभ उठाने में मदद करना, जिससे दूसरों के लिए रोजगार सृजित हो सके।

प्रमुख विशेषताऐं

यह कार्यक्रम कारीगरों के लिए 360 डिग्री सहायता प्रणाली प्रदान करता है।

- **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण:**
  - **ई-प्रशिक्षण मॉड्यूल** उद्यमिता विकास, नियामक अनुपालन, सोशल मीडिया के उपयोग और ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग पर ध्यान केंद्रित करना।
  - क्षमता निर्माण के माध्यम से **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)**इन समूहों में अक्सर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का समर्थन शामिल होता है।
- **बाजार संबंध:**
  - **ई-कॉमर्स एकीकरण** देशव्यापी और वैश्विक स्तर पर दृश्यता और बिक्री बढ़ाने के लिए (उदाहरण के लिए, Indie Haat जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से)।
  - **भौतिक विपणन के अवसर** के जरिए **Shilp Didi Mahotsav**(जैसे कि दिल्ली हाट, आईएनए में आयोजित होने वाला कार्यक्रम), शिल्प मेले और प्रत्यक्ष खरीदार संपर्क और निर्यात ऑर्डर के लिए क्यूरेटेड प्रदर्शनियां।
- **दायरा:**
  - आधारभूत समावेशन **100 महिला कारीगरों** (**Shilp Didis** प्रायोगिक चरण में 23 राज्यों के 72 जिलों से सर्वेक्षण किए गए।
  - आवरण **30 विविध हस्तशिल्प** इसमें वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, धातु शिल्प, कढ़ाई और आभूषण डिजाइन शामिल हैं, जो भारत की समृद्ध शिल्प विरासत को दर्शाते हैं।

महत्व

- **आर्थिक सशक्तिकरण:**यह स्थायी आजीविका प्रदान करता है और ग्रामीण/गैर-कृषि आय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिससे 'लखपति दीदियों' के सृजन के व्यापक लक्ष्य को समर्थन मिलता है।
- **सूक्ष्म उद्यमशीलता:**यह महिलाओं के बीच सूक्ष्म उद्यमशीलता को मजबूत करता है, जिससे वे रोजगार सृजनकर्ता और सामुदायिक नेता बन सकें।
- **डिजिटल समावेशन:**बढ़ाता है **डिजिटल समावेशन** जैसे-जैसे कारीगर सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स का उपयोग करके अपने बाजारों को स्थानीय सीमाओं से बहुत दूर तक विस्तारित करना सीखते हैं, वैसे-वैसे निर्यात और ग्राहक आधार में वृद्धि होती है।
- **सांस्कृतिक संरक्षण:**यह संस्था कौशल को आधुनिक बाजार की मांगों से जोड़कर भारत की पारंपरिक शिल्प विरासत के संरक्षण का समर्थन करती है।

निष्कर्ष

द **Shilp Didi Programme** यह साबित हो चुका है कि **परिवर्तनकारी आंदोलन** यह पहल वित्तीय सहायता से कहीं आगे बढ़कर, महिलाओं के हस्तशिल्प आधारित उद्यमशीलता के लिए एक सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। पारंपरिक कौशल को आधुनिक विपणन और डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करके, यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक मजबूत करती है और भारतीय हस्तनिर्मित परंपराओं को स्थानीय से वैश्विक बाजारों तक पहुंचाती है। सशक्तिकरण का यह मॉडल इस दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु है।**Atmanirbhar Bharat** और यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।**Viksit Bharat** महिलाओं को आत्मनिर्भर रचनाकारों, नियोक्ताओं और सामुदायिक नेताओं के रूप में स्थापित करके।

RACE IAS

3I/ATLAS पर ग्रह-रक्षा अभ्यास

प्रसंग

यूरोप ने तेजी से निकट आ रहे अंतरतारकीय पिंड पर नजर रखने और उसका विश्लेषण करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह-रक्षा अभ्यास शुरू कर दिया है।**3I/एटलस**यह लाइव वैश्विक अभियान यहाँ से संचालित किया जा रहा है।**27 नवंबर 2025 से 27 जनवरी 2026 तक**यह पृथ्वी के निकट के खतरों से निपटने की तैयारी में एक अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रयास का प्रतीक है।

3I/ATLAS पर आयोजित ग्रह-रक्षा अभ्यास के बारे में यह क्या है

द**3I/ATLAS ग्रहीय रक्षा अभ्यास** यह मानवता की संभावित प्रभावों से जुड़े खतरों का पता लगाने, उन पर नज़र रखने और उनका जवाब देने की क्षमता का आकलन करने के लिए अब तक किया गया सबसे व्यापक वैश्विक सिमुलेशन है। यह इस पर केंद्रित है:**धूमकेतु 3I/ATLAS (C/2025 N1),तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय पिंड** यह अपने असामान्य, गैर-गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के नियमों को चुनौती देने वाले व्यवहार के लिए उल्लेखनीय है।

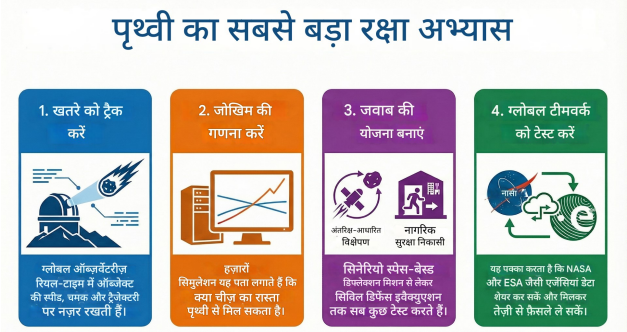

लॉन्च किया गया

यह अभ्यास एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय प्रयास है जिसका समन्वय निम्नलिखित द्वारा किया जा रहा है:

•ईएसए (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी)

•नासा (राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन)

•UN-IAWN (अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क)

•एसएमपीएजी (अंतरिक्ष मिशन योजना सलाहकार समूह)

उद्देश्य

• उच्च वेग वाली खगोलीय वस्तुओं के लिए वैश्विक तैयारियों का परीक्षण करने के लिए, पता लगाने की क्षमता, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, कक्षीय ट्रैकिंग नेटवर्क, आपातकालीन निर्णय लेने और सार्वजनिक संचार की जांच करना।

• वास्तविक वैश्विक आपातकाल की स्थिति में बहुपक्षीय सहयोग, डेटा-साझाकरण और मनोवैज्ञानिक तत्परता में मौजूद कमियों की पहचान करना।

ड्रिल कैसे काम करती है

1. ट्रैकिंग 3I/ATLAS

जमीन पर स्थित वेधशालाएं और अंतरिक्ष में लगे सेंसर धूमकेतु की निगरानी करते हैं।**गति, चमक और प्रक्षेपवक्र**वास्तविक समय में। वस्तु की तीव्र गति और अस्थिर व्यवहार विश्लेषण को काफी जटिल बना देते हैं।

2. प्रक्षेप पथ परिवर्तनों का विश्लेषण

वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं या सौर विकिरण के कारण होने वाले सूक्ष्म विचलनों की खोज करते हैं। निरंतर अद्यतनों के माध्यम से कक्षीय मॉडलों को परिष्कृत किया जाता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या मामूली बदलाव भी धूमकेतु की पृथ्वी से दूरी को बदल सकते हैं।

3. प्रभाव की संभावनाओं की गणना करना

हजारों सिमुलेशन अनिश्चितताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का परीक्षण करते हैं। ये परीक्षण निर्धारित करते हैं कि क्या अंतरतारकीय वस्तु सुरक्षित दूरी पर रहने की संभावना है या क्या यह पृथ्वी की कक्षा को पार कर सकती है।

4. वैश्विक प्रतिक्रिया परिदृश्यों को चलाना

सिमुलेटेड विकल्पों में शामिल हैं:

• अंतरिक्ष-आधारित**विक्षेपण मिशन**(उदाहरण के लिए, डार्ट-शैली के गतिज प्रभावक)

•नागरिक सुरक्षा लामबंदी

•निकासी मॉडलिंगसबसे खराब स्थितियों के लिए

ये परीक्षण अंतरिक्ष और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की परिचालन तत्परता का आकलन करते हैं।

5. अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का परीक्षण

यह अभ्यास इस बात का मूल्यांकन करता है कि एजेंसियां कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से काम करती हैं।**नासा, ईएसए, इसरो, सीएनएसए, जेएएक्सए**, और **वन-ओके**अत्यधिक अनिश्चितता वाली घटनाओं के दौरान डेटा साझा करें, अलर्ट जारी करें और सामूहिक निर्णय लें।

प्रमुख विशेषताएं

• इसमें एक वास्तविक, तीव्र गति से चलने वाली अंतरतारकीय वस्तु का उपयोग किया गया है जो यात्रा कर रही है।**लगभग 16–60 किमी/सेकंड**अद्वितीय वैज्ञानिक यथार्थवाद प्रदान करते हुए।

• इसमें कक्षीय पूर्वानुमान अभ्यास, विसंगति-प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल और ग्रहीय रक्षा मॉडलिंग शामिल हैं।

• एकीकृत करता है**सार्वजनिक संचार और गलत सूचना प्रबंधन**मनोवैज्ञानिक तैयारी का आकलन करने के लिए मॉड्यूल।

• इसमें संपूर्ण सरकारी समन्वय के लिए सैन्य अंतरिक्ष कमान और राष्ट्रीय आपदा एजेंसियां शामिल हैं।

• यह भू-राजनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत, अमेरिका और चीन सहित देशों को गहरे अंतरिक्ष निगरानी प्रणालियों जैसे उपकरणों की तैनाती में तेजी लाने में मदद मिलती है।

इन्फ्रारेड निगरानी उपग्रह.

महत्व

• यह क्षुद्रग्रहों या धूमकेतुओं से उत्पन्न होने वाले वास्तविक खतरों के लिए वैश्विक तैयारियों को बढ़ाता है, जो कि एक उभरती हुई ग्रहीय सुरक्षा प्राथमिकता है।

• यह वैश्विक आपातकालीन संचार में संरचनात्मक कमियों को उजागर करता है, जिसमें अंतरिक्ष संबंधी असामान्यताओं के लिए एक एकीकृत सार्वजनिक मार्गदर्शन प्रणाली का अभाव भी शामिल है।

• धूमकेतु का अप्रत्याशित व्यवहार नवाचार को गति देता

है**निगरानी, मॉडलिंग और रक्षा प्रौद्योगिकियां**ग्रहीय रक्षा क्षमताओं को मौजूदा समयसीमा से आगे बढ़ाना।

जनरेटिव एआई और कॉपीराइट

प्रसंग

सरकार ने जनरेटिव एआई और कॉपीराइट पर कार्यपत्र जारी किया है - एक राष्ट्र, एक लाइसेंस, एक भुगतान, जिसमें कॉपीराइट वाली रचनाओं पर एआई प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए भारत का पहला संरचित मॉडल प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य रचनाकारों के अधिकारों और एआई नवाचार के बीच संतुलन स्थापित करना है, जो भारतीय सामग्री पर अनधिकृत प्रशिक्षण को लेकर एएनआई बनाम ओपनएआई (दिल्ली उच्च न्यायालय, 2024-25) जैसे बढ़ते विवादों के मद्देनजर है।

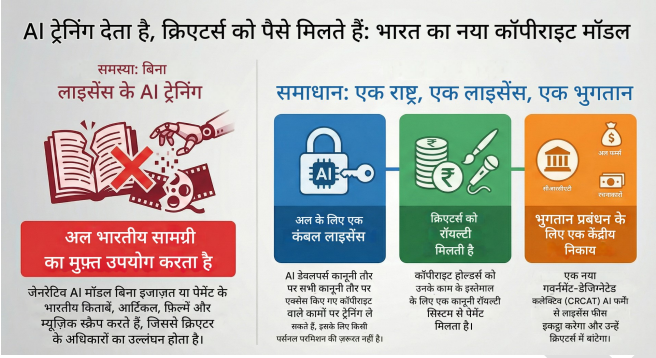

जनरेटिव एआई और कॉपीराइट के बारे में – एक राष्ट्र, एक लाइसेंस, एक भुगतान

समस्या क्या है?

- **एआई प्रशिक्षण के लिए भारतीय रचनात्मक सामग्री का अनधिकृत उपयोग:**GenAI के मॉडल बिना अनुमति के भारतीय पुस्तकों, लेखों, फिल्मों, संगीत और समाचारों से सामग्री निकालते हैं, जिससे रचनाकारों के अधिकारों का हनन होता है और धारा 14 के तहत मिलने वाली सुरक्षा का उल्लंघन होता है।
    - *उदाहरण:*एएनआई ने आरोप लगाया कि ओपनएआई ने बिना सहमति के चैटजीपीटी को प्रशिक्षित करने के लिए उसकी समाचार सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसके कारण दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यवाही शुरू हुई।
- **GenAI प्रशिक्षण पर कॉपीराइट कानून की प्रयोज्यता को लेकर स्पष्टता का अभाव:**भारत के कॉपीराइट अधिनियम में टेक्स्ट और डेटा माइनिंग (टीडीएम) के लिए कोई स्पष्ट अपवाद नहीं है, जिससे यह अस्पष्टता पैदा होती है कि बड़े पैमाने पर डेटा स्क्रैपिंग की अनुमति है या नहीं।
    - *उदाहरण:*धारा 52 के अपवाद वाणिज्यिक एआई प्रशिक्षण को कवर नहीं करते हैं, जिससे विदेशी एआई डेवलपर्स कानूनी रूप से अस्पष्ट स्थिति में काम कर रहे हैं।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से रचनाकारों को मुआवजा प्राप्त करने का कोई तंत्र नहीं है:**भारतीय लेखकों, कलाकारों, संगीतकारों और पत्रकारों को इससे कोई लाभ नहीं होता, भले ही उनके कार्यों से एआई मॉडल की सटीकता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है।
    - *उदाहरण:*भारत का अनौपचारिक संगीत उद्योग, जिसमें 1.4 करोड़ लोग कार्यरत हैं, मॉडलों द्वारा प्रशिक्षण के लिए उनके गानों का उपयोग किए जाने के बावजूद शून्य रॉयल्टी अर्जित करता है।
- **सांस्कृतिक क्षरण और स्वदेशी रचनात्मक क्षेत्रों के पतन का खतरा:**कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न उत्पाद भारतीय लोक कला, स्थानीय संगीत और क्षेत्रीय कथा परंपराओं को प्रतिस्थापित या उन पर हावी हो सकते हैं, जिससे सांस्कृतिक विविधता का क्षरण हो सकता है।
- **बड़ी-बड़ी एआई तकनीक कंपनियों और भारतीय रचनाकारों के बीच सौदेबाजी की शक्ति में असमानता:**बड़ी विदेशी एआई कंपनियां भारतीय डेटासेट का मुद्रीकरण करती हैं, जबकि व्यक्तिगत रचनाकारों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत करने की क्षमता या कानूनी उपकरण नहीं हैं।

कार्य समूह द्वारा पहचानी गई प्रमुख चिंताएँ

- **क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण पुनरुत्पादन है और इस प्रकार कॉपीराइट का उल्लंघन है:**एआई प्रशिक्षण के लिए बड़ी मात्रा में कार्यों की प्रतिलिपि बनाने, उन्हें संग्रहीत करने और रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है, जो धारा 14 के तहत उल्लंघन को जन्म दे सकता है।
- **क्या 'उचित व्यवहार' अपवाद कानूनी रूप से GenAI प्रशिक्षण को कवर कर सकता है:**उचित व्यवहार की परिभाषा निजी अनुसंधान, आलोचना या रिपोर्टिंग के लिए संकीर्ण रूप से परिभाषित की गई है - औद्योगिक पैमाने पर वाणिज्यिक एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिए नहीं।
    - *उदाहरण:*वाणिज्यिक एलएलएम डेवलपर धारा 52(1)(ए) का आह्वान नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशिक्षण राजस्व-संचालित है और "व्यक्तिगत उपयोग" नहीं है।
- **छोटे और स्वतंत्र रचनाकारों के लिए नुकसान और शोषण का जोखिम:**ऑप्ट-आउट या बातचीत के जरिए तय किए गए लाइसेंसिंग ढांचे बड़े प्रकाशकों के पक्ष में असमान रूप से झुके होते हैं, जिससे छोटे रचनाकार असुरक्षित रह जाते हैं।
- **यदि प्रकटीकरण अनिवार्य कर दिया जाता है तो एआई डेवलपर्स पर पारदर्शिता का भारी बोझ पड़ेगा:**विस्तृत डेटासेट खुलासे की आवश्यकता एआई की प्रगति को धीमा कर सकती है, खासकर उन स्टार्ट-अप्स के लिए जिनमें अनुपालन क्षमता की कमी है।

- **रचनाकारों द्वारा कृतियों को छिपाने की स्थिति में निम्न गुणवत्ता वाले या पक्षपातपूर्ण डेटासेट का खतरा:**अत्यधिक संख्या में प्रतिभागियों के ऑप्ट-आउट करने से डेटासेट सिकुड़ सकते हैं, जिससे भारत-केंद्रित एआई प्रणालियों में पूर्वाग्रह और भ्रम की आशंका बढ़ सकती है।

भारत को कॉपीराइट और एआई ढांचे के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है

- **भारत की तेजी से बढ़ती रचनात्मक और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की रक्षा करें:**रचनात्मक उद्योग जीडीपी में अरबों का योगदान देते हैं और मनोरंजन, डिजाइन, लोक संगीत और डिजिटल मीडिया क्षेत्रों में आजीविका को बनाए रखते हैं।
- **इंडियाएआई मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप एआई नवाचार को बढ़ावा देना:**संतुलित नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि एआई डेवलपर्स—विशेष रूप से भारतीय स्टार्ट-अप—को उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट तक अनुमानित और कानूनी पहुंच प्राप्त हो।
- **मानव रचनात्मकता के पतन को रोकें और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करें:**यदि एआई बिना किसी इनाम के रचनात्मक कार्यों का स्वतंत्र रूप से दोहन करता है, तो रचनाकारों के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहन कमजोर हो जाते हैं, जिससे सांस्कृतिक खोखलेपन का खतरा पैदा हो जाता है।
- **उन भारतीय रचनाकारों के लिए उचित राजस्व-साझाकरण सुनिश्चित करें जिनकी रचनाएँ एआई को प्रशिक्षित करती हैं:**एआई कंपनियां भारतीय उपयोगकर्ताओं से कमाई करती हैं; रचनाकारों को रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए वैधानिक रॉयल्टी मिलनी चाहिए।
- **कम लागत और सरल प्रक्रियाओं वाली एआई लाइसेंसिंग के साथ भारतीय स्टार्टअप और एमएसएमई का समर्थन करें:**एक पूर्वानुमानित लाइसेंसिंग व्यवस्था लेनदेन की लागत को कम करती है और छोटे खिलाड़ियों को कानूनी अनिश्चितता के बिना नवाचार करने में सक्षम बनाती है।

कार्यकारी समिति की सिफ़ारिशें

- **एआई प्रशिक्षण के लिए एक अनिवार्य व्यापक लाइसेंस लागू करें:**एआई डेवलपर्स व्यक्तिगत अनुमतियों के बिना कानूनी रूप से उपलब्ध सभी कॉपीराइट कार्यों पर प्रशिक्षण दे सकते हैं, जिससे व्यापक डेटासेट तक पहुंच सुनिश्चित होती है।
  - *उदाहरण:*भारतीय एलएलएम (सर्वम, गण एआई, सोकेत) विभिन्न भाषाओं और प्रारूपों में विविध भारतीय सामग्री पर कानूनी रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।
- **कॉपीराइट धारकों को वैधानिक रॉयल्टी भुगतान:**रचनाकारों को एआई से होने वाली आय के अनुपात में मुआवजा मिलेगा, जिससे रचनात्मक अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।
- **"कॉपीराइट रॉयल्टी कलेक्टिव फॉर एआई ट्रेनिंग (सीआरसीएटी)" की स्थापना करें:**लाइसेंस शुल्क एकत्र करने और सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों को रॉयल्टी वितरित करने के लिए सरकार द्वारा नामित एक केंद्रीय निकाय।
- **सरकार द्वारा नियुक्त रॉयल्टी दर निर्धारण समिति का गठन करें:**पारदर्शिता, निष्पक्षता, आवधिक समीक्षा और सुनिश्चित करता है**न्यायिक निरीक्षण**रचनाकारों और डेवलपर्स दोनों की सुरक्षा के लिए रॉयल्टी दरों में बदलाव।
- **एक एकल-विंडो, कम बोझ वाली लाइसेंसिंग और अनुपालन प्रणाली प्रदान करें:**एक लाइसेंस, एक भुगतान, और राष्ट्रव्यापी प्रयोज्यता से विशेष रूप से छोटे एआई खिलाड़ियों के लिए बाधाओं को कम किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

भारत एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और रचनात्मक अधिकारों का साथ-साथ विकास होना आवश्यक है। "एक राष्ट्र, एक लाइसेंस, एक भुगतान" मॉडल एक निष्पक्ष, नवाचार-अनुकूल और रचनाकारों के संरक्षण का समाधान प्रस्तुत करता है। यदि इसे अपनाया जाता है, तो यह निष्पक्षता, सांस्कृतिक सम्मान और तकनीकी शक्ति पर आधारित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना सकता है।

सिंधु घाटी सभ्यता का पतन

प्रसंग

एक नए मल्टी-प्रॉक्सी पेलियोक्लाइमेट अध्ययन में दावा किया गया है कि**सिंधु घाटी सभ्यता**आईवीसी का पतन सदियों से चले आ रहे आवर्ती सूखे के कारण हुआ, न कि किसी एक विनाशकारी घटना के कारण।

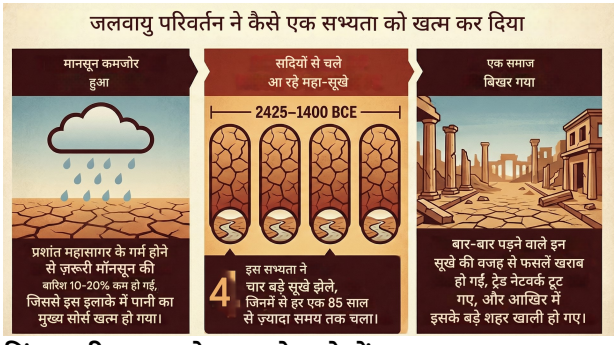

सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में यह क्या है?

- द**सिंधु घाटी सभ्यता**(3300–1300 ईसा पूर्व), जिसे यह भी कहा जाता है**हड़प्पा सभ्यता**यह विश्व की सबसे प्रारंभिक शहरी संस्कृतियों में से एक थी, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत में फैली हुई थी।

- इसकी उत्पत्ति सिंधु और घग्गर-हाकरा (सरस्वती) नदी प्रणालियों के किनारे हुई, और यह एक परिष्कृत कांस्य युग की सभ्यता के रूप में विकसित हुई जो हड़प्पा, मोहनजो-दारो, राखीगढ़ी जैसे शहरों के लिए जानी जाती है।**Dholavira**.

सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं

- **कला एवं शिल्प:**मनके बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने, टेराकोटा की मूर्तियों, शंख-तांबा-कांस्य की कलाकृतियों और प्रतिष्ठित "नृत्य करने वाली लड़की" और "पुजारी-राजा" की मूर्तियों में उच्च स्तर की शिल्पकारी।
- **वास्तुकला और शहरी नियोजन:**विश्व स्तरीय शहरी डिजाइन जिसमें ग्रिड-पैटर्न वाली सड़कें, बहुमंजिला ईंट के मकान, किले, अन्न भंडार और ढकी हुई सीवरेज और सोख गड्ढों के साथ उन्नत जल निकासी व्यवस्था शामिल है।
- **पटकथा एवं साहित्य:**मुहरों, शिलाखंडों और मिट्टी के बर्तनों पर पाई जाने वाली एक ऐसी चित्रलिपि का प्रयोग किया गया था जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है; कोई भी लिखित साहित्य मौजूद नहीं है, लेकिन शिलालेख एक जटिल प्रतीकात्मक प्रणाली को दर्शाते हैं।
- **अर्थव्यवस्था:**कृषि (गेहूं, जौ, कपास), हस्तशिल्प उद्योगों, आंतरिक व्यापार और मेसोपोटामिया, ओमान और ईरान के साथ लंबी दूरी के व्यापार पर आधारित एक विविध अर्थव्यवस्था (मुहरों, बाटों और नावों से स्पष्ट)।
- **समाज और शासन:**मानकीकृत वजन, एकसमान वास्तुकला और नियोजित लेआउट वाला शहरी समाज, जो एक कुशल नागरिक प्राधिकरण का संकेत देता है; साक्ष्य बताते हैं कि यह काफी हद तक शांतिपूर्ण, समतावादी समाज है जिसमें सामाजिक स्तरीकरण बहुत कम है।

सिंधु घाटी सभ्यता का पतन

2025 के अध्ययन से नए साक्ष्य

- **यह गिरावट धीरे-धीरे हुई, जिसकी शुरुआत चार प्रमुख भीषण सूखे (2425-1400 ईसा पूर्व) से हुई:**
  - अध्ययन में यह पाया गया है कि**सूखे के चार दीर्घकालिक चरण**, प्रत्येक स्थायी**85 वर्षों से अधिक**सबसे गंभीर स्थिति लगभग चरम पर थी**1733 ईसा पूर्व**लगभग 164 वर्षों तक।
  - ये सूखे एक बार नहीं बल्कि चक्रों में आए, जिससे**सदियों की जलवैज्ञानिक अस्थिरता**जिसके कारण कृषि, व्यापार और शहरी कामकाज धीरे-धीरे कमजोर होते चले गए।
- **प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के गर्म होने के कारण मानसून का कमजोर होना:**
  - जलवायु अभिलेख दर्शाते हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है।**ठंडा, ला नीना जैसी अवस्था**(3000-2500 ईसा पूर्व) से एक**गर्म, अल नीनो जैसी अवस्था**.
  - यह सीधे तौर पर**मानसून की बारिश में 10-20% की कमी आई।**इसके परिणामस्वरूप खेतों, जलाशयों और नदियों के लिए पानी की उपलब्धता में भारी कमी आ जाती है।
- **जलवैज्ञानिक परिवर्तन: नदियाँ सिकुड़ गईं और मिट्टी सूख गई:**
  - इस अध्ययन में झील के नमूनों, गुफाओं के स्टैलेग्माइट्स और जलवायु मॉडलों को मिलाकर यह दिखाया गया है कि इस तरह की नदियाँ**सतलुज-घग्गर प्रणाली**ब्यास नदी और उसकी कई सहायक नदियों में बाढ़ आ गई।**कम प्रवाह**.
  - मिट्टी की नमी कम हो गई, जिसके कारण**सुखाना**खारेपन का जमाव और फसलों की पैदावार में कमी—खासकर सिंधु नदी से दूर के क्षेत्रों में।
- **कृषि और खाद्य प्रणालियों पर प्रभाव:**
  - फसल खराब होने की समस्या बढ़ती गई, जिससे हड़प्पावासियों को मजबूर होना पड़ा।**पानी की अधिक खपत वाली फसलों (गेहूं, जौ) से हटकर अन्य फसलों की ओर रुख करना**सूखा प्रतिरोधी पौधों की तरह**बाजरा**.
  - कृषि पर पड़ने वाले दबाव ने उस अधिशेष प्रणाली को कमजोर कर दिया जिसने बड़े शहरी केंद्रों को सहारा दिया था।
- **लंबी दूरी के व्यापार और आर्थिक नेटवर्क का टूटना:**
  - नदी का जलस्तर कम होने से नदी में नौकायन मुश्किल हो गया, जिससे संपर्क कम हो गया।**मेसोपोटामिया**प्रमुख व्यापारिक साझेदार।
  - कम वर्षा और झीलों के सिकुड़ने से जमीनी मार्ग भी अधिक जोखिम भरे हो गए।
  - बाह्य व्यापार में इस गिरावट ने शहरी रोजगारों (मोती बनाने वाले, कुम्हार, धातुकर्मी) को कमजोर कर दिया, जिससे आर्थिक आधार अस्थिर हो गया।

अन्य शास्त्रीय सिद्धांत

- **नदी प्रणालियों में परिवर्तन (सिंधु और घग्गर-हाकरा नदियों का बहाव):**
  - भूगर्भीय हलचल ने प्रमुख नदियों के मार्ग बदल दिए।
  - द**Ghaggar-Hakra (Sarasvati)**धीरे-धीरे सूख जाने के कारण प्रमुख बस्तियों को छोड़ना पड़ा।**गोबर का ढेर** और **बनावली**.
  - सिंधु नदी कभी-कभी**बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित**गाद जमा करते हुए और खेतों को नष्ट करते हुए, जबकि बाद में कुछ शहरों से दूर चले गए।
- **मेसोपोटामिया के व्यापार नेटवर्क का पतन:**
  - लगभग 2000 ईसा पूर्व, मेसोपोटामिया को आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा (अक्कादियन साम्राज्य का पतन, उर तृतीय का पतन)।

- जैसे-जैसे मेसोपोटामिया का व्यापार कमजोर होता गया, मांग कम होती गई।**हड़प्पाकालीन वस्तुएँ (मोती, सूती वस्त्र, धातुएँ)** तेजी से गिरे।
- व्यापार में कमी ने शहरी हड़प्पा जीवन के एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभ को तोड़ दिया, जिससे औद्योगिक पतन में योगदान हुआ।

- **शहरी क्षेत्रों में बढ़ती भीड़ और नागरिक सुविधाओं के रखरखाव में गिरावट:**
  - पुरातत्व से पता चलता है कि कई शहर बन गए**घनी भीड़**पुराने रास्तों और ढांचों के ऊपर बने घरों के साथ।
  - कभी स्वच्छ रहे जल निकासी तंत्र**अवरुद्ध और खराब रखरखाव**जो प्रशासनिक कमजोरी का संकेत है।
  - सार्वजनिक भवन जैसे कि**बड़ा स्नान**या तो उनका निर्माण हो गया या उनका महत्व कम हो गया।
- **बड़े पैमाने पर आक्रमण या युद्ध का कोई सबूत नहीं:**
  - पहले के सिद्धांतों में ऋग्वेद के संदर्भों के आधार पर "आर्यन आक्रमण" का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन पुरातत्वीय साक्ष्य इसका खंडन करते हैं:
    - युद्ध का संकेत देने वाली कोई सामूहिक कब्रें नहीं मिलीं।
    - न तो कोई जले हुए शहर हैं और न ही विनाश के हथियार।
    - हड़प्पा समाज कुल मिलाकर दर्शाता है**कम सैन्यीकरण**.
  - अब अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि आक्रमण हुआ था**नहीं**पतन का कारण।

सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व

- भारत को उसके पहले नियोजित शहर दिए।**स्वच्छता प्रणालियाँ**और शहरी शासन मॉडल।
- उन्नत जल विज्ञान, शिल्प विशेषज्ञता, समुद्री व्यापार और कृषि अनुकूलन का प्रदर्शन किया।
- यह पुस्तक जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और विकेंद्रीकृत बस्ती नियोजन के क्षेत्र में आज के समय के लिए उपयोगी सबक प्रदान करती है।
- इसकी शांतिपूर्ण संस्कृति और मानकीकृत प्रणालियाँ नागरिक प्रशासन, व्यापार विनियमन और पर्यावरणीय अनुकूलन के प्रारंभिक रूपों को उजागर करती हैं।

निष्कर्ष

नए वैज्ञानिक निष्कर्षों से पता चलता है कि सिंधु घाटी का पतन कोई रहस्य या मिथक नहीं था, बल्कि एक धीमी गति से होने वाली जलवायु त्रासदी थी जो और भी बदतर हो गई।**कमजोर शासन**और आर्थिक तनाव। फिर भी, लगभग दो सहस्राब्दियों तक सभ्यता की अनुकूलन क्षमता इसकी लचीलापन और परिष्कार को रेखांकित करती है। आज जब दुनिया जलवायु चरम सीमाओं का सामना कर रही है, तो सिंधु सभ्यता की कहानी एक सशक्त अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि पर्यावरणीय परिवर्तन महानतम शहरी संस्कृतियों को भी नया रूप दे सकते हैं।

नाट्यशास्त्र

प्रसंग

इनटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज (ICH) के 20वें सेशन के दौरान , इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स (IGNCA) ने नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों पर फोकस करते हुए एक स्कॉलरली इवेंट किया।

नाट्यशास्त्र के बारे में

यह क्या है?

नाट्यशास्त्र संस्कृत की बुनियादी विद्वत्तापूर्ण रचना है जिसमें भारतीय परंपरा के अंदर नाट्य प्रस्तुति (*नाट्य*), भावपूर्ण हरकत (*नृत्य* और *नृत्त*), संगीत रचना (*संगीता*), *सौंदर्य सिद्धांत और स्टेजक्राफ्ट के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसे नाट्य* **वेद (पांचवां वेद) के तौर पर बहुत सम्मान दिया जाता है** , जिसे प्रदर्शन के ज़रिए समाज के सभी हिस्सों को नैतिक, कलात्मक और सामाजिक मूल्य देने के लिए बनाया गया है।

लेखक: भरत मुनि.

भाषा: यह टेक्स्ट **क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है** , ज़्यादातर **श्लोक (दोहे) के रूप में** , बाद के वर्शन में इसमें गद्य के कुछ हिस्से जोड़े गए हैं।

इतिहास और रचना:

- **तिथि:** विद्वानों की सहमति के अनुसार, इसकी रचना का समय आम तौर पर लगभग **200 BCE – 200 CE के बीच माना जाता है।**
- **विकास: यह टेक्स्ट** , परफॉर्मेंस की बहुत पुरानी **मौखिक परंपरा** का आखिरी लिखा हुआ कलेक्शन है ।
- **टिप्पणी:** सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक शास्त्रीय व्याख्या **अभिनवगुप्त (लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी ई.) द्वारा *अभिनवभारती है***।
- माना जाता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट में 36,000 *श्लोक थे* और बाद में इसे छोटा करके अभी के 6,000 *श्लोक कर दिया गया*।
- यह देवताओं के भगवान ब्रह्मा से अनुरोध से शुरू हुआ कि वे सभी लोगों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का एक ऐसा तरीका बनाएं जो आसानी से मिल सके।

पाठ की मुख्य विशेषताएं

- **स्ट्रक्चर:** पूरा वॉल्यूम **36 मेन चैप्टर में ऑर्गनाइज़ किया गया है** (कुछ वर्शन में 37 चैप्टर बताए गए हैं)।
- **स्कोप:** यह एक पूरी मैनुअल की तरह काम करता है, जिसमें किसी भी थिएटर प्रेजेंटेशन का **पूरा प्रोडक्शन साइकिल शामिल होता है।**
- **रस थ्योरी (सेंट्रल प्रिंसिपल): यह एस्थेटिक फ्लेवर (** *रस*) के कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताता है, जो संबंधित इमोशनल स्टेट (*भाव*) के ज़रिए हासिल होता है। कोर *रस* हैं *श्रृंगार*, *हास्य*, *करुणा*, *रौद्र*, *वीर*, *भयानक*, *विभत्स*, *अद्भुत* (बाद में *शांता को भी* शामिल किया गया)।
- **चार गुना अभिनय उपकरण (*अभिनय*):** यह नाटकीय संचार के चार आवश्यक तरीकों को परिभाषित करता है: *अंगिका* (शारीरिक अभिव्यक्ति), *वाचिका*

(मुखर वितरण), *आहार्य* (वेशभूषा/प्रॉप्स जैसी बाहरी सहायता), और *सात्विका* (मनोवैज्ञानिक/आंतरिक भावना)।

- **ड्रामा और स्टेजक्राफ्ट:** इसमें कहानी का स्ट्रक्चर, परफॉर्मर के रोल, अलग-अलग ड्रामा स्टाइल, थिएटर स्पेस का आर्किटेक्चर, मेकअप और डायरेक्टोरियल नोट्स शामिल हैं, जो एक पूरी टेक्निकल गाइड का काम करता है।
- **डांस और हाव-भाव को कोड बनाना:** इस टेक्स्ट में स्टैंडर्ड हाव-भाव (*मुद्राएं/हस्त*), आसन, चेहरे और आंखों के मूवमेंट, और *करण नाम के बेसिक मूवमेंट को ध्यान से बताया गया है*, जो फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी हैं।
- **आर्ट्स का इंटीग्रेशन: यह परफॉर्मेंस को** रिदम, म्यूज़िक, मूवमेंट और इमोशनल दिखाने का एक पूरा **मेल मानता है, जिससे आर्टिस्टिक थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने आप जुड़ जाते हैं।**
- यह थिएटर स्पेस (*नाट्य मंडप*) को तीन आर्किटेक्चरल स्टाइल में डिफाइन करता है: *विक्रिस्टा* (आयताकार), *चतुरास्र* (स्क्वायर), और *त्र्यासरा* (ट्रायएंगुलर)।
- *रसिका)* के कॉन्सेप्ट को बताता है , जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस (*रस*) को पूरी तरह से पाने और उसकी तारीफ़ करने के लिए ज़रूरी सेंसिटिव और कल्चर्ड इंसान के बारे में बताता है।

महत्व

- **सिविलाइज़ेशनल फाउंडेशन:** यह किताब पूरी भारतीय क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स परंपरा के लिए बुनियादी एस्थेटिक और थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर देती है, जिसमें डांस, थिएटर प्रैक्टिस, म्यूज़िक एजुकेशन और आर्ट थ्योरी शामिल हैं।
- **कल्चरल कंटिन्यूटी:** यह एक पुल की तरह काम करता है, जिससे कलाकार पारंपरिक तरीकों को नए तरीके से समझ पाते हैं और उन्हें मॉडर्न इस्तेमाल और ट्रेनिंग के लिए नया बना पाते हैं, साथ ही कला के मूल सिद्धांतों को भी बनाए रखते हैं।
- **दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों** की सांस्कृतिक परंपराओं और परफॉर्मेंस आर्ट्स पर इसका बहुत असर पड़ा , खासकर *मुद्राओं* और एपिक कहानी कहने के इस्तेमाल में ।
- इस टेक्स्ट को एक फिलॉसॉफिकल काम माना जाता है, जिसका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि दर्शकों को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाकर अनुभव की एक ऊंची, **बेहतरीन स्थिति में ले जाना है।**

निष्कर्ष

नाट्यशास्त्र भारतीय क्लासिकल कलाओं के लिए सबसे अहम किताब है, **जो** एस्थेटिक्स, ड्रामा और मूवमेंट का एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। इसकी रस थ्योरी और अभिनय के सिद्धांत पीढ़ियों तक परफॉर्मेंस की परंपराओं की कल्चरल और स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी पक्का करते हैं।

डिस्कनेक्ट करने का अधिकार विधेयक, 2025

प्रसंग

राइट **टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025** ने भारत के डिजिटल वर्क कल्चर में वर्क-लाइफ बैलेंस और एम्प्लॉई वेल-बीइंग पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है।

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 के बारे में

यह क्या है?

यह बिल कर्मचारियों को तय काम के घंटों के बाद **काम से जुड़ी बातचीत से अलग रहने का कानूनी अधिकार देने की कोशिश करता है, जिससे लगातार डिजिटल कनेक्टिविटी और रिमोट वर्क के इस ज़माने में पर्सनल टाइम सुरक्षित रहे।**

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **डिस्कनेक्ट करने का कानूनी अधिकार:** सेक्शन 7 हर कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट के काम के घंटों के बाद काम से जुड़े कॉल, ईमेल या मैसेज को बिना किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के डर के इग्नोर करने का अधिकार देता है।
- **'आउट-ऑफ़-वर्क आवर्स' की परिभाषा: यह** तय काम के शेड्यूल के अलावा समय को साफ़ तौर पर बताता है, जिससे कन्फ्यूजन और एम्प्लॉयर का दखल कम होता है।
- **एम्प्लॉई वेलफेयर अथॉरिटी:** लागू करने की देखरेख करने, एम्प्लॉई की इज्ज़त बचाने और वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाती है।
- **नेगोशिएशन चार्टर:** एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई चार्टर में आउट-ऑफ-वर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और आपसी सहमति से तय एक्सेप्शन को बताना ज़रूरी है।
- **ओवरटाइम मुआवज़ा:** सेक्शन 11 के मुताबिक, अगर कर्मचारी अपनी मर्ज़ी से काम के घंटों के बाद काम करते हैं, तो उन्हें नॉर्मल मज़दूरी पर ओवरटाइम पेमेंट मिलता है।
- **डिजिटल वेल-बीइंग उपाय:** इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, काउंसलिंग सर्विस और **डिजिटल डिटॉक्स सेंटर की ज़रूरत है** , खासकर रिमोट वर्क एनवायरनमेंट के लिए।
- **नियम न मानने पर पेनल्टी: नियम तोड़ने वाले ऑर्गनाइज़ेशन पर कुल एम्प्लॉई सैलरी का 1%** फ़ाइनेंशियल पेनल्टी लगाता है , जो एक मज़बूत रोकथाम का काम करता है।

भारत में ऐसे कानून की ज़रूरत:

- **हमेशा काम करने का कल्चर:** स्मार्टफोन, रिमोट वर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म के फैलने से काम के तय घंटे खत्म हो गए हैं, जिससे कर्मचारी हमेशा आसानी से मिल जाते हैं और प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी के बीच की साफ सीमाएं खत्म हो गई हैं।
- **मेंटल हेल्थ की चिंताएँ:** ज़्यादा डिजिटल अवेलेबिलिटी की वजह से बर्नआउट, एंग्जायटी और काम से होने वाले स्ट्रेस के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर युवा प्रोफेशनल्स

और गिग वर्कर्स में जिनके पास इंस्टीट्यूशनल सेफ़्टी के उपाय नहीं हैं।

- **काम की जगहों पर पावर का अंतर:** कर्मचारी अक्सर हायरार्की के दबाव, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल और नौकरी की असुरक्षा की वजह से काम के बाद होने वाली बातचीत को नज़रअंदाज़ करने में हिचकिचाते हैं, जिससे बिना मर्ज़ी के ओवरटाइम और चुपचाप शोषण होता है।
- **ग्लोबल कानूनी मिसाल:** फ्रांस, बेल्जियम, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कानूनी तौर पर डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को मान्यता दी है, जो मॉडर्न इकॉनमी में लेबर-राइट्स प्रोटेक्शन के तौर पर इसकी संभावना को दिखाता है।
- **प्रेजेंटीज़्म के बजाय प्रोडक्टिविटी:** यह कानून काम को घंटों के हिसाब से मापने के बजाय दिए गए नतीजों पर ध्यान देने को बढ़ावा देता है, जिससे एफिशिएंसी, इनोवेशन और लंबे समय तक एम्प्लॉई एंगेजमेंट में सुधार होता है।

संबंधित चुनौतियाँ

- **अलग-अलग तरह के काम के मॉडल:** भारत की इकॉनमी में मैन्युफैक्चरिंग, IT, गिग वर्क और ग्लोबल सर्विसेज़ शामिल हैं, जिससे उन सेक्टर्स के लिए एक जैसा रेगुलेशन मुश्किल हो जाता है जिन्हें टाइम-ज़ोन कोऑर्डिनेशन या इमरजेंसी में जवाब देने की ज़रूरत होती है।
- **एनफोर्समेंट में मुश्किलें:** WhatsApp मैसेज या देर रात कॉल जैसे इनफॉर्मल डिजिटल कम्युनिकेशन को मॉनिटर करना रेगुलेटर्स के लिए प्रैक्टिकल और सबूतों से जुड़ी मुश्किलें खड़ी करता है।
- **SME कम्प्लायंस का बोझ:** छोटे और मीडियम एंटरप्राइज़ को चार्टर बनाने, कम्प्लायंस रिकॉर्ड बनाए रखने और संभावित फाइनेंशियल पेनल्टी झेलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
- **रेगुलेटरी सख्ती का रिस्क:** बहुत ज़्यादा सख्त नियम पीक बिज़नेस साइकिल, इमरजेंसी या क्लाइंट-ड्रिवन डेडलाइन के दौरान ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर सकते हैं।
- **प्राइवेट मेंबर बिल की लिमिट:** सरकारी स्पॉन्सरशिप के बिना, प्राइवेट मेंबर बिल शायद ही कभी कानून बनते हैं, जिससे पॉलिसी में ज़रूरी होने के बावजूद तुरंत कानूनी असर कम हो जाता है।

पश्चिमी गोलार्ध

- **अलग-अलग और सेक्टर के हिसाब से अपनाना:** सेक्टर की ज़रूरतों के आधार पर अलग-अलग नियम लागू करें, जिससे ग्लोबल टीमों को आसानी हो और रेगुलर कर्मचारियों को डिजिटल दखल से बचाया जा सके।
- **तीन-तरफ़ा बातचीत का तरीका:** सरकार, मालिकों और मज़दूरों के प्रतिनिधियों के बीच स्ट्रक्चर्ड सलाह-मशविरा से बैलेंस्ड, लागू करने लायक और कॉन्टेक्स्ट-सेंसिटिव नियम बनाने में मदद मिल सकती है।
- **शुरुआत में सॉफ्ट-लॉ अप्रोच:** मौजूदा लेबर कोड के तहत गाइडलाइंस, फॉर्मल कानूनी सपोर्ट से पहले फ़ीज़िबिलिटी और एक्सेप्टेंस को टेस्ट कर सकती हैं।
- **व्यवहार और सांस्कृतिक बदलाव:** जागरूकता कैंपेन में मैनेजर और कर्मचारियों, दोनों के बीच ज़िम्मेदार डिजिटल कम्युनिकेशन के नियमों को बढ़ावा देना चाहिए।
- **लेबर और हेल्थ पॉलिसी के साथ इंटीग्रेशन:** पूरी वर्कफोर्स सुरक्षा के लिए डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मेंटल वेल-बीइंग और प्रोडक्टिविटी फ्रेमवर्क से जोड़ें।

निष्कर्ष

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 भारत के डिजिटल वर्कफोर्स की बदलती असलियत और मेंटल हेल्थ की सुरक्षा की बढ़ती ज़रूरत को दिखाता है। हालांकि कानूनी और प्रैक्टिकल चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इस बिल ने इंसानी, टिकाऊ वर्क कल्चर पर एक ज़रूरी बातचीत शुरू की है। काम पर फ्लेक्सिबिलिटी और सम्मान के बीच बैलेंस बनाना भारत में भविष्य के लेबर गवर्नेंस के लिए ज़रूरी होगा।

कैबिनेट ने इंश्योरेंस में 100% FDI को मंज़ूरी दी

प्रसंग

यूनियन कैबिनेट ने इंश्योरेंस कंपनियों में **फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। यह बदलाव इंश्योरेंस लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2025 के** ज़रिए लागू किया जाएगा ।

FDI क्या है?

फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) तब होता है जब कोई **नॉन-रेसिडेंट इन्वेस्टर किसी इंडियन कंपनी में** इक्विटी स्टेक (**10% या उससे ज़्यादा**) लेता है। यह इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय तक चलने वाला इंटरेस्ट दिखाता है और नॉन-रेसिडेंट इन्वेस्टर को कुछ हद तक कंट्रोल या मैनेजमेंट पर असर देता है।

इंश्योरेंस सेक्टर के मामले में, **100% FDI का मतलब है कि एक विदेशी इंश्योरेंस कंपनी अब** भारतीय रेगुलेटरी शर्तों के तहत, किसी भारतीय इंश्योरेंस कंपनी में पूरी ओनरशिप रख सकती है।

भारत में FDI कैसे काम करता है?

विदेशी निवेशक अलग-अलग तरीकों से भारतीय कंपनियों में पैसा लगाते हैं:

- शेयरों का सब्सक्रिप्शन (MoA, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट्स/बोनस इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए)।
- मर्जर, डीमर्जर और अमेलगमेशन।
- मौजूदा निवासियों से शेयर खरीदें।
- कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स/नोट्स का कन्वर्ज़न, इंस्ट्रूमेंट्स की अदला-बदली, वगैरह।

FDI को **FEMA** , सेक्टोरल कैप, प्राइसिंग गाइडलाइंस, एंट्री रूट्स और सरकार/RBI द्वारा तय शर्तों के तहत रेगुलेट किया जाता है।

भारत में दो FDI रूट:

एफडीआई मार्ग	पूर्व अनुमोदन	स्थितियाँ
स्वचालित मार्ग	इसके लिए सरकार या RBI से पहले कोई मंज़ूरी ज़रूरी नहीं है।	इन्वेस्टमेंट को सेक्टोरल कैप, FEMA नियम, SEBI/RBI के नियम वगैरह के हिसाब से होना चाहिए। इन्वेस्टर को सिर्फ़ बताए गए फ़ॉर्म भरने और रिपोर्ट करने की ज़रूरत है।
सरकारी मार्ग	पहले से **सरकारी मंज़ूरी** ज़रूरी है।	एप्लीकेशन **फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल (FIFP) के ज़रिए किया जाता है** । अप्रूवल में कुछ खास शर्तें (लॉक-इन, रिपोर्टिंग, सिक्योरिटी शर्तें, वगैरह) हो सकती हैं।

FDI के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र:

कई सेक्टर में FDI की सख्त **मनाही है, जिनमें शामिल हैं:**

- लॉटरी बिज़नेस, जिसमें ऑनलाइन लॉटरी भी शामिल है।
- जुआ और सट्टा, जिसमें कैसीनो भी शामिल हैं।
- चिट फंड (कुछ NRI/OCI नॉन-रिपैट्रिएशन मामलों को छोड़कर)।
- निधि कंपनियाँ।
- ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDRs) में ट्रेडिंग।
- रियल एस्टेट बिज़नेस और फार्महाउस का कंस्ट्रक्शन।
- सिगरेट, सिगार, सिगारिलो या तंबाकू/इसके विकल्प बनाना।
- वे सेक्टर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खुले नहीं हैं (जैसे, एटॉमिक एनर्जी, कुछ रेलवे ऑपरेशन)।
- लॉटरी और जुए/सट्टेबाजी में टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन (ब्रांड/फ्रैंचाइज़ी/मैनेजमेंट) भी मना है।

इंश्योरेंस में प्रोग्रेसिव FDI लिबरलाइज़ेशन:

इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट को पिछले कुछ सालों में धीरे-धीरे लिबरलाइज़ किया गया है:

- **2015:** FDI कैप **26% से बढ़ाकर 49% कर दी गई** ।
- **2021:** भारतीय प्रबंधन और नियंत्रण से संबंधित सुरक्षा उपायों के साथ FDI सीमा **49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई।**
- **2025 (प्रस्तावित):** FDI कैप को बढ़ाकर **100% किया जाना है** । इस बदलाव के लिए इंश्योरेंस लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2025 में बदलाव और LIC एक्ट, 1956, IRDA एक्ट, 1999 और इंश्योरेंस एक्ट, 1938 में बदलाव करने होंगे।

निष्कर्ष

इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI का कदम एक दशक से चल रहे लिबरलाइज़ेशन प्रोसेस का नतीजा है। इस बड़े फैसले का मकसद बड़ी ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करना, कॉम्पिटिशन बढ़ाना और पूरे भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाना है।

निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोल लिंकेज की नीलामी नीति (कोलसेतु)

प्रसंग

यूनियन कैबिनेट ने नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर (NRS) लिंकेज पॉलिसी के तहत एक नई **कोलसेटू विंडो बनाने को मंज़ूरी दे दी है, जिससे किसी भी इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और एक्सपोर्ट के लिए लंबे समय तक कोल लिंकेज हो सकेगा।**

निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोल लिंकेज की नीलामी की नीति (कोलसेतु) के बारे में

यह क्या है?

नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर (NRS) लिंकेज पॉलिसी के तहत एक **नई नीलामी-आधारित कोल लिंकेज विंडो है, जो किसी भी घरेलू इंडस्ट्रियल खरीदार को** भारत के अंदर रीसेल को छोड़कर, अपने इस्तेमाल या एक्सपोर्ट (50% तक) के लिए लंबे समय के कोल लिंकेज हासिल करने की अनुमति देती है।

मंत्रालय: कोयला मंत्रालय, भारत सरकार

नीति का उद्देश्य:

- घरेलू कोयला संसाधनों का ट्रांसपेरेंट, आसान और कुशल इस्तेमाल पक्का करना।
- बिज़नेस करने में आसानी को बढ़ावा देना और कोयले के इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना।
- धुले हुए कोयले की उपलब्धता बढ़ाना और एक्सपोर्ट के मौकों को सपोर्ट करना।

प्रमुख विशेषताएं

1. एनआरएस नीति (2016) में नई कोलसेतु विंडो:

- **किसी भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को** कोल लिंकेज ऑक्शन में भाग लेने की अनुमति देता है ।
- मौजूदा NRS ऑक्शन (सीमेंट, स्पंज आयरन, स्टील, एल्युमीनियम और CPPs के लिए) जारी रहेंगे।
- ये मौजूदा यूज़र CoalSETU विंडो में भी बिड कर सकते हैं।

2. कोई एंड-यूज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं:

- **खुद के इस्तेमाल, धुलाई या एक्सपोर्ट (50% तक)** के लिए किया जा सकता है ।
- **कोकिंग कोल को** इस विंडो से बाहर रखा गया है।
- सट्टेबाज़ी से जमाखोरी रोकने के लिए **ट्रेडर्स को बोली लगाने से रोक दिया गया है ।**

3. एक्सपोर्ट में आसानी:

- **दिए गए कोयले का 50%** तक एक्सपोर्ट कर सकती हैं ।
- धुले हुए कोयले को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त है।
- ऑपरेशनल ज़रूरतों के हिसाब से **ग्रुप कंपनियों** के बीच कोयला शेयर किया जा सकता है ।

4. वाशरी ऑपरेटरों को बढ़ावा:

- प्राइवेट वॉशरीज़ की ग्रोथ को बढ़ावा देता है।

- धुले हुए, साफ़ कोयले की घरेलू सप्लाई में सुधार करता है।
- इम्पोर्ट पर निर्भरता कम हो सकती है और एक्सपोर्ट वायबिलिटी बेहतर हो सकती है।

5. कोयला क्षेत्र सुधारों के साथ संरेखण:

- **2020 के सुधार को** पूरा करता है, जो एंड-यूज़ पर रोक के बिना कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त देता है।
- मिनरल रिसोर्स के सही, मार्केट-ड्रिवन एलोकेशन को मज़बूत करता है।

नीति का महत्व:

- **ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव एलोकेशन को बढ़ावा देता है:** ऑक्शन-बेस्ड लिंकेज फेयर मार्केट एक्सेस पक्का करते हैं और बंद कमरे में होने वाले एलोकेशन को हटाते हैं।
- **इम्पोर्ट पर निर्भरता कम होती है:** घरेलू पहुंच बढ़ाकर और धुले हुए कोयले की उपलब्धता में सुधार करके, इंडस्ट्रीज़ महंगे इम्पोर्ट पर निर्भरता कम कर सकती हैं।
- **इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है:** पहले बाहर रखे गए छोटे, मीडियम और नए इंडस्ट्रीज़ को लंबे समय तक कोयले की पक्की सप्लाई देता है।

निष्कर्ष

कोलसेटू पॉलिसी नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर में कोयला एलोकेशन को मार्केट करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक्सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑक्शन-बेस्ड लिंकेज को बढ़ावा देकर और धुले हुए कोयले की सप्लाई को बढ़ावा देकर, इसका मकसद घरेलू इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना और इम्पोर्ट पर निर्भरता को कम करना है, जो बड़े कोल सेक्टर सुधारों के साथ अलाइन है।

भारत को बदलने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की तरक्की का सस्टेनेबल इस्तेमाल (शांति बिल)

प्रसंग

यूनियन कैबिनेट ने **एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025 को मंज़ूरी दे दी है** , जिसे SHANTI बिल के नाम से जाना जाएगा। यह 1962 के बाद से भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में सबसे बड़ा सुधार है। यह बिल पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव है, जो दशकों पुराने सरकारी मॉडल से हटकर प्राइवेट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले मॉडल की ओर बढ़ रहा है।

शांति बिल (एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025) के बारे में

यह क्या है?

एक बड़ा न्यूक्लियर-सेक्टर सुधार बिल जो बिखरे हुए कानूनों की जगह लेगा और भारत के न्यूक्लियर गवर्नेंस, सेफ्टी, लायबिलिटी और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाएगा। यह बहुत ज़्यादा पाबंदी वाले सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोलने की कोशिश करता है।

मंत्रालय: प्रधानमंत्री के सीधे कंट्रोल में **डिपार्टमेंट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी (DAE)** ने इसे पेश किया है ; रेगुलेटरी सुधारों में एक **इंडिपेंडेंट** न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी बनाना शामिल है।

अभी न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करने वाला कानून: भारत के न्यूक्लियर सेक्टर की देखरेख मुख्य रूप से ये करते हैं:

- **एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962:** इस एक्ट ने नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी की चिंताओं का हवाला देते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर प्लांट चलाने से पूरी तरह रोक दिया था। एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इस्तेमाल और डिस्पोज़ल पर केंद्र सरकार का काफी कंट्रोल था।
- **सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 (CLND एक्ट):** इस एक्ट की आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि यह सप्लायर्स पर भारी और साफ़ न होने वाला लायबिलिटी का बोझ डालता है, जो विदेशी वेंडर्स के लिए एक रुकावट का काम करता है।

मकसद: बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर विस्तार को मुमकिन बनाना, प्राइवेट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, रेगुलेटरी ओवरसाइट को मॉडर्न बनाना, लायबिलिटी नियमों में सुधार करना, और **2047 तक भारत को 100 GW न्यूक्लियर पावर तक पहुंचाने के रास्ते में तेज़ी लाना** । यह भारत की लॉन्ग-टर्म डीकार्बोनाइजेशन स्ट्रैटेजी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है।

मुख्य प्रावधान (विशेषताएँ)

- **प्राइवेट प्लेयर्स के लिए न्यूक्लियर वैल्यू चेन खोलना:** एटॉमिक मिनरल्स की खोज, फ्यूल फैब्रिकेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और शायद प्लांट ऑपरेशन्स में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री की इजाज़त देता है। बिल प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में **49% तक माइनॉरिटी इक्विटी की इजाज़त देता है।**
- **यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क:** पुराने कानूनों को एक आसान लाइसेंसिंग, सेफ्टी, कम्प्लायंस और ऑपरेशन्स स्ट्रक्चर में जोड़ता है। इस बिल का मकसद एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010, दोनों को खत्म करना है।
- **रिफॉर्म्ड न्यूक्लियर लायबिलिटी आर्किटेक्चर:** यह फ्रेमवर्क ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से बनाया गया है।
  - इसमें ऑपरेटर-सप्लायर की ज़िम्मेदारियों का साफ़ ब्यौरा शामिल है।
  - इसमें इंश्योरेंस-बैक्ड लायबिलिटी कैप्स शुरू की गई हैं।
  - सरकार एक तय लिमिट से ज़्यादा बैकस्टॉपिंग देगी।
  - हर न्यूक्लियर घटना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारी तीन सौ मिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) या उससे ज़्यादा रुपये के बराबर होगी, जैसा कि केंद्र सरकार तय करेगी।
- **इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी:** ट्रांसपेरेंट, प्रोफेशनल और ग्लोबल बेंचमार्क वाली सेफ्टी निगरानी पक्का करने के लिए एक नया रेगुलेटर बनाया जाएगा।

- **डेडिकेटेड न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल:** लायबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े झगड़ों को अच्छे से निपटाने के लिए एक खास सिस्टम बनाया जाएगा।
- **छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) को बढ़ावा:** यह बिल इंडस्ट्रियल और ग्रिड-स्केल डीकार्बोनाइजेशन के लिए SMRs के R&D और डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है।

महत्व

- **सरकारी मोनोपॉली खत्म:** 60 साल से ज़्यादा पुरानी सरकारी मोनोपॉली खत्म, जिससे प्राइवेट इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
- **एनर्जी टारगेट के लिए ज़रूरी:** यह **2047 तक 100 GW न्यूक्लियर कैपेसिटी का लक्ष्य और 2070 तक** भारत के नेट-ज़ीरो टारगेट को पाने के लिए ज़रूरी है।
- **एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत करता है:** न्यूक्लियर पावर को भारत की लंबे समय की डीकार्बनाइज़ेशन स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बनाता है, जिससे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है और एनर्जी मिक्स स्थिर होता है।
- **ग्रिड स्टेबिलिटी पर ध्यान:** न्यूक्लियर एनर्जी भरोसेमंद बेसलोड पावर देती है, जो तेज़ी से बढ़ रहे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रुक-रुक कर आने को देखते हुए ज़रूरी है।

निष्कर्ष

SHANTI बिल एक ऐतिहासिक बदलाव है, जो 60 साल से चली आ रही सरकारी मोनोपॉली को खत्म करता है। लायबिलिटी में सुधार और प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करके, यह बिल 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसे मज़बूत सेफ्टी निगरानी के साथ लागू किया जाता है, तो यह सुधार न्यूक्लियर एनर्जी को भारत के नेट-ज़ीरो और एनर्जी सिक्योरिटी लक्ष्यों की नींव के तौर पर मज़बूती से स्थापित कर सकता है।

PwBD कैंडिडेट्स के लिए सेंटर ऑफ़ चॉइस फैसिलिटी

प्रसंग

UPSC ने एक नई 'सेंटर ऑफ़ चॉइस' सुविधा शुरू की है, जिससे यह पक्का होगा कि सभी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ (PwBD) कैंडिडेट्स को उनका पसंदीदा एग्जाम सेंटर मिले।

समाचार के बारे में

यह क्या है? UPSC की एक नई पहल जो यह गारंटी देती है कि हर PwBD एप्लीकेंट को उनके एप्लीकेशन फॉर्म में चुना गया एग्जाम सेंटर ही दिया जाएगा, चाहे कैपेसिटी की कोई भी कमी हो।

मकसद: PwBD कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम में आसानी, सुविधा और इज्ज़त पक्का करना।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **गारंटीड पसंदीदा सेंटर:** सभी PwBD कैंडिडेट्स को उनके पसंदीदा सेंटर की गारंटी दी जाती है।
- **कैपेसिटी की परवाह किए बिना:** दूसरे कैंडिडेट्स के लिए कैपेसिटी लिमिट पूरी होने के बाद भी PwBD कैंडिडेट्स के लिए सेंटर उपलब्ध रहेंगे।
- **एडिशनल कैपेसिटी:** UPSC ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल कैपेसिटी बनाएगा, ताकि किसी भी PwBD एप्लीकेंट को उनकी पसंद से मना न किया जाए।
- **डेटा-ड्रिवन रिफॉर्म:** यह रिफॉर्म दिल्ली, पटना, लखनऊ और कटक जैसे भीड़भाड़ वाले सेंटर्स के 5 साल के एनालिसिस पर आधारित है।

महत्व

यह नई पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि:

- **समावेशी नीति को मजबूत करता है:** यह समावेशी परीक्षा नीति को मजबूत करता है और **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत अधिकारों के साथ संरेखित करता है** ।
- **रुकावटें कम करता है:** यह दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए खर्च, यात्रा का बोझ और शारीरिक रुकावटों को कम करता है।
- **इक्विटी बढ़ाता है:** यह इक्विटी, फेयरनेस को बढ़ाता है, और भारत की सबसे अच्छी परीक्षाओं में बराबरी का मौका देता है।
- **मॉडल इंस्टीट्यूशन:** यह आसान गवर्नेंस के लिए एक मॉडल इंस्टीट्यूशन के तौर पर UPSC की भूमिका को पक्का करता है।

निष्कर्ष

'सेंटर ऑफ़ चॉइस' सुविधा UPSC का एक प्रोएक्टिव, डेटा-ड्रिवन सुधार है जो RPwD एक्ट, 2016 में बताए गए एक्सेसिबिलिटी और भेदभाव न करने के सिद्धांतों के प्रति कमिटमेंट दिखाता है, और पब्लिक परीक्षाओं में इनक्लूसिव गवर्नेंस के लिए एक बेंचमार्क सेट करता है।

नाइट्रोफ्यूरान

प्रसंग

दिसंबर 2025 में , भारत में फूड सेफ़्टी को लेकर एक बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब लैब रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर नाइट्रोफ़्यूरन्स के होने का खुलासा हुआ। **नाइट्रोफ़्यूरन्स** दुनिया भर में बैन एंटीबायोटिक्स की एक क्लास है, जो खाना बनाने वाले जानवरों में, खासकर पॉपुलर प्रीमियम ब्रांड और बिना ब्रांड वाले लोकल सप्लायर के अंडों में होती है।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

नाइट्रोफ्यूरान सिंथेटिक ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स (जैसे, फ्यूराज़ोलिडोन, नाइट्रोफ्यूराज़ोन) हैं जिनका इस्तेमाल कभी पोल्ट्री में साल्मोनेला जैसी बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता था। इनके लगातार बने रहने और सेहत को होने वाले खतरों की वजह से, इन्हें 1993 से EU में और 1991 से US में जानवरों पर इस्तेमाल के लिए बैन कर दिया गया है।

मुख्य घटनाक्रम:

- **"एगोज़" विवाद:** यह मुद्दा तब देश भर में चर्चा में आया जब "ट्रस्टीफाइड" प्लेटफॉर्म की एक वायरल लैब-टेस्ट रिपोर्ट में एगोज़ न्यूट्रिशन के सैंपल में **AOZ (एक नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट) के निशान पाए गए।**
- **रेगुलेटरी जवाब: 15 दिसंबर, 2025** को , **FSSAI** (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने 10 नेशनल लैबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए ब्रांडेड और अनब्रांडेड, दोनों सोर्स से अंडे के सैंपल इकट्ठा करने के लिए तुरंत पूरे देश में एक ड्राइव चलाने का आदेश दिया।
- **इंडस्ट्री का रुख:** कंपनियों ने NABL से मान्यता प्राप्त रिपोर्ट शेयर की हैं, जिसमें दावा किया गया है कि उनके प्रोडक्ट **BLQ** (बिलो लिमिट ऑफ़ क्वांटिफिकेशन) हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रेस लेवल (1.0 µg/kg से कम) भी पक्षी के प्रोडक्शन साइकिल के दौरान गैर-कानूनी इस्तेमाल का संकेत देते हैं।

नाइट्रोफ्यूरान पर बैन क्यों है?

- **कैंसर होने का खतरा: चूहों पर हुई स्टडीज़ से पता चला है कि नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स के लंबे समय तक संपर्क में रहने से जेनेटिक डैमेज हो सकता है और लिवर, किडनी और ओवेरियन ट्यूमर** का खतरा बढ़ सकता है ।
- **जीनोटॉक्सिसिटी:** कुछ एंटीबायोटिक्स जो सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, उनके उलट, नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स (जैसे AOZ और SEM) जानवरों के टिशू से जुड़ जाते हैं और पकाने के बाद भी हफ़्तों तक बने रहते हैं।
- **न्यूरोटॉक्सिसिटी:** ज़्यादा या लंबे समय तक संपर्क में रहने से पेरिफेरल न्यूरिटिस (नर्व डैमेज) होता है, जिससे हाथों और पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी और मांसपेशियों में कमज़ोरी होती है।
- **एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR):** खेती में गैर-कानूनी इस्तेमाल से "सुपरबग्स" पैदा होते हैं, जिससे इंसानों के लिए ज़रूरी दवाएं कम असरदार हो जाती हैं।

तुलना: लीगल बनाम बैन एंटीबायोटिक्स (FSSAI 2025)

वर्ग	प्रतिबंधित (अप्रैल 2025 से प्रभावी)	अनुमत (सहनशीलता सीमा के साथ)
उदाहरण	**नाइट्रोफ्यूरान** , क्लोरैम्फेनिकॉल, कोलिस्टिन	एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन जी, जेंटामाइसिन
जोखिम स्तर	उच्च (कैंसरजन्य/जीनोटॉक्सिक)	मध्यम (प्रतिरोध का जोखिम)
उपयोग का कारण	सस्ता, कई तरह के इन्फेक्शन का इलाज करता है	विशिष्ट बीमारियों का लक्षित उपचार
प्रवर्तन	शून्य सहिष्णुता	अनिवार्य निकासी अवधि

व्यापक संदर्भ: "मिलावट संकट"

अंडा सुरक्षा अभियान, फूड चेन में केमिकल के गलत इस्तेमाल के खिलाफ़ 2025 में FSSAI की बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है:

- **डेयरी:** दूध में डिटर्जेंट और यूरिया का पता लगाना।
- **सिंथेटिक खाना:** पाम ऑयल और सल्फ्यूरिक एसिड से बना "नकली पनीर"।
- **कन्फेक्शनरी:** कॉटन कैंडी और कबाब में नुकसानदायक रंगों (जैसे, रोडामाइन-B) पर बैन।
- **हेल्थकेयर लिंक:** भारत में ऑन्कोलॉजिस्ट रोज़ाना खाने में इस "केमिकल कॉकटेल" को शुरुआती कैंसर के बढ़ते मामलों से जोड़ रहे हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सख्त फार्म ऑडिट:** फाइनल प्रोडक्ट (अंडे) की टेस्टिंग के बजाय पोल्ट्री फीड और फार्म के तरीकों का ऑडिट करना ताकि सोर्स पर ही गैर-कानूनी इस्तेमाल को पकड़ा जा सके।
- **"क्लीन लेबल" सर्टिफ़िकेशन:** कस्टमर "एंटीबायोटिक-फ़्री" सर्टिफाइड अंडों की तरफ़ जा रहे हैं, जिसके लिए थर्ड-पार्टी से सख़्त वैलिडेशन की ज़रूरत होती है।
- **कंज्यूमर अवेयरनेस:** FSSAI फ्रेशनेस के लिए **"फ्लोट टेस्ट" की सलाह देता है** , हालांकि यह चेतावनी देता है कि फिजिकल टेस्ट से एंटीबायोटिक के बचे हुए हिस्से का पता नहीं चल सकता; सिर्फ लैब टेस्टिंग ही असरदार है।
- **ट्रेसेबिलिटी:** अंडे के कार्टन पर ब्लॉकचेन या QR कोड का इस्तेमाल करके बैच को खास पोल्ट्री फार्म तक ट्रैक करना।

निष्कर्ष

नाइट्रोफ्यूरन्स का विवाद भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है। जहाँ ब्रांड अपने "सेफ" लेबल का बचाव करते हैं, वहीं FSSAI का दखल यह पक्का करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है कि "विकसित भारत" का मतलब "स्वस्थ भारत" भी हो, जिसकी फूड चेन कार्सिनोजेन्स से मुक्त हो।

भारत में अंगदान के रुझान (2025)

प्रसंग

अगस्त 2025 में , 15वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के दौरान, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्रांसप्लांट के लिए एक "रिकॉर्ड तोड़ने वाला" साल बताया, साथ ही गहरे **जेंडर इम्बैलेंस पर भी बात**

की। हालांकि भारत कुल ट्रांसप्लांट में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है , लेकिन कौन "देता है" और कौन "लेता है" के बीच का अंतर एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक चिंता बनी हुई है।

समाचार के बारे में

वर्तमान स्थिति (2024–25):

- **कुल ट्रांसप्लांट:** भारत ने 2024 में रिकॉर्ड **18,911 ट्रांसप्लांट किए** (2013 में ~5,000 से ज़्यादा)।
- **वेटिंग लिस्ट: दिसंबर 2025** तक , **82,285 से ज़्यादा मरीज़** नेशनल ट्रांसप्लांट वेटलिस्ट में हैं।
- **"जेंडर गैप":** दशक का डेटा (2013–2023) और हाल की 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग **80% जीवित डोनर महिलाएं हैं** , जबकि लगभग **80% पाने वाले पुरुष हैं** ।

राज्यवार इच्छा और प्रदर्शन:

- **दिल्ली:** कुल किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में सबसे आगे; रिपोर्ट्स बताती हैं कि **27% महिलाएं** डोनेट करने को तैयार हैं, जबकि **16% पुरुष** ।
- **ओडिशा:** हाल ही में इसे "उभरते हुए राज्य" के तौर पर पहचान मिली है, और खास तौर पर देश भर में **पुरुषों में सबसे ज़्यादा इच्छा दिखाई गई है।**
- **दक्षिणी राज्य:** तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक **मृतक (शव) दान में सबसे आगे हैं** , और देश के कुल दान में इनका योगदान 70% से ज़्यादा है।

जेंडर गैप क्यों? ("ब्रेडविनर" पैराडॉक्स)

- **सोशल कंडीशनिंग:** महिलाओं (मां, पत्नी और बहनें) को कल्चर के हिसाब से "पालन-पोषण करने वाली" और "देखभाल करने वाली" माना जाता है, और वे अक्सर डोनेशन को मेडिकल चॉइस के बजाय एक नैतिक ज़िम्मेदारी मानती हैं।
- **आर्थिक कमज़ोरी:** पुरुषों को आम तौर पर घर चलाने वाला "रोटी कमाने वाला" माना जाता है। परिवार इनकम कम होने के डर से पुरुषों को सर्जरी करवाने की इजाज़त देने में हिचकिचाते हैं, जिससे महिलाएं "खर्च करने लायक" डोनर बन जाती हैं।
- **पाने वाले के साथ भेदभाव:** ऑर्गन का इंतज़ार कर रही महिलाओं को अक्सर परिवार वाले प्राथमिकता नहीं देते; आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं लिस्ट में ज़्यादा समय तक इंतज़ार करती हैं और इंतज़ार करते समय उनकी मौत की दर भी ज़्यादा होती है।
- **मेडिकल फैक्टर:** लाइफस्टाइल से जुड़े ऑर्गन फेलियर (शराब या तंबाकू की वजह से) पुरुषों में आंकड़ों के हिसाब से ज़्यादा होते हैं, जिससे उनके लिए रिसीवर की मांग बढ़ जाती है।

नियामक एवं संस्थागत ढांचा

- **थोटा (1994/2011):** *मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम,* निष्कासन , भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है।
  - **2011 अमेंडमेंट: "करीबी रिश्तेदारों" की परिभाषा को बढ़ाकर इसमें दादा-दादी और पोते-पोतियों को भी शामिल किया गया और स्वैप डोनेशन** का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया ।
- **NOTTO (नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइज़ेशन):** नेशनल रजिस्ट्री और प्रोक्योरमेंट को मैनेज करने वाली सबसे बड़ी संस्था।
- **हाल के 2023–2025 सुधार:**
  - **एक देश, एक पॉलिसी:** "स्टेट डोमिसाइल" की ज़रूरत हटा दी गई, जिससे मरीज़ किसी भी राज्य में रजिस्टर कर सकते हैं।
  - **कोई उम्र की सीमा नहीं:** मृतक डोनर रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपरी उम्र की सीमा (पहले 65) खत्म कर दी गई।
  - **महिलाओं को प्राथमिकता:** NOTTO ने जेंडर के अंतर को ठीक करने के लिए महिला मरीज़ों को प्राथमिकता देने के लिए एक एडवाइज़री जारी की।

तुलना: जीवित बनाम मृतक दान (2024-25)

वर्ग	जीवित दाताओं	मृतक (शव) दाता
आयतन	~15,000+ (उच्च निर्भरता)	~1,128 (बहुत कम)
लिंग भेद	अत्यधिक उच्च (80% महिला)	अधिक लिंग-संतुलित
प्रमुख राज्य	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र	तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात
प्रमुख अंग	गुर्दा, यकृत (आंशिक)	हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय, गुर्दे

आगे बढ़ने का रास्ता

- **मृतक डोनेशन की ओर बदलाव:** जीवित डोनर्स पर निर्भरता कम करना ही महिलाओं पर दबाव खत्म करने का एकमात्र स्ट्रक्चरल तरीका है।
- **जेंडर-सेंसिटिव पॉलिसी:** सभी राज्यों में महिला पाने वालों के लिए NOTTO के "प्रायोरिटी पॉइंट्स" को लागू करना।
- **जागरूकता अभियान:** " **अंगदान-जीवन संजीवनी अभियान"** (2025) का लक्ष्य ग्रामीण घरों में ब्रेन डेथ और धार्मिक वर्जनाओं के बारे में गलतफहमियों को दूर करना है।
- **इंश्योरेंस कवरेज:** ऑर्गन ट्रांसप्लांट डोनर्स के लिए सस्ता इंश्योरेंस, ताकि कमाने वालों की "इनकम कम होने" के डर को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

हालांकि भारत की सर्जिकल क्षमता वर्ल्ड-क्लास है, लेकिन इसका ऑर्गन डोनेशन इकोसिस्टम जेंडर इनइक्वालिटी के "साइलेंट क्राइसिस" को दिखाता है। एक ऐसे सिस्टम से आगे बढ़ना जहां "वह देती है और वह लेता है" एक मजबूत, मृतक-डोनर के नेतृत्व वाले मॉडल की ओर बढ़ना एक समान और मॉडर्न हेल्थकेयर सिस्टम के लिए ज़रूरी है।

व्यापार घाटा

प्रसंग

नवंबर 2025 में , भारत का **कुल व्यापार घाटा (गुड्स + सर्विसेज़)** तेज़ी से कम होकर **USD 6.64 बिलियन हो गया, जो नवंबर 2024 के USD 17.06 बिलियन** से काफ़ी बेहतर है । यह कमी **मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड उछाल** और त्योहारों के मौसम के पीक के बाद **सोने के इम्पोर्ट में तेज़ गिरावट** की वजह से हुई ।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि

- ट्रेड **डेफिसिट** तब होता है जब **इम्पोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाती है** ।
- त्योहारों की मांग और रिकॉर्ड सोने के इंपोर्ट के कारण **अक्टूबर 2025** में भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया था।
- में मर्चेंडाइज़ ट्रेड गैप **पांच महीने के सबसे निचले स्तर पर था , जो कमज़ोर ग्लोबल डिमांड और ट्रेड प्रोटेक्शनिज़्म के बावजूद एक्सपोर्ट रेजिलिएंस को दिखाता है।**

मुख्य डेटा हाइलाइट्स (नवंबर 2025)

व्यापारिक व्यापार

- **निर्यात:**
  - **USD 38.13 बिलियन** , **पिछले दशक में किसी भी नवंबर के लिए सबसे ज़्यादा**
  - **19.4% साल-दर-साल वृद्धि**
- **आयात:**
  - **USD 62.66 बिलियन ,** नवंबर 2024 में **USD 63.87 बिलियन** से थोड़ा कम
- **व्यापारिक व्यापार घाटा:**
  - **24.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर**

सोने का आयात

- **पिछले साल की तुलना में ~60%** की गिरावट के साथ **USD 4 बिलियन** हुआ
- कारण:
  - सोने की कीमतें **₹1.35 लाख प्रति 10 ग्राम के पार**
  - त्योहारी सीजन के बाद मांग में कमी

सेवा व्यापार

- **सेवा निर्यात: 35.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर**
- **IT, बिज़नेस सर्विसेज़ और कंसल्टिंग** में लगातार मज़बूत सरप्लस , जिससे मर्चेंडाइज़ डेफिसिट को पूरा करने में मदद मिली।

मुख्य अवधारणाएँ और सूत्र

- **व्यापार संतुलन (BoT)** = कुल निर्यात – कुल आयात
- **मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट:** सिर्फ फिजिकल सामान में अंतर
- **कुल व्यापार घाटा: इसमें सामान + सेवाएं** शामिल हैं
- **चालू खाता घाटा (CAD):**
  - व्यापार घाटा **सबसे बड़ा घटक है**
  - नवंबर में सुधार के बावजूद, अक्टूबर में तेज़ी के कारण

Q3 FY26 CAD बढ़ सकता है

अक्टूबर बनाम नवंबर 2025: एक तुलना

सूचक	अक्टूबर 2025	नवंबर 2025	रुझान
व्यापारिक घाटा	41.68 अरब अमेरिकी डॉलर	24.53 अरब अमेरिकी डॉलर	तीव्र संकुचन
सोने का आयात	14.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रिकॉर्ड)	4.00 अरब अमेरिकी डॉलर	73% मासिक गिरावट
निर्यात वृद्धि	−11.8%	+19.4%	मजबूत पलटाव
अमेरिका को निर्यात	6.31 अरब अमेरिकी डॉलर	6.98 अरब अमेरिकी डॉलर	टैरिफ के बावजूद रिकवरी

मुख्य निहितार्थ

1. निर्यात लचीलापन

- **अगस्त 2025 से 50% US टैरिफ लगाए जाने** के बावजूद , US को भारतीय एक्सपोर्ट में **YoY 22.6% की बढ़ोतरी हुई** ।
- इंगित करता है:
  - एक्सपोर्टर्स द्वारा लागत का एब्ज़ॉर्प्शन, या
  - फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे **टैरिफ-रेज़िलिएंट सेक्टर्स** की ओर शिफ्ट करें ।

2. मुद्रा स्थिरता

- ट्रेड डेफिसिट कम होने से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम होने से **इंडियन रुपए (INR) पर दबाव कम होता है ।**
- RBI के एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी लक्ष्यों को सपोर्ट करता है।

3. निर्यात में संरचनात्मक बदलाव

- इनमें मज़बूत ग्रोथ:
  - **इंजीनियरिंग सामान (+24%)**
  - **इलेक्ट्रॉनिक सामान (+39%)**
- यह ट्रेडिशनल कमोडिटी एक्सपोर्ट से आगे बढ़कर **ग्लोबल वैल्यू चेन** में भारत के गहरे इंटीग्रेशन का संकेत है ।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. निर्यात विविधीकरण

- **एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) को** मजबूत करें ।
- **EU और GCC मार्केट** में एक्सपोर्ट बढ़ाकर **US और चीन** पर निर्भरता कम करें ।

2. मूल्य-श्रृंखला विस्तार

- **कच्चे माल** (जैसे, आयरन ओर, जिसमें 70% की बढ़ोतरी हुई) के एक्सपोर्ट से हटकर **तैयार स्टील और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की ओर बढ़ना** ।
- **प्रोडक्टिविटी-ड्रिवन और वैल्यू-एडेड ट्रेड** पर फोकस करें ।

3. रणनीतिक व्यापार वार्ता

- **भारत-अमेरिका व्यापार बातचीत** में एक्सपोर्ट में सुधार का फ़ायदा उठाकर टैरिफ़ को तर्कसंगत बनाने या उसे वापस लेने पर ज़ोर दें।

निष्कर्ष

नवंबर 2025 के ट्रेड डेफिसिट में तेज़ कमी से बाहरी सेक्टर को समय पर राहत मिली है। सोने के इंपोर्ट में गिरावट सीज़नल करेक्शन को दिखाती है, लेकिन **रिकॉर्ड-हाई मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है , यहाँ तक कि हाई-टैरिफ और अनिश्चित ग्लोबल माहौल में भी। इस मोमेंटम को बनाए रखना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू एडिशन और स्ट्रेटेजिक ट्रेड डिप्लोमेसी** पर निर्भर करेगा ।

भारत-एडीबी 2.2 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते

प्रसंग

दिसंबर 2025 में , भारत सरकार और **एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने $2.2 बिलियन** से ज़्यादा के पाँच बड़े लोन एग्रीमेंट पर साइन किए । यह बड़ा फाइनेंसिंग पैकेज **असम, तमिलनाडु और मेघालय** में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ स्किलिंग, क्लीन एनर्जी और हेल्थकेयर में भारत के नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है ।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

एग्रीमेंट पर सौरभ सिंह (डिप्टी सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक अफेयर्स) और आरती मेहरा (ऑफिसर-इन-चार्ज, ADB इंडिया) ने साइन किए। यह पैकेज कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी (2023–2027) के साथ अलाइन है, जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाइमेट-रेसिलिएंट ग्रोथ पर फोकस करता है।

समझौतों की मुख्य बातें:

- **स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी ($846 मिलियन):**
  - **PM-SETU** (प्रधानमंत्री स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन) प्रोग्राम को सपोर्ट करता है ।
  - 12 राज्यों में **650 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI)** का मॉडर्नाइज़ेशन ।
  - 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को **सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपग्रेड करना** ।
  - टारगेट: EV मोबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में **1.3 मिलियन युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट में सुधार करना।**
- **रूफटॉप सोलर विस्तार ($650 मिलियन):**
  - **PM सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना** के लिए फाइनेंसिंग ।
  - 2027 तक **10 मिलियन घरों** तक सोलर एनर्जी पहुंचाना।
  - फोकस: मिडिल और लो-इनकम ग्रुप्स को **बिना गारंटी के, कम ब्याज वाले लोन देना।**
- **असम हेल्थकेयर ऑग्मेंटेशन ($398.8 मिलियन):**
  - असम में **टर्शियरी हेल्थकेयर** पर फोकस ।
  - **गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर** में मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करना ।
  - **श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज** के तहत मेडिकल शिक्षा को मज़बूत करना ।
- **चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना ($240 मिलियन):**
  - तीन नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए ट्रांच 2 फंडिंग।
  - यूनिवर्सल एक्सेस और क्लाइमेट-रेज़िलिएंट फ़ीचर्स वाले **18 नए स्टेशन** शामिल हैं ।
- **मेघालय सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स ($77 मिलियन):**
  - **इकोटूरिज्म** और क्लाइमेट-स्मार्ट खेती पर फोकस ।
  - **8,000 से ज़्यादा लोकल और आदिवासी कम्युनिटी के लोगों** , खासकर महिलाओं को फ़ायदा होगा ।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में

- **स्थापना:** 19 दिसंबर 1966.
- **हेडक्वार्टर:** मनीला, फिलीपींस।
- **सदस्य:** 69 देश (भारत संस्थापक सदस्य है)।
- **भारत की स्थिति:** भारत अभी ADB से मिलने वाली सॉवरेन लेंडिंग का **सबसे बड़ा पाने वाला देश है, जो** इसके कुल कमिटमेंट्स का लगभग **14% है।**
- **स्ट्रेटेजिक विज़न: विकासशील भारत @2047** के साथ मिलकर , ADB का लक्ष्य समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देते हुए बहुत ज़्यादा गरीबी को खत्म करना है।

साझेदारी का महत्व

पहलू	2025 के समझौतों का प्रभाव
मानव पूंजी	वोकेशनल ट्रेनिंग को पारंपरिक ट्रेड से हटाकर **हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग** और ग्रीन जॉब्स में बदलना।
ऊर्जा सुरक्षा	डीसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंसिंग के ज़रिए **रेजिडेंशियल सोलर को** बढ़ावा देकर ग्रिड पर निर्भरता कम करता है ।
शहरी गतिशीलता	**मल्टीमॉडल इंटरचेंज** अपग्रेड के ज़रिए चेन्नई में "लास्ट माइल" कनेक्टिविटी को पूरा किया जाएगा ।

क्षेत्रीय समानता	हेल्थकेयर और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर को कम करने के लिए **नॉर्थ ईस्ट (असम और मेघालय)** को टारगेट किया गया है ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **एग्ज़िक्यूशन मॉनिटरिंग: सोलर सब्सिडी में ज़ीरो लीकेज पक्का करने के लिए रियल-टाइम MIS डैशबोर्ड** (जैसा कि G-RaM G बिल में देखा गया है) लागू करना ।
- **प्राइवेट कैपिटल जुटाना:** मेट्रो और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए **अर्बन चैलेंज फंड** का इस्तेमाल करना ।
- **जेंडर-इन्क्लूसिव स्किलिंग: यह पक्का करना कि स्किलिंग के लिए टारगेटेड 1.3 मिलियन युवाओं में से** कम से कम 30% महिलाएं हों, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में।

निष्कर्ष

$2.2 बिलियन का पैकेज ADB की भूमिका को एक पारंपरिक "इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर" से "नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर" में बदलने का प्रतीक है। रूफटॉप सोलर और हाई-एंड स्किलिंग पर फोकस करके, यह पार्टनरशिप सीधे तौर पर भारत के **नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDCs)** और 2047 तक एक डेवलप्ड इकॉनमी की ओर इसके सफर में मदद करती है।

भारत-ओमान द्विपक्षीय संबंध

प्रसंग

दिसंबर 2025 में , प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी ने** तीन देशों (जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया) के दौरे के तहत **ओमान सल्तनत का** दौरा किया । यह दौरा **भारत-ओमान के 70 साल के डिप्लोमैटिक रिश्तों के समय हुआ** और यह पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच हुआ, जिससे इस इलाके में ओमान की **"स्टेबलाइजिंग ब्रिज" के तौर पर भूमिका पर ज़ोर दिया गया।**

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि

- भारत और ओमान ने **1955 में डिप्लोमैटिक संबंध स्थापित किए, जिससे ओमान खाड़ी में** भारत के सबसे पुराने पार्टनर्स में से एक बन गया ।
- **2008 में** इस रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया ।
- **न्यूट्रैलिटी, मॉडरेशन और बातचीत** की फॉरेन पॉलिसी अपनाई है , और बहुत ज़्यादा रीजनल पोलराइजेशन के समय में भी बैलेंस्ड रिश्ते बनाए रखे हैं।

2025 की यात्रा की मुख्य बातें

1. व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)

- भारत और ओमान **CEPA को फाइनल करने के करीब हैं, जिससे लगभग 98% भारतीय सामानों** पर टैरिफ खत्म या कम होने की उम्मीद है ।
- **सर्विसेज़, MSMEs, फार्मास्यूटिकल्स, IT और लॉजिस्टिक्स** में ट्रेड को बढ़ाना है , और आपसी ट्रेड को **नियम-आधारित फ्रेमवर्क की ओर ले जाना है** ।

2. दुक़म बंदरगाह तक रणनीतिक पहुँच

- **दुकम पोर्ट** के लिए **2018 के लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट** को मज़बूत करना , जिससे इंडियन नेवी को **रीफ्यूलिंग, मेंटेनेंस और टर्नअराउंड के लिए एक ज़रूरी सुविधा मिलेगी** ।
- **पश्चिमी हिंद महासागर में** , खासकर **होर्मुज जलडमरूमध्य के पास** भारत की ऑपरेशनल पहुंच को बढ़ाता है ।

3. हरित ऊर्जा और ऊर्जा परिवर्तन

- **ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लिए** एक जॉइंट रोडमैप लॉन्च किया गया , जिसमें शामिल हैं:
  - ओमान की भरपूर **सोलर और विंड क्षमता** , और
  - **इलेक्ट्रोलाइजर, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन** में भारत की एक्सपर्टीज़ ।

4. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

- **RuPay-UPI लिंकेज** का विस्तार (2022 में लॉन्च) ताकि **बॉर्डर पार डिजिटल पेमेंट आसानी से हो सके** ।
- इससे ओमान में **रहने वाले 675,000 भारतीय लोगों को** सीधा फ़ायदा होगा ।

5. ज्ञान और शिक्षा गलियारा

- ओमान में **IITs और IIMs के ऑफशोर कैंपस** बनाने पर चर्चा ।
- **हायर एजुकेशन, स्किलिंग और नॉलेज सर्विसेज़** में सहयोग को गहरा करना है ।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

1. रक्षा और समुद्री सुरक्षा

- ओमान भारत के साथ **तीनों सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज** करने वाला **पहला खाड़ी देश है:**
  - **नसीम अल बह्र** – नौसैनिक अभ्यास
  - **अल नजाह** – सेना अभ्यास
  - **ईस्टर्न ब्रिज** – वायु सेना अभ्यास
- **दुक़म पोर्ट इन चीज़ों** के लिए एक स्ट्रेटेजिक इनेबलर के तौर पर काम करता है:
  - समुद्री डकैती विरोधी अभियान
  - मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)
  - होर्मुज जलडमरूमध्य के पास समुद्री क्षेत्र की जानकारी

2. व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग

- **द्विपक्षीय व्यापार 10.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया , हालांकि अभी भी काफी हद तक कमोडिटी-संचालित है।
- ओमान **-भारत संयुक्त निवेश कोष (OIJIF) ने** भारतीय बुनियादी ढांचे, रसद और औद्योगिक क्षेत्रों में

600 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है ।

- दोनों देशों में 6,000 से ज़्यादा **जॉइंट वेंचर चल रहे हैं, जिसमें भारतीय निवेश सोहर और सलालाह फ्री ज़ोन में केंद्रित है** ।

पार्टनरशिप का विकास: एक तुलना

पहलू	पारंपरिक फोकस (2018 से पहले)	उभरता हुआ रणनीतिक फोकस (2025)
प्राथमिक चालक	हाइड्रोकार्बन और प्रेषण	प्रौद्योगिकी, फिनटेक, हरित ऊर्जा
व्यापार मॉडल	तदर्थ वाणिज्यिक लिंक	नियम-आधारित ढांचा (CEPA)
सुरक्षा भूमिका	मैत्रीपूर्ण बंदरगाह कॉल	ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स हब (दुक़म)
कनेक्टिविटी	समुद्री शिपिंग लेन	IMEC और डिजिटल पेमेंट रेल (UPI/RuPay)

प्रमुख चुनौतियाँ

1. **क्षेत्रीय अस्थिरता**
   - **रेड सी संकट** समेत वेस्ट एशिया में संघर्षों से समुद्री व्यापार के रास्तों और इन्वेस्टर के भरोसे को खतरा है।
2. **व्यापार सांद्रता**
   - **ओमान से भारत का 70%** से ज़्यादा इम्पोर्ट अभी भी **पेट्रोलियम और यूरिया** तक ही सीमित है , जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण व्यापार पर असर पड़ता है।
3. **भू-राजनीतिक संवेदनशीलताएँ**
   - **इंडियन ओशन रीजन (IOR) में चीन की नेवी की** बढ़ती मौजूदगी से स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, जिससे दुकम जैसे लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव हो गए हैं।
4. **ओमानीकरण नीति**
   - लोकल रोज़गार को प्राथमिकता देने वाली घरेलू लेबर पॉलिसी से **कम स्किल वाले भारतीय वर्कर पर असर पड़ सकता है, जिससे हाई-स्किल माइग्रेशन** की ओर बदलाव ज़रूरी हो जाएगा ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **CEPA को तेज़ी से लागू करना : MSMEs, फार्मास्यूटिकल्स और स्टैंडर्ड्स** में तालमेल बिठाने के लिए शुरुआती उपायों को प्राथमिकता देना ।
- **समुद्री सहयोग को गहरा करें** : एक्सरसाइज़ से **कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग** और **समुद्र के नीचे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा की ओर बढ़ें** ।
- **ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम** : एक **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाना** , जिससे भारतीय कंपनियां ग्लोबल मार्केट के लिए ओमान में इलेक्ट्रोलाइज़र बना सकें।
- **कौशल गतिशीलता को संस्थागत बनाना** : भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को **ओमान विजन 2040 के साथ संरेखित करना** , यह सुनिश्चित करना कि प्रवासी एक उच्च-मूल्य वाला "जीवित सेतु" बने रहें।

निष्कर्ष

भारत-ओमान का रिश्ता एक सभ्यता और एनर्जी पर आधारित पार्टनरशिप से बढ़कर एक **हाई-यूटिलिटी स्ट्रेटेजिक सहयोग बन गया है। CEPA को** आगे बढ़ाकर , **दुकम में समुद्री पहुँच को मज़बूत करके, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी** में सहयोग बढ़ाकर , दोनों देश क्षेत्रीय अस्थिरता के खिलाफ़ अपने संबंधों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, साथ ही **गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC)** के साथ भारत के बड़े जुड़ाव के लिए एक स्केलेबल मॉडल भी दे रहे हैं ।

विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी विधेयक, 2025

प्रसंग

2025 के आखिर में, केंद्र सरकार ने **विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 (VB-G RaM G) का प्रस्ताव रखा** । इस कानूनी कदम का मकसद दो दशक पुराने MGNREGA फ्रेमवर्क को बदलना है, जिससे फोकस सिर्फ़ परेशानी में राहत देने से हटकर लंबे समय की प्रोडक्टिविटी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

MGNREGA (2005) ने लाखों लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट का काम किया, लेकिन बदलते आर्थिक हालात और "विकसित भारत @2047" के विज़न के लिए इसमें एक मॉडर्न बदलाव की ज़रूरत थी। नया बिल ग्रामीण मज़दूरों को क्लाइमेट रेजिलिएंस और ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन के साथ जोड़ने की कोशिश करता है।

बिल की मुख्य बातें:

- **बेहतर रोज़गार गारंटी: हर परिवार के लिए** काम के दिन **100 से बढ़ाकर 125 दिन किए जाएंगे** , जिससे गांव की कमाई में लगभग 25% की बढ़ोतरी होगी।
- **चार प्रायोरिटी एसेट सेक्टर:** पानी की सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़ी-रोटी के इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्लाइमेट-रेज़िलिएंट कामों पर पूरी तरह फोकस करता है ताकि "टुकड़ों में बंटे" या टेम्पररी प्रोजेक्ट्स को रोका जा सके।
- **रिवाइज्ड फंडिंग मॉडल: ज़्यादातर राज्यों के लिए सेंटर-स्टेट शेयरिंग रेश्यो 60:40 (NE/हिमालयी**

राज्यों के लिए 90:10) किया गया है , जिसका मकसद राज्य-लेवल पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है।

- **डिजिटल गवर्नेंस:** सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, AI-बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, और GPS/जियोटैगिंग को कोडिफाई करता है।
- **खेती से जुड़े सुरक्षा उपाय: इसमें बुआई और कटाई के पीक सीज़न के दौरान 60 दिन का ऑप्शनल ब्रेक** शामिल है, ताकि खेती में मज़दूरों की मौजूदगी पक्की हो सके और मज़दूरी स्थिर रहे।
- **नॉर्मेटिव फंडिंग:** एलोकेशन पूरी तरह से डिमांड पर आधारित होने के बजाय ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स से तय होते हैं, जिसका मकसद बजट का अंदाज़ा लगाना होता है।

तुलना: मनरेगा बनाम वीबी-जी राम जी

पहलू	मनरेगा (2005)	वीबी-जी राम जी विधेयक (2025)
प्रकृति	मांग-संचालित कानूनी अधिकार	मानक, बजट-संबंधी गारंटी
कार्य दिवसों	100 दिन	125 दिन
अनुदान	~90:10 केंद्र-राज्य	60:40 (अधिकांश राज्य)
कार्य का दायरा	व्यापक और अक्सर खंडित	4 केंद्रित प्राथमिकता वाले क्षेत्र
तकनीकी	सहायक/वैकल्पिक	अनिवार्य और संहिताबद्ध
कार्यान्वयन	सार्वभौमिक ग्रामीण कवरेज	केंद्र द्वारा अधिसूचित क्षेत्र

सुधार की आवश्यकता

- **आर्थिक बदलाव:** गांव में गरीबी काफी कम होकर **25.7% (2011-12) से ~4.9% (2023-24) हो गई** , जो "ज़िंदा रहने" की ज़रूरतों से "प्रोडक्टिविटी" की ज़रूरतों की ओर बदलाव का संकेत है।
- **एसेट क्वालिटी:** पिछली रिपोर्ट्स में घटिया काम और गलत इस्तेमाल (2024-25 में लगभग ₹193 करोड़) का संकेत मिला था, जिस पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है।
- **क्लाइमेट रेजिलिएंस:** भारत के ग्रामीण इलाकों में गर्मी का तनाव और बाढ़ बढ़ रही है, जिसके लिए खास क्लाइमेट-अडैप्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है।
- **फिस्कल डिसिप्लिन:** अस्थिर डिमांड-बेस्ड बजटिंग से हटकर केंद्र और राज्यों के बीच ज़्यादा अनुमानित प्लानिंग साइकिल की ओर बढ़ना।

चुनौतियां

- **अधिकारों में कमी:** "नॉर्मेटिव" या सीमित आवंटन की ओर बढ़ने से अचानक आर्थिक झटकों के दौरान रोज़गार पर रोक लग सकती है।
- **फ़ाइनेंशियल बोझ:** गरीब राज्यों को **40% फ़ंडिंग की ज़रूरत को पूरा करने में मुश्किल हो सकती है** , जिससे डेवलपमेंट में कमी आ सकती है।
- **डिजिटल एक्सक्लूजन:** बायोमेट्रिक्स और ऐप्स पर बहुत ज़्यादा निर्भरता दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बुज़ुर्ग, आदिवासी, या टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़े काम करने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है।
- **सेंट्रलाइज़ेशन:** "नोटिफ़ाइड एरिया" पर सेंट्रल कंट्रोल बढ़ने से 73वें अमेंडमेंट के तहत मिली ग्राम सभाओं की ऑटोनॉमी कम हो सकती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **हाइब्रिड फंडिंग:** आपदाओं या महामारी के दौरान डिमांड-ड्रिवन मॉडल पर वापस जाने के लिए एक इमरजेंसी विंडो बनाए रखें।
- **ह्यूमन फ़ॉलबैक:** पक्का करें कि जब डिजिटल सिस्टम वर्कर को बाहर होने से रोकने में फेल हो जाएं, तो मैन्युअल/ऑफ़लाइन ऑप्शन मौजूद हों।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** कम रेवेन्यू बेस वाले राज्यों को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट या टेक्निकल मदद देना।
- **सोशल ऑडिट:** लोकल कम्युनिटी को ज़रूरी ऑडिट करने और समय पर शिकायत का समाधान पक्का करने के लिए मज़बूत बनाना।

निष्कर्ष

VB-G RaM G बिल, एसेट-लेड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर एक स्ट्रेटेजिक बदलाव दिखाता है। हालांकि 125 दिनों तक की बढ़ोतरी और क्लाइमेट रेजिलिएंस पर फोकस प्रोग्रेसिव है, लेकिन रिफॉर्म की सफलता फाइनेंशियल एफिशिएंसी और काम करने के फंडामेंटल राइट के बीच बैलेंस बनाने पर निर्भर करती है।

प्रवासी श्रमिक और विदेशी आवागमन (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025

प्रसंग

2025 के आखिर में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने **ओवरसीज मोबिलिटी (फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर) बिल, 2025 पेश किया** , जिसका मकसद लगभग 40 साल पुराने **1983 के इमिग्रेशन एक्ट को बदलना** था। इस नए कानूनी फ्रेमवर्क का मकसद विदेश में भारतीय कामगारों के रेगुलेशन को मॉडर्न बनाना है, जो एक रोक लगाने वाले "क्लियरेंस" सिस्टम से डिजिटल "फैसिलिटेशन" मॉडल में बदलाव को दिखाता है।

सरकार का रुख: बिल के उद्देश्य

- **फैसिलिटेटर की भूमिका:** सरकार का लक्ष्य खुद को ग्लोबल लेबर मोबिलिटी के फैसिलिटेटर के तौर पर स्थापित करना है, और स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड वर्कफोर्स के एक्सपोर्ट को घरेलू बेरोजगारी को मैनेज

करने और विदेशी रेमिटेंस को बढ़ाने की स्ट्रेटेजी के तौर पर देखना है।

- **डिजिटाइजेशन और डेटा: सभी इमिग्रेंट्स के ज़रूरी रजिस्ट्रेशन के लिए** एक **सेंट्रलाइज़्ड डेटा पोर्टल बनाने का प्रस्ताव** , जिसका मकसद क्राइसिस मैनेजमेंट में मदद के लिए इंडियन डायस्पोरा का "रियल-टाइम" मैप बनाना है।
- **ओवरसीज मोबिलिटी एंड वेलफेयर काउंसिल:** यह एक नई हाई-लेवल बॉडी है जिसका मकसद माइग्रेंट वेलफेयर के लिए पॉलिसी को आसान बनाने के लिए अलग-अलग मिनिस्ट्री (MEA, होम अफेयर्स, लेबर) के बीच तालमेल लाना है।
- **सुरक्षित और व्यवस्थित माइग्रेशन:** यह बिल सरकार-से-सरकार (G2G) एग्रीमेंट के ज़रिए "सुरक्षित माइग्रेशन के रास्तों" को इंस्टीट्यूशनल बनाने की कोशिश करता है, जिससे अनऑर्गनाइज़्ड प्राइवेट रिक्रूटर पर निर्भरता कम हो।

मुख्य विशेषताएं और परिवर्तन

विशेषता	उत्प्रवास अधिनियम, 1983	ओवरसीज मोबिलिटी बिल, 2025
प्राथमिक फोकस	विनियामक "मंजूरी" (ईसीआर)	सुविधा और कल्याण ट्रैकिंग
पंजीकरण	मुख्य रूप से कम-कुशल (ECR) कर्मचारियों के लिए आवश्यक	सभी कैटेगरी के इमिग्रेंट्स के लिए ज़रूरी
भर्ती	प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स (PoE) के ज़रिए रेगुलेटेड	"मान्यता प्राप्त भर्ती एजेंसियों" और डिजिटल ट्रैकिंग पर ध्यान दें
शिकायत निवारण	मैनुअल, दूतावास के नेतृत्व वाली प्रक्रिया	शिकायत दर्ज करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म

आलोचना और चिंताएँ

- **पहचान में बदलाव:** आलोचकों का कहना है कि यह बिल राज्य की भूमिका को **"माता-पिता की रक्षा करने वाले"** (पैरेंस पैट्रिया) से बदलकर सिर्फ़ **"ट्रैवल को आसान बनाने वाले" की कर देता है।** "मोबिलिटी" पर ध्यान देकर, राज्य शायद शोषण करने वाले लेबर कॉन्ट्रैक्ट से मज़दूरों को बचाने की अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी को कमज़ोर कर रहा है।
- **सज़ा में कमी:** ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने कहा है कि 2025 का बिल कथित तौर पर 2021 के ड्राफ़्ट की तुलना में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ़ अपराधों के लिए कम सज़ा देता है, जिससे तस्करों की हिम्मत बढ़ सकती है।
- **रेगुलेटरी "मिडिलमैन":** बिल को सब-एजेंट या "मिडिलमैन" के सख्त रेगुलेशन पर "चुप" माना जा रहा है। ये अनरेगुलेटेड एक्टर अक्सर कर्ज़ और ज़्यादा रिक्रूटमेंट फीस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं जो वर्कर्स को "गुलामी जैसी" हालत में फंसा देते हैं।
- **रिहैबिलिटेशन की कमी: लौटने वाले माइग्रेंट्स को फिर से बसाने** के लिए कोई साफ़ कानूनी नियम नहीं हैं । मुश्किल समय (जैसे महामारी या इलाके के झगड़े) में, वर्कर्स अक्सर बिना किसी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट या स्किल-मैचिंग सपोर्ट के भारत लौट आते हैं।
- **वर्कर की कमज़ोरी: यह कानून पासपोर्ट ज़ब्त करने** और **सैलरी चोरी** जैसी आम गलतियों को साफ़ तौर पर नहीं बताता है , जो खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया के "कफ़ाला" सिस्टम वाले इलाकों में आम हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **लीगल एड को मज़बूत करना:** विदेशी कोर्ट में केस का सामना कर रहे भारतीय वर्कर्स के लिए एक खास "लीगल डिफेंस फंड" बनाना।
- **ज़रूरी प्री-डिपार्चर ट्रेनिंग:** वर्कर्स को धोखेबाज रिक्रूटर्स से गुमराह होने से बचाने के लिए स्किल-अपग्रेडिंग और राइट्स-अवेयरनेस ट्रेनिंग को स्टैंडर्ड बनाएं।
- **रीइंटीग्रेशन पॉलिसी:** वापस लौटने वालों को घरेलू मार्केट में उनके विदेश से कमाए स्किल्स का इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए एक "नेशनल रीइंटीग्रेशन फ्रेमवर्क" बनाएं।
- **बाइलेटरल लेबर एग्रीमेंट (BLAs):** यह पक्का करें कि मदद करने वाले कानूनों को मज़बूत BLAs का सपोर्ट मिले, जो होस्ट देशों को भारतीय कामगारों के बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए ज़रूरी बनाते हैं।

निष्कर्ष

हालांकि **ओवरसीज मोबिलिटी बिल, 2025** पुराने ज़माने की रेगुलेटरी सोच के लिए एक ज़रूरी अपडेट है, लेकिन इसे आर्थिक मदद के लिए वर्कर की सुरक्षा को कुर्बान नहीं करना चाहिए। एक सच्चे "विकसित भारत" को यह पक्का करना होगा कि उसके सबसे कमज़ोर एक्सपोर्ट, उसके लेबर के साथ इज्ज़त से पेश आया जाए और उन्हें एक मज़बूत कानूनी छतरी से सुरक्षा मिले जो बॉर्डर पार उनका साथ दे।

बीमा क्षेत्र में 100% FDI

प्रसंग

दिसंबर 2025 में, भारतीय संसद ने **'सबका बीमा, सबकी रक्षा' (इंश्योरेंस कानूनों में संशोधन) बिल, 2025 पास किया** । इस बड़े सुधार की एक खास बात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) लिमिट को 74% से बढ़ाकर **100% करना है** , जो इंश्योरेंस

सेक्टर के पूरे लिबरलाइज़ेशन की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत है।

FDI सीमाओं का विकास

पिछले कुछ दशकों में इंश्योरेंस सेक्टर, सरकार के कंट्रोल वाली मोनोपॉली से एक खुले, ग्लोबलाइज़्ड मार्केट में बदल गया है:

- **लिबरलाइज़ेशन से पहले:** पूरी तरह से सरकारी मोनोपॉली (जैसे, LIC और GIC)।
- **2000: सेक्टर को 26%** FDI कैप के साथ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया ।
- **2015:** ऑटोमैटिक रूट के तहत FDI लिमिट बढ़ाकर **49% कर दी गई।**
- **2021:** सीमा बढ़ाकर **74% कर दी गई** , जिससे विदेशी बहुलांश स्वामित्व की अनुमति मिल गई।
- **2025:** 2025 अमेंडमेंट एक्ट से **100% ओनरशिप** के लिए पूरी तरह से लिबरलाइज़ेशन मुमकिन हुआ।

सुधार की आवश्यकता

- **कैपिटल इंटेंसिव नेचर:** इंश्योरेंस एक "लंबे समय तक चलने वाला" बिज़नेस है, जिसमें प्रॉफिटेबल होने से पहले अक्सर 7-10 साल तक लगातार कैपिटल की ज़रूरत होती है। ग्लोबल "पेशेंट कैपिटल" इस टाइमलाइन के लिए बेहतर है।
- **कम पहुंच:** भारत में इंश्योरेंस पहुंच (GDP के % के तौर पर प्रीमियम) **3.7% है** , जो ग्लोबल एवरेज **7% से काफी कम है** ।
- **प्रोटेक्शन गैप:** भारत में मृत्यु दर प्रोटेक्शन गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है, और कई नागरिकों के पास हेल्थ और जीवन के जोखिमों के लिए कम इंश्योरेंस है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें:** इंश्योरेंस फंड लंबे समय के "पेशेंट कैपिटल" की तरह काम करते हैं, जिन्हें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सकता है।

100% FDI के फ़ायदे

- **बढ़ा हुआ कॉम्पिटिशन:** 100% ओनरशिप की इजाज़त देने से ग्लोबल बड़ी कंपनियों के लिए भारत में आना आसान हो जाता है, बिना किसी घरेलू पार्टनर को ढूंढने के "बड़े काम" के।
- **कम प्रीमियम:** उम्मीद है कि बढ़ते कॉम्पिटिशन से प्रीमियम की लागत कम होगी, जिससे मिडिल और लोअर-इनकम क्लास के लिए इंश्योरेंस ज़्यादा सस्ता हो जाएगा।
- **जॉब क्रिएशन:** 74% तक बढ़ोतरी के बाद से, इस सेक्टर में जॉब्स लगभग तीन गुना बढ़ गई हैं; 100% FDI से एजेंट्स, स्टाफ और टेक प्रोफेशनल्स के लिए जॉब्स में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
- **टेक्नोलॉजी और इनोवेशन:** AI-ड्रिवन अंडरराइटिंग, पर्सनलाइज़्ड पॉलिसी डिज़ाइन और तेज़ डिजिटल क्लेम सेटलमेंट में दुनिया भर के बेस्ट प्रैक्टिस का आना।
- **"2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस" के लिए सपोर्ट:** यह आज़ादी की सौवीं सालगिरह तक हर भारतीय नागरिक को सेफ्टी नेट देने के नेशनल विज़न से मेल खाता है।

2025 संशोधन के मुख्य प्रावधान

FDI बढ़ाने के अलावा, बिल में कई स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए:

- **कम्पोजिट लाइसेंसिंग नहीं:** दिलचस्प बात यह है कि फाइनल बिल में प्रस्तावित "कम्पोजिट लाइसेंस" शामिल *नहीं था , जिसका मतलब है कि लाइफ और जनरल इंश्योरेंस के लिए अभी भी अलग-अलग एंटिटी की ज़रूरत है।*
- **LIC की ऑटोनॉमी:** लाइफ **इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 में** बदलाव किया गया ताकि LIC बोर्ड को ज़ोनल ऑफिस खोलने और बिना लगातार सरकारी मंज़ूरी के स्टाफ़ को मैनेज करने की ज़्यादा आज़ादी मिल सके।
- **रीइंश्योरेंस में आसानी:** ज़्यादा ग्लोबल रिस्क लेने वालों को बुलाने के लिए विदेशी रीइंश्योरेंस ब्रांच के लिए मिनिमम नेट ओन्ड फंड (NOF) की ज़रूरत को **₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया गया।**

चुनौतियाँ और सुरक्षा उपाय

चुनौती	सरकारी सुरक्षा / प्रतिक्रिया
पूंजी का पलायन	शर्त यह है कि कंपनियों को **इकट्ठा किया गया पूरा प्रीमियम भारत में ही इन्वेस्ट करना होगा** ।
शिकारी मूल्य निर्धारण	कमीशन को रेगुलेट करने और "शार्क" को छोटे प्लेयर्स को खत्म करने से रोकने के लिए **IRDAI की पावर** बढ़ाई गई ।
प्रबंधन नियंत्रण	गाइडलाइंस में कहा गया है कि कुछ खास लीडरशिप पोजीशन को भारतीय कानूनों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
डाटा प्राइवेसी	सख्त आदेश हैं कि कस्टमर का डेटा भारत में ही **स्टोर और सुरक्षित किया जाना चाहिए ; बिना सहमति के किसी थर्ड-पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा।**

निष्कर्ष

100% FDI का कदम भारतीय फाइनेंशियल माहौल के लिए एक "बड़ा बदलाव" है। हालांकि यह कैपिटल की सप्लाई-साइड की बड़ी दिक्कत को दूर करता है, लेकिन इसकी आखिरी सफलता **IRDAI की** ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कमर्शियल हितों और भारतीय पॉलिसीहोल्डर्स की भलाई के बीच बैलेंस बनाने की काबिलियत पर निर्भर करेगी। 2047 तक, इस सुधार का मकसद इंश्योरेंस को "टैक्स बचाने वाले टूल" से सोशल सिक्योरिटी का एक बुनियादी पिलर बनाना है।

परमवीर चक्र (पीवीसी)

प्रसंग

विजय दिवस (16 दिसंबर), 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में **'परम वीर दीर्घा' का उद्घाटन किया** । इस गैलरी में सभी 21 परम वीर चक्र (PVC) अवॉर्ड पाने वालों की तस्वीरें हैं, जो ब्रिटिश एड-डी-कैंप्स (ADCs) की तस्वीरों की जगह ले रही हैं। यह कॉलोनियल विरासत को खत्म करने और देश के हीरो को सम्मान देने का एक सिंबॉलिक कदम है।

परमवीर चक्र (PVC) के बारे में

परमवीर **चक्र** (मतलब "सबसे बहादुर का पहिया") बहादुरी के लिए भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान है। यह युद्ध के समय दुश्मन के सामने सबसे ज़्यादा बहादुरी या बलिदान के लिए दिया जाता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **स्थापित:** 26 जनवरी, 1950 (15 अगस्त, 1947 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ)।
- **योग्यता:** आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स और दूसरी कानूनी तौर पर बनी फ़ोर्स के सभी रैंक।
- **मरणोपरांत पुरस्कार:** मरणोपरांत भी दिया जा सकता है; अब तक दिए गए 21 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार पाने वाले की शहादत के बाद दिए गए हैं।
- **प्राथमिकता:** भारत में प्राथमिकता के क्रम में, PVC, **भारत रत्न के बाद दूसरे स्थान पर है** ।

डिजाइन और प्रतीकवाद

इस मेडल को **सावित्री खानोलकर** (जन्म ईव यवोन माडे डे मारोस) ने डिज़ाइन किया था, जो स्विस मूल की डिज़ाइनर थीं और जिन्होंने एक इंडियन आर्मी ऑफिसर से शादी की थी।

- **आगे का हिस्सा:** बीच में **राष्ट्रीय निशान** के साथ एक गोल कांसे की डिस्क , जिसके चारों ओर **इंद्र के वज्र की चार रेप्लिका हैं** ।
- **वज्र का प्रतीक: यह ऋषि दधीचि** के बलिदान को दिखाता है , जिन्होंने बुराई को हराने के लिए एक हथियार (वज्र) बनाने के लिए देवताओं को अपनी हड्डियां दीं, जो सबसे बड़े बलिदान और ताकत का प्रतीक है।
- **पीछे:** "परमवीर चक्र" शब्द हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उभरा हुआ है, जो दो कमल के फूलों से अलग है।
- **रिबन:** एक सादा बैंगनी रंग का रिबन।

पुरस्कार विजेता और उपलब्धियाँ

- **प्रथम प्राप्तकर्ता:** मेजर सोमनाथ शर्मा (मरणोपरांत, 1947 भारत-पाक युद्ध)।
- **एकमात्र एयर फ़ोर्स प्राप्तकर्ता:** फ़्लाइंग ऑफ़िसर निर्मल जीत सिंह सेखों (1971 युद्ध)।
- **जीवित प्राप्तकर्ता:** अभी, तीन जीवित प्राप्तकर्ता हैं - सूबेदार मेजर (ऑनरी कैप्टन) योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार, और सूबेदार मेजर बाना सिंह।
- **कुल गिनती:** 2025 तक, 1947-48 कश्मीर युद्ध, 1962 चीन-भारत युद्ध, 1965 और 1971 भारत-पाक युद्ध, और 1999 कारगिल युद्ध सहित अलग-अलग लड़ाइयों में कुल **21 लोग इस पुरस्कार को पा चुके हैं।**

एड-डी-कैंप (ADC): बदली हुई विरासत

2025 के उद्घाटन से पहले, गैलरी के गलियारों में ब्रिटिश **एड-डी-कैंप्स के पोर्ट्रेट दिखाए गए थे** ।

- **परिभाषा:** ADC राष्ट्रपति, गवर्नर या सर्विस चीफ़ जैसे बड़े अधिकारियों का पर्सनल मिलिट्री असिस्टेंट होता है।
- **भूमिका:** वे गणमान्य व्यक्ति और मिलिट्री/सिविल अधिकारियों के बीच संपर्क का काम करते हैं, प्रोटोकॉल, सुरक्षा और ऑफिशियल कामों को मैनेज करते हैं।
- **बदलाव का महत्व:** ब्रिटिश ADCs से PVC अवॉर्डी बनने का मतलब है कि स्वदेशी मिलिट्री की काबिलियत और भारतीय डिफेंडर्स की "अजेय भावना" का जश्न मनाया जा रहा है।

निष्कर्ष

परमवीर दीर्घा का बनना भारत के कल्चरल और मिलिट्री इतिहास में एक अहम पड़ाव है। देश के सबसे ऊंचे पद पर 21 परमवीरों के सबसे बड़े बलिदान को केंद्र में रखकर, राज्य उन लोगों को सम्मान देने के अपने वादे को फिर से पक्का करता है जिन्होंने आखिरी कीमत पर भी देश की आज़ादी की रक्षा की।

तियानजिन घोषणा (2025)

प्रसंग

शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (SCO) के 20वें एनिवर्सरी समिट में , भारत ने दूसरे मेंबर देशों के साथ **तियानजिन डिक्लेरेशन को** सपोर्ट किया । यह माइलस्टोन डॉक्यूमेंट ग्रुपिंग के लिए एक कलेक्टिव रोडमैप बताता है, जिसमें **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) गवर्नेंस** और रीजनल डिजिटल सॉवरेनिटी पर खास और ग्राउंडब्रेकिंग फोकस है ।

तियानजिन घोषणा के बारे में

तियानजिन डिक्लेरेशन 2025 SCO काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ स्टेट का मुख्य पॉलिटिकल नतीजा है। यह अगले दशक के लिए SCO के स्ट्रेटेजिक विज़न को बताता है, जिसमें पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं और उभरती हुई टेक्नोलॉजिकल चुनौतियों के बीच बैलेंस बनाया गया है।

मुख्य परिणाम और AI फ्रेमवर्क:

- **AI अधिकार और समानता:** इस बात पर ज़ोर दिया गया कि सभी देशों को AI को डेवलप करने और इस्तेमाल करने का "बराबर अधिकार" है, और टेक्नोलॉजी पर किसी भी मोनोपॉली कंट्रोल को मना किया गया।
- **ग्लोबल अलाइनमेंट:** सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए AI कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े **UN जनरल असेंबली के प्रस्ताव (A/RES/79/322)** के साथ SCO के लक्ष्यों को सीधे अलाइन किया गया ।
- **रिस्क कम करना:** ऐसे AI सिस्टम बनाने के लिए कमिटेड हैं जो सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट, सबको साथ लेकर चलने वाले और जवाबदेह हों। सदस्य गलत जानकारी,

डीपफेक और कट्टरता फैलाने के लिए AI के इस्तेमाल से लड़ने पर सहमत हुए।

- **रीजनल AI सेंटर: ताजिकिस्तान के दुशांबे में रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर** की स्थापना का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया , जो सेंट्रल एशियन डिजिटल इंटीग्रेशन के लिए एक हब के तौर पर काम करेगा।
- **2035 के लिए रोडमैप: 2035 तक SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को** मंज़ूरी दी गई , जो AI और डिजिटल इकॉनमी को रीजनल कोऑपरेशन के मुख्य पिलर में इंटीग्रेट करती है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

SCO एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है जो सिक्योरिटी पर फोकस करने वाले ग्रुप से एक बड़ी रीजनल पार्टनरशिप में बदल गया है, जो **दुनिया की लगभग 40% आबादी को रिप्रेजेंट करता है** ।

संरचनात्मक अवलोकन:

- **स्थापना:** 15 जून, 2001 ("शंघाई फाइव" का उत्तराधिकारी)।
- **मुख्यालय:** * **सचिवालय:** बीजिंग, चीन।
  - **RATS (रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर):** ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
- **सदस्य राज्य (10):** भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, ईरान और बेलारूस (2024 में शामिल हुए)।
- **नया "पार्टनर" स्टेटस:** 2025 में, SCO ने "ऑब्ज़र्वर" और "डायलॉग पार्टनर" को मिलाकर एक सिंगल **"SCO पार्टनर"** कैटेगरी में अपने स्ट्रक्चर को आसान बनाया, और **लाओस को** सबसे नए पार्टनर के तौर पर वेलकम किया।

शासन निकाय:

1. **काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ स्टेट (CHS):** यह सबसे बड़ी फ़ैसले लेने वाली बॉडी है जो हर साल मिलती है।
2. **काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट (CHG):** यह आर्थिक, व्यापार और बजट से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देती है।
3. **विदेश मंत्रियों की काउंसिल:** CHS मीटिंग्स की तैयारी करती है और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन संभालती है।

भारत के लिए महत्व

- **आतंकवाद विरोधी फोकस: भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की** साफ तौर पर निंदा करने के लिए घोषणा पर सफलतापूर्वक ज़ोर दिया , जिससे "दोहरे मापदंड" के बिना सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के SCO के आदेश को मज़बूती मिली।
- **टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप:** AI फ्रेमवर्क को भारत का समर्थन उसके **"AI for All"** मिशन और **IndiaAI गवर्नेंस गाइडलाइंस (2025) के साथ मेल खाता है** , जो भारत को ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों और एडवांस्ड टेक स्टैंडर्ड्स के बीच एक पुल के तौर पर दिखाता है।
- **स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग:** PM मोदी के तियानजिन दौरे (सात साल में चीन का उनका पहला दौरा) ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आपसी मतभेदों के बावजूद भारत ने रीजनल बातचीत बनाए रखने के लिए SCO प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है।

निष्कर्ष

तियानजिन डिक्लेरेशन SCO के एक **"टेक्नो-सिक्योरिटी"** संगठन में बदलने का निशान है। AI गवर्नेंस को बढ़ावा देकर और 2035 तक लंबे समय की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाकर, SCO एक दूसरा मल्टीलेटरल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है जो सॉवरेनिटी और डिजिटल इनक्लूसिविटी पर ज़ोर देता है। भारत के लिए, यह डिक्लेरेशन रीजनल स्टेबिलिटी पक्का करने और यूरेशियन हार्टलैंड में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए एक ज़रूरी टूल बना हुआ है।

भारत-जॉर्डन संयुक्त वक्तव्य (2025)

प्रसंग

दिसंबर 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अम्मान, जॉर्डन की दो दिन की यात्रा, दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिश्तों की **75वीं सालगिरह थी** । यह 37 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन की पहली पूरी द्विपक्षीय यात्रा थी, जिसका नतीजा इस पार्टनरशिप को लंबे समय के आर्थिक और जियोपॉलिटिकल गठबंधन में बदलने के लिए एक आगे की सोच वाले रोडमैप के तौर पर निकला।

भारत-जॉर्डन संयुक्त वक्तव्य (2025) के बारे में मुख्य बातें और नतीजे:

- **पॉलिटिकल सहयोग:** * रेगुलर हाई-लेवल बातचीत और पॉलिटिकल सलाह-मशविरे के लिए कमिटमेंट।
  - **पॉलिटिकल कंसल्टेशन का 5वां राउंड** नई **दिल्ली** में होने वाला है ।
- **ट्रेड और इकॉनमी:** * अभी दोनों देशों के बीच ट्रेड **$2.3 बिलियन** (2024) का है; भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।
  - पांच साल के अंदर ट्रेड को दोगुना करके **$5 बिलियन** करने का बड़ा टारगेट रखा ।
  - 2026 की शुरुआत में **11वीं ट्रेड और इकोनॉमिक जॉइंट कमेटी** बुलाने की घोषणा ।
- **डिजिटल और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप:** * भारत के **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** (जैसे, UPI, आधार, डिजिलॉकर) को शेयर करने के लिए **लेटर ऑफ़ इंटेंट पर साइन किए गए।**
  - जॉर्डन के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और भारत के **UPI के बीच सहयोग का प्रस्ताव** ।
  - अल हुसैन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में **इंडिया-जॉर्डन IT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** का विस्तार ।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** * जॉर्डन के लिए **ITEC** (इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) ट्रेनिंग स्लॉट हर साल **35 से बढ़ाकर 50 किए गए।**

- **हेल्थ और एग्रीकल्चर: * टेलीमेडिसिन** , हेल्थ प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग और फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस ।
    - भारत की फूड सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए **फ़र्टिलाइज़र सेक्टर (खासकर फ़ॉस्फ़ेट और पोटाश)** में लगातार सहयोग ।
- **वॉटर और ग्रीन कोऑपरेशन:** * **वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर MoU:** पानी की कमी वाले जॉर्डन में पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी, एक्विफर मैनेजमेंट और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पर फोकस।
    - **रिन्यूएबल एनर्जी पर MoU: ग्रीन हाइड्रोजन** और ग्रिड इंटीग्रेशन में जॉइंट रिसर्च और टेक्निकल सहयोग ।
- **सांस्कृतिक और विरासत संबंध:** * **सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2025-2029) पर हस्ताक्षर किए गए** ।
    - **पेट्रा-एलोरा ट्विनिंग:** इन दो मशहूर आर्कियोलॉजिकल जगहों के बीच टूरिज्म, हेरिटेज कंज़र्वेशन और एकेडमिक एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए एक अहम एग्रीमेंट।
- **बहुपक्षीय अभिसरण:** * जॉर्डन ने भारतीय नेतृत्व वाली वैश्विक पहलों में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की: **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)** , **आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)** , और **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए)** ।

महत्व

- **स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी:** जॉर्डन की लोकेशन और उसके **फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) का नेटवर्क** , भारतीय कंपनियों को वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मार्केट तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेटवे देता है।
- **इलाके में स्थिरता: दोनों देशों ने आतंकवाद और कट्टरता** के खिलाफ अपना साफ रुख दोहराया , जिसमें PM मोदी ने किंग अब्दुल्ला II की तारीफ करते हुए उन्हें इस्लामिक दुनिया में "मध्यस्थता की आवाज़" बताया।
- **ग्लोबल साउथ लीडरशिप:** भारत के नेतृत्व वाले मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में शामिल होने में जॉर्डन की दिलचस्पी, ग्लोबल साउथ के लिए मुद्दों पर आधारित गठबंधन बनाने में एक लीडर के तौर पर भारत की भूमिका को मज़बूत करती है।

निष्कर्ष

2025 का जॉइंट स्टेटमेंट भारत-जॉर्डन रिश्तों में एक स्ट्रेटेजिक मोड़ है, जो फर्टिलाइजर सेक्टर में ट्रेडिशनल बायर-सेलर डायनामिक से आगे बढ़कर एक मल्टी-डाइमेंशनल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहा है। **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** , **ग्रीन एनर्जी** और **हेरिटेज टूरिज्म को इंटीग्रेट करके** , दोनों देश अपनी-अपनी ताकत, भारत की टेक्नोलॉजिकल काबिलियत और जॉर्डन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठा रहे हैं ताकि रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रेजिलिएंस पक्का हो सके। जैसे-जैसे दोनों देश रिश्तों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, यह रोडमैप यह पक्का करता है कि जॉर्डन भारत की **"लिंक वेस्ट"** पॉलिसी में एक ज़रूरी एंकर बना रहे, जो साउथ एशिया को मेडिटेरेनियन और उससे आगे जोड़ता है।

रेड कॉरिडोर से नक्सल-मुक्त भारत तक

प्रसंग

2025 के आखिर में, भारत "नक्सल-फ्री भारत" बनाने के करीब पहुंच गया है। लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज़्म (LWE) से प्रभावित जिलों में 2014 में 126 से 2025 में भारी कमी आई है और ये घटकर सिर्फ़ 11 रह गए हैं, और सिर्फ़ 3 जिले "सबसे ज़्यादा प्रभावित" कैटेगरी में बचे हैं।

समाचार के बारे में

नक्सलवाद के रुझान (2014–2025):

- **इलाके में कमी:** माओवादियों का असर काफ़ी कम हो गया है, जिससे मुख्य "रेड कॉरिडोर" खत्म हो गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले 36 से घटकर 3 रह गए हैं।
- **हिंसा में कमी:** 2004-2014 के समय की तुलना में हिंसक घटनाओं में 53% की कमी आई, जबकि आम लोगों और सुरक्षा बलों की मौतों में क्रम से 70% और 73% की कमी आई।
- **कैडर में कमी:** 2025 में ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जिसमें 317 बागियों को मारा गया, 800 से ज़्यादा को गिरफ्तार किया गया, और लगभग 2,000 ने सरेंडर किया।
- **गवर्नेंस का विस्तार:** पैरेलल माओवादी सिस्टम का खत्म होना, पहले के "जंगल अभ्यारण्यों" में सड़कों, टेलीकॉम और परमानेंट पुलिसिंग के विस्तार की वजह से हुआ।

नक्सलवाद का ऐतिहासिक विकास

- **शुरुआत (1967):** पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी विद्रोह से शुरू हुआ। चारु मजूमदार की "ज़मीन किसान की" वाली सोच से प्रेरित होकर, इसने खेती-बाड़ी के झगड़े को हथियारबंद लामबंदी में बदल दिया।
- **विस्तार (1980s–2000s):** "पांचवीं अनुसूची" वाले आदिवासी इलाकों में फैल गया। कमज़ोर प्रशासन, ज़मीन पर कब्ज़ा और जंगल से जुड़ी शिकायतों का फ़ायदा उठाया। 2004 में CPI (माओवादी) के बनने से अलग-अलग गुट एक हो गए।
- **पीक और डिक्लाइन (2005–2014):** माओवादियों ने "लिबरेटेड ज़ोन" बनाए, लेकिन सरकार की मिली-जुली कार्रवाई से ये सुरक्षित ठिकाने कम होने लगे।
- **निर्णायक रोलबैक (2014 के बाद):** एक यूनिफाइड सिक्योरिटी-डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ने बस्तर और दंडकारण्य जैसे गढ़ों में रिक्रूटमेंट नेटवर्क को तोड़ने के लिए परमानेंट कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया।

वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए रूपरेखा

संवैधानिक और शासन उपाय:

- **पांचवीं अनुसूची:** ज़मीन के लेन-देन को रोकने के लिए गवर्नर की शक्तियों और ट्राइबल एडवाइज़री काउंसिल के ज़रिए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए खास शासन देती है।
- **PESA एक्ट, 1996:** सेल्फ-रूल को मजबूत करने के लिए लोकल रिसोर्स कंट्रोल के साथ ग्राम सभाओं को अधिकार देता है।
- **फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA), 2006:** यह व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देकर ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करता है।

विकास एवं कल्याण पहल:

- **इंफ्रास्ट्रक्चर सैचुरेशन:** सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी से आइसोलेशन कम होता है और इमरजेंसी में तेज़ी से काम हो पाता है।
- **फाइनेंशियल इन्क्लूजन:** बैंकिंग एक्सेस से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) आसान हो जाता है और उग्रवादियों के जबरन वसूली के रास्ते बंद हो जाते हैं।
- **स्किल पुश:** शिक्षा और लोकल नौकरी युवाओं को विद्रोही नेटवर्क के विकल्प देती है।

सुरक्षा और प्रवर्तन:

- **मज़बूत पुलिसिंग:** आगे की तरफ़ हमेशा मौजूद रहने से माओवादी कैडर दोबारा कब्ज़ा नहीं कर पाते।
- **फाइनेंशियल रुकावट:** ज़ब्ती से "इंसर्जेंसी इकोसिस्टम" में रुकावट आती है, जिसमें हथियारों की खरीद और शहरी नेटवर्क शामिल हैं।
- **सरेंडर पॉलिसी:** इंसेंटिव और सिक्योरिटी गारंटी एक्टिव कैडर को शांति के स्टेकहोल्डर में बदल देती हैं।

चुनौतियां

- **गवर्नेंस की कमी:** कुछ अंदरूनी इलाकों में, सरकार को अभी भी सर्विस डिलीवरी (हेल्थ, एजुकेशन और कोर्ट) के बजाय सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाता है।
- **लागू करने में कमियां:** माइनिंग बेल्ट में ग्राम सभा की सहमति को नज़रअंदाज़ करना या FRA को कमज़ोर तरीके से लागू करना, नए सिरे से अविश्वास और लामबंदी को बढ़ावा दे सकता है।
- **सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरी:** मिनरल कॉरिडोर के आस-पास गरीबी और विस्थापन की वजह से समुदाय विद्रोही कहानियों के प्रति कमज़ोर रहते हैं।
- **विचारधारा का बचा हुआ हिस्सा:** हालांकि इलाके पर कंट्रोल कम हो गया है, लेकिन डिजिटल प्रोपेगैंडा और "शहरी सपोर्ट" नेटवर्क पोटेंशियल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टूल बने हुए हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **गवर्नेंस के दम पर मज़बूती:** सिक्योरिटी पेट्रोलिंग से जस्टिस डिलीवरी की ओर बदलाव, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और ट्राइबल हेल्थ कैडर का इस्तेमाल।
- **लोकल सेल्फ-रूल को मज़बूत करना:** ग्राम सभाओं को सही तरीके से पावर देना पक्का करना ताकि पैरेलल "पीपुल्स कोर्ट" के लिए जगह न बने।
- **एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिजिनाइज़ेशन:** "बस्तरिया बटालियन" जैसे स्केल मॉडल से पुलिस और रेवेन्यू सर्विस में लोकल लोगों को भर्ती किया जा सकता है, जिससे कल्चरल सेंसिटिविटी बेहतर होगी।
- **अधिकारों की सुरक्षा:** पक्का करें कि सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ग्राम सभा की मंज़ूरी ज़रूरी और ऑडिटेबल हो, ताकि नए अलगाव को रोका जा सके।

निष्कर्ष

भारत ने सुरक्षा और विकास के सोचे-समझे मिक्स से नक्सलवाद की मिलिट्री रीढ़ को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। खत्म करने के आखिरी फेज में आदिवासी सशक्तिकरण और न्याय दिलाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि यह पक्का हो सके कि देश के सबसे दूर-दराज के इलाकों में संवैधानिक वादे हकीकत बन जाएं।

2025 में डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी (DBT) की उपलब्धियां

प्रसंग

2025 के आखिर में, डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी (DBT) ने अपनी ईयर-एंडर रिपोर्ट जारी की, जिसमें एक बदलाव लाने वाले साल पर रोशनी डाली गई, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी भारत की आर्थिक, स्वास्थ्य और खेती की रणनीति का एक मुख्य पिलर बनकर उभरी। बायो-इकोनॉमी के बड़े पड़ाव पार करने के साथ, 2025 हाई-परफॉर्मेंस बायोमैन्युफैक्चरिंग और जीनोमिक सॉवरेनिटी की ओर एक अहम बदलाव का निशान था।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के बारे में

साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत DBT, बायोटेक सेक्टर में पॉलिसी, फंडिंग और रेगुलेशन के लिए भारत की नोडल एजेंसी है। इसके काम में हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फ्रंटियर साइंस शामिल हैं, जो **आत्मनिर्भर भारत** और **विकसित भारत 2047 जैसे नेशनल मिशन के साथ अलाइन हैं** ।

2025 में प्रमुख उपलब्धियाँ

1. बायो-इकोनॉमी और ग्लोबल स्टैंडिंग

- **भारी वृद्धि:** भारत की जैव-अर्थव्यवस्था एक दशक में **16 गुना बढ़ी, जो $10 बिलियन (2014) से बढ़कर $150+ बिलियन (2024)** हो गई , और **2030 तक $300 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है** ।
- **ग्लोबल रैंकिंग:** बायोटेक्नोलॉजी में भारत **दुनिया भर में 12वें और एशिया-पैसिफिक** क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है, और दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने की क्षमता रखता है।

2. राष्ट्रीय बायोफाउंड्री और बायोई3 नीति

- **इंफ्रास्ट्रक्चर:** छह स्पेशल हब के साथ **नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क** लॉन्च किया गया ।
- **बायोमैन्युफैक्चरिंग: BioE3 पॉलिसी** (इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट) को लागू किया गया , जिसमें हाई-वैल्यू एरिया जैसे: पर फोकस किया गया।
    - स्मार्ट प्रोटीन और सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स।
    - क्लाइमेट-रेज़िलिएंट खेती और कार्बन कैप्चर।

- स्पेस और मरीन बायोटेक्नोलॉजी।

3. जीनोमिक संप्रभुता: जीनोमइंडिया प्रोजेक्ट

- **डेटा माइलस्टोन: इंडियन जीनोमिक डेटा सेट** लॉन्च किया गया , जिसमें **10,000 पूरे जीनोम सीक्वेंस शामिल हैं** , जिन्हें ग्लोबल रिसर्च के लिए उपलब्ध कराया गया है।
- **डिजिटल पोर्टल: बायोलॉजिकल डेटा शेयरिंग को आसान बनाने के लिए FeED** और **इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर (IBDC)** पोर्टल चालू किए गए ।

4. स्पेस बायोटेक्नोलॉजी में सफलता

- **एक्सिओम-4 मिशन:** इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर भारत का पहला ह्यूमन मसल स्टेम-सेल एक्सपेरिमेंट किया गया।
- **सस्टेनेबिलिटी:** माइक्रोग्रैविटी में माइक्रोएल्गी और साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ को वैलिडेट किया गया, जो लंबे समय के स्पेस मिशन में ऑक्सीजन और खाने के लिए ज़रूरी हैं।

5. स्वास्थ्य और बायोफार्मा नवाचार

- **नेशनल बायोफार्मा मिशन:** स्वदेशी MRI स्कैनर, बायोसिमिलर और वैक्सीन (ZyCoV-D और Corbevax) सफलतापूर्वक डिलीवर किए गए।
- **TB-मुक्त भारत: ड्रग रेजिस्टेंस को मैप करने के लिए AI का इस्तेमाल करके 18,000 MTB आइसोलेट्स को** सीक्वेंस किया गया , जिससे ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के प्रोटोकॉल बेहतर हुए।

6. कृषि अग्रिम

- **जीन-एडिटेड चावल: DEP1 जीन** के साथ विकसित चावल , जो **20% ज़्यादा पैदावार देता है** ।
- **क्लाइमेट रेजिलिएंस:** सूखा-रोधी चावल ('अरुण') और ज़्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट वाली **CRISPR-एडिटेड सरसों** (ट्रांसजीन-फ्री) पेश की गई।

पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी ढांचा

- **स्टार्टअप सपोर्ट: 75 BioNEST सेंटर्स** और **19 E-YUVA सेंटर्स** तक बढ़ाया गया , जो **3,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स** और **1,300+ IP फाइलिंग्स को सपोर्ट करता है** ।
- **रिसर्च प्लेटफॉर्म: DBT-SAHAJ** शेयर्ड रिसर्च पोर्टल के ज़रिए एडवांस्ड इक्विपमेंट (क्रायो-EM, स्टेम-सेल इमेजिंग) तक पूरे देश में पहुंच बनाई गई।
- **एनिमल रिसर्च:** इंफेक्शियस डिज़ीज़ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नॉन-ह्यूमन प्राइमेट्स के लिए एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट **एनिमल BSL-3 फैसिलिटी शुरू की गई।**

2025 में शुरू की जाने वाली प्रमुख पहलें

- **BioE3 के लिए डिज़ाइन:** बायोमैन्युफैक्चरिंग में युवा इनोवेटर्स को मज़बूत बनाने की एक नई चुनौती।
- **DBT–IndiaAI MoU:** बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
- **नियामक सुधार:** बहु-विशेषता फसलों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए **आनुवंशिक रूप से इंजीनियर पौधों (स्टैक्ड इवेंट्स), 2025 पर** नए दिशानिर्देश जारी किए गए।

महत्व

- **स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इंजन:** बायोटेक को इकॉनमी, हेल्थ सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंस के लिए एक ड्राइवर के तौर पर रखता है।
- **टेक्नोलॉजिकल सॉवरिन्टी:** वैक्सीन, APIs और हाई-एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के लिए इम्पोर्ट पर डिपेंडेंस कम करता है।
- **ग्लोबल लीडरशिप:** भारत को सस्ते इनोवेशन और साउथ-साउथ साइंटिफिक सहयोग के हब के तौर पर स्थापित करता है।

निष्कर्ष

साल 2025 भारत के बायोटेक इकोसिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। डीप-सी और स्पेस बायोटेक से लेकर फूड सिक्योरिटी तक, नेशनल प्रायोरिटीज़ में इनोवेशन को शामिल करके, DBT ने यह पक्का किया है कि **2047 तक विकसित भारत की यात्रा में बायोटेक्नोलॉजी एक बुनियादी पिलर बनी रहे** ।

भारत-ओमान सीईपीए

प्रसंग

2025 में, भारत और ओमान ने ऑफिशियली एक **कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर साइन किया** । यह लैंडमार्क डील UAE के साथ 2022 के एग्रीमेंट के बाद वेस्ट एशियन रीजन में भारत का दूसरा बड़ा ट्रेड पैक्ट है, और यह बाइलेटरल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिश्तों को और गहरा करने का इशारा करता है।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड: इंडिया-ओमान CEPA एक होलिस्टिक एग्रीमेंट है जिसे ट्रेड में रुकावटों को खत्म करने और सामान, सर्विस और इन्वेस्टमेंट में सहयोग बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 2006 में अमेरिका के साथ FTA के बाद ओमान का पहला बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं:

- **टैरिफ खत्म करना: ओमान ने** अपनी **98.08% टैरिफ लाइनों** पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है , जिसमें लगभग **99.38%** भारतीय एक्सपोर्ट शामिल है।
- **सर्विस सेक्टर लिबरलाइज़ेशन:** IT, R&D, हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसे हाई-वैल्यू एरिया सहित **127 सर्विस सब-सेक्टर** को एक्सेस दिया गया ।
- **प्रोफेशनल मोबिलिटी (मोड 4):** इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी के लिए कोटा में काफी बढ़ोतरी (20% से 50% तक) और कॉन्ट्रैक्ट वाले सप्लायर के लिए ज़्यादा समय।

- **इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप:** भारतीय कंपनियों को ओमान के अंदर बड़े सर्विस सेक्टर में **100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की इजाज़त है।**
- **फार्मा और वेलनेस: भारतीय फार्मास्यूटिकल्स के लिए तेज़ अप्रूवल प्रोसेस और** ट्रेड के सभी तरीकों में पारंपरिक **आयुष दवाओं** के लिए ग्लोबल-फर्स्ट कमिटमेंट ।

रणनीतिक महत्व: भारत की पश्चिम एशिया रणनीति

- **मार्केट डायवर्सिफिकेशन:** पश्चिमी मार्केट (US/EU) पर निर्भरता कम करता है, जहां भारतीय एक्सपोर्ट को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसी कार्बन से जुड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है।
- **ओमान एक गेटवे के तौर पर: होर्मुज स्ट्रेट और दुकम और सोहर जैसे पोर्ट्स** से स्ट्रेटेजिक नज़दीकी की वजह से भारत को ईस्ट अफ्रीका और बड़ी खाड़ी के लिए ओमान को री-एक्सपोर्ट हब के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है।
- **एनर्जी सिक्योरिटी:** LNG, कच्चे तेल और फर्टिलाइज़र की स्टेबल सप्लाई पक्का करता है, जो भारत की एनर्जी और खेती की स्थिरता के लिए ज़रूरी हैं।
- **GCC का फ़ायदा:** हालांकि भारत-GCC (गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल) के बीच बड़ी बातचीत अभी भी रुकी हुई है, UAE और ओमान के साथ द्विपक्षीय समझौते भारत को इस इलाके में एक मज़बूत कॉम्पिटिटिव जगह देते हैं।

चुनौतियां

- **मार्केट स्केल:** ओमान का घरेलू मार्केट काफ़ी छोटा है (सालाना इंपोर्ट ~USD 40 बिलियन), जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ की लिमिट को लिमिट कर सकता है।
- **क्वालिटी और स्टैंडर्ड:** भारतीय एक्सपोर्टर्स पर गल्फ कंज्यूमर्स की प्रीमियम पसंद को पूरा करने के लिए पैकेजिंग और ब्रांडिंग को अपग्रेड करने का दबाव है।
- **जियोपॉलिटिकल रिस्क:** लाल सागर और बड़े वेस्ट एशिया में चल रही वोलैटिलिटी से माल ढुलाई और इंश्योरेंस की लागत में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।
- **लागू करने में कमियां:** नॉन-टैरिफ रुकावटें (NTBs) और प्रोफेशनल वीज़ा प्रोसेसिंग में होने वाली देरी, मोड 4 मोबिलिटी के मकसद वाले फ़ायदों को कम कर सकती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **लॉजिस्टिक्स हब डेवलपमेंट: इंडस्ट्रियल सहयोग के लिए दुकम पोर्ट** का फ़ायदा उठाना , इसे भारतीय सामान के रीडिस्ट्रिब्यूशन सेंटर के तौर पर बनाना।
- **वैल्यू-एडिशन:** एक्सपोर्ट प्रोफ़ाइल को कच्चे माल से हटाकर तैयार, ज़्यादा कीमत वाले सामान जैसे प्रोसेस्ड ज्वेलरी और खास इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की ओर ले जाएं।
- **आपसी पहचान:** सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन (डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर) को पहचान देने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक एग्रीमेंट।
- **पॉलिसी इंटीग्रेशन: मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए** CEPA के फ़ायदों को **प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI)** स्कीम जैसी घरेलू पहलों के साथ अलाइन करें।

निष्कर्ष

इंडिया-ओमान CEPA, इंडिया की "लुक वेस्ट" इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ज़रूरी पिलर है। सर्विस मोबिलिटी के लिए गहरे कमिटमेंट के साथ टैरिफ-फ्री एक्सेस को बैलेंस करके, यह पैक्ट ट्रेडिशनल वेस्टर्न ट्रेड रूट्स का एक मज़बूत ऑप्शन देता है। अगर इसे अच्छे से लागू किया गया, तो यह ओमान को इंडियन इंडस्ट्री को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मार्केट से जोड़ने वाले एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ब्रिज में बदल देगा।

न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भारत की डिजिटल छलांग

प्रसंग

दिसंबर 2025 में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने संसद को बताया कि AI-बेस्ड टूल्स को **ई-कोर्ट्स फेज़-III प्रोजेक्ट (₹7,210 करोड़** के खर्च के साथ) में इंटीग्रेट किया जा रहा है। फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने, केस पेंडिंग कम करने और न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर है, साथ ही यह पक्का किया जा रहा है कि AI सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करे, न कि इंसानी जजों की जगह ले।

न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यह क्या है?

मशीन लर्निंग (ML) , **नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP)** , और **ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) जैसी टेक्नोलॉजी को** ज्यूडिशियल वर्कफ़्लो में इंटीग्रेट करना ।

- **मुख्य भूमिका:** डिसीजन-सपोर्ट, केस-फ्लो मैनेजमेंट, और ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन।
- **दूसरी भूमिका:** चैटबॉट और कई भाषाओं वाले ट्रांसलेशन के ज़रिए लोगों को मिलने वाली सेवाओं को बेहतर बनाना।

उठाए गए मुख्य कदम:

- **LegRAA (लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट):** NIC का बनाया यह टूल जजों को डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कानूनी मिसालों की पहचान करने और मुश्किल केस फाइलों को समराइज़ करने में मदद करता है।
- **SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी):** एक एक्सपेरिमेंटल AI पोर्टल जो ज़रूरी फैक्ट्स और कानूनों को इकट्ठा और एनालाइज़ करता है, और उन्हें जजों को अवेलेबल कराता है ताकि फैसला लेने का प्रोसेस तेज़ हो सके।
- **SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर):** एक AI-पावर्ड ट्रांसलेशन टूल जो पहले ही **31,000 से ज़्यादा फैसलों को** क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट

कर चुका है ताकि भाषा के बीच की खाई को पाटा जा सके।

- **डिजिटल कोर्ट्स 2.1:** जजों के लिए एक खास एप्लीकेशन जिसमें **SHRUTI** (ऑर्डर लिखवाने के लिए AI स्पीच-टू-टेक्स्ट) और **PANINI** (इंटीग्रेटेड ट्रांसलेशन) की सुविधा है।
- **डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन टूल: IIT मद्रास** के साथ मिलकर बनाया गया यह ML टूल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में डिफेक्ट को ऑटोमैटिकली पहचानने में मदद करता है।

AI इंटीग्रेशन के फ़ायदे

- **एफिशिएंसी और स्पीड:** शेड्यूलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेटाडेटा निकालने जैसे रूटीन कामों को ऑटोमेट करता है, जिससे जज मुख्य कानूनी तर्क पर फोकस कर पाते हैं।
- **बैकलॉग कम करना:** AI से चलने वाला "प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स" केस-फ्लो में आने वाली रुकावटों को पहचान सकता है और टाइम-सेंसिटिव मामलों के लिए प्रायोरिटी का सुझाव दे सकता है।
- **ट्रांसपेरेंसी:** लाइव ट्रांसक्रिप्शन (जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की सुनवाई में देखा गया) और **न्याय श्रुति के ज़रिए डिजिटल सबूतों की रिकॉर्डिंग** , कार्यवाही का ऑडिटेबल और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड पक्का करती है।
- **एक्सेसिबिलिटी:** कई भाषाओं वाले जजमेंट पोर्टल आम लोगों को अपनी भाषा में कोर्ट के ऑर्डर पढ़ने की सुविधा देते हैं।

चुनौतियाँ और नैतिक चिंताएँ

- **एल्गोरिदमिक बायस:** क्योंकि AI को पुराने डेटा पर ट्रेन किया जाता है, इसलिए यह अनजाने में मौजूदा सामाजिक या कानूनी बायस को बनाए रख सकता है, जिससे "अलग-अलग तरह का बर्ताव" हो सकता है।
- **भ्रम और सटीकता:** जेनरेटिव AI कभी-कभी "काल्पनिक" उदाहरण या कानूनी उदाहरण (भ्रम) बना सकता है, जिसके लिए सख्त इंसानी वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है।
- **प्राइवेसी और सिक्योरिटी: सेंसिटिव कानूनी डेटा को संभालने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023** के तहत मजबूत फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है ।
- **ट्रांसपेरेंसी की कमी:** कुछ AI मॉडल्स का "ब्लैक बॉक्स" नेचर केस लड़ने वालों के लिए टेक-सपोर्टेड रिकमेंडेशन के पीछे का लॉजिक समझना मुश्किल बना देता है।
- **न्यायिक स्वतंत्रता:** ऐसी चिंताएं हैं कि AI "भविष्यवाणियों" पर बहुत ज़्यादा निर्भरता जज के स्वतंत्र विवेक पर असर डाल सकती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **फेज़्ड रोडमैप:** सरकार ने खास तौर पर "फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स" के लिए **₹53.57 करोड़ दिए हैं** , ताकि कंट्रोल्ड और सुरक्षित पायलट-बेस्ड रोलआउट पक्का किया जा सके।
- **ह्यूमन-इन-द-लूप:** एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना जहां AI आउटपुट हमेशा आखिरी इंसानी निगरानी और मैनुअल वेरिफिकेशन के अधीन हों।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** जजों, वकीलों और कोर्ट स्टाफ़ के लिए खास ट्रेनिंग ताकि वे AI टूल्स की क्षमताओं और नैतिक सीमाओं को समझ सकें।
- **स्टैंडर्ड गाइडलाइंस:** लोकल इलाकों में AI के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा एक जैसे ऑपरेशनल नियम बनाना।

निष्कर्ष

भारतीय न्यायपालिका में AI का इंटीग्रेशन 2047 तक "विकसित भारत" की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। हालांकि यह टेक्नोलॉजी केस पेंडिंग होने की समस्या का एक मज़बूत समाधान देती है, लेकिन इसका इस्तेमाल "इंसानों पर केंद्रित" रहना चाहिए—यह पक्का करते हुए कि "न्याय की आत्मा" इंसानों के हाथों में रहे, जबकि "न्याय की मशीनरी" AI से चले।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

प्रसंग

18 दिसंबर, 2025 को , भारत सरकार और **NABARD ने "One RRB, One Logo" पहल** के तहत सभी रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) के लिए एक कॉमन लोगो लॉन्च किया । यह रीब्रांडिंग एक बड़े कंसोलिडेशन ड्राइव के बाद हुई है जिसका मकसद रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन्स के लिए एक यूनिफाइड और मॉडर्न ब्रांड आइडेंटिटी बनाना है।

नए RRB लोगो के बारे में

यह क्या है?

28 RRBs ने एक ही, स्टैंडर्ड लोगो अपनाया है । यह अलग-अलग बैंकों द्वारा पहले इस्तेमाल किए जाने वाले अलग-अलग लोगो की जगह लेगा, जिससे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों की तरह एक साथ देश भर में मौजूदगी बढ़ेगी।

मुख्य विशेषताएं और प्रतीकवाद:

- **ऊपर की ओर तीर (प्रोग्रेस):** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की लगातार ग्रोथ, विकास और आर्थिक तरक्की को दिखाता है।
- **हाथ (पालन-पोषण):** इसमें देखभाल, सपोर्ट और ग्रामीण समुदायों की ओर बढ़ाए गए "मदद का हाथ" की भावना दिखाई देती है।
- **फ्लेम (ज्ञान):** यह फाइनेंशियल लिटरेसी के ज़रिए गांव के लोगों की गर्मजोशी, ज्ञान और एम्पावरमेंट को दिखाता है।
- **कोर रंग:** * **गहरा नीला:** विश्वास, स्थिरता और प्रोफेशनल फाइनेंशियल सेवाओं का प्रतीक है।
  - **हरा:** यह जीवन, खेती और गांव के विकास के बड़े मिशन को दिखाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

वे क्या हैं?

RRB खास कमर्शियल बैंक होते हैं जो खास तौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों में खेती, व्यापार और दूसरी काम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। वे कोऑपरेटिव के **"लोकल फील" को** कमर्शियल बैंकों की **"बिज़नेस की समझ" के साथ मिलाते हैं।**

- **स्थापना:** 2 अक्टूबर, 1975 (पहला बैंक: **प्रथमा बैंक** , मुरादाबाद)।
- **स्वामित्व संरचना:** * **केंद्र सरकार:** 50%
  - **राज्य सरकार:** 15%
  - **स्पॉन्सर बैंक:** 35%
- **रेगुलेटरी बॉडी:** RBI और NABARD (सुपरविज़न)।

विकास और समेकन

RRB सेक्टर में स्केल और फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्ट्रक्चरल सुधार किए गए हैं:

1. **चरण I से III (2005–2021):** प्रायोजक बैंकवार और राज्यवार विलय के माध्यम से RRB की संख्या 196 से घटाकर 43 कर दी गई।
2. **फेज़ IV (2025): "एक राज्य, एक RRB" पॉलिसी** के तहत , वित्त मंत्रालय ने **11 राज्यों/UTs में 26 RRBs को एक साथ कर दिया** (1 मई, 2025 से लागू)।
3. **अभी की स्थिति:** 2025 के आखिर तक, **28 RRBs** 700 जिलों में 22,000 से ज़्यादा ब्रांच के नेटवर्क के ज़रिए काम कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण कार्यों

- **इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट:** छोटे/मामूली किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और SHGs की सेवा करना।
- **फाइनेंशियल इन्क्लूजन: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)** डिलीवरी और PM-किसान जैसी सरकारी योजनाओं के लिए एक मुख्य चैनल के रूप में काम करना ।
- **ग्रामीण आजीविका:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए MSMEs और गैर-कृषि ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करना।

निष्कर्ष

"वन RRB, वन लोगो" पहल सिर्फ़ एक डिज़ाइन में बदलाव से कहीं ज़्यादा है; यह कस्टमर का भरोसा और विज़िबिलिटी बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक कदम है। 28 एंटिटीज़ को एक ही ब्रांड के तहत लाकर, सरकार का मकसद RRBs को डिजिटली इनेबल्ड, मज़बूत फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बदलना है जो ग्रामीण भारत के $5 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य की रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे।

भारतीय रेलवे

प्रसंग

बढ़ते ऑपरेशनल खर्च को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक कदम के तौर पर, रेल मंत्रालय ने 2025 में किराए में सोच-समझकर बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस एडजस्टमेंट का मकसद सस्ती यात्रा की सामाजिक ज़िम्मेदारी को मॉडर्नाइज़ेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फ़ाइनेंशियल ज़रूरत के साथ बैलेंस करना है।

समाचार के बारे में

- **किराया संशोधन संरचना:**
  - **साधारण क्लास:** 215 km तक की यात्रा के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं, कम दूरी के यात्रियों की सुरक्षा।
  - **लंबी दूरी:** 25 km से ज़्यादा की यात्रा के लिए, 0.01 पैसे प्रति km की मामूली बढ़ोतरी लागू की गई है।
  - **क्लास के हिसाब से बदलाव:** AC क्लास में 0.02 पैसे/km की बढ़ोतरी होती है, जबकि नॉन-AC क्लास में 0.01 पैसे/km का बदलाव किया जाता है।
- **आर्थिक तर्क:** यह बढ़ोतरी **ऑपरेटिंग रेश्यो (OR) को बेहतर बनाने के लिए की गई है** , जो ऐतिहासिक रूप से ऊंचा (अक्सर 98% के करीब) रहा है, जिससे कैपिटल रीइन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम सरप्लस बचता है।

मुख्य अवधारणा: ऑपरेटिंग अनुपात (OR)

रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाने के लिए ऑपरेटिंग रेश्यो सबसे ज़रूरी मेट्रिक है।

- **परिभाषा:** यह वर्किंग खर्च और ग्रॉस कमाई का अनुपात दिखाता है।
- **मतलब:** यह बताता है कि रेलवे को ₹100 कमाने के लिए कितना खर्च करना होगा।
  - *उदाहरण:* OR 95 का मतलब है कि रेलवे ₹1 कमाने के लिए 95 पैसे खर्च करता है।
  - **लक्ष्य:** कम OR (जैसे, 80) अच्छा है क्योंकि इससे ज़्यादा एफिशिएंसी और सेफ्टी और एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा फंड मिलता है।

संरचनात्मक चुनौतियाँ

मुद्दा	विवरण
यात्री सब्सिडी	सोशल वेलफेयर के लिए पैसेंजर किराए को बनावटी तौर पर कम रखा जाता है, जिससे ऑपरेशनल घाटा बहुत ज़्यादा होता है।
क्रॉस-सब्सिडी	**फ्रेट (गुड्स) टैरिफ** से होने वाले प्रॉफिट का इस्तेमाल पैसेंजर सेगमेंट में होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए किया जाता है।
रसद बदलाव	माल ढुलाई के ऊंचे रेट और मालगाड़ियों में देरी की वजह से माल का रेल से सड़क (ट्रक) की तरफ काफी बदलाव हुआ है।
तय लागत	रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा पेंशन, सैलरी और फ्यूल जैसी "कमिटेड लायबिलिटीज़" में खर्च हो जाता है।

प्रस्तावित सुधार और आधुनिकीकरण

- **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC):** खास तौर पर मालगाड़ियों के लिए अलग, हाई-स्पीड ट्रैक बनाना ताकि "समय पर" डिलीवरी पक्की हो सके और रोड ट्रांसपोर्ट से मार्केट शेयर वापस मिल सके।
- **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP):** धार्मिक और हेरिटेज टूरिज्म के लिए **"भारत गौरव यात्रा"** जैसी खास सर्विस चलाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाना ।
- **स्टेशन रीडेवलपमेंट:** बड़े स्टेशनों को वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं और कमर्शियल जगहों के साथ "रेलोपोलिस" हब में बदलना।
- **ग्रीन एनर्जी:** इलेक्ट्रिफिकेशन और सोलर पावर इंटीग्रेशन के ज़रिए 2030 तक **नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन** का लक्ष्य ।

मनी मल्टीप्लायर प्रभाव

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारी निवेश (कैपिटल एक्सपेंडिचर) एक बड़े आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है:

1. **सीधा असर:** कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में तुरंत नौकरियां पैदा होती हैं।
2. **इनडायरेक्ट असर:** स्टील, सीमेंट और पावर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।
3. **एफिशिएंसी:** बेहतर कनेक्टिविटी से इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल "लॉजिस्टिक्स कॉस्ट" (अभी GDP का ~13-14%) कम हो जाती है, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है।

निष्कर्ष

इंडियन रेलवे का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म "सर्विस-ओनली" मॉडल से "सस्टेनेबिलिटी-लेड" मॉडल में बदलाव है। ऑपरेटिंग रेश्यो और फ्रेट एफिशिएंसी पर फोकस करके, रेलवे का मकसद देश की लाइफलाइन बने रहना है और साथ ही ₹5 ट्रिलियन की इकॉनमी का ड्राइवर बनना है।

भारत-बांग्लादेश संबंध

प्रसंग

2024 के आखिर में और पूरे 2025 में, शेख हसीना सरकार के हटने के बाद भारत-बांग्लादेश के रिश्ते काफी उतार-चढ़ाव वाले दौर में चले गए। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कई बयान जारी करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ टारगेटेड हिंसा और उससे होने वाली अस्थिरता पर गहरी चिंता जताई है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ रहा है।

समाचार के बारे में

- **पॉलिटिकल बदलाव:** तख्तापलट और उसके बाद पूर्व PM शेख हसीना के भारत आने के बाद, बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और पुराने सरकारी सिस्टम में खालीपन आ गया।
- **ह्यूमन राइट्स की चिंताएँ:** लोकल नेताओं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा हिंसा की खबरें सामने आईं। लोगों को सरेआम फांसी देने और जलाने जैसी बड़ी घटनाओं (जैसे, "दास जी" वाली घटना) से भारत में डिप्लोमैटिक टकराव और लोगों का गुस्सा भड़क गया।
- **सुरक्षा खतरे:**
  - **सिलीगुड़ी कॉरिडोर:** अस्थिरता "चिकन नेक" के लिए सीधा खतरा है, जो मुख्य भारत को उत्तर पूर्व से जोड़ने वाली ज़मीन की एक पतली पट्टी है।
  - **बगावत और अलगाववाद:** अलग मैप की संभावित मांगों और असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं के पास सक्रिय भारत विरोधी विद्रोही ग्रुप्स के फिर से उभरने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

रणनीतिक और संवैधानिक ढांचा

- **नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी:** बांग्लादेश पारंपरिक रूप से भारत की उस पॉलिसी का आधार है जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक एकीकरण के लिए अपने करीबी पड़ोसियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** बांग्लादेश भारत के लिए साउथ-ईस्ट एशिया और बड़े इंडो-पैसिफिक से जुड़ने के लिए ज़रूरी गेटवे का काम करता है।
- **सुरक्षा सहयोग:** आतंकवाद से निपटने और बागियों को सौंपने में ऐतिहासिक सहयोग, दोनों देशों के बीच रिश्ते का एक अहम हिस्सा रहा है, जो अभी अनिश्चितता का सामना कर रहा है।

संघर्ष के प्रमुख क्षेत्र

मुद्दा	विवरण
नदी जल बंटवारा	**तीस्ता नदी** और **ब्रह्मपुत्र के मैनेजमेंट** को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहे हैं , जिससे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में खेती और इकोलॉजी पर असर पड़ रहा है।
सीमा प्रबंधन	**4,096 km बॉर्डर** से जुड़ी चुनौतियाँ , जिनमें अधूरी फेंसिंग, जानवरों की तस्करी और गैर-कानूनी माइग्रेशन शामिल हैं।
अल्पसंख्यक अधिकार	बांग्लादेश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के कारण हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली ने डिप्लोमैटिक विरोध जताया है।
रणनीतिक अतिक्रमण	इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तीसरे पक्ष (चीन) के असर और बंगाल की खाड़ी में नौसेना की मौजूदगी को लेकर चिंता।

क्षेत्रीय एकीकरण: बिम्सटेक बनाम सार्क

- **BIMSTEC (बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन):** इसमें 7 सदस्य हैं, यह सहयोग का मुख्य ज़रिया बन गया

है क्योंकि **SAARC** भारत-पाक तनाव के कारण सुस्त पड़ा हुआ है।

- **कनेक्टिविटी: अगरतला-अखौरा रेल लिंक** और चटगांव/मोंगला पोर्ट का इस्तेमाल जैसे प्रोजेक्ट भारत के लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

चुनौतियां

- **ऐतिहासिक विरोधाभास: 1971 के मुक्ति संग्राम** में भारत की अहम भूमिका के बावजूद , बांग्लादेश में अंदरूनी राजनीतिक झुकाव (भारत समर्थक AL बनाम राष्ट्रवादी BNP/जमात) के आधार पर भारत विरोधी भावनाएं अक्सर ऊपर-नीचे होती रहती हैं।
- **इंटरनल सिक्योरिटी:** खुली सीमाएं गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के आने को आसान बनाती हैं, जिससे भारत की घरेलू राजनीति में NRC/CAA पर बातचीत मुश्किल हो जाती है।
- **जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन:** बांग्लादेश की "इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी" भारतीय सुरक्षा ज़रूरतों और चीनी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के बीच बैलेंस बनाती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डिप्लोमैटिक बातचीत:** ढाका में अंतरिम/नई लीडरशिप के साथ बातचीत बनाए रखें ताकि यह पक्का हो सके कि बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो।
- **बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर:** गैर-कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने पर रोक लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग और हाई-टेक सर्विलांस का इस्तेमाल करके "स्मार्ट बॉर्डर" प्रोजेक्ट को तेज़ी से पूरा करना।
- **वॉटर डिप्लोमेसी:** पानी के बंटवारे को राजनीतिकरण से बचाने के लिए, ट्रांसबाउंड्री नदियों के लिए बेसिन-वाइड मैनेजमेंट अप्रोच की ओर बढ़ना।
- **संस्थाओं को मज़बूत करना: BIMSTEC** का इस्तेमाल करके ऐसी रीजनल वैल्यू चेन को बढ़ावा दें जो सत्ता में किसी भी सरकार के बावजूद आर्थिक सहयोग को ज़रूरी बनाती हैं।

निष्कर्ष

भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते इस समय एक अहम मोड़ पर हैं। हालांकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते गहरे हैं, लेकिन अभी का फोकस "चिकन नेक" कॉरिडोर की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पक्की करने पर होना चाहिए। एक स्थिर, सेक्युलर और दोस्ताना बांग्लादेश सिर्फ़ एक डिप्लोमैटिक पसंद नहीं है, बल्कि भारत की अंदरूनी सुरक्षा और उसके "एक्ट ईस्ट" लक्ष्यों के लिए एक ज़रूरत है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

प्रसंग

अगस्त 2025 में दिए गए एक अहम फैसले में, **भारत के सुप्रीम कोर्ट ने** कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) सिर्फ़ एक कानूनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका एक साफ़ संवैधानिक आधार है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पर्यावरण की सुरक्षा **आर्टिकल 51A(g) से निकलने वाली एक ज़रूरी ज़िम्मेदारी है** , जो हर नागरिक और संस्था की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसे बेहतर बनाएं। इसलिए, पर्यावरण की सुरक्षा पर CSR खर्च को कॉर्पोरेट चैरिटी का मामला नहीं, बल्कि देश की इकोलॉजिकल हेल्थ की सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी योगदान घोषित किया गया।

समाचार के बारे में

CSR की परिभाषा

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) का मतलब एक मैनेजमेंट और गवर्नेंस का तरीका है जिसमें कंपनियां जान-बूझकर अपने बिज़नेस ऑपरेशन और स्टेकहोल्डर इंटरैक्शन में सामाजिक, पर्यावरण और नैतिक चिंताओं को शामिल करती हैं। इसका मकसद यह पक्का करना है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक बराबरी और पर्यावरण की स्थिरता भी हो।

विधायी पृष्ठभूमि भारत

धारा 135 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के माध्यम से सीएसआर खर्च को कानूनी रूप से अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया । प्रारंभ में, सीएसआर ने अपेक्षाकृत लचीले "अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें" ढांचे का पालन किया। समय के साथ, यह एक सख्त "अनुपालन करें या दंडित करें" व्यवस्था में विकसित हुआ, जिसके तहत निर्धारित सीएसआर राशि खर्च करने में विफलता वैधानिक परिणामों को आकर्षित करती है, जिसमें नामित खातों या सरकारी निधियों में अप्रयुक्त निधियों का अनिवार्य हस्तांतरण शामिल है।

पात्रता और अनिवार्य खर्च (धारा 135)

CSR के नियम हर उस कंपनी पर लागू होते हैं, जिसमें भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, जो ठीक पिछले फाइनेंशियल ईयर में नीचे दिए गए क्राइटेरिया में से कोई एक पूरा करती हैं:

- **नेट वर्थ:** ₹500 करोड़ या उससे ज़्यादा
- **टर्नओवर:** ₹1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा
- **शुद्ध लाभ:** ₹5 करोड़ या उससे अधिक

खर्च की ज़रूरत: एलिजिबल कंपनियों को

पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर के अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का **कम से कम 2% CSR एक्टिविटीज़ पर** खर्च करना होगा ।

भारत में CSR की मुख्य विशेषताएं

CSR कमेटी

कंपनियों को एक बोर्ड-लेवल CSR कमेटी बनानी होगी जिसमें कम से कम तीन डायरेक्टर हों, जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। कमेटी CSR पॉलिसी बनाती है, खर्च की सलाह देती है, और उसे लागू करने पर नज़र रखती है।

शेड्यूल VII एक्टिविटीज़

CSR खर्च शेड्यूल VII के तहत लिस्टेड एक्टिविटीज़ तक ही सीमित है, जिसमें शामिल हैं:

- भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन
- शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना

- पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता संरक्षण
- राष्ट्रीय विरासत, कला, संस्कृति का संरक्षण और ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना

2025 के फैसले के बाद, इस फ्रेमवर्क में एनवायर्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी को संवैधानिक महत्व मिल गया है।

डिस्क्लोज़र नॉर्म्स

कंपनियों को अपनी बोर्ड रिपोर्ट और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर CSR पॉलिसी, प्रोजेक्ट और खर्च के बारे में डिटेल्ड जानकारी देनी होती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है।

अप्रयुक्त सीएसआर निधियों का उपचार

- **चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च न हुई रकम:** फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिनों के अंदर एक खास "बिना खर्च हुए CSR अकाउंट" में ट्रांसफर करनी होगी और तय समय में इस्तेमाल करनी होगी।
- **अन्य अप्रयुक्त राशि:** वित्तीय वर्ष के अंत के छह महीने के भीतर अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधियों, जैसे कि **पीएम केयर्स फंड में स्थानांतरित की जानी चाहिए** ।

यह तरीका यह पक्का करता है कि CSR रिसोर्स को हमेशा के लिए रोका न जाए या उनके तय सामाजिक मकसद से भटकाया न जाए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व

CSR का संवैधानिकरण।

CSR, खासकर पर्यावरण से जुड़े CSR को आर्टिकल 51A(g) से साफ तौर पर जोड़कर, कोर्ट ने कॉर्पोरेट पर्यावरण की ज़िम्मेदारी को एक वॉलंटरी या भलाई पर आधारित काम से बढ़ाकर एक संवैधानिक ज़िम्मेदारी बना दिया।

इकोलॉजिकल जस्टिस

यह फैसला इस सिद्धांत को और पक्का करता है कि कॉर्पोरेशन, जो मुनाफ़े के लिए प्राकृतिक संसाधनों को निकालते और उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी इकोलॉजिकल बैलेंस को ठीक करने, बायोडायवर्सिटी की रक्षा करने और पर्यावरण को नुकसान से बचाने की ज़िम्मेदारी है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

बढ़ी हुई जवाबदेही

यह फ़ैसला ऐसे चुनिंदा CSR खर्च को रोकता है जो असर से ज़्यादा विज़िबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। कंपनियों को अब संवैधानिक रूप से एक संतुलित CSR पोर्टफ़ोलियो अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो सामाजिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी सही ढंग से संबोधित करता है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

इम्पैक्ट असेसमेंट

2021 से, जिन कंपनियों की CSR ज़िम्मेदारी ₹10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन्हें इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा। इस ज़रूरत को छोटे CSR प्रोजेक्ट्स तक बढ़ाने से CSR खर्च की क्वालिटी और असर में काफ़ी सुधार हो सकता है।

ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन

CSR खर्च महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे इंडस्ट्रियलाइज़्ड राज्यों में ही कंसंट्रेटेड है। आगे की सोच वाला तरीका यह है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाकों, खासकर नॉर्थ-ईस्ट में CSR इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए।

ग्रीनवाशिंग को रोकना

रेगुलेटरी निगरानी को यह पक्का करना चाहिए कि पर्यावरण से जुड़ी CSR पहलों से ठोस इकोलॉजिकल नतीजे मिलें, न कि ऊपरी तौर पर नियमों का पालन या ब्रांडिंग की बातें।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले ने भारतीय इंडस्ट्री और पर्यावरण के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया है। CSR को संवैधानिक ड्यूटी के आधार पर रखकर, यह पक्का किया गया है कि कॉर्पोरेट ग्रोथ पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी और सोशल इक्विटी के साथ जुड़ी हो। यह कानूनी बदलाव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत के कमिटमेंट को मज़बूत करता है और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी से समझौता किए बिना, **विकसित भारत 2047 की राह पर सबको साथ लेकर चलने वाली खुशहाली पाने के बड़े नेशनल विज़न को सपोर्ट करता है।**

एनपीएस निकास और निकासी (संशोधन) विनियम, 2025

प्रसंग

दिसंबर 2025 में, **पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA)** ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसे निकालने और निकालने के नियमों में बड़े बदलावों को नोटिफाई किया। ये बदलाव सब्सक्राइबर्स, खासकर नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

2025 संशोधन की मुख्य विशेषताएं

1. ज़्यादा एकमुश्त निकासी (गैर-सरकारी क्षेत्र):

- **विड्रॉल लिमिट: नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर अब अपनी जमा रकम का 80%** तक एक साथ निकाल सकते हैं (पहले यह 60% था)।
- **ज़रूरी एन्युइटी:** एन्युइटी की ज़रूरी खरीद को **40% से घटाकर 20% कर दिया गया है** ।
- **सरकारी सब्सक्राइबर: सरकारी कर्मचारियों के लिए** मौजूदा **60:40 रेश्यो** (60% एकमुश्त और 40% एन्युइटी) जारी रहेगा।

2. कॉर्पस-बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी: ज़रूरी एन्युइटी की ज़रूरत अब कुल जमा पेंशन वेल्थ के आधार पर अलग-अलग होती है:

- **कॉर्पस ≤ ₹8 लाख:** 100% एकमुश्त विड्रॉल की इजाज़त है; एन्युइटी ऑप्शनल है।
- **कॉर्पस ₹8 लाख – ₹12 लाख: सब्सक्राइबर** एकमुश्त **₹6 लाख** तक निकाल सकते हैं , बाकी रकम कम से कम 6 साल के लिए एन्युइटी या सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन (SUR) के लिए उपलब्ध होगी।
- **कॉर्पस > ₹12 लाख:** नॉन-गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी 20% एन्युइटी (गवर्नमेंट के लिए 40%), बाकी रकम एकमुश्त या SUR के तौर पर मिलेगी।

3. बेहतर एग्जिट डेफरमेंट:

- **85 साल (पहले 75 साल) की उम्र** तक एकमुश्त पैसे निकालने या एन्युइटी खरीदने को टाल सकते हैं । इससे अगर तुरंत लिक्विडिटी की ज़रूरत न हो तो कॉर्पस इन्वेस्टेड रहता है और लंबे समय तक बढ़ता रहता है।

4. NPS पर लोन:

- पहली बार, सब्सक्राइबर्स को अपने NPS कॉर्पस को गिरवी रखकर **रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने की इजाज़त दी गई है** । लोन की रकम **सब्सक्राइबर के अपने कंट्रीब्यूशन के 25% तक सीमित है** ।

5. पार्शियल विड्रॉल क्लैरिफिकेशन:

- **मकसद:** इसमें खुद या परिवार के लिए कोई भी मेडिकल इलाज/हॉस्पिटल में भर्ती होना और एक बार घर बनाना शामिल किया गया है।
- **फ्रीक्वेंसी:** 60 साल की उम्र से पहले 4 बार तक (4 साल के गैप के साथ) और अगर सब्सक्राइबर अकाउंट जारी रखता है तो 60 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में पार्शियल विड्रॉल की इजाज़त है।

6. सब्सक्राइबर प्रोविज़न मिसिंग:

- अगर कोई सब्सक्राइबर गायब है, तो नॉमिनी को कॉर्पस का **20% अंतरिम राहत** मिलती है । *भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार, मौत की कानूनी मान्यता के बाद बाकी रकम का भुगतान किया जाता है* ।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बारे में

- **नेचर:** एक मार्केट-लिंक्ड, डिफाइंड-कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट स्कीम।
- **एलिजिबिलिटी:** सभी भारतीय नागरिकों (18–70 साल) के लिए खुला है, जिसमें NRI और कॉर्पोरेट कर्मचारी भी शामिल हैं।
- **संरचना:**
  - **टियर I:** टैक्स बेनिफिट और लिमिटेड विड्रॉल के साथ ज़रूरी रिटायरमेंट अकाउंट।
  - **टियर II:** वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं होती।
- **टैक्स स्टेटस:** अभी, एकमुश्त पैसे निकालने पर 60% टैक्स नहीं लगता है। 80% तक बढ़ने के साथ, टैक्स अधिकारियों से एक्स्ट्रा 20% के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

2025 के बदलाव एक सख़्त "वन-साइज़-फ़िट्स-ऑल" मॉडल से एक बहुत ही पर्सनलाइज़्ड रिटायरमेंट टूल की ओर बदलाव दिखाते हैं। एन्युइटी की ज़रूरतों को कम करके और इन्वेस्टमेंट की उम्र 85 साल तक बढ़ाकर, PFRDA ने NPS को दूसरे लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट्स के मुकाबले एक अच्छे विकल्प के तौर पर पेश किया है। यह "NPS 2.0" फ्रेमवर्क रिटायरमेंट पर तुरंत कैश कुशन की ज़रूरत और लॉन्ग-टर्म पेंशन सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाता है।

कोहरा: प्रकार, निर्माण और प्रभाव

प्रसंग

2025 के आखिर में, **इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने उत्तर प्रदेश और उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे के लिए रेड अलर्ट** जारी किया, जिससे इस घटना की मौसमी गंभीरता पर रोशनी पड़ी।

समाचार के बारे में

परिभाषा: कोहरा मौसम से जुड़ी एक घटना है जिसमें पानी की छोटी बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल धरती की सतह के पास हवा में लटके रहते हैं। टेक्निकली, इसे इन पार्टिकल्स से लाइट के बिखरने की वजह से **हॉरिजॉन्टल विज़िबिलिटी में 1 km से कम की कमी के तौर पर समझा जाता है।**

कोहरा कैसे बनता है? कोहरा तब बनता है जब हवा सैचुरेटेड हो जाती है (100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक पहुँच जाती है)। यह दो मुख्य तरीकों से होता है:

1. **ठंडा होना:** हवा का तापमान अपने **ड्यू पॉइंट तक गिर जाता है** ।
2. **नमी:** हवा में नमी की मात्रा तब तक बढ़ जाती है जब तक वह पानी की भाप को रोक नहीं पाती।

- **अनुकूल परिस्थितियां:** शांत हवाएं, ज़्यादा नमी, सर्दियों की लंबी रातें, और **तापमान का उलटा होना** (जहां गर्म हवा ज़मीन के पास ठंडी हवा को फंसा लेती है)।

कोहरे के प्रकार

कोहरे को उसके बनने की फिजिकल प्रोसेस के आधार पर बांटा गया है:

- **रेडिएशन फॉग:** यह साफ़, शांत रातों में बनता है, जब ज़मीन रेडिएशन से गर्मी खो देती है, जिससे उसके ठीक ऊपर की हवा ठंडी हो जाती है। यह आमतौर पर सूरज उगने के बाद "जल जाता है"।
- **एडवेक्शन फॉग:** यह तब होता है जब गर्म, नमी वाली हवा किसी बहुत ठंडी सतह (जैसे बर्फ़ या ठंडी समुद्री लहरें) पर हॉरिजॉन्टली चलती है।
- **वैली फॉग:** ठंडी, घनी हवा ग्रेविटी की वजह से घाटियों में धंस जाती है, फंस जाती है और और ठंडी होकर घना, लगातार रहने वाला फॉग बन जाता है।
- **अपस्लोप फॉग:** यह तब बनता है जब नमी वाली हवा पहाड़ की ढलान पर ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर उठते समय रुद्धोष्म रूप से ठंडी हो जाती है।
- **फ्रीजिंग फॉग:** इसमें सुपरकूल्ड लिक्विड की बूंदें होती हैं जो किसी भी ठोस सतह के संपर्क में आते ही तुरंत जम जाती हैं, जिससे "राइम" या बर्फ की परत बन जाती है।
- **इवैपोरेशन (स्टीम) फॉग:** यह तब बनता है जब ठंडी हवा गर्म पानी के ऊपर से गुज़रती है; पानी इवैपोरेट होकर ठंडी हवा में मिल जाता है, जिससे वह तुरंत सैचुरेट हो जाती है।
- **,** क्योंकि पिघलते ओले सतह के पास की नमी वाली हवा को तेज़ी से ठंडा कर देते हैं।

स्थानीय मौसम और समाज पर प्रभाव

1. **ट्रांसपोर्ट में रुकावट:** लगभग ज़ीरो विज़िबिलिटी सड़क, रेल और एविएशन सेक्टर में भारी देरी और दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।
2. **टेम्परेचर सप्रेशन:** घना कोहरा आने वाली सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे ज़मीन गर्म नहीं होती और "कोल्ड डे" जैसी कंडीशन बन जाती हैं।
3. **हेल्थ और एयर क्वालिटी:** कोहरा एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) और पॉल्यूटेंट्स को ज़मीन के पास फंसा लेता है, जिससे **स्मॉग** (धुआं + कोहरा) बनता है, जो सांस की बीमारियों को बढ़ाता है।

आगे का रास्ता और शमन

- **टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन: एयरपोर्ट पर CAT-III लैंडिंग सिस्टम को** बेहतर बनाना और कम विज़िबिलिटी वाली जगहों पर जाने के लिए ट्रेनों में **फॉग-पास डिवाइस लगाना।**
- **अर्ली वॉर्निंग सिस्टम:** आने-जाने वालों को रियल-टाइम अलर्ट देने के लिए IMD के सैटेलाइट-बेस्ड "नाउकास्टिंग" को बेहतर बनाना।
- **पब्लिक सेफ्टी:** "रेड अलर्ट" पीरियड के दौरान एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटेड स्पीड-लिमिट साइन लगाना ताकि पाइल-अप को रोका जा सके।

निष्कर्ष

वैसे तो कोहरा एक नैचुरल एटमोस्फेरिक प्रोसेस है, लेकिन इंसानों से होने वाले प्रदूषण (Smog) और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ इसका इंटरेक्शन इसे एक बड़ा सोशियो-इकोनॉमिक खतरा बनाता है। भारत की सर्दियों की कनेक्टिविटी पर इसके असर को कम करने के लिए मज़बूत फोरकास्टिंग और टेक्नोलॉजी से चलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है।

भारत में एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाना

प्रसंग

भारत ने **2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन में ₹3 लाख करोड़** और डिफेंस एक्सपोर्ट में ₹50,000 करोड़ हासिल करने का बड़ा टारगेट रखा है, जिससे एक मज़बूत **डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस (DIB)** बनाने पर बहस तेज़ हो गई है।

भारत के रक्षा औद्योगिक आधार के बारे में

परिभाषा: एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस एक बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट फर्म, MSMEs, R&D लैब (जैसे DRDO), टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन शामिल हैं, जो डिफेंस प्लेटफॉर्म और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने, बनाने, मेंटेन करने और एक्सपोर्ट करने में सक्षम हैं।

मुख्य रुझान और डेटा:

- **उत्पादन की उपलब्धियाँ: भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹1.54 लाख करोड़** का अपना अब तक का सबसे अधिक रक्षा उत्पादन हासिल किया ।
- **स्वदेशी विकास: वित्त वर्ष 2023-24 में** उत्पादन मूल्य बढ़कर **₹1,27,434 करोड़ हो गया** , जो 2014-15 से **174% की वृद्धि दर्शाता है।**
- **निर्यात में उछाल:** वित्त वर्ष 2024-25 में **100 से अधिक देशों को** रिकॉर्ड **₹23,622 करोड़ का निर्यात किया गया** ।
- **इकोसिस्टम की गहराई: 16,000 MSMEs** और 788 इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाली **462 कंपनियों** से सपोर्ट मिला।
- **प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी: अब** कुल प्रोडक्शन में लगभग **23% हिस्सा है।**

स्वदेशी रक्षा औद्योगिक बेस (IDIB) की ज़रूरत

1. **स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी:** यह लड़ाई के दौरान विदेशी पाबंदियों और "पुश-बटन वीटो" से नेशनल सिक्योरिटी को बचाता है।
   - *उदाहरण:* ब्रह्मोस **मिसाइल सिस्टम** यह पक्का करता है कि भारत बिना किसी बाहरी दखल के पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल बनाए रखे।
2. **ऑपरेशनल रेडीनेस:** खास इलाकों के लिए तेज़ी से रिपेयर और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करने में मदद करता है।
   - *उदाहरण:* **लद्दाख गतिरोध** के दौरान , HAL ने **LCA तेजस और ALH ध्रुव को** बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले हालात के लिए तेज़ी से तैयार किया।
3. **इकोनॉमिक मल्टीप्लायर:** एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटलर्जी में हाई-स्किल एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देता है।
   - *उदाहरण:* UP और तमिलनाडु में **डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और L&T जैसी बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया है।**
4. **जियोपॉलिटिकल लेवरेज:** इंडस्ट्रियल क्षमता को डिप्लोमैटिक असर और सिक्योरिटी पार्टनरशिप में बदलता है।
   - *उदाहरण: फिलीपींस* को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने **(2024) से** भारत की भूमिका एक इंपोर्टर से एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर में बदल गई।

सरकारी पहल

- **खरीद सुधार:** डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर (DAP) 2020 में **खरीदें (इंडियन-IDDM)** कैटेगरी को प्राथमिकता दी गई है।
- **कॉर्पोरेटाइज़ेशन:** काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) को सात डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) में बदलना।
- **FDI लिबरलाइज़ेशन: ऑटोमैटिक रूट से 74%** तक और सरकारी मंज़ूरी से 100% तक की इजाज़त।
- **इनोवेशन इकोसिस्टम: iDEX (इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस)** और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड

(TDF) की शुरुआत , ताकि स्टार्टअप्स को मिलिट्री ज़रूरतों से जोड़ा जा सके।

- **इंफ्रास्ट्रक्चर:** उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड **डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर** का डेवलपमेंट ।

चुनौतियां

- **रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी:** टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट वेंचर के लिए ओवरलैपिंग अप्रूवल से प्रोजेक्ट का काम धीमा हो जाता है।
- **टेस्टिंग में रुकावटें:** लंबे मल्टी-टेरेन ट्रायल और सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से देसी सिस्टम को शामिल करने में देरी होती है (जैसे, **ATAGS आर्टिलरी** के छह साल तक ट्रायल हुए)।
- **फाइनेंसिंग की दिक्कतें:** ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत और लंबे ऑर्डर साइकिल की वजह से MSMEs और ड्रोन स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट मिलना मुश्किल हो जाता है।
- **R&D-से-प्रोडक्शन गैप:** सफल प्रोटोटाइप को बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले, भरोसेमंद सिस्टम में बदलने में मुश्किलें (जैसे, **निशांत UAV** चुनौतियां)।
- **डिमांड की अनिश्चितता:** बार-बार कैंसलेशन या री-टेंडरिंग से स्पेशलाइज़्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में लंबे समय के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रुकावट आती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **सिंगल-विंडो एजेंसी:** एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग और कोऑर्डिनेशन को तेज़ी से पूरा करने के लिए एक प्रोफेशनली चलने वाली एजेंसी बनाएं।
2. **लॉन्ग-टर्म रोडमैप:** प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए 10-15 साल की अनुमानित प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन दें।
3. **DRDO को फिर से दिशा देना:** DRDO को सिर्फ़ बड़े रिसर्च तक सीमित रखना, जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग संभालने के लिए मज़बूत बनाना।
4. **स्पेशलाइज़्ड फाइनेंस:** खास तौर पर डिफेंस MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी और सॉवरेन लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट शुरू करें।
5. **ग्लोबल स्टैंडर्ड्स:** ट्रायल पीरियड कम करने और एक्सपोर्ट एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन को इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ अलाइन करें।
6. **बिज़नेस में आसानी:** स्टार्टअप्स के कैश फ्लो को बनाए रखने के लिए कम्प्लायंस को आसान बनाएं और समय पर पेमेंट पक्का करें।

निष्कर्ष

एक मज़बूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भारत की **ढाल और स्प्रिंगबोर्ड दोनों का काम करता है** , जो सॉवरेनिटी की रक्षा करते हुए इनोवेशन से होने वाली ग्रोथ को बढ़ावा देता है। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की रफ़्तार अच्छी है, लेकिन फाइनेंस, टेस्टिंग और डिमांड में पक्का सुधार ज़रूरी हैं। डिफेंस में **आत्मनिर्भरता हासिल करना , विकसित भारत 2047 के विज़न** और भारत की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी के लिए एक ज़रूरी पिलर है ।

डिस्कनेक्ट करने का अधिकार और प्राइवेट मेंबर बिल

प्रसंग

दिसंबर 2025 में, सांसद **सुप्रिया सुले ने लोकसभा में "राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025"** पेश किया । इस बिल का मकसद कर्मचारियों के लिए एक कानूनी ढांचा बनाना है ताकि वे अपने तय काम के घंटों के बाद काम से जुड़ी बातचीत से दूर रह सकें, और डिजिटल बर्नआउट की बढ़ती समस्या को हल करने की कोशिश की जा सके।

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के बारे में

परिभाषा:

"राइट टू डिस्कनेक्ट" एक कर्मचारी का अधिकार है कि वह काम के घंटों के अलावा, काम से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन (कॉल, ईमेल, WhatsApp) में शामिल न हो, बिना किसी डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रोफेशनल नुकसान के डर के।

मुख्य प्रावधान:

- **जवाब देने से मना करना:** कर्मचारियों को ऑफिस के समय के बाद या छुट्टियों में कॉल या मैसेज का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।
- **एम्प्लॉइज वेलफेयर अथॉरिटी:** बिल में एक कानूनी संस्था का प्रस्ताव है जो नियमों का पालन देखेगी, गाइडलाइन जारी करेगी और डिजिटल ओवरवर्क पर नज़र रखेगी।
- **ज़रूरी बातचीत:** जिन कंपनियों में **10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं** , उन्हें अपने स्टाफ़ या यूनियन के साथ ऑफ़िस के बाद कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर औपचारिक बातचीत करनी होगी।
- **ओवरटाइम मुआवज़ा: अगर कोई कर्मचारी आपसी सहमति से ऑफिशियल घंटों के बाद काम करना चुनता है, तो उन्हें** नॉर्मल रेट पर **ओवरटाइम सैलरी** मिलनी चाहिए ।
- **पेनल्टी: इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले एम्प्लॉयर्स को** अपने एम्प्लॉइज को दी जाने वाली **कुल सैलरी का 1%** पेनल्टी लग सकती है ।

2025 में बिल की ज़रूरत

- **धुंधली होती सीमाएं:** रिमोट और हाइब्रिड वर्क मॉडल के बढ़ने से एक "हमेशा चालू" कल्चर बन गया है, जहां काम और पर्सनल लाइफ में कोई फर्क नहीं है।
- **हेल्थ और प्रोडक्टिविटी:** लगातार "टेलीप्रेशर" (नोटिफिकेशन चेक करने की इच्छा) से नींद की कमी, एंग्जायटी और बर्नआउट होता है।
- **ग्लोबल मिसालें: ऑस्ट्रेलिया ने 2024** में अपना राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया । **फ्रांस (2017)** , स्पेन और पुर्तगाल जैसे दूसरे देशों में पहले से ही इसी तरह की सुरक्षा है।

- **दुखद यादें:** कॉर्पोरेट सेक्टर में "बहुत ज़्यादा काम के तनाव" से जुड़ी कर्मचारियों की मौत के हाई-प्रोफ़ाइल मामलों के बाद यह बिल ज़रूरी हो गया है।

भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण
हसल संस्कृति	डेडिकेशन साबित करने के लिए 24/7 अवेलेबल रहने का ज़बरदस्त सोशल और कॉम्पिटिटिव प्रेशर, खासकर स्टार्टअप्स में।
अनौपचारिक क्षेत्र	**80%** से ज़्यादा वर्कफ़ोर्स इनफ़ॉर्मल सेक्टर में है जहाँ लिखित कॉन्ट्रैक्ट और तय घंटे बहुत कम मिलते हैं।
वैश्विक परिचालन	कई भारतीय कंपनियां अलग-अलग टाइम ज़ोन में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विस देती हैं, जिससे 9 से 5 का "डिस्कनेक्ट" करना मुश्किल हो जाता है।
आर्थिक विकास	आलोचकों का कहना है कि ऐसे कानूनों से वह फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस कम हो सकती है जो भारतीय सर्विस इंडस्ट्री को ग्लोबल बढ़त देती है।

प्राइवेट मेंबर बिल को समझना

विधायी पृष्ठभूमि:

प्राइवेट मेंबर बिल एक कानूनी प्रस्ताव होता है जिसे कोई भी MP पेश करता है जो मंत्री नहीं होता। हालांकि ये कानूनी ढांचे में कमियों को दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

- **वोटिंग के दिन:** इन बिलों पर आम तौर पर सिर्फ़ **शुक्रवार को ही चर्चा होती है** ।
- **सफलता दर:** आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ़ **14** प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून बन पाए हैं।
- **आखिरी सफल बिल:** आखिरी पास हुआ बिल **सुप्रीम कोर्ट (क्रिमिनल अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार) बिल, 1968 था, जो 1970** में एक्ट बन गया ।
- **ड्राफ्टिंग:** मिनिस्ट्रीज़ द्वारा बनाए गए सरकारी बिलों के उलट, प्राइवेट मेंबर बिल MP खुद बनाते हैं।

निष्कर्ष

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025, डिजिटल ज़माने में मेंटल हेल्थ और **"जीवन के अधिकार" (आर्टिकल 21) को प्राथमिकता देने की दिशा में एक ज़रूरी बदलाव दिखाता है** । भले ही यह तुरंत कानून न बने, लेकिन इसके आने से काम करने के अच्छे हालात और डिजिटल दखल की सीमाओं पर देश भर में बातचीत शुरू हो गई है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

प्रसंग

22 दिसंबर, 2025 को , भारत और न्यूज़ीलैंड ने ऑफिशियली अपने लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के पूरा होने का ऐलान किया। रिकॉर्ड **नौ महीनों में हुई बातचीत** के बाद, यह किसी डेवलप्ड देश के साथ भारत की सबसे तेज़ी से पूरी हुई ट्रेड डील में से एक है। इस एग्रीमेंट का मकसद रिश्ते को "क्रिकेट और करी" से एक गहरी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलना है।

समाचार के बारे में

की सुलह: ऑफिशियली इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव, बैलेंस्ड और "पीपल-सेंट्रिक" पैक्ट कहा जाता है, FTA में 20 चैप्टर शामिल हैं, जिसमें गुड्स और सर्विसेज़ के ट्रेड से लेकर डिजिटल कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज तक शामिल हैं।

मुख्य प्रावधान:

- **गुड्स और टैरिफ:** * **न्यूज़ीलैंड का कमिटमेंट:** लागू होते ही **100% इंडियन एक्सपोर्ट के लिए ज़ीरो-ड्यूटी एक्सेस** देगा ।
  - **भारत का वादा: अपनी 70% टैरिफ लाइनों** पर टैरिफ को आसान बनाएगा , जो दोनों देशों के बीच ट्रेड वैल्यू का लगभग **95% कवर करेगा।**
- **सेंसिटिव एक्सक्लूज़न: भारत ने डेयरी (दूध, मक्खन, पनीर)** , चीनी, चावल, गेहूं और कुछ सब्जियों को **एक्सक्लूज़न लिस्ट** (कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं) में रखकर अपने घरेलू हितों की सख्ती से रक्षा की है ।
- **खेती का कोटा: कीवीफ्रूट, सेब और मनुका शहद** जैसी महंगी चीज़ों के लिए एक "बीच का रास्ता" निकाला गया , जिन पर ड्यूटी कम होगी, लेकिन लोकल किसानों को बचाने के लिए उन्हें **टैरिफ रेट कोटा (TRQ)** और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस (MIP) के ज़रिए मैनेज किया जाएगा।
- **कार्यबल और छात्र गतिशीलता:**
  - **प्रोफेशनल वीज़ा: 5,000 भारतीय प्रोफेशनल्स** (IT, इंजीनियर, हेल्थकेयर, और योगा इंस्ट्रक्टर और शेफ जैसे ट्रेडिशनल रोल) के लिए एक नया "टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीज़ा" ।
  - **स्टूडेंट के अधिकार: भारतीय स्टूडेंट्स पर कोई नंबर की लिमिट नहीं; STEM ग्रेजुएट्स के लिए** पढ़ाई के बाद 3 साल तक और **PhD स्कॉलर्स के लिए 4 साल तक का वर्क वीज़ा** ।
  - **वर्किंग हॉलिडे:** 18-30 साल के भारतीय युवाओं के लिए 1,000 "वर्क एंड हॉलिडे" वीज़ा।

रणनीतिक उद्देश्य

उद्देश्य	विवरण

व्यापार दोगुना करना	अगले पांच सालों में कुल बाइलेटरल ट्रेड को **$5 बिलियन** तक पहुंचाने का लक्ष्य है ।
निवेश को बढ़ावा	न्यूज़ीलैंड ने 15 सालों में भारत में **$20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने का वादा किया है।**
आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन	यह भारत की इंडो-पैसिफिक पार्टनर्स के साथ जुड़ने और "चाइना-प्लस-वन" विकल्प देने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
आयुष मान्यता	पहली बार, न्यूज़ीलैंड ने **आयुर्वेद और पारंपरिक दवा में व्यापार को आसान बनाने के लिए एक एनेक्स पर साइन किया है** ।

चुनौतियाँ और दृष्टिकोण

- **डेयरी सेंसिटिविटी:** न्यूज़ीलैंड में, डेयरी सेक्टर को बाहर रखने की कुछ पार्टियों ने पॉलिटिकल आलोचना की है, जिन्होंने इसे कीवी किसानों के लिए "बुरा सौदा" बताया है।
- **कॉम्पिटिशन का दबाव:** इंजीनियरिंग और लेदर सेक्टर में भारतीय MSMEs को ट्रेड वॉल्यूम बढ़ने के साथ हाई-क्वालिटी न्यूज़ीलैंड स्टैंडर्ड्स के साथ मुकाबला करने के लिए मॉडर्नाइज़ होना होगा।
- **लागू करना:** दोनों देशों में घरेलू कानूनी जांच के बाद **2026 के पहले छह महीनों** में इस एग्रीमेंट पर फॉर्मल साइन होने की उम्मीद है ।

निष्कर्ष

इंडिया-न्यूज़ीलैंड FTA एक "नई पीढ़ी" का ट्रेड पैक्ट है जो सिंपल कमोडिटी एक्सचेंज के बजाय **सर्विसेज़, मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देता है** । डेयरी सेक्टर को सुरक्षित रखते हुए और इंडियन वर्कफ़ोर्स के लिए दरवाज़े खोलकर, यह एग्रीमेंट घरेलू इकोनॉमिक सेंसिटिविटीज़ को ग्लोबल ग्रोथ की उम्मीदों के साथ बैलेंस करता है।

भीमा नदी

प्रसंग

भीमा नदी के पानी को लेकर **कर्नाटक** और **महाराष्ट्र** के बीच पानी के बंटवारे का झगड़ा बढ़ गया । कर्नाटक ने **सेंट्रल वॉटर कमीशन** (CWC) से दखल देने की अपील की, और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र अपने तय हिस्से से कहीं ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है। कर्नाटक के नेताओं ने आगे दावा किया कि भीमा का पानी बिना इजाज़त सुरंगों के ज़रिए सिना नदी में डाला जा रहा है, जिससे कलबुर्गी, विजयपुरा और यादगीर जैसे ज़िलों पर बुरा असर पड़ रहा है।

भीमा नदी के बारे में

नदी प्रणाली

भीमा **नदी कृष्णा नदी की** सबसे बड़ी और सबसे अहम **बाएं किनारे की सहायक नदी है** । यह एक बारहमासी नदी है, जो दक्कन पठार के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए एक ज़रूरी जीवन रेखा का काम करती है।

प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ

- **उत्पत्ति:** महाराष्ट्र के पुणे जिले में पश्चिमी घाट (सह्याद्री) की भीमाशंकर पहाड़ियों के पास।
- **दूसरा नाम:** इसे लोकल तौर पर **चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है** , खासकर पंढरपुर में, क्योंकि इसका रास्ता आधे चांद जैसा है।
- **लंबाई और रास्ता: यह** महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होकर लगभग **861 km तक दक्षिण-पूर्व में बहती है।**
- **संगम: यह नदी रायचूर के उत्तर में कर्नाटक-तेलंगाना बॉर्डर पर कृष्णा नदी** से मिलती है । खास बात यह है कि संगम पर भीमा नदी कृष्णा नदी से लंबी है।

सहायक नदियाँ और बेसिन विशेषताएँ

भीमा बेसिन लगभग **70,614 sq km में फैला है** , जिसका लगभग **75%** कैचमेंट महाराष्ट्र में है।

किनारा	प्रमुख सहायक नदियाँ
बायाँ किनारा	सिना, नीरा, घोड़, वेल, बोरी
दायाँ किनारा	इंद्रायणी, मूला-मुथा, पवना, मान, भोगवती, कागना (कर्नाटक)

प्रमुख बांध और बुनियादी ढांचा

- **उज्जनी डैम (भीमा डैम):** महाराष्ट्र में नदी पर बना सबसे बड़ा और आखिरी डैम, जो यशवंत सागर जलाशय बनाता है।
- **चास कमान डैम:** भीमा नदी पर सबसे ऊपर का डैम।
- **खड़कवासला और मुलशी डैम:** मुला-मुथा सिस्टम पर बने हैं, जो पुणे मेट्रोपॉलिटन इलाके को पानी और हाइड्रोपावर सप्लाई करते हैं।

2025 जल विवाद

मुख्य आरोप

- **ज़्यादा इस्तेमाल:** कर्नाटक का आरोप है कि महाराष्ट्र **बचावत कमीशन** (KWDT-I) के तहत **95 TMC** पानी के बंटवारे के मुकाबले लगभग **200 TMC पानी इस्तेमाल कर रहा है।**
- **सीना नदी का मोड़:** एक विवादित **21 km लंबी सुरंग** कथित तौर पर CWC की ज़रूरी मंज़ूरी के बिना भीमा और सीना नदियों को आपस में जोड़ती है।
- **नीचे की तरफ असर:** उत्तरी कर्नाटक में गर्मियों में पानी की कमी होती है और बांध से अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से मानसून में अचानक बाढ़ आ जाती है।

भीमा नदी का महत्व

- **खेती:** पूरे महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती और ज्वार और बाजरा जैसी बारिश पर निर्भर फसलों को बनाए रखता है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व:**
  - सोर्स क्षेत्र में **भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है** , जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
  - विट्ठल **मंदिर पंढरपुर** हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है।
- **इकोलॉजी:** भीमाशंकर **वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी** महाराष्ट्र के राज्य पशु, भारतीय बड़ी गिलहरी (शेखरू) की सुरक्षा करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **CWC टेक्निकल ऑडिट:** पानी के असली इस्तेमाल को वेरिफाई करने और डायवर्जन स्ट्रक्चर की लीगैलिटी का पता लगाने के लिए जॉइंट इंस्पेक्शन।
- **ऑटोमेशन और ट्रांसपेरेंसी:** रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटरस्टेट बॉर्डर पर टेलीमेट्रिक फ्लो मीटर लगाना।
- **फसल पैटर्न को सही करना:** बेसिन पर दबाव कम करने के लिए ज़्यादा पानी वाले गन्ने से धीरे-धीरे कम पानी वाली फसलों की ओर बढ़ना।

निष्कर्ष

भीमा नदी विवाद, क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट की बढ़ती मांगों के कारण भारत की इंटरस्टेट नदियों पर बढ़ते दबाव को दिखाता है। सस्टेनेबल समाधान के लिए **ट्रांसपेरेंट डेटा-शेयरिंग, ट्रिब्यूनल एलोकेशन का सख्ती से पालन और बेसिन-लेवल प्लानिंग की ज़रूरत होगी** , ताकि यह पक्का हो सके कि अपस्ट्रीम इस्तेमाल से डाउनस्ट्रीम पानी की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)

प्रसंग

दिसंबर 2025 में, भारत और नीदरलैंड्स ने गुजरात के लोथल में **नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) के डेवलपमेंट पर मिलकर काम करने के लिए एक अहम मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए** । यह पार्टनरशिप भारत के सबसे बड़े मैरीटाइम प्रोजेक्ट को एम्स्टर्डम के दुनिया भर **में मशहूर नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम से जोड़ती है** ताकि क्यूरेशन और कंज़र्वेशन में ग्लोबल एक्सपर्टीज़ को भारतीय तटों पर लाया जा सके।

लोथल में NMHC के बारे में

यह क्या है?

NMHC एक अंडर-कंस्ट्रक्शन, वर्ल्ड-क्लास डेस्टिनेशन है जिसे **मिनिस्ट्री ऑफ़ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज़ (MoPSW) ने सागरमाला प्रोग्राम** के तहत डेवलप किया है। **400 एकड़** में फैला , इसे दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स माना जा रहा है, जो भारत के 5,000 साल पुराने समुद्री इतिहास को दिखाने के लिए डेडिकेटेड है।

मुख्य विशेषताएं और लेआउट:

- **14 थीम वाली गैलरी:** हड़प्पा युग से लेकर आज की इंडियन नेवी तक के समय को कवर करती हैं।
- **मशहूर इमारतें:** इसमें **दुनिया का सबसे ऊंचा लाइटहाउस म्यूज़ियम** (75 मीटर से ज़्यादा) और एक 5D डोम थिएटर है।
- **इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट:** भारत का पहला **ई-ट्रांसपोर्ट डेस्टिनेशन** , जो कॉम्प्लेक्स के अंदर विज़िटर्स को लाने-ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक बग्गी, सेगवे और नावों का इस्तेमाल करता है।
- **थीम पार्क:** नेवल हिस्ट्री, क्लाइमेट चेंज, मॉन्यूमेंट्स और एडवेंचर पर फोकस करने वाले चार स्पेशल पार्क।
- **इतिहास का फिर से निर्माण: इस कॉम्प्लेक्स में लोथल** और **धोलावीरा** के पुराने शहरों के असली आकार के पुनर्निर्माण होंगे ।

लोथल के बारे में: प्राचीन बंदरगाह

ऐतिहासिक महत्व: लोथल (गुजराती में जिसका मतलब है "मुर्दों का टीला") **सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) का एक ज़रूरी ट्रेड हब था** , जो लगभग **2400 BCE में फल-फूल रहा था** । इसकी खुदाई 1957 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) के एसआर राव ने की थी।

दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड:

- **इंजीनियरिंग का कमाल:** भट्टी में पकी ईंटों से बना एक ट्रेपेज़ॉइडल बेसिन, जिसे खंभात की खाड़ी के ज्वार का इस्तेमाल करके जहाज़ों को तैराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **ट्रेड लिंक:** सबूत (जैसे फ़ारस की खाड़ी की मुहरें) **मेसोपोटामिया** , **मिस्र** और **फ़ारस के साथ सीधे समुद्री व्यापार का सुझाव देते हैं** ।
- **टाउन प्लानिंग:** इसे एक **सिटाडेल** (ऊपरी शहर) और एक **निचले शहर में बांटा गया है** , जिसमें एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और व्यापारिक सामान रखने के लिए एक बड़ा गोदाम है।

भारत-नीदरलैंड सहयोग (2025 समझौता ज्ञापन)

नीदरलैंड के साथ पार्टनरशिप NMHC को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक कदम है:

- **एक्सपर्टाइज़ एक्सचेंज:** म्यूज़ियम डिज़ाइन, डिजिटल क्यूरेशन और समुद्री आर्टिफैक्ट्स के कंज़र्वेशन पर सहयोग।
- **जॉइंट रिसर्च:** शेयर्ड समुद्री इतिहास और पुरानी नेविगेशन तकनीकों पर मिलकर की गई स्टडी।
- **ग्लोबल प्रोफ़ाइल:** इसका मकसद NMHC को यूरोप के मशहूर समुद्री म्यूज़ियम की तरह एक खास ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **फेज़ 1 पूरा होना:** प्राइमरी म्यूज़ियम बिल्डिंग और शुरुआती पाँच गैलरी का कंस्ट्रक्शन **2025 के आखिर/2026 की शुरुआत तक पूरा होकर आम लोगों के लिए खुलने की उम्मीद है** ।
- **विकसित भारत 2047:** यह प्रोजेक्ट भारत के ग्लोबल समुद्री ताकत के तौर पर अपना दर्जा वापस पाने और "हेरिटेज टूरिज्म" को बढ़ावा देने के विज़न का एक अहम हिस्सा है।
- **सबको साथ लेकर चलना:** सरकार युवाओं में "समुद्री जागरूकता" को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट्स और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए सस्ती पहुँच पक्का करने का प्लान बना रही है।

निष्कर्ष

लोथल में NMHC सिर्फ़ एक म्यूज़ियम नहीं है; यह एक "पायनियर सीफ़ेयरर" के तौर पर भारत के शानदार अतीत और उसकी भविष्य की उम्मीदों के बीच एक पुल है। पुराने हड़प्पा इंजीनियरिंग लॉजिक को मॉडर्न डच म्यूज़ियम एक्सपर्टीज़ के साथ मिलाकर, यह कॉम्प्लेक्स समुद्री विरासत और कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए एक ग्लोबल लाइटहाउस का काम करेगा।

अरावली बचाओ अभियान

प्रसंग

2025 के आखिर में, **भारत के सुप्रीम कोर्ट ने** सेंट्रल कमिटी की सिफारिशों के आधार पर अरावली पहाड़ियों की एक जैसी परिभाषा को ऑफिशियली मान लिया। इस फैसले में **लोकल रिलीफ से ≥100 मीटर ऊपर उठने वाले लैंडफॉर्म तक ही सख्त सुरक्षा दी गई है। इससे #SaveAravalli मूवमेंट** शुरू हुआ है , क्योंकि नागरिकों, साइंटिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट का कहना है कि इस लिमिट में इकोलॉजिकली ज़रूरी अरावली लैंडस्केप का **90% से ज़्यादा हिस्सा शामिल नहीं है।**

अभियान के बारे में

सेव अरावली एक ज़मीनी और एक्सपर्ट्स के नेतृत्व वाला पर्यावरण आंदोलन है जो **"साइंटिफिक रिडक्शनिज़्म" का विरोध करता है** — यानी एक मुश्किल पहाड़ी इकोसिस्टम को सिर्फ़ ऊंचाई से बताने की कोशिश। यह कैंपेन एक **काम की, लैंडस्केप-बेस्ड परिभाषा की मांग करता है** जो निचली पहाड़ियों की रक्षा करे जो जियोलॉजिकली लगभग 2 अरब साल पुरानी **अरावली रेंज का ज़रूरी हिस्सा हैं** ।

मुख्य न्यायिक निर्देश (नवंबर 2025)

- **समान परिभाषा:** एक "अरावली पहाड़ी" कोई भी भू-आकृति है जो स्थानीय राहत से **≥100 मीटर ऊपर उठती है।**
- **रेंज वर्गीकरण: 500 मीटर** के अंदर ऐसी पहाड़ियों का समूह "अरावली रेंज" बनाता है।
- **सस्टेनेबल माइनिंग प्लान:** इंडियन **काउंसिल ऑफ़ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन** (ICFRE) को **सस्टेनेबल माइनिंग (MPSM) के लिए एक मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया** ।
- **लीज़ पर रोक:** MPSM के फाइनल होने तक कोई नई माइनिंग लीज़ नहीं।
- **सुरक्षित इलाके:** टाइगर रिज़र्व और इको-सेंसिटिव ज़ोन 100 m के नियम के बावजूद, ऑफ-लिमिट रहेंगे।

आंदोलन द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे

1. **बड़े पैमाने पर बाहर रखा जाना:** फॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया की मैपिंग में **12,081** पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं, जिनमें से सिर्फ़ **1,048 (~8.7%) ही** 100 m के क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, जिससे ज़्यादातर पहाड़ियाँ बिना सुरक्षा के रह जाती हैं।
2. **माइनिंग की कमज़ोरी:** निचली पहाड़ियों, जिन्हें पहले सुरक्षित रखा गया था, अब कानूनी तौर पर खदान में काम कर सकती हैं, जिससे राजस्थान और हरियाणा में पहले से देखा गया नुकसान और बढ़ सकता है।
3. **हाइड्रोलॉजिकल गिरावट:** अरावली पहाड़ियां एक्वीफर को रिचार्ज करती हैं, जिससे **हर साल लगभग 20 लाख लीटर/हेक्टेयर पानी मिलता है** ; पहाड़ियां सपाट होने से पानी की कमी वाले NCR में कुओं के सूखने का खतरा है।
4. **रेगिस्तान बनने का खतरा: 10-30 m ऊंची पहाड़ियां** भी थार की रेत के खिलाफ असरदार विंडब्रेक का काम करती हैं; उन्हें हटाने से उपजाऊ मैदानों में रेगिस्तान बन सकता है।
5. **वाइल्डलाइफ़ का बँटवारा:** कम ऊँचाई वाली झाड़ियाँ तेंदुए और लकड़बग्घे जैसी प्रजातियों के लिए माइग्रेशन कॉरिडोर का काम करती हैं; सिर्फ़ ऊँचाई के नियमों से "इकोलॉजिकल आइलैंड" बनने का खतरा है।

उत्तर भारत के लिए अरावली पर्वतमाला का महत्व

भूमिका	महत्त्व
जलवायु शील्ड	गुजरात-दिल्ली में तापमान को नियंत्रित करता है और बारिश पर असर डालता है।
प्रदूषण सिंक	धूल भरी आंधियों को रोकता है; गंगा के मैदानी इलाकों में PM_{10} लोड कम करता है।

जल सुरक्षा	गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के टूटे हुए चट्टानी जलभृतों के लिए प्राथमिक रिचार्ज ज़ोन।
भूवैज्ञानिक विरासत	दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड सिस्टम में से एक, जो हिमालय से भी पुराना है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **लैंडस्केप-लेवल प्रोटेक्शन: ऊंचाई की सीमा को लैंडस्केप इकोलॉजी** से बदलें , काम के हिसाब से फीचर्स (रिचार्ज ज़ोन, कॉरिडोर, विंडब्रेक) को सुरक्षित रखें।
- **पूरी मैपिंग:** सभी रिज को, चाहे उनकी ऊंचाई कुछ भी हो, **क्रिटिकल इकोलॉजिकल ज़ोन के तौर पर बताने के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट मैपिंग** ।
- **अरावली ग्रीन वॉल: 2030 तक ~26 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन** को ठीक करने के लिए 5-km बफर पहल को मज़बूत करना ।
- **न्यायिक समीक्षा: अरावली की सभी जगहों को कानूनी सुरक्षा में शामिल करने के लिए आर्टिकल 48A** (पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य) का एक मकसद से मतलब निकालें ।

निष्कर्ष

अरावली **बचाओ** अभियान का तर्क है कि पारिस्थितिक मूल्य **कार्य में निहित है, ऊंचाई में नहीं** । जबकि न्यायालय की परिभाषा का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता और अवैध खनन पर अंकुश लगाना है, एक संकीर्ण ऊंचाई-आधारित नियम अधिकांश सीमा के लिए **"परिभाषा द्वारा मृत्यु" का जोखिम उठाता है** , जो उत्तर भारत की जल सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और जैव विविधता को खतरा पहुंचाता है।

भारत में फर्टिलाइजर सब्सिडी में सुधार

प्रसंग

बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधारों के बीच, 2025 के आखिर में अर्थशास्त्रियों और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने भारत के फर्टिलाइज़र सब्सिडी सिस्टम को तुरंत बदलने की मांग की है। सरकार के सामने दोहरी चुनौती है: एक बड़ा और अस्थिर फिस्कल बोझ कम करना और साथ ही दशकों से गलत तरीके से पोषक तत्वों के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत को हो रहे गंभीर नुकसान को रोकना।

मुद्दे के बारे में

यांत्रिकी

भारत में फर्टिलाइज़र सब्सिडी प्राइस कंट्रोल और मैन्युफैक्चरर्स को मुआवज़े के ज़रिए चलती है। कंपनियों को प्रोडक्शन या इंपोर्ट की ज़्यादा लागत और किसानों द्वारा दिए जाने वाले कम, सरकार द्वारा तय मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) के बीच के अंतर की भरपाई की जाती है। इस सिस्टम ने, खासकर यूरिया के लिए, ज़रूरी इनपुट तक किफ़ायत और बड़े पैमाने पर पहुँच सुनिश्चित की है।

वर्तमान रुझान (वित्त वर्ष 26)

- **फिस्कल मैग्नीट्यूड:** फर्टिलाइज़र सब्सिडी यूनियन बजट में (खाने के बाद) दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके FY26 में ₹1.67 लाख करोड़ और ₹2 लाख करोड़ के बीच होने का अनुमान है।
- **यूरिया का दबदबा:** कुल सब्सिडी खर्च का लगभग दो-तिहाई हिस्सा अकेले यूरिया पर खर्च होता है, और इसकी कीमत लगभग ₹242 प्रति 45 kg बैग तय की गई है।
- **इम्पोर्ट की कमज़ोरी:** भारत बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पर निर्भर है, लगभग 78% नैचुरल गैस (यूरिया के लिए), 90% फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, और 100% पोटाश इम्पोर्ट पर निर्भर है, जिससे ग्लोबल प्राइस शॉक के कारण सब्सिडी बिल पर असर पड़ता है।
- **न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस:** बनावटी तौर पर सस्ते यूरिया ने फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल को बिगाड़ दिया है। देश का N:P:K रेश्यो लगभग 10.9:4.4:1 हो गया है, जो खेती के हिसाब से सही 4:2:1 से बहुत दूर है।

सब्सिडी क्यों ज़रूरी है

- **फ़ूड सिक्योरिटी:** सब्सिडी ने ग्रीन रेवोल्यूशन को मज़बूत किया और फ़ूड ग्रेन में सेल्फ़-सफ़िशिएंसी को मुमकिन बनाया।
- **छोटे किसानों को मदद:** 85% से ज़्यादा किसान छोटी जोत पर खेती करते हैं, इसलिए सब्सिडी से दुनिया भर में बदलती एनर्जी की कीमतों से होने वाली कमाई में मदद मिलती है।
- **प्राइस स्टेबिलिटी:** कम इनपुट कॉस्ट से कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशन को रोकने और अनाज की कीमतों को स्टेबल करने में मदद मिलती है।
- **क्लाइमेट रिस्क कम करना:** अनियमित मॉनसून वाले सालों में, सब्सिडी वाले इनपुट प्रोडक्शन रिस्क और इनकम की अनिश्चितता को कम करते हैं।

वर्तमान शासन की चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण और साक्ष्य
कम दक्षता	डाली गई नाइट्रोजन का सिर्फ़ ~35–40% ही फसलें सोख पाती हैं; बाकी पर्यावरण में चला जाता है।
पर्यावरणीय क्षति	ज़्यादा यूरिया से ग्राउंडवाटर में नाइट्रेट रिसने लगता है, जो मेथेमोग्लोबिनेमिया (ब्लू बेबी सिंड्रोम) से जुड़ा है।
मृदा क्षरण	ज़्यादा नाइट्रोजन से मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन (SOC) कम हो जाता है, जो पिछले सात दशकों में कुछ इलाकों में ~1% से घटकर ~0.3% हो गया है।

राजकोषीय तनाव	सब्सिडी बिल ग्लोबल झटकों (जैसे, गैस की कीमतों में उछाल, जियोपॉलिटिकल झगड़े) के लिए बहुत सेंसिटिव है।
लीकेज	एक अनुमान के मुताबिक, सब्सिडी वाले यूरिया का 20-25% हिस्सा गैर-खेती के कामों (जैसे, प्लाईवुड, कांच) में इस्तेमाल हो जाता है।

आगे का रास्ता: 2025 और उसके बाद के लिए रीस्ट्रक्चरिंग

1. **यूरिया को न्यूट्रिएंट-बेस्ड सब्सिडी (NBS) के तहत लाएं:** प्राइस सिग्नल को सही करने और बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यूरिया की कीमत को फॉस्फोरस और पोटेशियम के साथ अलाइन करें।
2. **DBT 2.0: मैन्युफ़ैक्चरर-सेंट्रिक सब्सिडी से बदलकर PM-KISAN** की तरह किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना, जिससे टारगेटिंग और ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी।
3. **एग्री स्टैक का फ़ायदा उठाएँ:** ज़मीन के साइज़ और फ़सल की ज़रूरतों के आधार पर सब्सिडी वाली मात्रा को लिमिट करने के लिए डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, फ़सल डेटा और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करें।
4. **दूसरे तरीकों को बढ़ावा दें:** नैनो यूरिया, बायो-फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल बढ़ाएं। 2025–26 के बजट में ऑर्गेनिक इनपुट के लिए खास (हालांकि कम) एलोकेशन के साथ इसकी शुरुआत की गई है।
5. **प्रेसिजन फार्मिंग:** सॉइल हेल्थ कार्ड और एडवाइजरी सर्विस को मजबूत करें ताकि फर्टिलाइजर सिर्फ वहीं डालें जहां जरूरत हो, जिससे वेस्ट और रनऑफ कम हो।

निष्कर्ष

फर्टिलाइज़र सब्सिडी में सुधार का मतलब सपोर्ट वापस लेना नहीं है, बल्कि इसे **ज़्यादा स्मार्ट, ग्रीन और फेयर बनाना** है। गलत प्राइस सिग्नल को ठीक करके, टारगेटिंग को कड़ा करके और सस्टेनेबल विकल्पों को बढ़ावा देकर, भारत फाइनेंशियल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, मिट्टी की हेल्थ को ठीक कर सकता है, और फूड सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना लंबे समय तक खेती को सस्टेनेबल बना सकता है।

दक्षिणी महासागर कार्बन विसंगति

प्रसंग

नेचर क्लाइमेट चेंज में छपी नई रिसर्च में दक्षिणी महासागर में एक अचानक आई "असामान्य बात" का पता चला। लंबे समय से चले आ रहे क्लाइमेट मॉडल के अनुमानों के उलट, कि महासागर कार्बन सिंक के तौर पर कमज़ोर हो जाएगा और CO_2 छोड़ना शुरू कर देगा, दक्षिणी महासागर ने असल में 2000 के दशक की शुरुआत से अपने कार्बन सोखने की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है।

समाचार के बारे में

अवधारणा:

सदर्न ओशन कार्बन एनोमली बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद समुद्र एक बड़े "कार्बन सिंक" के तौर पर काम करता रहता है। पुराने मॉडल बताते थे कि तेज़ हवाएँ गहरे, कार्बन-रिच पानी को ऊपर उठाएँगी, जिससे वे एटमॉस्फियर में CO_2 छोड़ेंगे; हालाँकि, इसका उल्टा हुआ है।

विसंगति का तंत्र:

- **पश्चिमी हवाएं और ऊपर उठना:** तापमान बढ़ने से हवाएं तेज़ हो जाती हैं, जिससे गहरे, कार्बन वाले पानी को सतह की ओर खींचा जाता है।
- **मीठे पानी का "ढक्कन":** अंटार्कटिका की बर्फ़ तेज़ी से पिघलने और ज़्यादा बारिश की वजह से सतह पर तैरता हुआ ताज़ा पानी आ जाता है।
- **वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन:** यह हल्की फ्रेशवाटर लेयर एक "ढक्कन" या बैरियर बनाती है, जो गहरे, कार्बन-रिच पानी को हवा के कॉन्टैक्ट में आने से रोकती है।
- **सबसरफेस ट्रैपिंग:** ऊपर उठा हुआ पानी सतह से लगभग **100–200m नीचे फंसा रहता है, जिससे गैसों का लेन-देन रुक जाता है और सतह को एटमोस्फेरिक CO_2 को सोखने में मदद मिलती है।**

विसंगति को बढ़ावा देने वाले कारक

साइंटिफिक उम्मीदों से यह अंतर कई फिजिकल और डेटा से जुड़े फैक्टर्स की वजह से है:

- **सरफेस फ्रेशनिंग:** ग्लेशियर के पिघलने से कम खारापन समुद्र की ऊपरी परत को हल्का बनाता है और मिक्स होने से बचाता है।
- **छोटे पैमाने पर फ़िज़िक्स:** समुद्र की "एडीज़" (गोल धाराएँ) और आइस-शेल्फ़ कैविटी डायनामिक्स, स्ट्रेटिफ़िकेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन अक्सर मोटे क्लाइमेट मॉडल के लिए सही तरीके से ट्रैक करने के लिए बहुत छोटे होते हैं।
- **मॉडल की कमियां:** पुराने क्लाइमेट सिमुलेशन में मीठे पानी के इनपुट और बारीक समुद्री फिजिक्स के असर को कम दिखाया गया था।
- **ऑब्ज़र्वेशनल गैप:** पहले, सर्दियों के महीनों में दूर के दक्षिणी महासागर से बहुत कम डेटा मिलने से क्लाइमेट बिहेवियर का अधूरा वैलिडेशन होता था।

आशय

वर्ग	प्रभाव
जलवायु बफर	इस गड़बड़ी ने ज़्यादा CO_2 को एटमॉस्फियर से बाहर रखकर ग्लोबल वार्मिंग को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया है।

उलटफेर का जोखिम	"आउटगैसिंग" का बहुत ज़्यादा खतरा है; अगर सरफेस स्ट्रेटिफिकेशन पतला हो जाता है या गिर जाता है, तो जमा हुआ कार्बन तेज़ी से निकल सकता है।
वैज्ञानिक शोधन	भविष्य के क्लाइमेट मॉडल में मीठे पानी के डायनामिक्स और ओशन केमिस्ट्री को जोड़ने की तुरंत ज़रूरत पर ज़ोर देता है।
नीति रणनीति	यह इस बात को पक्का करता है कि नेचुरल सिंक का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और वे सीधे एमिशन में कमी की ज़रूरत की जगह नहीं ले सकते।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **बेहतर मॉनिटरिंग:** पोलर इलाकों में साल भर चलने वाले, ऑटोनॉमस ऑब्ज़र्वेशन सिस्टम बनाएं ताकि रियल-टाइम में स्ट्रेटिफिकेशन में बदलाव का पता लगाया जा सके।
- **मॉडल इंटीग्रेशन:** छोटे लेवल के एडीज़ और अंटार्कटिक मेल्टवॉटर पैटर्न को बेहतर तरीके से हल करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट सिमुलेशन को अपडेट करें।
- **वल्नरेबिलिटी असेसमेंट:** उस "टिपिंग पॉइंट" पर रिसर्च करें जिस पर दक्षिणी महासागर कार्बन सहयोगी से क्लाइमेट एम्पलीफायर में बदल सकता है।
- **ग्लोबल पॉलिसी में बदलाव:** पक्का करें कि इंटरनेशनल क्लाइमेट टारगेट में दक्षिणी महासागर जैसे नैचुरल कार्बन सिंक की संभावित अस्थिरता का ध्यान रखा जाए।

निष्कर्ष

दक्षिणी महासागर की कार्बन गड़बड़ी हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी के सिस्टम कुछ समय के लिए वैज्ञानिक अनुमानों को गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन ये कुदरती बफर हमेशा के लिए नहीं हैं। हालांकि मीठे पानी का लेवल बदलना अभी गहरी कमज़ोरियों को छिपाता है, लेकिन अचानक बदलाव की संभावना लगातार नज़र रखने और दुनिया भर में तेज़ी से एमिशन में कटौती करने की बहुत ज़रूरत को दिखाती है।

राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल

प्रसंग

25 दिसंबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में **राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन गुड गवर्नेंस डे** और पूर्व प्रधानमंत्री **अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर हुआ** ।

साइट के बारे में

शहरी कायाकल्प और भूमि पुनर्ग्रहण:

- **पहले लैंडफिल:** यह मेमोरियल शहरी सुधार का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे 65 एकड़ की जगह पर बनाया गया है, जो पहले एक बड़ा **कचरा डंप था** जिसमें लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन कचरा था।
- **ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन: मियावाकी तकनीक** का इस्तेमाल करके लगभग 50,000 पेड़ लगाए गए , जिससे पहले का लैंडफिल एक हरे-भरे इलाके में बदल गया।
- **लोकेशन: हरदोई रोड पर वसंत कुंज (बसंत कुंज) योजना एरिया में, गोमती नदी** के किनारे ।

वास्तुकला प्रतीकवाद:

- **कमल का आकार:** म्यूज़ियम और पूरा मास्टरप्लान एक **खिले हुए कमल के आकार में डिज़ाइन किया गया है** , जो पवित्रता और मज़बूती का प्रतीक है।
- **स्मारक का आकार:** इस जगह पर लखनऊ के किसी भी स्मारक में अब तक की सबसे **ऊंची मूर्तियां हैं** , जिनमें से हर एक का वज़न लगभग 42 टन है।

प्रमुख विशेषताएं

1. तीन प्रतिष्ठित मूर्तियाँ

कॉम्प्लेक्स के बीच में तीन शानदार **65 फुट ऊंची कांसे की मूर्तियां हैं** ।

- **अटल बिहारी वाजपेयी:** मॉडर्न "गुड गवर्नेंस" (सुशासन), डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और सफल कोएलिशन पॉलिटिक्स के आर्किटेक्ट के तौर पर जाने जाते हैं।
- **दीनदयाल उपाध्याय: "इंटीग्रल ह्यूमनिज्म"** और **"अंत्योदय"** (लाइन में आखिरी व्यक्ति की सेवा) के अपने दर्शन के लिए जाने जाते हैं ।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी:** भारतीय जनसंघ के संस्थापक, जिन्हें राष्ट्रीय एकता और जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की वकालत के लिए याद किया जाता है।

2. कमल के आकार का डिजिटल संग्रहालय

- **स्केल:** लगभग 98,000 स्क्वायर फीट (6,300 sqm) में फैला एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट म्यूज़ियम।
- **इमर्सिव टेक्नोलॉजी: इसमें भारत की राष्ट्रीय यात्रा को दिखाने के लिए AI से चलने वाले डिजिटल डिस्प्ले** , प्रोजेक्शन मैपिंग और इमर्सिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पांच गैलरी हैं ।
- **गैलरी:** खास सेक्शन में जनसंघ के बनने, 1975 की इमरजेंसी और "न्यू इंडिया" के माइलस्टोन के बारे में बताया गया है।

3. सार्वजनिक सुविधाएं

- **कैपेसिटी: इसमें 3,000 सीटर एम्फीथिएटर** और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी वाला एक रैली ग्राउंड शामिल है ।
- **दूसरी सुविधाएं:** एक मेडिटेशन हॉल, योग सेंटर, लाइब्रेरी, मल्टीपर्पस हॉल और तीन हेलीपैड।

महत्व

- **पॉलिटिकल विरासत को बचाना:** यह जगह BJP-RSS आइडियोलॉजी के पायनियर्स को सम्मान देने के लिए एक परमानेंट नेशनल एसेट के तौर पर काम करती है,

जो जन्म और मृत्यु की सालगिरह पर श्रद्धांजलि देने के लिए एक शानदार जगह देती है।

- **इकोलॉजिकल माइलस्टोन:** यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे नज़रअंदाज़ किए गए शहरी "बंजर ज़मीन" (कचरे के ढेर) को कामयाबी से बड़े कल्चरल और एजुकेशनल लैंडमार्क में बदला जा सकता है।
- **इंस्पिरेशनल हब:** युवाओं और आने वाली पीढ़ियों में लीडरशिप वैल्यू और देश सेवा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

किम्बरली प्रोसेस (KP)

प्रसंग

1 जनवरी 2026 से **किम्बरली प्रोसेस (KP) का चेयरमैन** बनेगा , और 2025 में वाइस-चेयरमैन के तौर पर आम सहमति बनाने का काम पूरा करेगा। 2008 और 2019 के बाद यह **भारत का तीसरा चेयरमैन होगा** , जो ग्लोबल डायमंड गवर्नेंस में भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका को दिखाता है।

किम्बरली प्रोसेस (KP) के बारे में

परिभाषा

- **लॉन्च: 2003, UN-समर्थित अंतर्राष्ट्रीय पहल** के तहत
- **नेचर:** रफ डायमंड के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम
- **मुख्य उद्देश्य:** ग्लोबल सप्लाई चेन से **"कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स"** के व्यापार को खत्म करना

संघर्ष हीरे

- **विद्रोही समूहों या उनके सहयोगियों** द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे हीरे
- मकसद: **सही सरकारों को कमज़ोर करने के लिए हथियारबंद लड़ाइयों को फाइनेंस करना**

त्रिपक्षीय संरचना

- **सरकारों**
- **हीरा उद्योग**
- **सिविल सोसाइटी**

यह अनोखा मॉडल **साझा ज़िम्मेदारी, निगरानी और भरोसा पक्का करता है** ।

परिचालन तंत्र

1. प्रमाणन प्रणाली

- रफ़ डायमंड के हर एक्सपोर्ट के साथ **किम्बरली प्रोसेस सर्टिफ़िकेट (KPC) होना ज़रूरी है।**
- सर्टिफ़ाई करता है कि हीरे **कॉन्फ़्लिक्ट-फ़्री हैं**

2. व्यापार नियंत्रण

- KP मेंबर्स को **नॉन-पार्टिसिपेंट्स के साथ रफ डायमंड्स का ट्रेड करने से मना किया गया है।**

3. वैश्विक कवरेज

- **60 पार्टिसिपेंट्स** (**86 देशों को रिप्रेजेंट करते हुए** , जिसमें EU एक सिंगल एंटिटी के तौर पर शामिल है)
- **दुनिया भर के रफ़ डायमंड ट्रेड का ~99.8% हिस्सा** कवर करता है

भारत की भूमिका और रणनीतिक महत्व

भारत **डायमंड वैल्यू चेन का ग्लोबल हब है, जो दुनिया के** लगभग 90% कटे और पॉलिश किए गए डायमंड की प्रोसेसिंग करता है , खासकर **सूरत, गुजरात** में ।

भारत की अध्यक्षता क्यों मायने रखती है

- भारत **उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार और उपभोग के चौराहे पर स्थित है**
- **नैतिक ग्लोबल ट्रेड में** एक नॉर्म-सेटर के तौर पर भारत की साख बढ़ाता है

केपी चेयर के तौर पर भारत की लीडरशिप प्राथमिकताएं

1. डिजिटल परिवर्तन

- **डिजिटल KP सर्टिफिकेट** के लिए ज़ोर
- डायमंड ट्रैकिंग को मॉडर्न बनाने के लिए **ब्लॉकचेन-बेस्ड ट्रेसेबिलिटी** को अपनाना

2. शासन और अनुपालन

- **नियम-आधारित अनुपालन तंत्र को** मजबूत करना
- जियोपॉलिटिकल रुकावटों के बीच KP की साख बहाल करना

3. पारदर्शिता और निगरानी

- कानूनी बाज़ारों में **कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के लीकेज को** रोकने के लिए डेटा-ड्रिवन निगरानी

4. उपभोक्ता विश्वास

- **नैतिक रूप से सोर्स किए गए प्राकृतिक हीरों** में दुनिया भर का भरोसा मज़बूत करना
- कंज्यूमर मार्केट में गलत जानकारी और नैतिक चिंताओं का मुकाबला करना

प्रमुख चुनौतियाँ

1. "कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स" की पुनर्परिभाषा

- परिभाषा को बढ़ाने की मांग बढ़ रही है, जिसमें शामिल हैं:
  - मानवाधिकारों का उल्लंघन
  - वातावरण संबंधी मान भंग
  - राज्य या अर्ध-राज्य अभिनेताओं द्वारा हिंसा
- **स्कोप क्रीप बनाम एनफोर्सेबिलिटी** के बारे में चिंता जताई

2. भू-राजनीतिक तनाव

- **रूस से निकले हीरों** पर विवाद (ग्लोबल सप्लाई का लगभग 30%)
- यूक्रेन युद्ध के लिए इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग के आरोप
- **केपी फ्रेमवर्क के राजनीतिकरण** का खतरा

3. लैब में बने बनाम नेचुरल हीरे

- लैब में उगाए गए हीरों को **ज़्यादा नैतिक और टिकाऊ बताकर बेचा जाता है**
- नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री के लिए ब्रांडिंग और मार्केट में चुनौतियां पैदा करता है

- **कंज्यूमर डिस्क्लोजर और सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स** पर सवाल उठाता है

तथ्य

- **प्रमुख उत्पादक:** रूस, बोत्सवाना (ज्वानेंग खदान), कनाडा, अंगोला
- **जियोलॉजिकल सोर्स:** हीरे ज़्यादातर **किम्बरलाइट पाइप** , पुराने ज्वालामुखी की बनावट में पाए जाते हैं।
- **आर्थिक पैमाना: KP ने** शुरू से अब तक **~USD 13.5 बिलियन के** व्यापार को रेगुलेट किया है

निष्कर्ष

किम्बर्ले प्रोसेस में भारत की आने वाली चेयरमैनशिप एक **ऐसे अहम मोड़ पर आ रही है** , जो जियोपॉलिटिकल तनाव, नैतिक बहस और टेक्नोलॉजी में रुकावट से पहचाना जाता है। **डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और बैलेंस्ड रिफॉर्म को प्राथमिकता देकर, भारत के पास KP को फिर से ज़िंदा करने** , इसकी अहमियत बनाए रखने और ग्लोबल डायमंड ट्रेड में भरोसा मज़बूत करने का मौका है ।

NATGRID-NPR लिंकेज

प्रसंग

भारत सरकार **नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR)** के साथ जोड़कर एक यूनिफाइड इंटेलिजेंस-शेयरिंग आर्किटेक्चर बना रही है। इसका मकसद एडवांस्ड डेटा इंटीग्रेशन के ज़रिए भारत की **इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर-टेररिज्म और लॉ-एनफोर्समेंट क्षमताओं को** मज़बूत करना है ।

लिंकेज के उद्देश्य

1. आतंकवाद-रोधी क्षमता में वृद्धि

- इंटेलिजेंस एजेंसियों को **डेमोग्राफिक डेटा को रियल-टाइम इंटेलिजेंस इनपुट से जोड़ने में मदद करता है** ।
- स्लीपर सेल, रेडिकल नेटवर्क और क्रॉस-बॉर्डर टेरर लिंकेज का पता लगाने में सुधार करता है।

2. पूरी तरह से संदिग्धों की प्रोफाइलिंग

- **नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA)** जैसी एजेंसियों को ये एक्सेस करने की इजाज़त देता है:
  - पारिवारिक संबंध
  - पता इतिहास
  - प्रवास और निवास पैटर्न
- **अलग-अलग प्रोफाइलिंग के बजाय नेटवर्क-बेस्ड जांच को** आसान बनाता है ।

3. पूर्व-निवारक और निवारक पुलिसिंग

- **प्री-FIR जांच को** मुमकिन बनाकर इंटेलिजेंस पर आधारित पुलिसिंग को सपोर्ट करता है ।
- क्राइम होने से पहले संभावित खतरों की पहचान करने में मदद करता है।

एकीकरण का महत्व

1. संगठित अपराध और आतंक नेटवर्क को खत्म करना

- संदिग्धों की **फैमिली-ट्री मैपिंग और क्रॉस-आइडेंटिफिकेशन को** मुमकिन बनाता है ।
- इनके खिलाफ़ असरदार:
  - आतंकवादी मॉड्यूल
  - नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह
  - मानव तस्करी और संगठित अपराध नेटवर्क

2. 360-डिग्री खतरा आकलन

- **स्टैटिक डेमोग्राफिक डेटा को डायनामिक इंटेलिजेंस फ़ीड** के साथ जोड़ता है ।
- रिस्क प्रोफाइलिंग में सटीकता बढ़ाता है और इंटेलिजेंस ब्लाइंड स्पॉट को कम करता है।

3. बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय

- इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच डेटा साइलो को खत्म करता है।
- इंटरनल सिक्योरिटी के लिए **पूरी सरकार के नज़रिए को** मज़बूत करता है ।

लिंकेज के प्रमुख घटक

1. राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID)

- **जेनेसिस: 2008 के मुंबई टेरर अटैक (26/11)** के बाद इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन फेलियर को ठीक करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया था।
- **प्रशासनिक नियंत्रण: गृह मंत्रालय के** अधीन संचालित होता है ।
- **ऑपरेशनल स्टेटस:** 2024 से पूरी तरह से ऑपरेशनल।
- **एक्सेस फ्रेमवर्क:**
  - सुरक्षित, भूमिका-आधारित पहुँच
  - सिर्फ़ ऑथराइज़्ड इंटेलिजेंस और लॉ-एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए उपलब्ध
- **प्रौद्योगिकी रीढ़:**
  - **"गांडीव" टेक्नोलॉजी का** इस्तेमाल करता है (अर्जुन के धनुष के नाम पर)
  - एकीकृत करता है:
    - चेहरे की पहचान
    - बिग डेटा एनालिटिक्स
    - पैटर्न पहचान उपकरण

2. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

- **दायरा:**
  - भारतीय निवासियों की डेमोग्राफिक (और सीमित बायोमेट्रिक) जानकारी का एक पूरा डेटाबेस
  - लगभग **119 करोड़ लोगों को कवर करता है**
- **डेटा संग्रहण:**
  - पहली बार 2010 में एकत्र किया गया
  - 2015 में अपडेट किया गया
- **वर्तमान प्रासंगिकता:**
  - हालांकि जनगणना (जो 2021 में होनी है) अब 2027 के लिए टारगेट की गई है, लेकिन

इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन के लिए मौजूदा NPR डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

1. प्राइवेसी और सर्विलांस रिस्क

- पॉपुलेशन डेटाबेस को इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने से इन बातों को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं:
  - **निजता का अधिकार** (जैसा कि *पुट्टास्वामी फैसले में मान्यता दी गई है*)
  - **बड़े पैमाने पर निगरानी** की संभावना

2. डेटा सुरक्षा कमज़ोरियाँ

- सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस **हाई-वैल्यू साइबर टारगेट बन जाते हैं** ।
- जोखिम:
  - डेटा उल्लंघन
  - अनधिकृत पहुंच
  - विदेशी साइबर घुसपैठ

3. कानूनी और संस्थागत कमियां

- एक **बड़े डेटा प्रोटेक्शन कानून की कमी से** डर बढ़ता है।
- के लिए आवश्यकता:
  - स्पष्ट उद्देश्य सीमा
  - स्वतंत्र निरीक्षण
  - दुरुपयोग रोकने के लिए जवाबदेही तंत्र

निष्कर्ष

NATGRID का NPR के साथ इंटीग्रेशन **भारत के इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग है। गांडिव-इनेबल्ड एनालिटिक्स** का इस्तेमाल करके , राज्य का मकसद तेजी से मुश्किल होते टेरर और क्राइम नेटवर्क से आगे रहना है। हालांकि, इस फ्रेमवर्क की लंबे समय तक लेजिटिमेसी और असर **, नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरतों को प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ बैलेंस करने** पर निर्भर करेगा ।

समुद्र प्रताप

प्रसंग

इंडियन **कोस्ट गार्ड ने समुद्र प्रताप** के शामिल होने के साथ समुद्री पर्यावरण सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है । यह **भारत का पहला देश में डिज़ाइन और बनाया गया पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल (PCV) है** , जो घरेलू शिपबिल्डिंग, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और समुद्री आपदा से निपटने में एक बड़ी तरक्की है।

समुद्र प्रताप के बारे में

- **परिभाषा:**
  समुद्र प्रताप एक खास जहाज़ है जिसे समुद्री पर्यावरण सुरक्षा, तेल रिसाव से निपटने, केमिकल प्रदूषण कंट्रोल और समुद्री आग बुझाने के लिए बनाया गया है।
- **फ्लीट स्टेटस:**
  यह **अभी इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट का सबसे बड़ा जहाज़ है** और **अपनी तरह का पहला जहाज़ है जिसे देश में ही डिज़ाइन और बनाया गया है** ।
- **बनाने वाला:**
  कोस्ट गार्ड के लिए दो-जहाज़ PCV प्रोजेक्ट के तहत **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड** ने बनाया है ।

मुख्य तकनीकी विनिर्देश

- **लंबाई:** 114.5 मीटर
- **चौड़ाई:** 16.5 मीटर
- **विस्थापन:** 4,170 टन
- **ऑपरेशनल क्षमता:** भारत के EEZ और उसके बाहर लंबी दूरी तक टिके रहने और समुद्र के प्रदूषण पर प्रतिक्रिया।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएं

1. एडवांस्ड नेविगेशन

- **डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम (DP-1)** से लैस पहला ICG पोत
- सेंसिटिव ऑयल-स्पिल और पॉल्यूशन-कंट्रोल ऑपरेशन के दौरान सटीक स्टेशन-कीपिंग में मदद करता है।

2. प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रणालियाँ

- तेल फिंगरप्रिंटिंग मशीन (स्रोत पहचान)
- चिपचिपा तेल पुनर्प्राप्ति उपकरण
- तेल रिसाव का पता लगाने वाली प्रणालियाँ
- जहाज पर प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला

3. अग्निशमन क्षमता

- **FiFi-2 / FFV-2 संकेतन** के साथ प्रमाणित
- उच्च क्षमता वाली बाहरी अग्निशमन प्रणाली
- बड़े जहाज़ों में लगी आग और ऑफ़शोर इंडस्ट्रियल आग (ऑयल रिग, टर्मिनल) से निपटने में सक्षम।

4. युद्ध और आत्मरक्षा प्रणालियाँ

- एक **30 मिमी CRN-91 तोप**
- दो **12.7 मिमी रिमोट-नियंत्रित बंदूकें**
- मॉडर्न फायर-कंट्रोल और सर्विलांस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड।

5. स्वदेशी सिस्टम एकीकरण

- एकीकृत ब्रिज सिस्टम (आईबीएस)
- स्वचालित बिजली प्रबंधन प्रणाली
- एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली
- डिफेंस शिपबिल्डिंग में **आत्मनिर्भर भारत को** मज़बूत करता है ।

प्रेरण का महत्व

पारिस्थितिक सुरक्षा

- भारत की तैयारी को बढ़ाता है:
  - तेल का रिसाव
  - रासायनिक रिसाव
  - समुद्री पारिस्थितिक आपदाएँ

- **समुद्री बायोडायवर्सिटी और तटीय आजीविका की** रक्षा के लिए ज़रूरी ।

सामरिक स्वायत्तता

- यह दिखाता है कि भारत **देश में ही मुश्किल, मिशन-स्पेसिफिक जहाज़ों को डिज़ाइन और बना सकता है।**
- विदेशी शिपयार्ड और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम होती है।

औद्योगिक और अपतटीय सुरक्षा

- ऑफशोर तेल और गैस इंस्टॉलेशन के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स को मजबूत करता है
- बिज़ी समुद्री रास्तों और बंदरगाहों में आपदा कम करने की क्षमता को बेहतर बनाता है।

निष्कर्ष

समुद्र प्रताप का शामिल होना **भारत के समुद्री पर्यावरण शासन में** एक बड़ा बदलाव है । एडवांस्ड प्रदूषण-रिस्पॉन्स इक्विपमेंट, फायरफाइटिंग सिस्टम और स्वदेशी नेविगेशन और कॉम्बैट टेक्नोलॉजी को जोड़कर, यह जहाज भारत की अपने बड़े समुद्र तट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन और समुद्री इकोसिस्टम को इंडस्ट्रियल और पर्यावरण के खतरों से बचाने की क्षमता को काफी मजबूत करता है।

जाति पंचायत का फरमान: महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बैन

प्रसंग

जाट समुदाय की एक जाति पंचायत ने शादीशुदा महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगाने का सामाजिक फरमान जारी किया है। यह फरमान **गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2026) से** सुंधामाता पट्टी इलाके के 15 गांवों में लागू किया जाएगा।

समाचार के बारे में

डिक्री:

- **मना किए गए ग्रुप:** शादीशुदा महिलाओं और बहुओं को पब्लिक या सोशल गैदरिंग में कैमरा वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है।
- **इस्तेमाल की इजाज़त:** महिलाओं के लिए बेसिक कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करना मना है; छूट सिर्फ़ छोटी लड़कियों को घर के अंदर पढ़ाई-लिखाई के लिए दी जाती है।
- **लागू करना:** पंचायत ने इन "सोशल डिसिप्लिन" नियमों को तोड़ने वालों पर पैसे का जुर्माना लगाने की धमकी दी है।

अंतर्निहित कारण:

- **पेट्रियार्कल सोशल कंट्रोल:** पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आड़ में महिलाओं की आज़ादी और आने-जाने को रेगुलेट करने की कोशिशें।
- **मोरल पुलिसिंग:** महिलाओं पर नज़र न रखने का डर और सोशल मीडिया से "परिवार की इज़्ज़त" को होने वाला खतरा।
- **सेलेक्टिव डिजिटल एंग्जायटी:** बच्चों की नज़र और "मोबाइल की लत" को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए, ये पाबंदियां खास तौर पर महिलाओं को टारगेट करती हैं, पुरुषों को नहीं।

संवैधानिक और कानूनी निहितार्थ

यह आदेश भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत कई बुनियादी सुरक्षाओं के सीधे विरोध में है:

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:**
  - **आर्टिकल 14:** जेंडर के आधार पर भेदभाव करता है, ऐसे नियम लागू करता है जो पुरुषों पर लागू नहीं होते।
  - **अनुच्छेद 19(1)(ए):** संचार साधनों को प्रतिबंधित करके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
  - **आर्टिकल 21:** जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सम्मान से समझौता करता है।
- **संवैधानिक नैतिकता को चुनौती:** ऐसी गैर-संवैधानिक संस्थाएं कानून बनाने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की शक्ति अपने ऊपर ले लेती हैं, जो पूरी तरह से मना है।

संविधान-विरुद्ध आदेशों पर न्यायिक मिसालें

भारतीय न्यायपालिका ने लगातार ऐसे कम्युनिटी-लगाए गए बैन की लीगैलिटी के खिलाफ फैसला दिया है:

- **शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2018):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अपनी पसंद का दावा आज़ादी और सम्मान का एक ऐसा पहलू है जिसे अलग नहीं किया जा सकता" और खापों के दखल को "पूरी तरह से गैर-कानूनी" बताया।
- **अरुमुगम सेरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य:** कोर्ट ने कहा कि खुद को "जाति के सरदार" कहने वाले जो ज़ुल्म को बढ़ावा देते हैं या लोगों की पसंद में दखल देते हैं, उन्हें "बेरहमी से खत्म कर देना चाहिए"।
- **राज्य का कर्तव्य:** कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकारें उन गांवों की पहचान करें जहां ऐसी सभाएं होती हैं और उनमें शामिल होने वालों के खिलाफ रोकथाम, सुधार और सज़ा के उपाय करें।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **एडमिनिस्ट्रेटिव दखल:** डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और पुलिस को यह पक्का करना चाहिए कि ये आदेश लागू न हों और जो लोग इन्हें तोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए।
- **डिजिटल लिटरेसी और सेंसिटाइज़ेशन:** जेंडर पर आधारित पाबंदियों के बजाय, सबको साथ लेकर चलने वाले कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए "डिजिटल एंग्जायटी" का मुकाबला करना।
- **न्यायिक निगरानी:** कोर्ट लगातार निगरानी रखते हैं ताकि यह पक्का हो सके कि आम तौर पर होने वाले काम नागरिकों के बुनियादी अधिकारों पर हावी न हों।

निष्कर्ष

जालोर में महिलाओं के लिए स्मार्टफोन पर बैन, संविधान के बाहर के तरीकों से पुरुष-प्रधान नियमों को लागू करने की एक पुरानी कोशिश है। समाज के हुक्मों के बजाय **संविधान की नैतिकता को बनाए रखना** ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि सामंती सोच वाले सामाजिक कंट्रोल के "डराने वाले असर" से व्यक्तिगत आज़ादी सुरक्षित रहे।

शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना

प्रसंग

AI इवोल्यूशन पर नेशनल कॉन्क्लेव (AI महाकुंभ) में , भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के सिलेबस में गहराई से शामिल किया जाना चाहिए। इसका मकसद भारतीय स्टूडेंट्स को फ्यूचर-रेडी स्किल्स देना और नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क को ग्लोबल टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों के साथ जोड़ना है।

समाचार के बारे में

परिभाषा:

एजुकेशन में AI में मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और इंटेलिजेंट सिस्टम का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल शामिल है, ताकि टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट और गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सके और साथ ही सख्त इंसानी निगरानी भी बनी रहे।

मौजूदा ट्रेंड और डेटा:

- **तेज़ी से अपनाना:** भारत के बड़े हायर-एजुकेशन इंस्टिट्यूशन में 80% से ज़्यादा **स्टूडेंट अभी रिसर्च और लर्निंग सपोर्ट के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं।**
- **पॉलिसी फ्रेमवर्क:** नेशनल **एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020** और **"AI फॉर साइंस"** पहल, डिजिटल और AI-इनेबल्ड पेडागॉजी के लिए मुख्य ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं।
- **ग्लोबल अलाइनमेंट: UNESCO और OECD** जैसे संगठनों ने 2030 तक **SDG-4 (क्वालिटी एजुकेशन)** पाने के लिए AI को एक ज़रूरी एक्सेलरेटर के तौर पर पहचाना है ।

भारत के लिए सामरिक महत्व

- **डेमोग्राफिक स्केल को ध्यान में रखते हुए: 250 मिलियन से ज़्यादा लर्नर्स** के साथ , भारत को "वन-साइज़-फिट्स-ऑल" टीचिंग से आगे बढ़ने के लिए AI की ज़रूरत है।
    - *उदाहरण:* DIKSHA प्लेटफॉर्म अलग-अलग स्टेट बोर्ड में कस्टमाइज़्ड लर्निंग पाथ देने के लिए AI रिकमेंडेशन इंजन का इस्तेमाल करता है ।
- **टीचर की कमी को कम करना:** AI उन एस्पिरेशनल और ग्रामीण जिलों में टीचरों की मदद करता है, जहाँ स्टूडेंट-टीचर रेश्यो में अंतर है।
    - *उदाहरण:* **उत्तर प्रदेश का स्विफ्टचैट AI** पैरा-टीचर्स को ऑटोमेटेड लेसन प्लानिंग और रियल-टाइम डाउट सॉल्यूशन में मदद करता है।
- **स्किल गैप को कम करना:** रटने से एनालिटिकल सोच की ओर बढ़ना।
    - *उदाहरण:* **अटल टिंकरिंग लैब्स** ने सेकेंडरी स्कूलों में कम्प्यूटेशनल सोच को बढ़ावा देने के लिए AI मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया है।
- **बराबरी को बढ़ावा देना:** अच्छी क्वालिटी के कंटेंट के लिए भाषा और इलाके की रुकावटों को दूर करना।
    - *उदाहरण:* **IIT मद्रास का AI4Bharat** मुश्किल STEM मटीरियल को तमिल और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट करता है।

AI द्वारा सक्षम मुख्य परिवर्तन

विशेषता	शिक्षा पर प्रभाव
व्यक्तिगत शिक्षा	**Embibe** जैसे सिस्टम कॉम्पिटिटिव एग्जाम (JEE/NEET) के लिए टारगेटेड रेमेडियल प्रैक्टिस बनाने के लिए परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करते हैं।
शिक्षक सशक्तिकरण	**CBSE के AI पोर्टल** ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को ऑटोमेट करते हैं, जिससे टीचर स्टूडेंट मेंटरशिप पर फोकस कर सकते हैं।
अनुसंधान और सहयोग	**भाषिनी** जैसे टूल्स भाषा की रुकावटों को तोड़कर कई भाषाओं वाली एकेडमिक रिसर्च को मुमकिन बनाते हैं।
स्मार्ट शासन	**गुजरात का विद्या समीक्षा केंद्र** स्कूल छोड़ने वालों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है।
रोजगार	AICTE **NEAT** प्लेटफॉर्म स्टूडेंट के स्किल सेट को सीधे सेमीकंडक्टर और EV जैसे हाई-ग्रोथ सेक्टर से जोड़ता है।

मुख्य सिद्धांत (यूनेस्को फ्रेमवर्क)

- **ह्यूमन-सेंट्रिसिटी:** AI को टीचरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, कभी भी इंसानी मोरल अथॉरिटी या पढ़ाने के फैसले की जगह नहीं लेनी चाहिए।
- **इन्क्लूजन:** मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्सेस को प्रायोरिटी देना।

- **एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी:** इम्प्लीमेंटेशन में एल्गोरिदमिक बायस और गलत जानकारी के खिलाफ सेफ़्टी के उपाय शामिल होने चाहिए।
- **डेटा सॉवरिन्टी:** सुरक्षित, सहमति-आधारित डेटा फ्रेमवर्क के ज़रिए सीखने वालों की प्राइवेसी की सुरक्षा करना।

चुनौतियां

- **डिजिटल डिवाइड:** हिमालयी गांवों जैसे दूर-दराज के इलाकों में बैंडविड्थ-इंटेंसिव प्लेटफॉर्म अभी भी पहुंच से बाहर हैं।
- **कॉग्निटिव ओवर-डिपेंडेंस:** क्रिएटिव असाइनमेंट के लिए जेनरेटिव AI (जैसे, ChatGPT) पर निर्भर रहने से स्टूडेंट्स के क्रिटिकल रीज़निंग स्किल्स खोने का रिस्क।
- **एल्गोरिदमिक बायस:** कई मॉडल्स को वेस्टर्न डेटासेट पर ट्रेन किया जाता है, जिससे इंडियन रीजनल एक्सेंट या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझने में गलतियां होती हैं।
- **प्राइवेसी रिस्क:** प्राइवेट EdTech फर्मों द्वारा माइनर स्टूडेंट्स के डेटा के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर चिंता।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **करिकुलम इंटीग्रेशन: CBSE की पहल को** बढ़ाना , ताकि ग्रेड 6 से AI को एक फॉर्मल स्किल सब्जेक्ट के तौर पर शुरू किया जा सके।
- **देश भर में अपस्किलिंग:** क्लासरूम में AI के नैतिक और प्रैक्टिकल इस्तेमाल में टीचरों को ट्रेन करने के लिए **NISHTHA मॉड्यूल को** अपडेट करना ।
- **"फिजिटल" मॉडल:** AI से चलने वाले डिजिटल कंटेंट को इंसानों की नैतिक गाइडेंस और सोच के साथ मिलाना।
- **रेगुलेटरी ओवरसाइट: एडटेक के लिए** एक **नेशनल AI रेगुलेटरी बॉडी बनाना** ताकि एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी और डेटा प्रोटेक्शन पक्का हो सके।
- **सॉवरेन AI: भाषिनी** जैसे इनिशिएटिव के ज़रिए सभी 22 शेड्यूल्ड इंडियन भाषाओं में ट्रेंड स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) डेवलप करना ।

निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन रट्टा मारने वाली पढ़ाई से सीखने वाले पर केंद्रित मॉडल की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाता है। टेक्नोलॉजी को नैतिकता और सबको साथ लेकर चलने में मदद करके, भारत AI का इस्तेमाल एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर कर सकता है ताकि **विकसित भारत का विज़न हासिल किया जा सके** , और यह पक्का किया जा सके कि एजुकेशन सिस्टम बराबर, इनोवेटिव और भविष्य के लिए तैयार रहे।

अरावली पर्वतमाला का संरक्षण

प्रसंग

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पिछले ऑर्डर पर रोक लगा दी, जिसमें अरावली को एक खास ऊंचाई की सीमा (100 मीटर) का इस्तेमाल करके बताने की कोशिश की गई थी। यह फैसला पर्यावरण से जुड़ी उन बड़ी चिंताओं के बाद आया है कि इतनी छोटी परिभाषा से लगभग **90% रेंज को** सुरक्षा का दर्जा नहीं मिलेगा, और अनजाने में इकोलॉजिकली सेंसिटिव ज़ोन में बड़े पैमाने पर कानूनी माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी मिल जाएगी।

समाचार के बारे में

- **बैकग्राउंड:** कानूनी लड़ाई इस बात पर है कि अरावली इलाके में "पहाड़ी" या "पहाड़" क्या होता है, ताकि यह तय किया जा सके कि कहां माइनिंग और डेवलपमेंट पर रोक है।
- **न्यायालय की टिप्पणियां:**
  - इस रेंज की जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए 100 मीटर ऊंचाई का सख्त क्राइटेरिया काफी नहीं है।
  - कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि परिभाषाओं में इंडस्ट्रियल विस्तार के बजाय पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **तुरंत कार्रवाई:** पहाड़ियों को होने वाले ऐसे नुकसान को रोकने के लिए जो ठीक नहीं हो सकता, पिछली "रेंज और ऊंचाई" की परिभाषा को रोक दिया गया है, जबकि एक ज़्यादा बड़ा इकोलॉजिकल क्राइटेरिया बनाया जा रहा है।

भौगोलिक और पारिस्थितिक ढांचा

भौगोलिक तथ्य:

- **प्राचीन धरोहर:** दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक के तौर पर पहचाना जाता है, जो प्रोटेरोज़ोइक युग से है।
- **विस्तार: चार राज्यों: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली** में लगभग 692 km तक फैला हुआ है।
- **सबसे ऊंचा पॉइंट:** गुरु शिखर (1,722m) माउंट आबू, राजस्थान में।

पारिस्थितिक महत्व:

- **डेजर्टिफिकेशन बफर:** यह एक ज़रूरी क्लाइमेट बैरियर के तौर पर काम करता है, जो थार रेगिस्तान को पूरब की ओर गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने से रोकता है।
- **ग्रीन लंग्स:** नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) और नॉर्थवेस्ट इंडिया के लिए प्राइमरी कार्बन सिंक और ऑक्सीजन सोर्स देता है।
- **हाइड्रोलॉजिकल हब:** पानी की कमी वाले इलाकों के लिए एक ज़रूरी ग्राउंडवॉटर रिचार्ज ज़ोन के तौर पर काम करता है और लोकल बारिश के पैटर्न पर काफ़ी असर डालता है।

चुनौतियां

- **गैर-कानूनी माइनिंग:** कई बैन के बावजूद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पत्थरों और मिनरल्स का लगातार निकालना।

- **शहरी अतिक्रमण:** तेज़ी से शहरीकरण, जिसमें लग्ज़री होमस्टे और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का बनना शामिल है, जिससे रहने की जगहें बिखर रही हैं।
- **जंगलों की कटाई:** स्थानीय पेड़-पौधों के खत्म होने से उत्तरी भारत में तापमान बढ़ा है और गर्मी की लहरें तेज़ हुई हैं।
- **कानूनी उलझन:** "अरावली" के लिए एक जैसी, वैज्ञानिक रूप से सही परिभाषा न होने की वजह से डेवलपर्स को लैंड-यूज़ क्लासिफिकेशन में कमियों का फ़ायदा उठाने का मौका मिला है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **साइंटिफिक मैपिंग:** * सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल सर्वे का इस्तेमाल करके रेंज का एक पूरा मैप बनाएं, जिसमें किसी भी ऊंचाई की लिमिट को नज़रअंदाज़ किया जाए।
- **सख्त प्रवर्तन:**
  - फॉरेस्ट (कंजर्वेशन) एक्ट को लागू करने को मज़बूत करें ताकि यह पक्का हो सके कि पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का अच्छे से आकलन किए बिना कोई भी नॉन-फॉरेस्ट एक्टिविटी न हो।
- **जीर्णोद्धार परियोजनाएं:**
  - "अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट" को आगे बढ़ाएं और रेंज के चारों ओर 5km का बफ़र ज़ोन बनाकर पेड़ लगाएं।
- **सतत नीति:**
  - लोकल रोज़ी-रोटी (जैसे सस्टेनेबल टूरिज्म) की ज़रूरत और रिज के मुख्य इकोलॉजिकल कामों की ज़रूरी सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाएं।

निष्कर्ष

अरावली की परिभाषा पर फिर से विचार करने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए एक अहम जीत है। इस पुरानी रेंज को बचाना सिर्फ़ एक लैंडस्केप को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि उत्तर-पश्चिम भारत की इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, पानी की सुरक्षा और क्लाइमेट रेजिलिएंस पक्का करने के बारे में भी है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

प्रसंग

इंडेक्स **ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP)** एक मुख्य हाई-फ्रीक्वेंसी मैक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर है जो भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वॉल्यूम में शॉर्ट-टर्म बदलावों को दिखाता है। 2025 के आखिर में, **मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने कन्फर्म किया कि बेस ईयर 2022–23 के साथ** एक नई IIP सीरीज़ **मई 2026** में जारी की जाएगी । इस बदलाव का मकसद महामारी के बाद के स्ट्रक्चरल बदलावों और **डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग** और **इलेक्ट्रिक गाड़ियों** जैसी नई इंडस्ट्रीज़ के आने को दिखाना है ।

संकेतक के बारे में

परिभाषा:

एक कंपोजिट इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन वॉल्यूम में ग्रोथ को मापता है, और इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस के लिए रियल-टाइम प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है।

महत्व

- **पॉलिसी टूल:** इसका इस्तेमाल **भारतीय रिज़र्व बैंक** और वित्त मंत्रालय मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से जुड़े फैसलों के लिए करते हैं।
- **GDP इनपुट:** मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के **क्वार्टरली ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) का** अनुमान लगाने के लिए एक कोर इनपुट है ।
- **इकोनॉमिक बैरोमीटर:** रोज़गार पैदा करने, कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ट्रेंड्स का सिग्नल देता है।

आईआईपी की मुख्य विशेषताएं

- **पब्लिशिंग अथॉरिटी:** MoSPI के तहत **नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO)** द्वारा हर महीने इकट्ठा और जारी किया जाता है ।
- **रिलीज़ लैग:** लगभग **छह हफ़्ते** (जैसे, नवंबर का डेटा जनवरी के बीच में रिलीज़ हुआ).
- **आधार वर्ष:**
  - वर्तमान: **2011–12 = 100**
  - प्रस्तावित: **2022–23** (मई 2026 से), GST-युग के सुधारों और Covid-19-प्रेरित संरचनात्मक बदलावों को शामिल करने के लिए।

आईआईपी का वर्गीकरण

1. क्षेत्रीय वर्गीकरण

- **विनिर्माण:** 77.63%
- **खनन:** 14.37%
- **बिजली:** 7.99%

2. उपयोग-आधारित वर्गीकरण

- **प्राथमिक वस्तुएं:** 34.05%
- **इंटरमीडिएट गुड्स:** 17.22%
- **उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं:** 15.33%
- **इंफ्रास्ट्रक्चर / कंस्ट्रक्शन गुड्स:** 12.34%
- **उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं:** 12.84%
- **पूंजीगत सामान:** 8.22%

आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (आईसीआई)

आठ कोर इंडस्ट्रीज़ का इंडेक्स (ICI) उन ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जो बड़ी इंडस्ट्रियल इकॉनमी के लिए इनपुट का काम करते हैं।

- **IIP में वज़न:** 40.27%
- **डेटा रिलीज़ अथॉरिटी:** आर्थिक सलाहकार कार्यालय, **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)** , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

आठ कोर सेक्टर (घटते वज़न के हिसाब से):

1. रिफाइनरी उत्पाद (~28.04%)
2. बिजली (~19.85%)

3. स्टील (~17.92%)
4. कोयला (~10.33%)
5. कच्चा तेल (~8.98%)
6. प्राकृतिक गैस (~6.88%)
7. सीमेंट (~5.37%)
8. उर्वरक (~2.63%)

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डिजिटल इंटीग्रेशन:** IIP को पूरा करने और डिजिटल सेवाओं और टूरिज्म को शामिल करने के लिए 2026 तक
  एक **सर्विस आउटपुट इंडेक्स शामिल करने का प्रस्ताव है।**
- **मेथड में सुधार:** बेहतर ग्लोबल तुलना के लिए **सिस्टम ऑफ़ नेशनल अकाउंट्स (SNA) 2025** के साथ अलाइनमेंट ।
- **रियल-टाइम डेटा का इस्तेमाल:** प्रोडक्शन अनुमान की सटीकता और समय पर जानकारी बढ़ाने के लिए **GSTN फाइलिंग का** इस्तेमाल करना ।

निष्कर्ष

IIP भारत की **इंडस्ट्रियल पल्स के तौर पर काम करता है** , जो पॉलिसी बनाने वालों और इन्वेस्टर्स को इकोनॉमिक मोमेंटम की सही समय पर झलक देता है। आने वाले **2026 के रिवीजन से** उम्मीद है कि यह इंडेक्स आज की प्रोडक्शन की असलियत को और ज़्यादा दिखाएगा, जिससे तेज़ी से बदलती इंडस्ट्रियल और डिजिटल इकॉनमी में इसकी लगातार अहमियत बनी रहेगी।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी)

प्रसंग

29 दिसंबर 2025 को , **राजनाथ सिंह** की अध्यक्षता में **डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने ~₹79,000 करोड़** के कैपिटल एक्विजिशन प्रस्तावों के लिए **एक्सेप्टेंस ऑफ़ नेसेसिटी (AoN)** दी । कैलेंडर साल की इस आखिरी DAC मीटिंग में **आत्मनिर्भर भारत** विज़न के मुताबिक, **स्वदेशी लड़ाकू क्षमता** , **काउंटर-ड्रोन सिस्टम** और **लंबी दूरी के सटीक हथियारों** पर ज़ोर दिया गया ।

परिषद के बारे में

- **नेचर: 1999 के कारगिल युद्ध** के बाद **ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स (GoM)** की सिफारिशों पर **2001** में एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई ।
  यह कोई संवैधानिक या कानूनी संस्था नहीं है।
- **भूमिका: रक्षा मंत्रालय** के तहत **भारतीय सशस्त्र बलों** के लिए हथियारों, प्लेटफार्मों और उपकरणों की **पूंजी खरीद** के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण ।
- **चेयरमैन:** केंद्रीय रक्षा मंत्री।
- **संघटन:**
  - रक्षा राज्य मंत्री
  - **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस)**
  - सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख
  - महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल
  - रक्षा सचिव एवं सचिव (रक्षा उत्पादन)
  - अध्यक्ष, **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)**

हाल की स्वीकृतियाँ (दिसंबर 2025)

सेना

- **पिनाका MBRL (लॉन्ग-रेंज गाइडेड रॉकेट्स):** बेहतर रेंज, सटीकता और डीप-स्ट्राइक क्षमता।
- **काउंटर-ड्रोन सिस्टम:** ज़रूरी एसेट्स की सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम (IDD&IS) Mk-II।
- **लोइटर म्यूनिशन सिस्टम:** टाइम-सेंसिटिव टैक्टिकल टारगेट पर सटीक निशाना।

वायु सेना

- **एस्ट्रा Mk-II मिसाइलें:** एडवांस्ड **बियॉन्ड-विज़ुअल-रेंज (BVR)** एयर-टू-एयर मिसाइलें जो स्टैंडऑफ कॉम्बैट को मुमकिन बनाती हैं।
- **SPICE-1000 किट:** सटीक गाइडेंस किट जो पारंपरिक बमों को लंबी दूरी के स्मार्ट हथियारों में बदल देती हैं।

नौसेना

- **हेल RPAS (लीजिंग):** समुद्री निगरानी और ISR के लिए हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस ड्रोन।
- **सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (HF SDR मैनपैक):** सुरक्षित, लंबी दूरी का नेवल कम्युनिकेशन।

खरीद ढांचा (प्राथमिकता क्रम)

1. **खरीदें (इंडियन-IDDM):** देश में ही डिज़ाइन, डेवलप और बनाया गया (सबसे ज़्यादा प्राथमिकता)।
2. **खरीदें (भारतीय):** भारतीय विक्रेताओं से सीधे खरीदें।
3. **खरीदें और बनाएं (भारतीय):** शुरुआती आयात के बाद **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) के साथ स्वदेशी उत्पादन** ।
4. **बनाना:** शुरू से आखिर तक स्वदेशी R&D, विकास और उत्पादन।

चुनौतियां

- **टेक्नोलॉजी की मुश्किल:** ड्रोन, EW, और AI में तेज़ी से हो रहे बदलाव के लिए **सर्विसेज़ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट (SQRs) को बार-बार अपडेट करने की ज़रूरत होती है** ।
- **टाइम लैग: AoN** और फ़ाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बीच अक्सर काफ़ी देरी होती है ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सुधारों का साल (2025):** प्रोसेस को आसान बनाना, टाइमलाइन को कम करना, और ब्यूरोक्रेटिक लेयर को कम करना।
- **स्वदेशीकरण को बढ़ाना:** इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने और घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए **Buy (Indian-IDDM)** पर ज़्यादा भरोसा ।

निष्कर्ष

दिसंबर 2025 के DAC अप्रूवल **सटीक हमला** , **बिना पायलट वाले सिस्टम** और **स्वदेशी क्षमता विकास की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाते हैं** । घरेलू डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता देकर, DAC भारत की रक्षा तैयारियों को मज़बूत करता है, साथ ही बाहरी सप्लाई-चेन की कमज़ोरियों और बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन को बचाता है।

गंडिकोटा घाटी

प्रसंग

2025 के आखिर में , गंडिकोटा कैन्यन दक्षिण भारत में सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए एक सेंटर पॉइंट बनकर उभरा है। बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल वैल्यू वाली जगह होने के बावजूद, यह काफ़ी हद तक "ऑफबीट" है। **आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (APTDC) की हाल की कोशिशों** का मकसद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, जिसमें कैंपिंग की सुविधाएं और हेरिटेज ट्रेल्स शामिल हैं, ताकि इसे वर्ल्ड-क्लास डेस्टिनेशन बनाया जा सके।

गंडिकोटा घाटी के बारे में

"भारत का ग्रैंड कैन्यन" के नाम से मशहूर , गंडिकोटा एक शानदार नदी घाटी है जो **पेन्ना (पेन्नार) नदी से बनी है, जो एर्रामाला पहाड़ियों** से होकर गुजरती है ।

- **स्थान:** कडप्पा (YSR) जिला, आंध्र प्रदेश।
- **भौगोलिक स्थिति:** यह घाटी **कुडप्पा बेसिन का हिस्सा है** , जो एक प्रोटेरोज़ोइक सेडिमेंटरी बेसिन है जो अपनी अनोखी चट्टानों के लिए मशहूर है।
- **"गंडी":** यह नाम तेलुगु शब्द *गंदी* (घाटी) और *कोटा* (किला) से लिया गया है।

भूवैज्ञानिक और प्राकृतिक विशेषताएं

- **बनावट:** यह लाखों सालों में पेन्ना नदी के कटाव से सख्त **गंडिकोटा क्वार्टजाइट** और **लाल बलुआ पत्थर पर बनी है** ।
- **साइज़:** यह घाटी लगभग **200–300 मीटर चौड़ी है** और इसमें खड़ी चट्टानें हैं जो नदी के तल से लगभग **100 मीटर ऊपर उठी हुई हैं।**
- **लैंडस्केप:** ऊबड़-खाबड़, लेयर वाली चट्टानें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नारंगी और लाल रंग में चमकती हैं, जो USA में एरिज़ोना ग्रैंड कैन्यन जैसी दिखती हैं।
- **बेलम गुफाओं से नज़दीकी:** सिर्फ़ **60 km** दूर, ये भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी गुफाएँ हैं, जो काले चूना पत्थर के कटाव से बनी हैं।

ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत

यह घाटी, **गंडिकोटा किले से जुड़ी हुई है** , जो चट्टानों के किनारे पर बना 12वीं सदी का एक बड़ा किला है।

- **स्थापित: काका राजा** (पश्चिमी चालुक्यों के अधीन) द्वारा **1123 CE में** ।
- **पेम्मासानी नायक:** इस वंश के राज में यह किला अपने सबसे अच्छे दौर में पहुंचा, जिन्होंने 300 साल से ज़्यादा राज किया और **विजयनगर साम्राज्य में जाने-माने कमांडर थे** ।
- **आर्किटेक्चरल डायवर्सिटी:** किला कॉम्प्लेक्स इंडो-इस्लामिक मेल का एक रेयर उदाहरण है, जिसमें ये चीज़ें हैं:
  - **हिंदू मंदिर:** माधवराय **मंदिर** (16वीं सदी) और **रंगनाथ स्वामी मंदिर** , अपनी बारीक विजयनगर-स्टाइल की नक्काशी के लिए जाने जाते हैं।
  - **इस्लामिक स्ट्रक्चर:** कुतुब शाही काल में बनी जामिया मस्जिद में दो खूबसूरत मीनारें हैं **।**
  - **सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर:** एक बड़ा गुंबद वाला **अनाज का भंडार** , एक **मैगज़ीन** (गोला-बारूद का स्टोर), और **रायलचेरुवु** (बारहमासी झरनों वाला एक टैंक)।
- **साहित्यिक संबंध: माना जाता है कि** मशहूर तेलुगु कवि और समाज सुधारक **योगी वेमना** कुछ समय के लिए गंडिकोटा इलाके में रहे थे।

टूरिज्म और एडवेंचर (2025 अपडेट)

- **एडवेंचर स्पोर्ट्स: यह कैन्यन** पेन्ना नदी पर **कयाकिंग , रॉक क्लाइंबिंग** और क्वार्टजाइट चट्टानों पर **रैपलिंग** का हब बन गया है ।
- **कैंपिंग:** ऑफिशियल और प्राइवेट कैंपसाइट अब कैन्यन रिम पर "तारों के नीचे लग्ज़री" एक्सपीरियंस देते हैं।
- **घूमने का सबसे अच्छा समय:** सितंबर से फरवरी, जब मौसम अच्छा होता है और नदी में पानी का फ्लो काफी होता है (**गंडिकोटा डैम से रेगुलेट होता है**)।

निष्कर्ष

गंडिकोटा गहरे जियोलॉजिकल समय और अलग-अलग तरह के इंसानी इतिहास का एक अनोखा मेल है। इसकी कुदरती खूबसूरती ही इसका खास आकर्षण है, लेकिन किले के शांत खंडहर इलाके की ताकत और कल्चरल लेन-देन की कहानी बताते हैं। इस जगह का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इसकी विरासत को बचाने और लोकल कम्युनिटी को आर्थिक मौके देने के लिए ज़रूरी है।

अलकनंदा आकाशगंगा

प्रसंग

राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र (एनसीआरए-टीआईएफआर), पुणे के भारतीय खगोलविदों ने **अलकनंदा** की खोज की घोषणा की , **जो बिग बैंग के** सिर्फ 1.5 अरब साल बाद देखी गई विशाल **भव्य डिजाइन वाली सर्पिल आकाशगंगा है । जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (जेडब्ल्यूएसटी)** के डेटा का उपयोग करके पहचानी गई , आकाशगंगा की व्यवस्थित संरचना सीधे पारंपरिक **नीचे से ऊपर (पदानुक्रमित)** मॉडल को चुनौती देती है, जो भविष्यवाणी करता है कि प्रारंभिक आकाशगंगाओं को सुव्यवस्थित होने के बजाय अनियमित और गुच्छेदार होना चाहिए।

अलकनंदा के बारे में

यूनिवर्स के शुरुआती दौर में एक **पूरी तरह से डेवलप्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, जो मॉर्फोलॉजी में मिल्की वे से काफी मिलती-जुलती है** ।

- **डिस्कवरी टीम: राशि जैन** और **योगेश वडाडेकर** (NCRA–TIFR) के नेतृत्व में
- **रेडशिफ्ट:** $z \approx 4.05$ (प्रकाश यात्रा समय ~ **12 बिलियन वर्ष**)
- **नामकरण:** हिमालय की **अलकनंदा नदी के नाम पर** , जिसे वैचारिक रूप से **मंदाकिनी के साथ जोड़ा गया है** - जो आकाशगंगा का हिंदी नाम है
- **ऑब्ज़र्वेशन: एबेल 2744** (पेंडोरा क्लस्टर) द्वारा ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल करके **UNCOVER सर्वे** में पता चला।

मुख्य विशेषताएं और आकृति विज्ञान

- **संरचनात्मक परिपक्वता:** स्पष्ट **केंद्रीय उभार** , **घूर्णन डिस्क** , और **दो सममित सर्पिल भुजाएँ** - इतने उच्च रेडशिफ्ट पर दुर्लभ
- **साइज़:** ~ **30,000 लाइट-ईयर** (आज की मिल्की वे का लगभग एक-तिहाई)
- **तारा निर्माण:** ~ **63 सौर द्रव्यमान/वर्ष** , मिल्की वे की वर्तमान दर का **20–30 गुना**
- **स्टेलर असेंबली:** तारों में ~ **10 बिलियन सोलर मास ; 50% ~200 मिलियन साल के** तेज़ बर्स्ट में बने
- **एक्टिव रीजन:** स्पाइरल आर्म्स के साथ स्टार बनाने वाले गुच्छों का अलग **"स्ट्रिंग पर मोतियों जैसा" पैटर्न**

वैज्ञानिक महत्व

- **चुनौतियां हायरार्किकल मॉडल:** स्टैंडर्ड थ्योरी के हिसाब से स्टेबल स्पाइरल डिस्क बनने में कई अरब साल लगते हैं। अलकनंदा दिखाती है कि **तेज़ी से डिस्क बनना** , शायद **ठंडी गैस के जमा होने** या **शुरुआती मर्जर से** , बहुत पहले मुमकिन था।
- **कॉसमॉस में शुरुआती ऑर्डर:** यह दिखाता है कि शुरुआती यूनिवर्स पारंपरिक रूप से तय **कॉस्मिक डॉन** टाइमफ्रेम से बहुत पहले ही **बहुत व्यवस्थित, स्थिर स्ट्रक्चर बना सकता था।**
- **JWST की ताकत:** इंफ्रारेड सेंसिटिविटी बहुत दूर से भी **बारीक स्पाइरल फीचर्स को रेज़ोल्यूशन करने में मदद करती है** —जो हबल जैसी पुरानी ऑब्जर्वेटरी की पहुंच से भी बाहर था।

निष्कर्ष

अलकनंदा की खोज भारतीय वैज्ञानिकों की हाई-रेडशिफ्ट एस्ट्रोनॉमी के लिए एक **बड़ी कामयाबी है। यह गैलेक्सी के बनने की कॉस्मिक टाइमलाइन पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है और इसका मतलब है कि मुश्किल गैलेक्टिक और शायद ग्रहों के माहौल** के लिए हालात पहले सोचे गए समय से **काफी पहले** बन गए होंगे ।

औद्योगिक भांग

प्रसंग

दिसंबर 2025 में, **हिमाचल प्रदेश ने इंडस्ट्रियल भांग** की खेती को लीगल और रेगुलेट करने के लिए ऑफिशियली **'ग्रीन टू गोल्ड' पहल शुरू की। इस पॉलिसी में बदलाव का मकसद भांग को "जंगली खरपतवार" से एक हाई-वैल्यू इंडस्ट्रियल रिसोर्स में बदलना है, जिससे राज्य भारत की बढ़ती बायो-इकॉनमी** में लीडर बन सके ।

औद्योगिक भांग के बारे में

, *कैनाबिस सैटिवा पौधे* की एक कई तरह से इस्तेमाल होने वाली, नशीली नहीं होने वाली किस्म है । इसकी केमिकल बनावट की वजह से इसे साइंटिफिक तौर पर मारिजुआना से अलग माना जाता है।

- **0.3% नियम:** इसकी खासियत यह है कि इसमें **टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC)** की मात्रा **0.3% से कम होती है** । यह कम लिमिट यह पक्का करती है कि पौधे का कोई साइकोएक्टिव असर नहीं है और यह ड्रग के इस्तेमाल के लिए सही नहीं है।
- **हिमालय की विरासत:** दशकों से हिमाचल की घाटियों (कुल्लू, मंडी, चंबा) में भांग जंगली रूप से उगती रही है। नई पॉलिसी इस रिसोर्स को गैर-कानूनी व्यापार से **कानूनी, साइंटिफिक फ्रेमवर्क में बदल रही है** ।

मुख्य विशेषताएं और पर्यावरणीय लाभ

- **क्लाइमेट रेजिलिएंस: कपास की तुलना में 50% कम पानी की** ज़रूरत होती है और यह मार्जिनल या खराब मिट्टी में भी अच्छी तरह उगता है।
- **तेज़ ग्रोथ: इसमें 70-140 दिनों** का छोटा हार्वेस्ट साइकिल होता है , जिससे ज़मीन का सही इस्तेमाल हो पाता है।
- **कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन:** यह बढ़ने के दौरान जितनी CO2 निकालता है, उससे ज़्यादा सोख लेता है, जिससे यह **कार्बन-नेगेटिव** फसल बन जाती है।
- **मिट्टी की सेहत:** इसकी गहरी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और कुदरती तौर पर खरपतवार को दबाती हैं, जिससे केमिकल हर्बिसाइड की ज़रूरत कम हो जाती है।
- **वाइल्डलाइफ़ कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन:** हिमाचल में, किसान हेम्प की खेती कर रहे हैं क्योंकि इसे आमतौर पर बंदर और दूसरे वाइल्डलाइफ़ टारगेट नहीं करते हैं जो अक्सर पारंपरिक फ़सलों को नष्ट कर देते हैं।

विविध अनुप्रयोग

इंडस्ट्रियल भांग को अक्सर "25,000 इस्तेमाल वाली फसल" कहा जाता है। इसके मुख्य इस्तेमाल में शामिल हैं:

- **सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन: इसका इस्तेमाल हेम्पक्रीट** बनाने में होता है , जो एक कार्बन-नेगेटिव बिल्डिंग मटीरियल है जो बेहतर इंसुलेशन देता है और पेस्ट-रेसिस्टेंट है।

- **टेक्सटाइल और कपड़े:** यह एक मज़बूत, एंटीबैक्टीरियल और UV-रेज़िस्टेंट फ़ाइबर बनाता है जो कॉटन का एक टिकाऊ विकल्प है।
- **फार्मास्यूटिकल्स और वेलनेस:** भांग के बीज और तेल को आयुर्वेदिक दवाओं, न्यूट्रास्यूटिकल्स और CBD-बेस्ड पेन मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में प्रोसेस किया जाता है।
- **बायो-इंडस्ट्रीज़: बायोप्लास्टिक्स** , बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, और बायोडीज़ल और इथेनॉल जैसे बायोफ्यूल के लिए फीडस्टॉक के तौर पर इस्तेमाल होता है ।
- **कॉस्मेटिक्स:** ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर, हेम्प सीड ऑयल हाई-एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में एक मुख्य इंग्रीडिएंट है।

आर्थिक दृष्टिकोण

- **रेवेन्यू अनुमान: रेगुलेटेड खेती से** हिमाचल प्रदेश को हर साल **₹1,000 करोड़ से ₹2,000 करोड़** मिलने की उम्मीद है ।
- **इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट: CSK HPKV (पालमपुर)** जैसी स्टेट यूनिवर्सिटी हिमालय के मौसम के हिसाब से ज़्यादा पैदावार वाली, कम THC वाली बीज की किस्में बनाने के लिए रिसर्च को आगे बढ़ा रही हैं।
- **आत्मनिर्भरता: यह पहल 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य** बनाने के लक्ष्य से जुड़ी है ।

निष्कर्ष

इंडस्ट्रियल हेम्प को लीगल बनाना सस्टेनेबल खेती की तरफ एक प्रैक्टिकल बदलाव दिखाता है। THC लेवल को सख्ती से रेगुलेट करके, हिमाचल प्रदेश इस पौधे को उसकी "नशीले" इमेज से अलग कर रहा है और गांव की इनकम बढ़ाने, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने और ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए "हिमालयन गोल्ड" के तौर पर इसकी क्षमता को अपना रहा है।

यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (पीएसीआर)

प्रसंग

मिनिस्ट्री **ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) ने नई दिल्ली के उड़ान भवन में** एक परमानेंट, **24x7 पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम (PACR) शुरू किया है** । यह सुविधा "इंडिगो शेड्यूल क्रैश" और घने सर्दियों के कोहरे सहित फ़्लाइट में बड़ी रुकावटों के बाद शुरू की गई थी, ताकि शिकायत सुलझाने का एक तेज़ और ज़्यादा सिस्टमैटिक सिस्टम बनाया जा सके।

PACR के बारे में

PACR एक इंटीग्रेटेड, टेक्नोलॉजी से चलने वाला कमांड सेंटर है जिसे सरकारी रेगुलेटर और प्राइवेट एविएशन स्टेकहोल्डर के बीच रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **मंत्रालय:** नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA)।
- **जगह: उड़ान भवन** , सफदरजंग एयरपोर्ट एरिया, नई दिल्ली।
- **ऑपरेटिंग मॉडल: MoCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA)** , **एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI)** , और सभी बड़ी इंडियन एयरलाइन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के अधिकारियों के साथ 24x7 ऑपरेशन।
- **विज़न:** "पैसेंजर फर्स्ट" प्रिंसिपल पर आधारित, जिसका मकसद एड-हॉक इंटरवेंशन से एक स्ट्रक्चर्ड क्राइसिस-रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क की ओर शिफ्ट करना है।

मुख्य विशेषताएं और वर्कफ़्लो

- **इंटीग्रेटेड स्टेकहोल्डर हब:** अधिकारी और एयरलाइन के प्रतिनिधि "एक ही छत के नीचे" काम करते हैं, जिससे उन समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो जाता है जिनके लिए पहले लंबी ईमेल चेन या डिपार्टमेंट के बीच देरी की ज़रूरत होती थी।
- **ओमनी-चैनल इनटेक:** कंट्रोल रूम **एयरसेवा पोर्टल** , ईमेल, टेलीफोन कॉल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिकायतों पर नज़र रखता है।
- **रियल-टाइम मॉनिटरिंग:** डेटा-ड्रिवन डैशबोर्ड शिकायत कैटेगरी (जैसे, फ़्लाइट में देरी, रिफ़ंड, बैगेज की समस्या), जवाब देने की टाइमलाइन और खास स्टेकहोल्डर एक्शन की लाइव जानकारी देते हैं।
- **शिफ्ट-बेस्ड ऑपरेशन:** तीन शिफ्ट में काम करने वाली छह टीमों के ज़रिए काम करता है, जिससे यह पक्का होता है कि देश भर में एविएशन ऑपरेशन पर नज़र रखने के लिए किसी भी समय 29 से 35 लोग एक्टिव रहें।
- **कम्प्लायंस: यह पक्का करता है कि सभी शिकायतों को पैसेंजर चार्टर के** नियमों के अनुसार सख्ती से निपटाया जाए ।

परफॉर्मेंस और असर (दिसंबर 2025 तक)

- **कुल शिकायतों का समाधान:** 3 दिसंबर, 2025 को चालू होने के बाद से **13,000-14,000** से ज़्यादा मामले हल किए गए।
- **डायरेक्ट इंटरवेंशन: 500** से ज़्यादा **कॉल-बेस्ड इंटरवेंशन,** जहाँ अधिकारियों ने परेशान यात्रियों से अपडेट देने या मदद करने के लिए खुद से संपर्क किया।
- **समाधान का लक्ष्य:** ज़्यादातर शिकायतें, खासकर बैगेज और ऑनबोर्ड सर्विस से जुड़ी शिकायतों का समाधान **72 घंटों के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है** ।

महत्व

- **क्राइसिस मैनेजमेंट:** कोहरे की वजह से होने वाली देरी या टेक्निकल रुकावटों जैसी मौसमी दिक्कतों के लिए एक जैसा रिस्पॉन्स सिस्टम देता है।
- **जवाबदेही:** सरकार की निगरानी वाले कमरे में एयरलाइन स्टाफ की मौजूदगी से सर्विस में खराबी के लिए तुरंत जवाबदेही बनती है।
- **पैसेंजर का भरोसा:** इससे यात्रियों के लिए "अनिश्चितता का अंतर" कम होता है, क्योंकि इससे उनकी शिकायतों को संभालने वाली टीमें उन्हें अपडेट करती हैं, न कि उन्हें बार-बार एयरलाइन के पीछे भागना पड़ता है।

निष्कर्ष

PACR की स्थापना भारत के एविएशन सेक्टर में प्रोएक्टिव गवर्नेंस की ओर एक बदलाव को दिखाती है। टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी ओवरसाइट और एयरलाइन ऑपरेशन्स को मिलाकर, मिनिस्ट्री का मकसद दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते एविएशन मार्केट्स में से एक में पैसेंजर की परेशानी को कम करना और सर्विस स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का 140वां स्थापना दिवस

प्रसंग

28 दिसंबर 2025 को , **इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) ने** अपना **140वां फाउंडेशन डे मनाया** , जो दुनिया में किसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के सबसे लंबे लगातार सफ़र में से एक की याद दिलाता है। इस मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर, **इंदिरा भवन, नई दिल्ली में नेशनल फ्लैग-होस्टिंग सेरेमनी हुई, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे** ने लीड किया , साथ ही सीनियर लीडर **सोनिया गांधी** और **राहुल गांधी भी मौजूद थे** ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के बारे में

INC दुनिया की **सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टियों में से एक है** । इसने **भारत की आज़ादी की लड़ाई के मुख्य प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया** और आज़ादी के बाद के दशकों में भी यह **सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकत बनी रही।**

- **स्थापना:** 28 दिसंबर 1885
- **पहला सत्र:** गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे (अब मुंबई)
- **संस्थापक: एलन ऑक्टेवियन ह्यूम** , एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट
- **पहले राष्ट्रपति: व्योमेश चंद्र बनर्जी**
- **ओरिजिनल पार्टिसिपेशन:** 72 डेलीगेट्स, जिनमें ज़्यादातर वकील, पत्रकार और समाज सुधारक थे

कांग्रेस का ऐतिहासिक विकास

INC का विकास मोटे तौर पर भारत के राजनीतिक बदलाव को दिखाता है:

1. मॉडरेट फेज़ (1885–1905)

ब्रिटिश सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, पिटीशन्स और डायलॉग पर फोकस था। जाने-माने लीडर्स में **दादाभाई नौरोजी** और **फिरोजशाह मेहता शामिल थे** ।

2. उग्रवादी चरण (1905-1919)

बंगाल विभाजन (1905) से प्रेरित इस चरण में लाल-बाल-पाल तिकड़ी के नेतृत्व में मुखर राष्ट्रवाद देखा गया, जिसमें **स्वराज की मांग की गई** और **स्वदेशी और बहिष्कार को बढ़ावा दिया गया**।

3. गांधीवादी युग (1919–1947)

महात्मा गांधी के नेतृत्व में , INC **अहिंसा पर आधारित एक जन आंदोलन में बदल गई** । प्रमुख आंदोलनों में **असहयोग** , **सविनय अवज्ञा** और **भारत छोड़ो (1942) शामिल थे** ।

4. स्वतंत्रता के बाद का चरण (1947-वर्तमान)

कांग्रेस ने विशेषकर **जवाहरलाल नेहरू** और **इंदिरा गांधी** जैसे नेताओं के नेतृत्व में **राष्ट्र निर्माण, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया** ।

प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थर

- **1907 – सूरत विभाजन:** राजनीतिक तरीकों को लेकर नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद
- **1916 – लखनऊ समझौता:** कांग्रेस के गुटों का फिर से एकीकरण और मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन
- **1924 – बेलगाम अधिवेशन: महात्मा गांधी** की अध्यक्षता में एकमात्र INC अधिवेशन
- **1929 – लाहौर अधिवेशन: जवाहरलाल नेहरू** के नेतृत्व में **पूर्ण स्वराज (पूरी आज़ादी)** को अपनाया गया
- **1931 – कराची अधिवेशन: मौलिक अधिकारों** और **राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम** पर प्रस्ताव

समकालीन महत्व (2025)

140वें स्थापना दिवस के दौरान, INC लीडरशिप ने तीन मुख्य बातों पर ज़ोर दिया:

- **विचारधारा का दावा:** इस बात पर ज़ोर कि *कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा को दिखाती है* , जो सेक्युलरिज़्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म में निहित है।
- **सामाजिक न्याय एजेंडा:** जाति जनगणना, रोज़गार गारंटी और पिछड़े वर्गों के कल्याण पर फिर से ध्यान
- **इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन:** ज्यूडिशियरी, मीडिया और इलेक्शन प्रोसेस जैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा के लिए कमिटमेंट

निष्कर्ष

इंडियन नेशनल कांग्रेस का 140 साल का सफ़र मॉडर्न इंडिया के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1885 में एक एलीट पॉलिटिकल फोरम से लेकर एक बड़े पैमाने पर आज़ादी के आंदोलन और बाद में एक गवर्निंग पार्टी बनने तक, INC ने भारत के डेमोक्रेटिक माहौल को बहुत गहराई से बनाया है। अपने **141वें साल में** , पार्टी एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत को तेज़ी से बदलते और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल माहौल की चुनौतियों के साथ मिलाने की कोशिश कर रही है।

भारत में अनुसंधान की कमी

प्रसंग

2025 में पॉलिसी स्पॉटलाइट में वापस आ गया है । भारत **के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी** बनने के बावजूद , इसका **R&D खर्च GDP के लगभग 0.64% पर स्थिर है** , जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स से बहुत कम है। यह लगातार *इनोवेशन गैप* इस बात से और भी साफ़ होता है कि **हुआवेई जैसी अकेली ग्लोबल कॉर्पोरेशन्स** हर साल पूरी इंडियन इकॉनमी से ज़्यादा R&D पर खर्च करती हैं।

भारत में अनुसंधान की कमी

भारत में रिसर्च की कमी, **अपनी बड़ी ह्यूमन कैपिटल को हाई-एंड टेक्नोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) नतीजों में बदलने में सिस्टम की नाकामी को दिखाती है** ।

प्रमुख वैश्विक तुलनाएं (2025):

- **R&D खर्च की तीव्रता (GDP का %):**
  - भारत: ~0.64%
  - चीन: ~2.4%
  - संयुक्त राज्य अमेरिका: ~3.5%
  - इज़राइल: ~5.4%
- **रिसर्चर डेंसिटी:**
  - भारत: प्रति दस लाख आबादी पर ~255 रिसर्चर
  - वैश्विक औसत: ~1,198
  - दक्षिण कोरिया: ~7,980
- **नवाचार परिणाम:**
  - **ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025** में भारत **38वें स्थान पर है** , लेकिन **बिज़नेस सोफिस्टिकेशन में सिर्फ़ 64वें स्थान पर है** , जो R&D इनपुट को मार्केट-रेडी आउटपुट में कमज़ोर कन्वर्ज़न को दिखाता है।

फंडिंग स्ट्रक्चर की समस्या

- एडवांस्ड इकॉनमी में, **70% से ज़्यादा R&D प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलाया जाता है** ।
- भारत में, स्ट्रक्चर उल्टा है:
  - **सरकारी हिस्सा:** ~64%
  - **प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा:** ~36%
    इससे स्केल, रिस्क लेने और कमर्शियलाइज़ेशन सीमित हो जाता है।

घाटे की वास्तविक लागत

1. रणनीतिक भेद्यता

₹1.6 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर मिशन के बावजूद , भारत में अभी भी एक **वाणिज्यिक उप-28 एनएम मेगा फैब्रिकेशन प्लांट का अभाव है** , जिससे उन्नत लॉजिक चिप्स के लिए आयात पर निरंतर निर्भरता बनी हुई है।

2. टेक्नोलॉजी पर निर्भरता

हालांकि लगभग **65% डिफेंस इक्विपमेंट देश में ही बनते हैं , लेकिन ज़रूरी टेक्नोलॉजी अभी भी इम्पोर्ट की जाती हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण तेजस Mk-1A के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F404 एयरो-इंजन** पर लगातार निर्भरता है , जो स्वदेशी एयरो-इंजन R&D में दशकों से कम इन्वेस्टमेंट को दिखाता है।

3. ब्रेन ड्रेन

2024-25 में , लगभग **7.6 लाख भारतीय छात्र** हायर एजुकेशन के लिए विदेश गए। **विदेशों में AI और रिन्यूएबल-एनर्जी PhD में 35% की बढ़ोतरी** यह दिखाती है कि देश में डीप-टेक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं है।

4. रिसर्च में कमी

ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल **47°C दिल्ली हीट इवेंट्स (2024–25) का अंदाज़ा लगाने में फेल रहे, जिससे बाहरी डेटासेट पर भारत की निर्भरता सामने आई। इस वजह से मिशन मौसम को देसी, लोकल क्लाइमेट और मौसम फोरकास्टिंग मॉडल** बनाने की ज़रूरत पड़ी ।

हालिया नीतिगत पहल

- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF):** इसे पब्लिक रिसर्च फंडिंग को आसान बनाने और बढ़ाने के लिए बनाया गया है, जिसका प्लान **पांच साल में ₹50,000 करोड़ का है** ।
- **₹1 लाख करोड़ रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) फंड (2024): इसे** डीप-टेक और फ्रंटियर डोमेन में प्राइवेट सेक्टर के R&D के लिए **लंबे समय का, कम ब्याज वाला फाइनेंस** देने के लिए बनाया गया है ।
- **मिशन-मोड कार्यक्रम:** पूर्ण नवाचार पारिस्थितिकी तंत्रों के निर्माण के लिए **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन** , **एआई मिशन** और **ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** के माध्यम से केंद्रित प्रयास ।

संरचनात्मक चुनौतियाँ

- **प्राइवेट सेक्टर रिस्क से बचना:** ज़्यादा रिस्क वाले, फ्रंटियर रिसर्च के बजाय धीरे-धीरे होने वाले इनोवेशन को प्राथमिकता।
- **"वैली ऑफ़ डेथ" सिंड्रोम:** कमज़ोर एकेडेमिया-इंडस्ट्री लिंकेज; **छोटे इंस्टीट्यूशन के 80% से ज़्यादा पेटेंट बिना लाइसेंस के रह जाते हैं** ।
- **फंडिंग में देरी:** ब्यूरोक्रेटिक देरी की वजह से **SERB-SURE जैसी स्कीमों को** फंड देने में अक्सर **8-12 महीने लग जाते हैं, जिससे रिसर्च कंटिन्यूटी में रुकावट आती है।**
- **पेटेंट की क्वालिटी:** भारत **6th सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर है** , लेकिन कई फाइलिंग का असर कम होता है और वे ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी में नहीं बदल पाती हैं।

आगे का रास्ता: 2030 तक का रोडमैप

- **R&D खर्च को GDP के 2% तक बढ़ाएं , जिसमें प्राइवेट सेक्टर का** कम से कम 50% योगदान हो ।
- **यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेशन: यूनिवर्सिटी को टीचिंग-सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन से रिसर्च-ड्रिवन इंजन** में बदलें , PhD फेलोशिप बढ़ाएं, और ग्लोबल फैकल्टी को अट्रैक्ट करें।
- **टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस (TTOs):** रिसर्च आउटपुट को कमर्शियलाइज़ करने के लिए सभी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल TTOs बनाएं।
- **टैलेंट रिटेंशन:** ब्रेन ड्रेन और ब्रेन वेस्ट को रोकने के लिए दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन, मोबिलिटी ग्रांट और रिसर्च ऑटोनॉमी दें।

निष्कर्ष

भारत में रिसर्च की कमी **टैलेंट की कमी नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल फेलियर है** । विकसित **भारत @2047 पाने** के लिए असेंबली-लेड ग्रोथ से आगे बढ़कर **IP-ड्रिवन, इनोवेशन-फर्स्ट इकॉनमी की ओर बढ़ना होगा। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और लॉन्ग-टर्म इकॉनमिक लीडरशिप** के लिए R&D गैप को कम करना ज़रूरी है ।

भारत में बाल विवाह

प्रसंग

बाल विवाह रोकथाम एक्ट (PCMA), 2006 के 18 साल बाद भी , आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बाल विवाह के मामले बहुत ज़्यादा हैं। यह लगातार जारी रहना कानूनी इरादे और ज़मीनी सामाजिक और आर्थिक हकीकत के बीच एक बड़े अंतर को दिखाता है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** बाल विवाह एक फॉर्मल या इनफॉर्मल रिश्ता है जिसमें कम से कम एक पार्टी **18 साल से कम उम्र की होती है** । इसे बच्चों के हेल्थ, एजुकेशन और प्रोटेक्शन जैसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।
- **वर्तमान रुझान:**
  - ○**फैलाव: 15-19 साल की** लगभग **16% लड़कियां** शादीशुदा हैं। हालांकि दरें 47% (2005-06) से घटकर लगभग 23-27% (NFHS-5) हो गईं, लेकिन गिरावट की रफ़्तार अभी भी धीमी है।
  - ○**ग्लोबल स्टैंडिंग:** भारत में हर साल लगभग **1.5 मिलियन बाल विवाह होते हैं** , जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है।
  - ○**रीजनल हॉटस्पॉट:** बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मामले ज़्यादा हैं।

कानूनी और ऐतिहासिक ढांचा

- **सुधार का विकास:** * **सामाजिक आंदोलन:** राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे शुरुआती लोगों ने बाल विवाह को एक मुख्य सामाजिक बुराई के रूप में पहचाना।
  - ○ **सारदा एक्ट (1929):** यह मिनिमम उम्र तय करने की पहली कानूनी कोशिश थी, हालांकि इसे ठीक से लागू नहीं किया गया।
- **वर्तमान कानून (पीसीएमए, 2006):**
  - ○ नाबालिग की मर्ज़ी पर बाल विवाह को **अमान्य घोषित करता है।**
  - ○ ऐसी शादियां करने या उन्हें बढ़ावा देने वालों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है।
  - ○ **बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPOs)** की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है ।
- **ग्लोबल अलाइनमेंट: भारत का लक्ष्य 2030** तक इस प्रथा को खत्म करना है , जो *बाल विवाह-मुक्त भारत* जैसी पहलों के ज़रिए **सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 (जेंडर इक्वालिटी) के साथ अलाइन होगा** ।

चालक और चुनौतियाँ

बने रहने के कारण:

- **आर्थिक तंगी:** गरीब परिवार अक्सर जल्दी शादी को "सोशल प्रोटेक्शन" का तरीका और देखभाल का फाइनेंशियल बोझ कम करने का एक तरीका मानते हैं।
- **शैक्षिक अंतराल:** स्कूल छोड़ने वाले बच्चे - दूरी, सुरक्षा चिंताओं या लागत के कारण - लड़कियों की भेद्यता को काफी बढ़ा देते हैं।
- **जेंडर नॉर्म्स:** गहरी पैट्रियार्कल सोच "परिवार की इज्ज़त" को प्राथमिकता देती है और लड़कियों को *पराया धन* (किसी और की प्रॉपर्टी) मानती है।
- **जागरूकता की कमी:** PCMA से जुड़े हेल्थ रिस्क और कानूनी सज़ा के बारे में कम समझ।

मुख्य चुनौतियाँ:

- **कमज़ोर एनफोर्समेंट:** सज़ा की कम दरें और कोर्ट में मामलों का ज़्यादा पेंडिंग होना, कानून के रोकने वाले असर को कमज़ोर कर देता है।
- **परिवार की मिलीभगत:** शादियां अक्सर समाज और परिवार के पूरे सपोर्ट से होती हैं, जिससे समय पर दखल देना मुश्किल हो जाता है।
- **इंस्टीट्यूशनल कमियां:** कई CMPOs के पास एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, जिससे रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन पर खास ध्यान नहीं दिया जाता।
- **हेल्थ पर असर:** कम उम्र में माँ बनने से माँ की मौत की दर ज़्यादा होती है, एनीमिया होता है और बच्चे कम वज़न के पैदा होते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **एजुकेशन-फर्स्ट स्ट्रैटेजी:** शादी में देरी करने और ज़िंदगी के ज़्यादा ऑप्शन के लिए सेकेंडरी स्कूल पूरा करने पर कंडीशनल कैश ट्रांसफर लागू करें।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** गरीबी से होने वाले फैसलों को कम करने के लिए अपग्रेड किए गए **आंगनवाड़ी सेंटरों** के ज़रिए वोकेशनल और लाइफ-स्किल्स ट्रेनिंग दें ।
- **कम्युनिटी ओनरशिप:** पंचायतों, धार्मिक नेताओं और युवा ग्रुप्स को "बाल विवाह-मुक्त" गांव की घोषणाएं बनाने के लिए शामिल करें।
- **मज़बूत एनफोर्समेंट:** तेज़ी से FIR रजिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग और डेडिकेटेड पुलिस यूनिट्स का इस्तेमाल करें।
- **इंटीग्रेटेड सपोर्ट:** कानूनी सुरक्षा को हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोग्राम से जोड़ें, कम्युनिटी मीडिएशन के लिए **नारी अदालत जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें।**

निष्कर्ष

बाल विवाह गरीबी, जेंडर इनइक्वालिटी और सिस्टम में अनदेखी का एक मुश्किल लक्षण है, न कि कोई आसान कानूनी उल्लंघन। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून से आगे बढ़कर शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और समुदाय के नेतृत्व में सामाजिक बदलाव के एक बड़े इकोसिस्टम की ज़रूरत है ताकि पीढ़ियों से चले आ रहे अभाव के चक्र को तोड़ा जा सके।

भारत में सीमांत किसानों की स्थिति 2025

प्रसंग

किसान दिवस (23 दिसंबर, 2025) पर फोरम ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट (FEED) की तरफ से जारी "भारत में सीमांत किसानों की स्थिति 2025" रिपोर्ट एक बड़ी संस्थागत कमी को दिखाती है: **भारत के 25% से भी कम सीमांत किसान** अभी खेती-बाड़ी से जुड़े कोऑपरेटिव से जुड़े हैं।

रिपोर्ट के बारे में

रिपोर्ट में इस बात का अनुभव से पता लगाया गया है कि **प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS)** और दूसरी कोऑपरेटिव कैसे छोटे किसानों की सेवा करती हैं – जिनके पास **1 हेक्टेयर से कम** ज़मीन है।

मुख्य रुझान और निष्कर्ष:

- **संरचनात्मक बहिष्कार:** हालांकि सीमांत किसान **भारत के कृषि परिवारों का 60-70% हिस्सा हैं** , फिर भी सहकारी समितियों में उनकी भागीदारी चिंताजनक रूप से कम (25% से कम) है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ: बिहार, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश** जैसे राज्यों में संस्थागत पहुँच काफ़ी कमज़ोर है , जहाँ राज्य की क्षमता और बुनियादी ढाँचा पिछड़ रहा है।
- **एंट्री में रुकावटें:** मुश्किल मेंबरशिप नियमों, PACS सेंटर्स से ज्योग्राफिकल दूरी, और गहरी **जाति और जेंडर-बेस्ड एक्सक्लूजन की वजह से एंट्री पर रोक है**।
- **डिजिटल डिवाइड:** डिजिटल टूल अपनाना बहुत कम है; उदाहरण के लिए, **त्रिपुरा में 77.8% कोऑपरेटिव** ने बताया कि डिजिटल टूल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। महिलाओं और बुज़ुर्ग किसानों में स्किल गैप सबसे ज़्यादा है।
- **लीडरशिप गैप:** 21 लाख से ज़्यादा महिला सदस्य होने के बावजूद, देश भर में सिर्फ़ **3,355 महिलाएँ** डायरेक्टर लेवल के पदों पर हैं, जो दिखाता है कि फ़ैसले लेने की असली पावर की कमी है।

सहकारी समावेशन का प्रभाव

रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि जब छोटे किसानों को कोऑपरेटिव में सफलतापूर्वक शामिल किया जाता है, तो नतीजे बहुत अच्छे होते हैं:

- **इनकम में बढ़ोतरी:** 45% लिंक्ड किसानों ने सालाना इनकम में बढ़ोतरी बताई।
- **रोज़ी-रोटी की सुरक्षा:** लगभग 49% लोगों को बेहतर खाने और पैसे की सुरक्षा मिली।
- **क्रेडिट एक्सेस:** इनक्लूजन किसानों को शोषण करने वाले इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट से हटाकर रेगुलेटेड, कम ब्याज वाले इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की ओर ले जाता है।

मौजूदा ढांचे में चुनौतियाँ

- **कैपिटलाइज़ेशन काफ़ी नहीं:** कई PACS के पास बड़ी संख्या में छोटे किसानों की क्रेडिट मांगों को पूरा करने के लिए ज़रूरी फंड की कमी है।
- **इनफॉर्मल मार्केट पर निर्भरता:** फॉर्मल कोऑपरेटिव में "डिज़ाइन के हिसाब से बाहर रखने" की वजह से, छोटे किसान लोकल साहूकारों के कर्ज़ के चक्कर में फंसे रहते हैं।
- **सिंबॉलिक इन्क्लूजन:** जेंडर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ़ "कागज़ पर" रहता है, औरतें शायद ही कभी समाज की फाइनेंशियल या ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी पर असर डालती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सबको साथ लेकर चलने वाली मेंबरशिप में सुधार:** छोटे और ज़मीनहीन किसानों के लिए PACS में शामिल होने के लिए ज़रूरी नियमों और डॉक्यूमेंटेशन को आसान बनाया जाए।
- **डिजिटल लिटरेसी कैंपेन:** डिजिटल कोऑपरेटिव बैंकिंग में टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करने के लिए महिलाओं और बुज़ुर्ग किसानों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी।
- **जेंडर-फोकस्ड लीडरशिप:** कोऑपरेटिव बोर्ड में महिलाओं को "मेंबरशिप" से "लीडरशिप" रोल में लाने के लिए कोटा या इंसेंटिव लागू करें।
- **PACS को मज़बूत करना:** लोकल सोसाइटियों को रीकैपिटलाइज़ करें और उनकी सर्विस ऑफ़रिंग को क्रेडिट से आगे बढ़ाकर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी शामिल करें।

निष्कर्ष

भारत में सीमांत किसानों की स्थिति 2025 रिपोर्ट पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक चेतावनी है। हालांकि कोऑपरेटिव में ग्रामीण खुशहाली की रीढ़ बनने की क्षमता है, लेकिन उनका मौजूदा "कुलीन वर्ग का कब्ज़ा" और स्ट्रक्चरल रुकावटें भारत के सबसे कमज़ोर फूड प्रोड्यूसर को फ़ायदा उठाने से रोकती हैं। असली इन्क्लूजन सिर्फ़ एक सामाजिक ज़रूरत नहीं है, बल्कि भारत की खेती की स्थिरता के लिए एक आर्थिक ज़रूरत भी है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई)

प्रसंग

कम्युनिस्ट **पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) ने अपने 100 साल** पूरे कर लिए हैं , जो भारत में संगठित कम्युनिस्ट राजनीति की एक सदी है। कॉलोनियल शासन के तहत एक गुप्त एंटी-इंपीरियलिस्ट आंदोलन से, CPI भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक अहम हिस्सा बन गई।

CPI के बारे में

CPI भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों में से एक है, जो **मार्क्सवादी सोच पर मज़बूती से टिकी हुई है। यह बड़े आंदोलनों** और **चुनावी राजनीति** के ज़रिए मज़दूरों, किसानों और पिछड़े तबकों के हितों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है ।

- **स्थापना:** 26 दिसंबर 1925, कानपुर (कानपुर) कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस में
- **ऐतिहासिक नोट: इससे पहले ताशकंद (1920) में एम.एन. रॉय** के नेतृत्व में एक प्रवासी कम्युनिस्ट ग्रुप बनाया गया था , जिससे पार्टी की "असली" शुरुआत पर बहस छिड़ गई थी।
- **उद्देश्य (ऐतिहासिक):**
  - ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता (1947 से पहले)
  - उत्पादन और वितरण के साधनों का समाजीकरण

- एक समतावादी, वर्ग-रहित समाज का निर्माण

संबद्ध जन संगठन

- **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)** – श्रमिक शाखा
- **अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस)** – किसान शाखा

ऐतिहासिक विकास

- **1920s–1930s: दमन का दौर**
  रूसी क्रांति (1917) से प्रभावित होकर , CPI को गंभीर कॉलोनियल दमन का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने **कानपुर कॉन्सपिरेसी केस (1924)** और **मेरठ कॉन्सपिरेसी केस (1929) जैसे मामलों के ज़रिए आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की** ।
- **1940 का दशक: खेती-बाड़ी का उग्रवाद**
  पार्टी ने बड़े किसान संघर्षों को लीड किया, खास तौर पर बंगाल में **तेभागा आंदोलन और** निज़ाम के खिलाफ हथियारबंद **तेलंगाना विद्रोह ।**
- **आज़ादी के बाद: पार्लियामेंट्री मोड़**
  1947 के बाद, CPI ने पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स अपनाई। यह पहली लोकसभा में **सबसे बड़े विपक्ष के तौर पर उभरी। 1957 में** , इसने **EMS नंबूदरीपाद** के नेतृत्व में केरल में **दुनिया की पहली डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बनाई** ।
- **1964: बड़ा बंटवारा,** भारतीय पूंजीपतियों पर अलग-अलग विचारों और **चीन-सोवियत बंटवारे से विचारधारा में मतभेद और बढ़ गए** , जिससे बंटवारा हुआ और **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बनी** ।

प्रमुख नेता

- **एमएन रॉय** - ताशकंद ग्रुप के फाउंडर; कॉमिन्टर्न में पहले भारतीय लीडर
- **एस ए डांगे** – कानपुर के संस्थापक नेता; भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी
- **पीसी जोशी** – 1940 के दशक में जनरल सेक्रेटरी; यूनाइटेड फ्रंट स्ट्रेटेजी के समर्थक
- **ईएमएस नंबूदरीपाद** – पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया; राष्ट्रीय प्रश्न पर सिद्धांतकार
- **मुजफ्फर अहमद** - बंगाल में पार्टी का बेस बनाया, खासकर किसानों के बीच

विचारधारा और रणनीति

- **वैचारिक आधार:** ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष
- **दोहरी रणनीति:** संसद के बाहर जन संघर्षों (हड़ताल, विरोध प्रदर्शन) को संसदीय लोकतंत्र में भागीदारी के साथ जोड़ती है
- **इंडियन अडैप्टेशन के साथ इंटरनेशनलिज़्म:** ग्लोबल सोशलिस्ट आंदोलनों से प्रेरित होकर, CPI ने मार्क्सवाद को इंडियन सोशियो-इकोनॉमिक सच्चाइयों के हिसाब से अडैप्ट करने की कोशिश की।

निष्कर्ष

CPI की सौवीं सालगिरह एक बैन क्रांतिकारी संगठन से भारत के डेमोक्रेटिक ढांचे का एक ज़रूरी हिस्सा बनने के उसके बदलाव को दिखाती है। हालांकि हाल के दशकों में इसका **चुनावी असर कम हुआ है , लेकिन ज़मीन सुधार, मज़दूर अधिकार और सामाजिक न्याय** पर CPI के लंबे समय तक चलने वाले असर ने मॉडर्न भारतीय राजनीतिक इतिहास में इसकी जगह पक्की कर दी है।

सोमालीलैंड

प्रसंग

दिसंबर 2025 में , इज़राइल पहला UN सदस्य देश बन गया जिसने **सोमालीलैंड को** एक आज़ाद देश के तौर पर औपचारिक रूप से मान्यता दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के साइन किए गए इस ऐतिहासिक डिप्लोमैटिक कदम का **सोमालिया** , **अफ़्रीकन यूनियन (AU)** और कई क्षेत्रीय ताकतों ने तीखा विरोध किया है।

सोमालीलैंड के बारे में

- **यह क्या है?**
  - **हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका** में एक खुद से घोषित आज़ाद देश, जो 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट के गिरने और एक भयानक सिविल वॉर के बाद सोमालिया से एकतरफ़ा तौर पर अलग हो गया था।
  - यह अपनी डेमोक्रेटिक सरकार, करेंसी (**सोमालीलैंड शिलिंग**), पासपोर्ट और सिक्योरिटी फोर्स के साथ एक *असल देश के तौर पर काम करता है।*
- **जगह:**
  - **अदन की खाड़ी** के दक्षिणी तट पर स्थित है ।
  - **सीमा से लगे देश:** उत्तर-पश्चिम में जिबूती, पश्चिम और दक्षिण में इथियोपिया, और पूर्व में सोमालिया (पंटलैंड क्षेत्र)।
  - **पहले के ब्रिटिश सोमालीलैंड** प्रोटेक्टोरेट के बॉर्डर से मिलता है ।

ऐतिहासिक विकास

- **1888–1960: ब्रिटिश संरक्षित राज्य** के रूप में स्थापित ।
- **1960:** सोमाली रिपब्लिक बनाने के लिए **इटैलियन सोमालीलैंड** के साथ अपनी मर्ज़ी से मर्ज होने से पहले, पांच दिनों के लिए कुछ समय के लिए आज़ादी मिली (इज़राइल समेत 35 देशों ने इसे मान्यता दी)।
- **1991:** तानाशाह सियाद बार्रे को हटाने के बाद, सोमालीलैंड ने 1960 के यूनियन की नाकामी का हवाला देते हुए अपनी आज़ादी का ऐलान किया।
- **2001:** एक संवैधानिक जनमत संग्रह में **97% से ज़्यादा लोगों** ने आज़ादी के पक्ष में वोट दिया।

- **2025: इज़राइल की पहचान एक टर्निंग पॉइंट है, जो शायद अब्राहम समझौते** के फ्रेमवर्क के ज़रिए आगे इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का रास्ता बनाएगा ।

2025 मान्यता समझौता

- **डील का नेचर:** मान्यता का एक आपसी ऐलान जिसमें पूरे डिप्लोमैटिक रिलेशन बनाना, एम्बेसी खोलना और एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट शामिल है।
- **स्ट्रेटेजिक फायदे:** * **हूथी विरोधी ऑपरेशन:** सोमालीलैंड की बाब अल-मंदाब चोकपॉइंट और यमन से नज़दीकी, इज़राइल को हूथी विद्रोहियों पर नज़र रखने के लिए एक स्ट्रेटेजिक फॉरवर्ड बेस देती है।
    - **अब्राहम समझौता:** सोमालीलैंड ने समझौते में शामिल होने की इच्छा जताई है, जिससे मुस्लिम-बहुल पार्टनर्स के साथ इज़राइल के रिश्ते मज़बूत होंगे।
- **आर्थिक सहयोग: बर्बेरा पोर्ट के** ज़रिए खेती, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और समुद्री व्यापार में पार्टनरशिप की योजना बनाई गई ।

चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँ

- **सोमालिया का विरोध:** मोगादिशु इस मान्यता को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर "जानबूझकर किया गया हमला" मानता है।
- **क्षेत्रीय टकराव:** अफ्रीकी यूनियन, मिस्र और तुर्की ने इस कदम की निंदा की है, और चेतावनी दी है कि इससे हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका अस्थिर हो सकता है और अलगाववादी आंदोलनों के लिए एक "खतरनाक मिसाल" बन सकती है।
- **इंटरनेशनल रुख:** ज़्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी (UN समेत) ऑफिशियली सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा मानती है, हालांकि कई लोगों ने हरगेसा में अनऑफिशियल "लायजन ऑफिस" बनाए हुए हैं।

निष्कर्ष

इज़राइल का सोमालीलैंड को मान्यता देना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव है, जो इस इलाके के लिए दशकों से चले आ रहे पूरी तरह से डिप्लोमैटिक अलगाव को खत्म करता है। यह सोमालीलैंड के 34 साल के स्थिर सेल्फ-गवर्नेंस को सही ठहराता है, साथ ही यह इस इलाके को मिडिल ईस्ट के हितों, अफ्रीकी सॉवरेनिटी और रेड सी सिक्योरिटी से जुड़े एक मुश्किल पावर स्ट्रगल के सेंटर में भी लाता है।

RACE IAS

RACE IAS®

Since 2010

सत्यमेव जयते

FOUNDATION BATCH IAS/PCS

Dr. Rajesh Shukla
Chairman, RACE Group

With Complete Study Material, Library Facility & Test Series

1 Year Batch for Graduate Students

3 Years Batch for 12th Passed Students

OFFLINE / ONLINE BATCH
English / Hindi Medium

OUR TOPPERS IN IAS

HIMANSHU GUPTA
UPSC (IAS), AIR 27

ANIMESH VERMA
UPSC (IAS), AIR 38

SHIVAKSHI DIXIT
UPSC (IAS), AIR 64

CHINTAN DOBARIYA
UPSC (IAS), AIR 376

PARICHAY KUMAR
UPSC (IAS), AIR 410

AJAY KUMAR GAUTAM
UPSC (IAS), AIR 415

PARMANAND PRAVIN
UPSC (IAS), AIR 439

VIVEK RAJPOOT
UPSC (IAS), AIR 588

YASHLOK K DUTT
UPSC (IAS), AIR 680

PRABAL GARG
UPSC (IAS), AIR 703

and many more----

OUR TOPPERS IN UPPCS

SATWIK SRIVASTAVA
DEPUTY COLLECTOR

PURNENDU MISHRA
DEPUTY COLLECTOR

SUNISHTHA SINGH
DEPUTY COLLECTOR

SHUSHANT SANWAREY
DEPUTY COLLECTOR

AKANKSHA GAUTAM
DEPUTY SP

SHAMBHAVI TRIPATHI
DEPUTY SP, 2022

KAUSTUBH TRIPATHI
DEPUTY SP, 2022

VISHAL GUPTA
DEPUTY SP, 2022

RISHIKA SINGH
DEPUTY SP, 2022

JUHI PRASAD
Deputy Collector
RANK 41, UPPCS 2021

SHIVAKSHI DIXIT
DEPUTY COLLECTOR, RANK 2, UPPCS 2020

SANT RANJAN
DEPUTY COLLECTOR, RANK 32, UPPCS 2019

AKANKSHA GAUTAM
DEPUTY COLLECTOR, RANK 68, UPPCS 2018

SUPRIYA GUPTA
DEPUTY COLLECTOR, RANK 78, UPPCS 2018

NEHA
ASSTT. COMMISSIONER
UPPCS 2020

and many more----

CALL : 7388114444, 8917851448, 9044241755

LUCKNOW : ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH

KANPUR : COCA COLA CROSSING, G.T. ROAD, CALL : 9044327779

अभी डाउनलोड करें -
RACE IAS मोबाइल ऐप

GET IT ON Google Play | Available on Windows Store

Follow us on :

www.raceias.com